VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

# अर्थव्यवस्था

## क्लासरूम स्टडी मटेरियल

(अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024)


www.visionias.in 8468022022, 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलुरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची

# अर्थव्यवस्था (Economy)

## विषय-सूची


**1. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking and Monetary Policy) 6**

1.1. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति 6

1.1.1. परिवर्तनीय रेपो दर 7

1.2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन 8

1.3. मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट 9

1.4. RBI द्वारा अधिशेष अंतरण 10

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम योजना 11

1.4.2. RBI से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम 12

1.4.2.1. ऋण-जमा अनुपात 12

1.4.2.2. वित्तीय समावेशन सूचकांक 12

1.4.2.3. रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 12

1.4.2.4. विनियमित संस्थाओं में स्व-विनियामक संगठनों (SROs) को मान्यता देने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क 13

1.5. यूनिवर्सल बैंक 14

1.6. शहरी सहकारी बैंक 15

1.6.1. प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क 16

1.7. भारत में सूक्ष्म-वित्त यानी माइक्रोफाइनेंस सेक्टर के 50 वर्ष 17

1.8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) 17

1.9. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 19

1.9.1. विलफुल डिफॉल्टर्स 20

1.10. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 21

1.11. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां 23

1.12. हाउसहोल्ड सेविंग्स रेट 24

**2. वित्त और कराधान (Finance and Taxation) 26**

2.1. वस्तु एवं सेवा कर 26

2.1.1. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर 27

2.2. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और इंडेक्सेशन लाभ 27

2.3. विरासत कर 29

2.4. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते 29

2.4.1. दोहरा कराधान बचाव समझौता 31

2.5. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि 31

2.6. अन्य प्रमुख घटनाक्रम 32

2.6.1. शुल्क वापसी 32

2.6.2. विंडफॉल टैक्स 33

**3. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Payment Systems & Financial Market) 34**

3.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर 34

3.2. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 35

3.2.1 प्रोजेक्ट नेक्सस 36

3.3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 37

3.3.1. सेटलमेंट चक्र 39

3.4. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 39

3.4.1. को-लोकेशन या प्रोक्सिमिटी होस्टिंग 40

3.5. वित्तीयकरण 40

3.6. भारतीय डेरिवेटिव मार्केट 40

3.7. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां 42

3.8. अन्य प्रमुख घटनाक्रम 43

3.8.1. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs/इनविट्स) 43

3.8.2. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण 43

3.8.3. फ्रंट रनिंग 44

3.8.4. इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स 45

3.8.5. फिन्टरनेट 46

3.8.6. परपेचुअल बॉण्ड्स 47

3.8.7. पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-नोट्स) 48

3.8.8. इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज 48

3.8.9. कैरी ट्रेड 48

**4. बाह्य क्षेत्रक (External Sector) 49**

4.1. भारत का व्यापार घाटा 49

4.2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 50

4.3. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण 51

4.4. ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 53

4.4.1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 54

4.4.2. विश्व बैंक 55

4.5. विश्व व्यापार संगठन 57

4.5.1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा 58




 © Vision IAS

4.5.2. WTO-मात्स्यिकी सब्सिडी समझौता (जेनेवा पैकेज) 59
4.5.3. ट्रिप्स समझौता 59
**5. संवृद्धि और विकास (Growth and Development) 61**
5.1. सकल स्थायी पूंजी निर्माण 61
5.2. मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 62
5.3. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 64
5.4. मिडिल इनकम ट्रैप 65
5.4.1. प्रेस्टन वक्र 66
5.5. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 66
**6. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक (Agriculture & Allied Sector) 68**
6.1. कृषि क्षेत्रक 68
6.1.1. भारत में बागवानी क्षेत्रक 69
6.1.2. कृषि विज्ञान केंद्र 70
6.1.3. डिजिटल कृषि मिशन 70
6.1.4. भारत में पशुधन क्षेत्रक 71
6.2. श्वेत क्रांति 2.0 72
6.3. कृषि अवसंरचना कोष 74
6.4. एग्रीटेक 74
6.5. न्यूनतम समर्थन मूल्य 75
6.6. भारत की कृषि निर्यात नीति 76
6.7. सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना 77
6.8. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) 78
6.9. मिलेट्स 79
6.10. SPICED योजना 81
6.11. दलहन 82
6.12. जूट 83
6.13. नाबार्ड 'अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22 84
6.14. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) 85
6.15. मात्स्यिकी क्षेत्रक 86
6.15.1. सीवीड या समुद्री सिवार की खेती 87
6.16. अन्य प्रमुख घटनाक्रम 88
6.16.1. केंद्रीय रेशम बोर्ड 88
6.16.2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर (NISA) 88
**7. श्रम और रोजगार (Labour and Employment) 90**
7.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 90
7.2. गिग इकॉनमी 91
7.3. जीवन-निर्वाह मजदूरी 91
7.4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 92
**8. व्यवसाय, नवाचार और उद्यमिता (Business, Innovation and Entrepreneurship) 94**
8.1. B-रेडी इंडेक्स 94
8.2. भारत का स्टार्ट-अप इकोसिस्टम 95
8.2.1. एंजेल टैक्स 97
8.3. पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 97
8.4. वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 और सामाजिक उद्यमिता 99
8.5. बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर संधि 101
**9. अवसंरचना (Infrastructure) 103**
9.1. पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 103
9.2. भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) फ्रेमवर्क 103
9.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण 104
9.4. औद्योगिक पार्क 105
9.5. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक 106
9.6. भारत का पत्तन क्षेत्रक 107
9.6.1. पत्तन क्षेत्रक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम 109
9.7. भारतीय रेलवे की सुरक्षा 110
9.8. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक 111
**10. सेवाएं (Services) 112**
10.1. ई-कॉमर्स 112
10.1.1. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) 112
10.1.2. एंटी-ट्रस्ट कानून 113
**11. खनन, ऊर्जा और उद्योग (Mining, Energy & Industry) 115**
11.1. भारत में कोयला क्षेत्र 115
11.2. भारत में अपतटीय खनिज 116
11.3. भारत में इस्पात क्षेत्रक 117
11.4. बायो-इकोनॉमी 119
11.5. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 120
11.6. स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम 121
11.7. राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) 123

11.8. वस्त्र क्षेत्रक _____ 123
11.8.1. तकनीकी वस्त्र _____ 124
11.9. अन्य प्रमुख घटनाक्रम _____ 125
11.9.1. आठ कोर उद्योगों का सूचकांक _____ 125
11.9.2. नवरत्न का दर्जा _____ 126
11.9.3. GIFT-IFSC के विकास पर विशेषज्ञ समिति _ 126
11.9.4. विश्व स्वर्ण परिषद _____ 126

**12. विविध (Miscellaneous) _____ 128**
12.1. निधि कंपनियां _____ 128
12.2. ISI मार्क _____ 128
12.3. ग्रीन शूट्स _____ 129
12.4. एनहैंस्ड इंटिग्रेटेड फ्रेमवर्क _____ 129
12.5. दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024 _____ 129
12.6. एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) 130



VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
OUR ACHIEVEMENTS

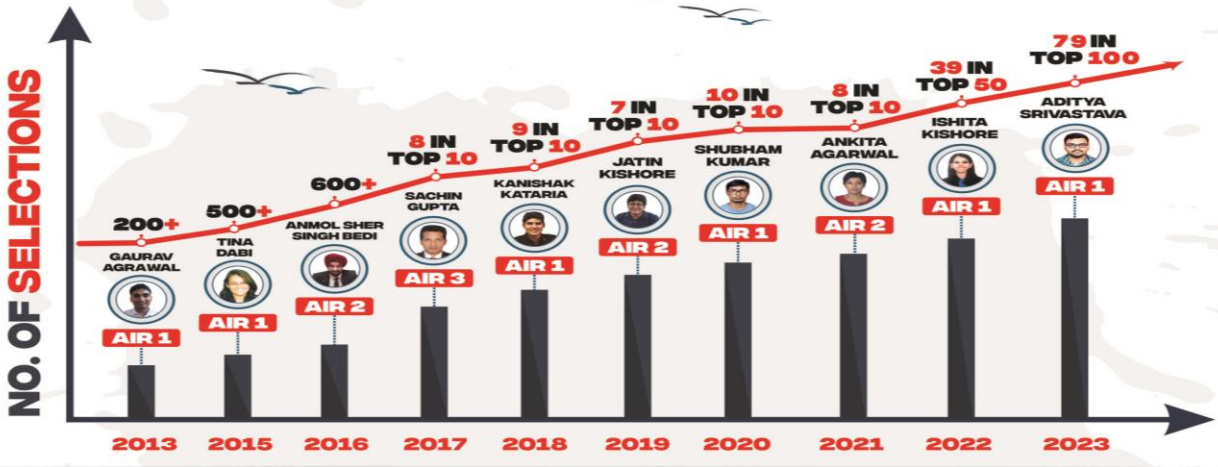


LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 21 JAN, 1 PM | 31 JAN, 5 PM
GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 6 JAN, 8 AM
हिन्दी माध्यम | DELHI: 4 फरवरी, 11 AM
AHMEDABAD: 4 JAN | BENGALURU: 18 FEB | BHOPAL: 5 DEC | HYDERABAD: 22 JAN | JAIPUR: 20 JAN
JODHPUR: 3 DEC | LUCKNOW: 11 FEB | PUNE: 20 JAN | ADMISSION OPEN | CHANDIGARH

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI: 4 फरवरी, 11 AM | JAIPUR: 20 जनवरी | JODHPUR: 3 दिसंबर | प्रवेश प्रारम्भ | BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

# अभ्यर्थियों के लिए संदेश

**प्रिय अभ्यर्थी,**

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की अर्थव्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

**मैक्रोइकॉनोमिक डेवलपमेंट्स (समष्टि आर्थिक विकासक्रम):** इस डॉक्यूमेंट में **नवीनतम तथ्यों, आंकड़ों और डेटा** से समृद्ध सभी महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनोमिक ट्रेंड्स का एक व्यापक लेकिन संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

**मुख्य रिपोर्ट और सूचकांक:** इस डॉक्यूमेंट में पिछले वर्ष में जारी की गई मुख्य रिपोर्ट्स और सूचकांकों को **स्पष्ट तथा संक्षिप्त प्रारूप में** प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसे और अधिक प्रभावी एवं आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए, चित्रात्मक और आकर्षक तत्वों का समावेश किया गया है।

**संगठन:** इस डॉक्यूमेंट में सुर्खियों में रहे प्रासंगिक संगठनों का विवरण भी दिया गया है। इसमें UPSC की तैयारी के लिए उनकी **भूमिकाओं, कार्यों और महत्व** के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई है।

**इन्फोग्राफिक्स:** जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने, डेटा प्रस्तुत करने आदि के लिए संबंधित आर्टिकल में प्रासंगिक इन्फोग्राफिक्स प्रदान किए गए हैं, जो अभ्यर्थियों को उनकी **विजुअल मेमोरी को बढ़ाने और लर्निंग को आसान बनाने में मदद करते हैं।**

**PYQs का उपयोग:** PT 365 अर्थव्यवस्था डॉक्यूमेंट में विगत वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है, ताकि ट्रेंड्स के अनुरूप UPSC की तैयारी के लिए एक फोकस्ड एप्रोच प्रदान किया जा सके।

**क्विज़:** QR आधारित स्मार्ट क्विज़ आपके ज्ञान का परीक्षण करेगा और लर्निंग की अधिक आकर्षक तथा प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।


VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT

क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2025

(इसका उद्देश्य मूलभूत अवधारणाओं को रिवाइज करना और उन्हें सुदृढ़ करना, समस्या–समाधान क्षमताओं को बढ़ाना, विश्लेषणात्मक कौशल को बेहतर बनाना, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए समझ कौशल में सुधार करना है।)

प्रारंभ

| English Medium | हिन्दी माध्यम |
|---|---|
| 21 January, 1 PM | 30 January, 1 PM |

(Offline/Online)

# भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त अवलोकन (Brief Glance at Indian Economy)



## भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन

### अर्थव्यवस्था का आकार

भारत **नॉमिनल GDP** के हिसाब से दुनिया की **5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** तथा **क्रय शक्ति समता (PPP)** के हिसाब से चीन और यू.एस.ए. के बाद **तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** है।

### कर संग्रह

**2023-24** में कुल कर राजस्व में **प्रत्यक्ष करों** का हिस्सा **56.72%** था, जिसमें **व्यक्तिगत आयकर** का योगदान सबसे अधिक था और उसके बाद **कॉर्पोरेट या निगम कर** का योगदान था।

### अवसंरचना

भारत में **एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क** और **सबसे बड़ा रेल नेटवर्क** है।

## भारत का संरचनात्मक परिवर्तन

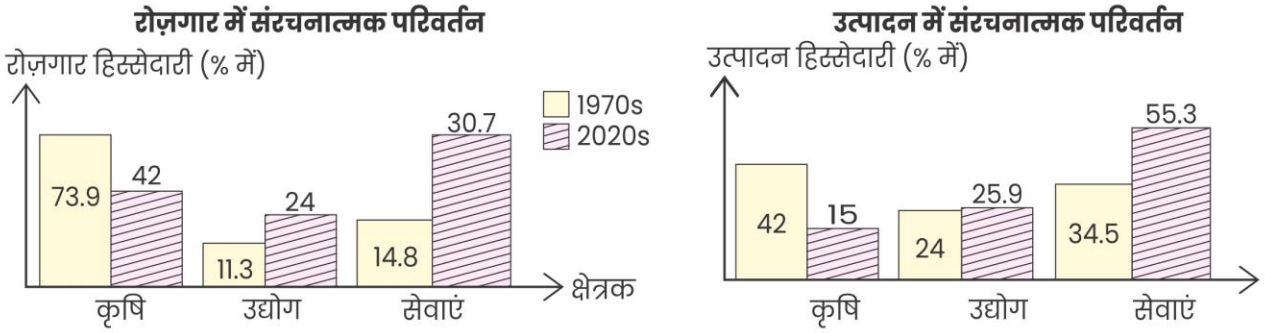


## भारत का बाह्य या विदेशी ऋण (मार्च, 2024)

**भारत का विदेशी ऋण:** **663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर,** जिसमें से **दीर्घावधि ऋण** 541.2 बिलियन डॉलर है।

**भारत का विदेशी ऋण GDP अनुपात:** 2023 में 19% था, जो घटकर **18.7%** हो गया।

**घटक:** इसमें **अमेरिकी डॉलर (53.8% हिस्सा)** सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। इसके बाद भारतीय रुपया, येन, SDR आदि का स्थान है।

**SMART QUIZ**

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

 © Vision IAS

# 1. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking and Monetary Policy)

## 1.1. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति (Monetary Policy of RBI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत में मौद्रिक नीति संचरण[1] का अध्ययन किया है ताकि यह समझा जा सके कि मौद्रिक नीति में बदलाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं।

**मौद्रिक नीति क्या है?**

- **मौद्रिक नीति:** मौद्रिक नीति किसी देश के **केंद्रीय बैंक** के पास उपलब्ध **कार्रवाइयों का एक समूह** है। इस नीति के जरिए भारत में RBI जैसे केंद्रीय बैंक **मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करके सतत आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास** करता है।
- **मौद्रिक नीति संचरण:** यह वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से **मौद्रिक नीति के निर्णय** यानी RBI की मौद्रिक समिति द्वारा नीतिगत दरों में परिवर्तन **आर्थिक चरों (Variables), मूल्य स्तर और समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव** डालते हैं। इसके जरिए मौद्रिक नीति के निर्णयों के बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है, जो भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करना है।
- **मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति:** RBI अधिनियम, 1934 में **वर्ष 2016 में संशोधन कर RBI की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार** प्रदान किया गया था।
- **भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क:** केंद्र सरकार RBI के परामर्श से **हर 5 साल पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)[2] आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य** निर्धारित करती है।
    - **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य:** वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार **RBI को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित** रखना है। इसमें **2% कम या अधिक** की अधिकतम छूट की अनुमति है। इसका अर्थ है कि **मुद्रास्फीति को 2% से 6% के बीच नियंत्रित** रखना होगा।

### मौद्रिक नीति के उपकरण

| मात्रात्मक उपकरण (Quantitative tools) | गुणात्मक उपकरण (Qualitative tools) |
|---|---|
| » ये **मौद्रिक नीति के सामान्य उपकरण** के रूप में जाने जाते हैं।<br>» ये उपकरण प्रकृति में **अप्रत्यक्ष** होते हैं और अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।<br>» **उदाहरण के लिए:** ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) या खुला बाजार परिचालन (सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री), बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR), सीमांत स्थायी सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा (रेपो और रिवर्स रेपो), आदि। | » **ये RBI की मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरण** के रूप में भी जाने जाते हैं।<br>» ये उपाय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में ऋण के वितरण और दिशा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।<br>» **उदाहरण के लिए:** ऋण की राशनिंग, उपभोग उद्देश्यों के लिए ऋण का विनियमन, मार्जिन आवश्यकताओं में बदलाव, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, आदि। |

**(नोट: RBI की स्टरलाइजेशन नीति** के तहत मुद्रास्फीति और मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए अर्थव्यवस्था में **अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन** किया जाता है। इसके लिए RBI **खुला बाज़ार परिचालन (OMOs), नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को बढ़ाना या घटाना, बाजार स्थिरीकरण योजना[3]** जैसे साधनों का उपयोग करता है।)

[1] Monetary Policy Transmission

[2] Consumer Price Index

[3] Market Stabilization Scheme

**मौद्रिक नीति के प्रकार**

| विस्तारक (Expansionary) मौद्रिक नीति | संकुचनकारी (Contractionary) मौद्रिक नीति |
|---|---|
| • केंद्रीय बैंक **ब्याज दरें कम** करता है। इसके बाद बैंक भी ब्याज दरें कम करते हैं। इससे ऋण लेना सस्ता (कम ब्याज दर के कारण) हो जाता है। इससे कोई व्यक्ति या व्यवसायी अधिक राशि का ऋण ले सकता है।<br>• इससे **बाजार में तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ती** है, मांग में वृद्धि होती है और **आर्थिक संवृद्धि** को बढ़ावा मिलता है।<br>• **RBI की कार्रवाई:**<br>○ **RBI 'खुला बाज़ार परिचालन' (OMOs)** के तहत **बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता** है।<br>○ केंद्रीय बैंक **CRR, वैधानिक तरलता अनुपात (SLR), रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट** और **बैंक रेट** को **कम** करता है। | • केंद्रीय बैंक **ब्याज दरें बढ़ाता है;** आगे बैंक भी उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे ऋण लेना अधिक महंगा (अधिक ब्याज दर के कारण) पड़ जाता है।<br>• इससे **तरलता, मुद्रा आपूर्ति, समग्र उपभोग स्तर,** मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, कैपिटल स्टॉक आदि में **गिरावट दर्ज** की जाती है।<br>• इससे व्यक्ति और व्यवसायी **कम ऋण लेते हैं।** साथ ही, बेरोजगारी दर में भी वृद्धि होती है।<br>• **RBI की कार्रवाई:**<br>○ **RBI 'खुला बाज़ार परिचालन'** के तहत **बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता** है।<br>○ केंद्रीय बैंक **CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट** में **वृद्धि** करता है। |

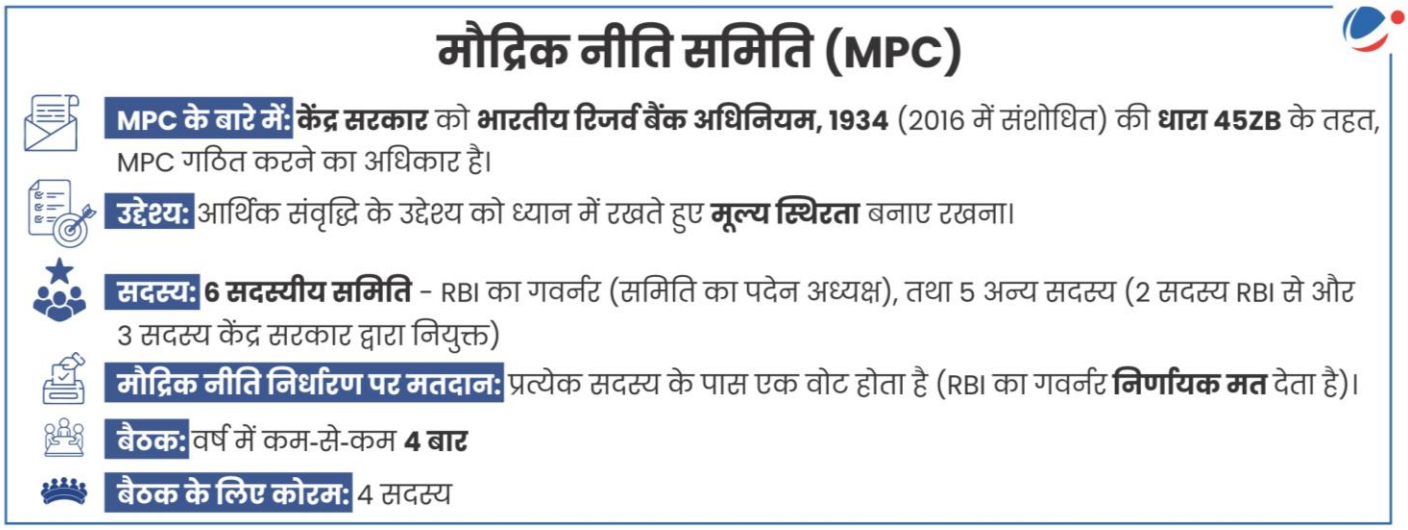


## 1.1.1. परिवर्तनीय रेपो दर (Variable Repo Rate: VRR)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **परिवर्तनीय रेपो दर** यानी **वेरिएबल रेपो रेट** के जरिए बैंकों को 25,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

**परिवर्तनीय रेपो दर (VRR) के बारे में**

- ऐसे में RBI एक दिन से अधिक की अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित VRR पर उधार लेने की अनुमति देता है जो आमतौर पर रेपो रेट से कम होता है (लेकिन रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं)। VRR के तहत **एक दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिनों** तक के लिए उधार लिया जाता है।
- कभी-कभी RBI अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना चाहता है, लेकिन बैंक रेपो रेट पर RBI से उधार लेने के इच्छुक नहीं होते, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले से ही कम होती हैं। इसके कारण RBI को परिवर्तनीय रेपो दर का इस्तेमाल करना पड़ता है।
  - इसके विपरीत, रेपो रेट **RBI द्वारा तय दर है,** जिस पर **बैंक RBI से धन उधार** लेते हैं।
- यह वास्तव में **बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि के लिए लिक्विडिटी (नकदी या तरलता) की आपूर्ति करने का एक जरिया** है।
- इसी तरह, बाजार से अतिरिक्त नकदी या लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए RBI द्वारा **वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR)** का उपयोग किया जाता है।

## 1.2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन (Revised Priority Sector Lending Norms)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी दिशा-निर्देशों** में संशोधन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन जिलों में लघु ऋणों यानी कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना है जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है और लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है।

**प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी संशोधित मानदंड**

- **इंसेंटिव फ्रेमवर्क:** इसके तहत **कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों के लिए** वित्त वर्ष 2025 से लागू होने वाले **इंसेंटिव फ्रेमवर्क** की स्थापना की जाएगी।
  - जिन जिलों में **ऋण वितरण कम** (प्रति व्यक्ति 9,000 रुपये से कम) है, वहां PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को **अधिक भारांश (125%)** दिया जाएगा।
- **डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क:** पहले से ही **अधिक ऋण प्राप्त** करने वाले जिलों में **(प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक)**, PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को **कम भारांश (90%)** दिया जाएगा।
- **अन्य जिले:** कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिलों और उच्च ऋण प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़कर, **अन्य सभी जिलों में भारांश 100%** के मौजूदा स्तर पर जारी रहेगा।
- **MSME ऋण:** MSMEs को दिए गए सभी बैंक ऋण **PSL श्रेणी** में आएंगे।

**"प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL)" के बारे में**

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक** का आशय उन क्षेत्रकों से है जिन्हें **सरकार और RBI देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण** मानते हैं। बैंक ऋण के मामले में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
- **उद्देश्य: समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों तक ऋण की उपलब्धता** सुनिश्चित करना।
- **'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक'** की अवधारणा को **1972** में **औपचारिक रूप दिया गया** था।
- **'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक' से जुड़ी अलग-अलग समितियां: गाडगिल समिति (1969), घोष समिति (1982)।**
- **PSL सर्टिफिकेट (PSLC):** यह बैंकों को दिया जाने वाला एक प्रमाण-पत्र है, जो यह दर्शाता है कि ऐसे सर्टिफिकेट वाले बैंक ने RBI द्वारा निर्धारित PSL (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार) लक्ष्य को पूरा कर लिया है।
  - PSLC का उद्देश्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण देने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करने की स्थिति में इन इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद के माध्यम से बैंकों को **PSL संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाना** तथा टारगेट से अधिक **PSL ऋण देने वाले** बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

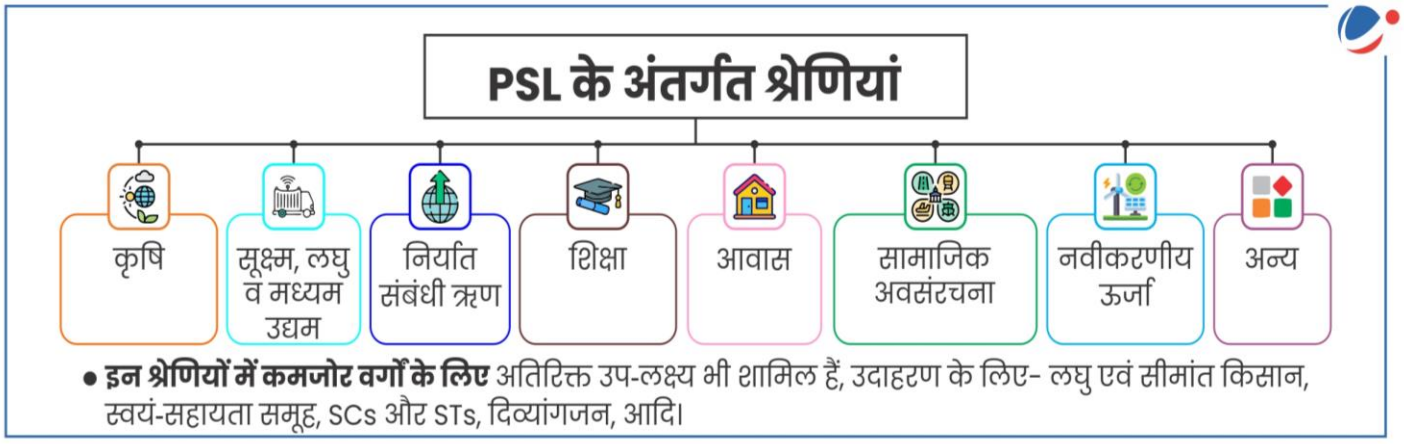

## विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए PSL हेतु लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

| श्रेणियां | घरेलू वाणिज्यिक बैंक और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक | 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | लघु वित्त बैंक |
|---|---|---|---|---|
| समग्र प्राथमिकता क्षेत्रक | एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट **(ANBC)** का या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ़ 'ऑफ-बैलेंस शीट' एक्सपोजर **(CEOBE)** का **40%** (जो भी अधिक हो)। | **घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान** | **ANBC या CEOBE का 75%** (जो भी अधिक हो)। | **ANBC या CEOBE का 75%** (जो भी अधिक हो)। |
| कृषि | **ANBC या CEOBE का 18%** (जो भी अधिक हो); इस ऋण में से लघु एवं सीमांत किसानों को **10%** देना होता है। | लागू नहीं | **घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान** | घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान |
| सूक्ष्म लघु उद्योग | **ANBC या CEOBE का 7.5%** (जो भी अधिक हो)। | लागू नहीं | **घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान** | घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान |
| कमजोर वर्गों को अग्रिम सहायता | **ANBC या CEOBE का 12%** (जो भी अधिक हो)। | लागू नहीं | **ANBC या CEOBE का 15%** (जो भी अधिक हो)। | घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान |
| **नोट: PSL संबंधी दिशा-निर्देश 'प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों' पर भी लागू होते हैं।** | | | | |

## 1.3. मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट (Mumbai Interbank Outright Rate: MIBOR)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, RBI ने MIBOR की गणना की पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की और अधिक लोकप्रिय डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सुरक्षित मुद्रा बाजार बेंचमार्क अपनाने का प्रस्ताव किया है।

**भारत की 'लंदन इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (LIBOR)' पर निर्भरता की समाप्ति (LIBOR)**

- पिछले साल, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **बैंकों और RBI द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी** जारी की थी। इसमें उन्हें LIBOR से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने हेतु कहा गया था।
  - LIBOR एक **वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर** है। सरल शब्दों में, LIBOR का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क (या संदर्भ दर) के तौर पर किया जाता है। इसी दर पर प्रमुख वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक-दूसरे को ऋण देते हैं। ये ऋण अल्पावधि के लिए दिए जाते हैं।
    - **कॉल मनी मार्केट:** यह एक **वित्तीय बाज़ार** है। यहां वित्तीय संस्थान और बैंक **अल्पकालिक जरूरतों के लिए धन उधार** लेते व देते हैं।

- RBI ने **वैकल्पिक संदर्भ दर (ARR)**[4] की एक प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के लिए ब्रिटिश पाउंड के बजाय मुद्राओं की एक बास्केट से दरें चुनने की सुविधा प्रदान करती है।

**लंदन इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (LIBOR) के विकल्प**

- **सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR)-** संयुक्त राज्य अमेरिका; **मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट (MIFOR)-** भारत; **शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट (SHIBOR)-** चीन; **टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट (TIBOR)-** जापान; आदि।

**फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL)**

- **उत्पत्ति: FBIL का गठन 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था।**
  - इसका स्वामित्व संयुक्त रूप से फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA), फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के पास है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना तथा उस पर नजर रखना है।**
- **विनियमन:** FBIL को **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।**

## 1.4. RBI द्वारा अधिशेष अंतरण (RBI Surplus Transfer)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2024 के लिए **सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष अंतरण** (सरप्लस ट्रांसफर) को मंजूरी दी है। यह अब तक का सबसे अधिक सरप्लस ट्रांसफर है। वास्तव में यह राशि पिछले वित्त वर्ष के 86,416 करोड़ रुपये के दोगुने से भी अधिक है।

**RBI के सरप्लस के बारे में**

- RBI के पास सरप्लस या अधिशेष का अर्थ है- **खर्च से ज्यादा आय होना।** RBI का **कुल खर्च** उसे ब्याज से प्राप्त कुल आय का केवल 1/7 वां हिस्सा है। इसी के चलते RBI के पास अधिशेष बना रहता है।

### RBI की आय और व्यय

| RBI की आय | RBI का व्यय |
|---|---|
| » **रुपये में जारी प्रतिभूतियों** की होल्डिंग पर ब्याज<br>» **चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)** और **सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)** जैसी गतिविधियों से अर्जित ब्याज<br>» केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा कर्मचारियों को दिए गए **ऋण एवं अग्रिम से प्राप्त ब्याज**<br>» **विदेशी स्रोतों से अर्जित ब्याज:** इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCA) से प्राप्त ब्याज आय शामिल है। | » RBI अपनी **आय का एक बड़ा हिस्सा जोखिम से निपटने (रिस्क प्रॉविजन) पर व्यय** करता है, जैसे- आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि।<br>• **आकस्मिकता निधि (Contingency Fund: CF):** इसके तहत किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए राशि अलग रखी जाती है। उदाहरण के लिए- प्रतिभूतियों (बॉण्ड) की वैल्यू में मूल्यह्रास, मौद्रिक दर नीति से जुड़े जोखिम, आदि।<br>• **परिसंपत्ति विकास निधि (Asset Development Fund: ADF):** इसके तहत RBI की सब्सिडियरी कंपनियों और संबद्ध संस्थानों में निवेश और आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए पूंजी व्यय किया जाता है।<br>» **नोटों की छपाई, एजेंसी शुल्क, कर्मचारियों पर हुए खर्च,** आदि। |

**RBI द्वारा सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने से संबंधित प्रावधान**

- **RBI अधिनियम, 1934:** इस अधिनियम की **धारा 47** में प्रावधान किया गया है कि RBI द्वारा अपने परिचालन से अर्जित किसी भी तरह का लाभ केंद्र को ट्रांसफर किया जाएगा।
- **समितियों की सिफारिशें: मालेगाम समिति (2013)** की सिफारिशों के बाद सरकार को ट्रांसफर किए जाने वाले सरप्लस में बढ़ोतरी हुई है।

[4] Alternative Reference Rates

- **आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ECF)[5]: बिमल जालान समिति** की सिफारिशों के आधार पर केंद्र को ट्रांसफर की जाने वाली सरप्लस राशि निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित की जाती है-
  - **रियलाइज़्ड इक्विटी (आकस्मिकता निधि में मौजूद राशि): आकस्मिकता निधि** को RBI की बैलेंस शीट के 6.5% से 5.5% की सीमा के भीतर बनाए रखा जाता है और उसके बाद शेष बची अतिरिक्त राशि सरकार को ट्रांसफर कर दी जाती है।
  - **आर्थिक पूंजी (CGRA)[6]:** इसे बैलेंस शीट के 20.8-25.4% की सीमा में रखा जाता है और शेष राशि सरकार को ट्रांसफर कर दी जाती है।
    - CGRA से आशय है- मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें **पूंजी, रिजर्व, जोखिम से निपटने के लिए रखी राशि (रिस्क प्रॉविजन) और पुनर्मूल्यांकन शेष** (Revaluation balances) शामिल होते हैं।

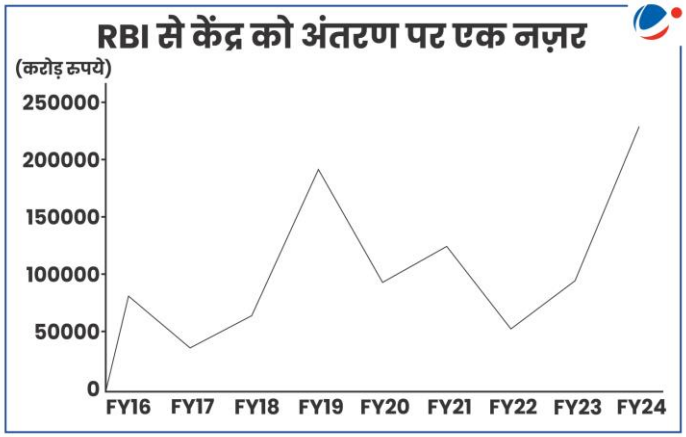


## 1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम योजना {Ways and Means (WMA) Advances Scheme}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की **अर्थोपाय अग्रिम सीमा को मौजूदा 47,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60,118 करोड़ रुपये** कर दिया है।

**अर्थोपाय अग्रिम (WMA) के बारे में**

- ये **प्राप्तियों और व्यय** में तात्कालिक अंतर को पूरा करने के लिए **RBI द्वारा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले अग्रिम** (एडवांसेज) हैं।
  - इस सुविधा का लाभ **केंद्र सरकार** भी उठा सकती है।
- **प्रकार:** इसके दो प्रकार हैं- **सामान्य अर्थोपाय अग्रिम** और **विशेष अर्थोपाय अग्रिम।** विशेष अर्थोपाय अग्रिम को अब **विशेष आहरण सुविधा (SDF)[7]** के रूप में जाना जाता है।
  - सबसे पहले, किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश को विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा समाप्त होने के बाद, उसे **सामान्य अर्थोपाय अग्रिम** मिलता है।
  - विशेष अर्थोपाय अग्रिम की **ब्याज दर** सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की ब्याज दर से कम होती है।
- **ब्याज दरें रेपो दर से जुड़ी** होती हैं।
- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पास **अर्थोपाय अग्रिम** के अलावा ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय समायोजन साधन भी मौजूद हैं, जैसे- **विशेष आहरण सुविधा (SDF) और ओवरड्राफ्ट (OD) की सुविधा।**
  - ये साधन यानी इंस्ट्रूमेंट्स **RBI अधिनियम, 1934 के तहत** शासित होते हैं।

| विशेष आहरण सुविधा (SDF) | ओवरड्राफ्ट सुविधा |
|---|---|
| • **कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (CSF), गारंटी रिडेम्पशन फंड (GRF), ऑक्शन ट्रेजरी बिल (ATB)** आदि को गिरवी (कोलेटरल) रखकर राज्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।<br>○ **CSF और GRF** कुछ राज्यों द्वारा **RBI के पास रखी गई आरक्षित निधियां** हैं। | • यह सुविधा तब प्रदान की जाती है, जब किसी राज्य को दी गई वित्तीय सहायता उसकी **विशेष आहरण सुविधा और अर्थोपाय अग्रिम सीमा से अधिक** हो जाती है।<br>• आम तौर पर, राज्य सरकारें या संघ शासित प्रदेश **लगातार 14 दिनों तक** ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, RBI इसे बढ़ा भी सकता है। |

[5] Economic Capital Framework

[6] Currency and Gold Revaluation Account

[7] Special Drawing Facility

## 1.4.2. RBI से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम (Other Key Developments Related to RBI)

### 1.4.2.1. ऋण-जमा अनुपात {Credit-Deposit (CD) Ratio}

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के उच्च **ऋण-जमा अनुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे कम करने** की सलाह दी है।

**ऋण-जमा अनुपात क्या है?**

- ऋण-जमा अनुपात वास्तव में **किसी बैंक द्वारा अपनी कुल जमा राशि के सापेक्ष दिए गए ऋणों के प्रतिशत** को दर्शाता है।
  - यह बैंक में **जमा धनराशि और बैंक द्वारा इसमें से वितरित ऋण का अनुपात है।**
  - **उच्च ऋण-जमा अनुपात यह बताता है कि बैंक के संसाधनों का बड़ा हिस्सा ऋण देने के लिए उपयोग** किया गया है।
    - इससे **आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा** मिल सकता है, लेकिन इससे बैंकों की **पूंजी पर भी जोखिम बढ़** जाता है।
- **RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार:** 2005 के बाद से ऋण-जमा अनुपात **दिसंबर 2023** में बढ़कर **78.8%** के चरम स्तर पर पहुंच गया था। **75% से अधिक** ऋण-जमा अनुपात वाले **75% से अधिक बैंक निजी क्षेत्रक** के बैंक हैं।

**उच्च ऋण-जमा अनुपात के मुख्य कारण**

- **ऋण वितरण में उच्च वृद्धि: खुदरा ऋण में वृद्धि** जारी है, जिसमें वाहन खरीदने के लिए लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल हैं। **व्यवसायों और MSME क्षेत्रक को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि** जारी है।
- **बैंकों में नकद जमा में धीमी वृद्धि:** इसके अतिरिक्त, **ग्राहक अब बचतकर्ता की बजाय निवेशक** बन रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे धन को बैंकों में जमा करने में कम रुचि दिखा रहे हैं और वे इसे **पूंजी बाजारों में निवेश** करने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

**उच्च ऋण-जमा अनुपात के प्रभाव**

- **नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIM) पर दबाव बढ़ेगा:** नेट इंटरेस्ट मार्जिन **प्रतिभूतियों में निवेश, ऋण वितरण पर ब्याज प्राप्ति** जैसी बैंकों की आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों पर **वास्तविक रिटर्न की माप** है।
- **नकदी का संकट:** पर्याप्त नकदी नहीं होने पर बैंक **समय पर ग्राहकों को भुगतान करने के दायित्वों को पूरा नहीं कर** सकते हैं।
- **ऋण जोखिम:** उधार लेने वाले कुछ व्यक्ति या संस्था समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इससे बैंकों का संकट बढ़ सकता है।

### 1.4.2.2. वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) मार्च, 2023 के 60.1 से बढ़कर **मार्च, 2024 में 64.2** हो गया है।

**वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में**

- यह **बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रक** के विवरण को शामिल करने वाला एक व्यापक सूचकांक है।
- यह देश भर में **वित्तीय समावेशन के स्तर** को दर्शाता है।
- यह **एकल मूल्य यानी सिंगल वैल्यू सूचकांक (0 से 100)** है। 0 वैल्यू **पूर्ण अपवंचन (Exclusion)** की स्थिति और 100 वैल्यू **पूर्ण समावेशन** की स्थिति है।
- इसमें **तीन व्यापक** पैरामीटर शामिल हैं- **पहुंच/ एक्सेस (35%)**, **उपयोग (45%)** और **गुणवत्ता (20%)।**
- इसे **प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित** किया जाता है।

### 1.4.2.3. रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme: RB-IOS)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की है। यह एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी **पहली विशिष्ट (Stand-alone) रिपोर्ट** है।

**रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के बारे में**

- **पृष्ठभूमि:** RB-IOS को **RBI के वैकल्पिक शिकायत निवारण (AGR)[8] फ्रेमवर्क** के रूप में 2021 में आरंभ किया गया था। RB-IOS का प्रमुख कार्य RBI के तहत विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र और लागत प्रभावी तरीके से समाधान करना है।

[8] Alternate Grievance Redress

- **गठन:** यह योजना RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; RBI अधिनियम, 1934 और भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम[9], 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है।
- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य RBI की विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का नि:शुल्क समाधान प्रदान करना है।
- **कवरेज:** यह योजना निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं को कवर करती है:
  - सभी **वाणिज्यिक बैंक,** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक तथा 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के जमा आकार वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक।
  - ऐसी सभी **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां** (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर) जो जमा स्वीकार करने या ग्राहक से लेनदेन के लिए अधिकृत हैं तथा जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।
  - **भुगतान प्रणाली (पेमेंट सिस्टम्स) के सभी भागीदार।**
  - **क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनियां (CICs)।**
- **लोकपाल की नियुक्ति:** RBI अपने एक या अधिक अधिकारियों को लोकपाल और उप-लोकपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है। इनका कार्यकाल एक बार में अधिकतम तीन वर्ष होता है।
- **शिकायतों का निपटान:** वर्तमान में शिकायतों का निवारण/ निर्णयन **RBI लोकपाल के 24 कार्यालयों (ORBIOs)** के साथ-साथ **केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC)**[10] द्वारा किया जाता है।

### 1.4.2.4. विनियमित संस्थाओं में स्व-विनियामक संगठनों (SROs) को मान्यता देने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क {Omnibus Framework for recognising Self-Regulatory Organisations (SROs) for Regulated Entities (REs)}

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **विनियमित संस्थाओं में स्व-विनियामक संगठनों (SROs)** को मान्यता देने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किया।

**SROs के बारे में**

- **स्व-विनियामक संगठनों (SROs) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - नियमों के अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना,
  - लघु संस्थाओं का समर्थन करना,
  - अपने सदस्यों की सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में काम करना,
  - क्षेत्रक से संबंधित जानकारी एकत्र करना, और
  - अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- **पात्रता:** SRO का गठन **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के तहत पंजीकृत एक **गैर-लाभकारी कंपनी** के रूप में किया जाता है।
  - इसकी **पर्याप्त नेट वर्थ होनी चाहिए तथा शेयरहोल्डिंग अलग-अलग संस्थाओं के पास होनी** चाहिए। साथ ही, उसे **अपने क्षेत्रक की प्रतिनिधि संस्था होना** चाहिए।
- **विशेषताएं:** SRO के पास **पर्याप्त प्राधिकार** होंगे। ये प्राधिकार **मेम्बरशिप एग्रीमेंट्स** से प्राप्त होंगे। इसका **गवर्नेंस तंत्र भी मजबूत** होगा।
  - यह अपने **क्षेत्रक की निगरानी के लिए नियमों के अनुपालन की संस्कृति और निगरानी के तरीकों में सुधार** हेतु मानक विकसित करेगा।
- **गवर्नेंस फ्रेमवर्क:**
  - **आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA)/ उपनियमों** के माध्यम से गवर्निंग बॉडी के कामकाज के तरीके बताए जाएंगे और SROs के कार्य तय किए जाएंगे।
  - इनके **निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम-से-कम एक तिहाई स्वतंत्र सदस्य** होंगे।
  - **संबंधित अधिनियमों तथा RBI द्वारा जारी विनियमों, दिशा-निर्देशों, अन्य निर्देशों या सर्कुलर्स का पालन** करना होगा।

[9] Payment and Settlement Systems Act

[10] Centralised Receipt and Processing Centre

## 1.5. यूनिवर्सल बैंक (Universal Bank)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

RBI ने **स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs)** को **ऑन-टैप लाइसेंसिंग** के तहत **यूनिवर्सल बैंकिंग में बदलने के लिए पात्रता मानदंड** निर्धारित किए।

**यूनिवर्सल बैंक (UBs) के बारे में**

- **यूनिवर्सल बैंक (UBs)** ऐसे बैंक होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंकिंग और निवेश बैंकिंग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से **अधिक वित्तीय सेवाएं** प्रदान करते हैं, जैसे कि **बीमा उत्पाद बेचना।**
  - अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक (लघु वित्त बैंक) ग्राहकों को सीमित सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें उन क्षेत्रों में ग्राहकों से **नकद जमा स्वीकार करने या उन्हें ऋण देने** की बुनियादी सेवाएं देने की अनुमति है, जहां बैंकिंग सेवाओं की बहुत कम पहुंच है या बैंकिंग सेवाएं पहुंची ही नहीं हैं।
- **ऑन-टैप लाइसेंसिंग:** यह व्यवस्था **2016 में शुरू** की गई थी। इस व्यवस्था के तहत **बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरे वर्ष RBI के पास आवेदन** किए जा सकते हैं।
  - 2016 से पहले, बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे जाने पर **RBI के पास लाइसेंस हेतु अप्लाई** करना पड़ता था।

**यूनिवर्सल बैंक बनने हेतु SFBs के लिए पात्रता:**

- **नेट वर्थ:** SFB की न्यूनतम नेट वर्थ **1,000 करोड़ रुपये** होनी चाहिए।
- **मौजूदा दर्जा:** SFB को **अनुसूचित बैंक** होना चाहिए। साथ ही, उसके पास कम-से-कम **5 वर्षों के संतोषजनक प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड** होना चाहिए।
- **वित्तीय स्थिति:**
  - **लाभप्रदता:** विगत **दो वित्तीय वर्षों में निवल लाभ** दर्ज किया गया हो।
  - **परिसंपत्ति की गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी):** पिछले **दो** वित्तीय वर्षों में-
    - सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (G-NPA) **3% से कम या उसके बराबर** होनी चाहिए; तथा
    - **निवल-एनपीए (N-NPA) 1% से कम या उसके बराबर** होनी चाहिए।
- **स्टॉक लिस्टिंग:** SFB के शेयर्स किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए।
- **प्रमोटर के लिए पात्रताएं:** SFB के यूनिवर्सल बैंक में बदलने की अवधि में नए प्रमोटर्स को शामिल करने या मौजूदा प्रमोटर्स को बदलने की अनुमति नहीं होगी।
  - RBI द्वारा पूर्व में मंजूर प्रमोटर **शेयरधारिता आवंटन योजना**[11] में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
- **प्राथमिकता: ऋण पोर्टफोलियो में विविधता वाले** SFB को यूनिवर्सल बैंक में बदलने में प्राथमिकता दी जाएगी।

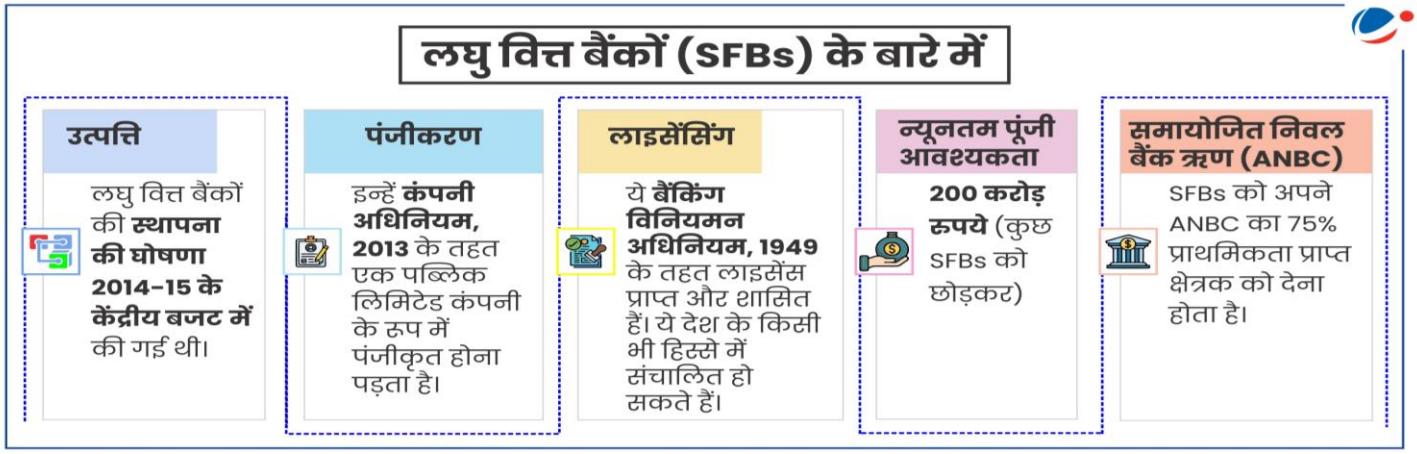


[11] Shareholding dilution plan

## 1.6. शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative Banks)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों से **डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड** स्थापित करने की गतिविधि को रोकने को कहा है।

**डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड (DEF) के बारे में**

- DEF की स्थापना **शहरी सहकारी बैंकों** द्वारा की जाती है। इसमें वर्तमान में हुए लाभों को जमा कर दिया जाता है, ताकि भविष्य में **जब लाभ कम हुआ हो या निवल घाटा हुआ हो तब भी लाभांश** दिया जा सके।
  - हालांकि, मौजूदा नियम पहले से संचित लाभ या निधि से लाभांश भुगतान करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाते हैं।
- RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को DEF में जमा फंड को **जनरल रिजर्व/ फ्री रिजर्व में एक बार ट्रांसफर की अनुमति** जरूर दी है, ताकि विनियामक पूंजी आवश्यकता से जुड़े उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

**शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के बारे में**

- **वैधानिक स्थिति:** ये बैंक संबंधित **राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत सहकारी समितियों** के रूप में पंजीकृत होते हैं।
- **दोहरा विनियमन:**
  - RBI, **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत इनके बैंकिंग कार्यों को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है।
  - **सहकारी समितियों से संबंधित राज्य/ केंद्रीय 'रजिस्ट्रार'** इनके प्रबंधकीय, प्रशासनिक और अन्य मामलों की निगरानी करते हैं।
- **ऋण वितरण:** इन्हें **मार्च 2026** तक अपनी कुल ऋण वितरण का **75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक** को ऋण प्रदान करने के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करना होगा। इन्हें **कृषि कार्यों के लिए भी ऋण** देने की अनुमति है।
- **RBI का विनियामक ढांचा UCBs को 4 स्तरों में वर्गीकृत करता है (इन्फोग्राफिक देखें):**

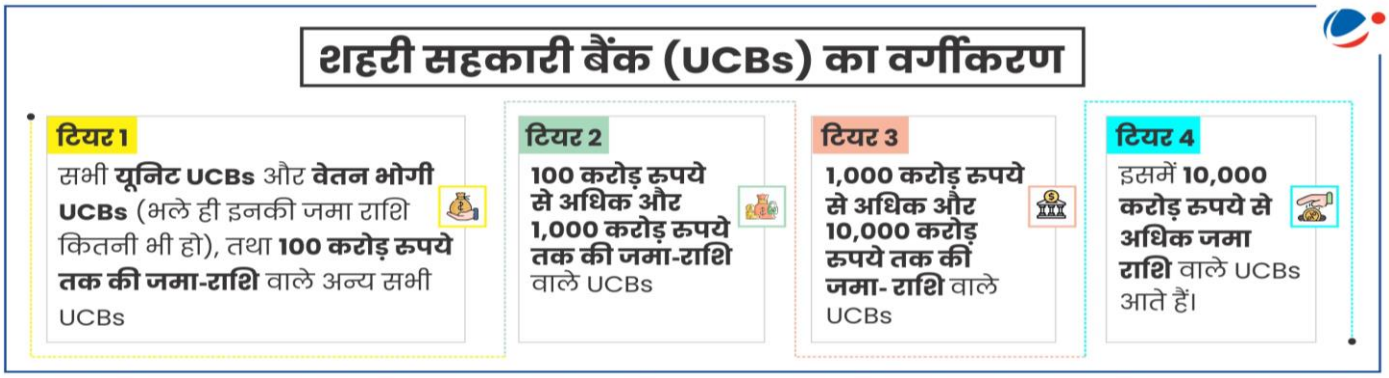


**UCBs को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहलें**

- **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020:** यह RBI को सहकारी बैंकों के बोर्डों को हटाने की शक्तियां देता है।
  - इस अधिनियम ने **UCBs के प्रबंधन, प्रशासन, समापन** आदि को RBI के दायरे में ला दिया है।
- **विस्तार में सुगमता:** कुछ UCBs को RBI की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्त वर्ष में **मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5 शाखाएं) तक नई शाखाएं खोलने** की अनुमति है।
- **NUCFDC:** राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC)[12] UCBs के लिए एक प्रमुख संगठन है।

**NUCFDC के बारे में**

- **NUCFDC** एक अम्ब्रेला संगठन है। यह **RBI** के साथ **टाइप II NBFC-ND**[13] के रूप में **पंजीकृत** है।
  - **टाइप II** NBFC-ND लोगों से जमा (पब्लिक फंड्स) स्वीकार करती है या स्वीकार करने का इरादा रखती है और/ या यह ग्राहकों से लेनदेन करती है या लेन-देन करने का इरादा रखती है।

[12] National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited

[13] Non-Banking Financial Company-Non deposit/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गैर जमा स्वीकारकर्ता

- **NUCFDC** को UCB क्षेत्रक के लिए **स्व-विनियामक संगठन (SRO) के रूप में कार्य करने की** अनुमति दी जाएगी।

- **2006: श्री एन.एस. विश्वनाथन** की अध्यक्षता में गठित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के एक कार्य-समूह ने **सर्वप्रथम भारत के UCB क्षेत्रक के लिए एक अम्ब्रेला संगठन** की आवश्यकता पर बल दिया था।
  - **2009: श्री वी.एस. दास** की अध्यक्षता में गठित RBI के एक कार्य-समूह ने **राष्ट्रीय स्तर** के एक अम्ब्रेला संगठन (NUCFDC जैसा) के गठन की सिफारिश की थी।
- **NUCFDC के प्रमुख कार्य**
  - **तरलता और पूंजी सहायता प्रदान करना:** यह पूंजी जुटाकर **300 करोड़ रुपये के पूंजी आधार** तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हुआ है ताकि जरुरत पड़ने पर UCBs की सहायता की जा सके।
  - **विनियामक संबंधी नियमों के पालन को आसान बनाना:**
    - यह लघु बैंकों को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के नियमों का पालन करने हेतु तैयार करने में मदद करेगा।
    - यह **UCBs और विनियामक संस्थाओं के बीच विचार-विमर्श** को आसान बनाएगा।
  - **एक साझा प्रौद्योगिकी मंच विकसित करना:** NUCFDC, UCBs को अपेक्षाकृत कम लागत पर **अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने** में मदद करेगा।

## 1.6.1. प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क {Prompt Corrective Action (PCA) framework for Primary Urban Co-operative Banks (UCBs)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

RBI ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क** जारी किया।

**UCB-PCA फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र**

- **उद्देश्य:** अधिक सटीकता और लचीलेपन के साथ शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय संकट को दूर करना।
- **कार्यान्वयन:** यह फ्रेमवर्क मौजूदा **पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क (SAF)**[14] की जगह लेगा। यह **1 अप्रैल, 2025** से लागू होगा।
- **किन पर लागू होगा:** यह फ्रेमवर्क **टियर-2, टियर-3 और टियर-4 श्रेणियों** के सभी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा। हालांकि यह **"ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन (AID)"** में रखे गए शहरी सहकारी बैंकों पर लागू **नहीं** होगा।
- शहरी सहकारी बैंकों को उनकी **पूंजी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभ जैसे मानदंडों के आधार पर** PCA फ्रेमवर्क निगरानी में रखा जाएगा।
  - **खराब वित्तीय स्थिति और कुप्रबंधन वाले** उन शहरी सहकारी बैंकों को इस फ्रेमवर्क के तहत लाया जा सकता है, जिन्होंने **जोखिम की सहन सीमा पार** कर ली है।
- **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क से बाहर निकलना और प्रतिबंधों को वापस लेना:** यदि कोई शहरी सहकारी बैंक लगातार चार तिमाही के वित्तीय विवरण यानी फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स में किसी भी पैरामीटर में जोखिम सीमा को पार नहीं करता है, तो उस बैंक पर से PCA फ्रेमवर्क की निगरानी हटा ली जाएगी।

[14] Supervisory Action Framework

## 1.7. भारत में सूक्ष्म-वित्त यानी माइक्रोफाइनेंस सेक्टर के 50 वर्ष (50 Years of Indian Microfinance Sector)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**"सेल्फ-एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (SEWA/ सेवा) बैंक"** के गठन के **50 वर्ष पूरे** हो गए हैं। यह भारत का पहला **माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI)** था। इसे 1974 में एक **सहकारी बैंक** के रूप में पंजीकृत किया गया था।

**माइक्रोफाइनेंस (या माइक्रोक्रेडिट) के बारे में**

- औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित और **हाशिए पर स्थित गरीब लोगों को कम राशि वाले ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना** ही माइक्रोफाइनेंस कहलाता है।
  - RBI की परिभाषा के अनुसार **निम्न आय वाले (3,00,000 रुपये तक की वार्षिक आय) परिवारों** के व्यक्ति/ व्यक्तियों को दिए गए सभी जमानत-मुक्त (कोलेटरल-फ्री) ऋणों को माइक्रोफाइनेंस ऋण माना जाता है।
  - माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं आमतौर पर **वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उच्च ब्याज दर पर ऋण** देती हैं।
- **पृष्ठभूमि:** गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कार विजेता **मोहम्मद यूनुस** ने 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कर आधुनिक **माइक्रोफाइनेंस संस्थान** की नींव रखी थी।
- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI),** भारत में संचालित MFIs के लिए विनियामकीय संस्था है।
  - RBI द्वारा गठित **मालेगाम समिति (2010)** ने **NBFC-MFI**[15] को विनियमित करने के लिए समग्र फ्रेमवर्क अपनाने की सिफारिश की थी।

**भारत में माइक्रोफाइनेंस को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम**

- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, NBFCs आदि के जरिए गैर-कॉर्पोरेट एवं गैर-कृषि क्षेत्रकों के **सूक्ष्म या लघु उद्यमों** को **10 लाख रुपये** तक का ऋण उपलब्ध कराना है।
  - मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण को **शिशु, किशोर** और **तरुण** श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
  - तरुण श्रेणी के तहत पहले लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करने वालों के लिए **केंद्रीय बजट 2024 में** ऋण प्राप्त करने की **मौजूदा 10 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये** कर दिया गया है।
- **स्व-विनियामक संगठनों (SROs)[16] को मान्यता:** 2014 में RBI ने माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) और सा-धन (Sa-Dhan) को **SRO** के रूप में मान्यता दी थी।
- **हार्मोनाइज़्ड विनियमन:** 2022 में RBI ने माइक्रोफाइनेंस सेवा प्रदान करने वाली सभी विनियमित संस्थाओं के लिए समरूप विनियमन जारी किए थे।
- **SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम **नाबार्ड ने 1992 में** शुरू किया था। यह दुनिया के सबसे बड़े माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम सेवा प्राप्त करने वाले गरीब परिवारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।
  - किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) में, **समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की सामूहिक जिम्मेदारी** लेते हैं।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक **SHGs को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।**

## 1.8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) {Non-Banking Financial Companies (NBFCs)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा ऋण देने पर प्रतिबंध लगाया। RBI ने **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45L(1)(b) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए** ये निर्देश जारी किए हैं।

[15] Non-Banking Financial Company-Microfinance Institution

[16] Self-Regulatory Organizations

**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) क्या हैं?**

- ये **कंपनी अधिनियम, 1956 और और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत ऋण देने वाली कंपनियां** होती हैं। हालांकि, NBFCs के तहत कृषि, औद्योगिक गतिविधि, व्यापारिक वस्तु (प्रतिभूतियों को छोड़कर) और कोई भी सेवा प्रदान करने तथा अचल संपत्तियों की बिक्री/ खरीद/ निर्माण में शामिल संस्थाएं **शामिल नहीं होती हैं।**
- **विनियमन:**
  - **राष्ट्रीय आवास बैंक:** यह आवास वित्त कंपनियों को विनियमित करता था, लेकिन 2019 में इन कंपनियों के विनियमन की जिम्मेदारी **RBI** को सौंप दी गई थी।
  - **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):** यह मर्चेंट बैंकर/ वेंचर कैपिटल फंड कंपनी/ स्टॉक-एक्सचेंज/ स्टॉक ब्रोकर/ सब-ब्रोकर को विनियमित करता है।
  - **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण:** यह बीमा कंपनियों को विनियमित करता है।
  - **राज्य सरकारें:** ये चिट फंड कंपनियों को विनियमित करती हैं।
  - **कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय:** निधि कंपनियों को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है।

**NBFCs, सामान्य बैंकों से किस प्रकार अलग होती हैं?**

- NBFCs **डिमांड डिपाजिट स्वीकार नहीं** कर सकती हैं।
- NBFCs **पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में शामिल नहीं** होती हैं। ये अपनी संस्था में भुनाने हेतु **अपने नाम से चेक जारी नहीं कर सकती हैं।**
- NBFCs में धनराशि जमा करने वाले ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की **जमा बीमा सुविधा** का लाभ नहीं मिलता है।
  - DICGC की स्थापना DICGC अधिनियम, 1961 के तहत हुई है। यह भारत में संचालित **विदेशी बैंकों की शाखाओं, लोकल एरिया बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों** में जमा राशि को बीमा कवर प्रदान करता है।
    - DICGC सभी बैंक जमाओं का **अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता** है।

**NBFCs के लिए स्केल-आधारित विनियमन (SBR) क्या है?**

- **NBFCs का वर्गीकरण:** NBFCs को उनके **आकार, कार्य और जोखिम** के स्तर के आधार पर **चार लेयर्स में विभाजित** किया गया है। (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **अलग-अलग विनियमन:** प्रत्येक लेयर की NBFCs को **अलग-अलग विनियामक नियमों का पालन** करना पड़ता है। ये नियम NBFCs के **आकार और जोखिम स्तर के अनुरूप** निर्धारित किए गए हैं।

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**NBFC-P2P ऋण प्रदायगी (NBFC-P2P lending) - RBI ने मास्टर सर्कुलर जारी किया**

- P2P ऋण प्रदायगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के बीच में आए बिना, एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** का उपयोग करके सीधे दूसरे व्यक्ति को ऋण दे सकता है या ले सकता है।
- **मुख्य विनियमन:**
  - **NBFC-P2P ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म** को P2P ऋण प्रक्रिया के भागीदारों के लिए **मध्यवर्ती के रूप में कार्य** करना होता है।
  - **कोई एक ऋणदाता** सभी P2P प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर **एक बार में 50 लाख रुपये से अधिक का ऋण नहीं** दे सकता है।
  - P2P प्लेटफॉर्म, **निवेश साधन के रूप में P2P ऋण को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और न ही वे इससे जुड़े कोई बीमा प्रोडक्ट बेच** सकते हैं।

## 1.9. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**RBI** की अर्धवार्षिक **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)** में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के मामले में प्राप्त उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है।

**वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के बारे में**

- यह रिपोर्ट **वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)**[17] की **उप-समिति के आकलन** पर आधारित होती है।
- रिपोर्ट के अनुसार कई वर्षों बाद मार्च 2024 के अंत में **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** का सकल NPA (GNPA) अनुपात कम होकर **2.8 प्रतिशत** हो गया है। साथ ही, निवल NPA (NNPA) अनुपात भी कम होकर **0.6 प्रतिशत** हो गया है।

**वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) के बारे में**

- **परिचय:** इसे **2010** में स्थापित किया गया था। यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने; विनियामक संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाने; और वित्तीय क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय तंत्र को मजबूत एवं संस्थागत बनाने वाला शीर्ष मंच है।
- **संरचना: केंद्रीय वित्त मंत्री** FSDC का अध्यक्ष होता है।
  - इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (जैसे- RBI, SEBI, PFRDA और IRDAI) के प्रमुख; वित्त सचिव और/या आर्थिक कार्य विभाग के सचिव; वित्तीय सेवा विभाग के सचिव तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल होते हैं।

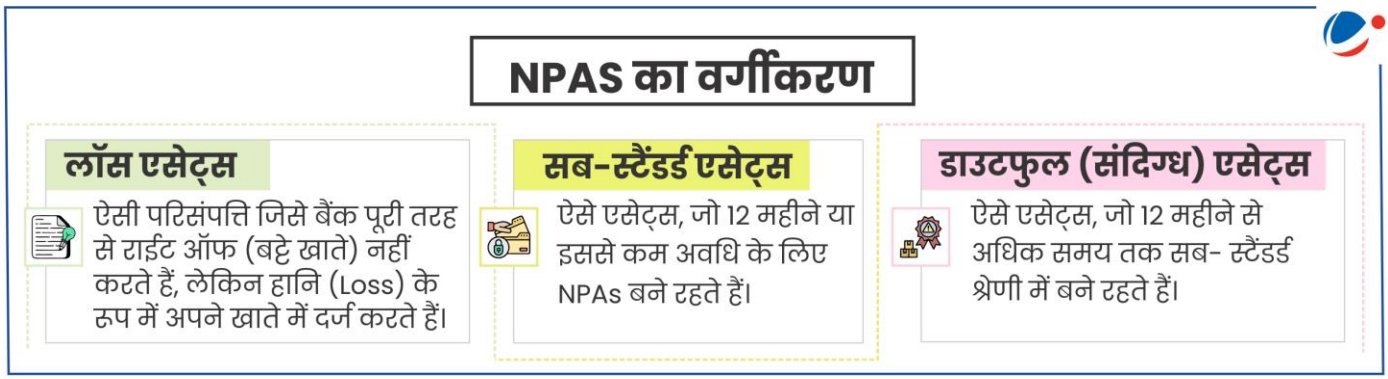


**गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के बारे में**

- जब किसी ऋण पर देय ब्याज और/या मूलधन की किस्त **90 दिनों से अधिक समय तक बकाया** रहती है, तो वह NPA में परिवर्तित हो जाता है।
- **GNPA उन सभी ऋण परिसंपत्तियों का जोड़ है,** जिन्हें **NPA के रूप में वर्गीकृत** किया गया है।

**NPA को कम करने के लिए उठाए गए कदम**

- **वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act)**[18]**, 2002:** यह सिक्योर्ड ऋणदाताओं को मूलधन और/ या ब्याज के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट होने पर ऋणी द्वारा जमानत (कोलेटरल) के रूप में रखी गई परिसंपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार देता है।

[17] Financial Stability and Development Council

[18] Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)[19], 2016:** इसके तहत कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के ऋण पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान को समयबद्ध तरीके से **निपटने का प्रावधान किया गया है।**
- **राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL)[20]:** इसका गठन 500 करोड़ रुपये से अधिक की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने के लिए किया गया है।
- **PRAVAAH पोर्टल[21]:** यह प्राधिकार, लाइसेंस या विनियामकीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए सुरक्षित एवं केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल है।
- **RBI द्वारा सहकारी बैंकों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के "प्रॉविजन" मानदंडों में संशोधन:** ये नए मानदंड **शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू** होंगे।
  - **BDDR[22]** या अन्य श्रेणी से संबंधित सभी प्रोविजंस **इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग (IRACP) मानदंडों के तहत लाभ और हानि खाते में व्यय** के रूप में दर्ज किए जाने चाहिए।
  - IRACP मानदंडों और अन्य विनियमों के अनुसार **सभी प्रोविजंस का लेखा-जोखा रखने के बाद ही सहकारी बैंक BDDR में निवल लाभ का उपयोग** कर सकते हैं।
    - **बैंक के संभावित घाटे को कवर करने के लिए मुनाफे का एक हिस्सा अलग** रखना **प्रोविजनिंग** कहलाता है।

**को-लेंडिंग (Co-Lending)**

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने **भारतीय स्टेट बैंक से को-लेंडिंग से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति** गठित करने को कहा है।
- **को-लेंडिंग/ को-ओरिजिनेशन के बारे में**
  - यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें **कई ऋणदाता साझेदारी बनाकर व्यक्तिगत आवेदकों को ऋण** प्रदान करते हैं।
    - इससे ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है और **किसी एक संस्था को ही ऋण से जुड़े जोखिम का भार नहीं उठाना पड़ता है।**
  - भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, **बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को को-लेन्डिंग** प्रदान कर सकते हैं। इस ऋण से जुड़े **न्यूनतम 20% जोखिम का भार NBFC को और शेष जोखिम का भार बैंकों को उठाना पड़ेगा।**
  - बैंकों को ऐसी NBFC के साथ **को-लेन्डिंग** व्यवस्था में शामिल होने की अनुमति नहीं है, जिसकी स्थापना किसी कंपनी के **प्रमोटर्स ग्रुप** द्वारा की गई है।

## 1.9.1. विलफुल डिफॉल्टर्स (Wilful Defaulters)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005** के तहत जारी किए गए हैं।

**मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र**

- **विलफुल डिफॉल्टर: 25 लाख रुपये और उससे अधिक** की बकाया ऋण राशि वाले व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है।
  - **विलफुल डिफॉल्ट** तब होता है, जब उधार लेने वाला ऋण देने वाले को ऋण राशि का वापस भुगतान/ पुनर्भुगतान करने से चूकता है। **साथ ही, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक संभावनाओं को दर्शाता है:**
    - उधारकर्ता की ऋण का पुनर्भुगतान करने की क्षमता है, इसके बावजूद भी वह पुनर्भुगतान नहीं कर रहा है;
    - जिस संस्था के नाम पर ऋण लिया गया हो, उस ऋण को अपनी **किसी अन्य संस्था में लगा देना** या जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया हो उसे **किसी अन्य उद्देश्य में खर्च कर देना;**
    - ऋण हासिल करने के लिए जमानत पर दी गई अचल या चल संपत्तियों को बेच दिया गया हो या उनका निपटान कर दिया हो; या
    - कर्जदार व्यक्ति कंपनी में अपनी इक्विटी या शेयर बेचकर प्राप्त राशि को उसी कंपनी में निवेश कर सकता था, ताकि कर्ज कम हो सके, पर ऐसा नहीं किया हो।

[19] Insolvency and Bankruptcy Code

[20] National Asset Reconstruction Company Limited

[21] Platform for Regulatory Application, Validation, and Authorisation/ विनियामक अनुप्रयोग, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच

[22] Bad & Doubtful Debt Reserve/ अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण रिजर्व

- **लार्ज डिफॉल्टर: 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया ऋण राशि** वाले व्यक्ति को लार्ज डिफॉल्टर के रूप में घोषित किया जा सकता है। साथ ही, ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है तथा उसके बैंक अकाउंट्स **डाउटफुल या लॉस** के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाते हैं।
- **पहचान: विलफुल डिफॉल्ट** के साक्ष्य की जांच के लिए कर्जदाताओं को **आइडेंटिफिकेशन कमेटी** गठित करनी होगी।

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**इंटर-क्रेडिटर समझौते (Inter Creditor Agreement: ICA)**

- सरकारी स्वामित्व वाली **राष्ट्रीय इस्पात निगम (RINL)** द्वारा डिफॉल्ट किए जाने के कारण ऋणदाताओं को **इंटर-क्रेडिटर समझौते (ICA)** का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- **इंटर-क्रेडिटर समझौते (ICA) के बारे में:**
  - इंटर-क्रेडिटर समझौता (ICA) वह समझौता है जो **कई ऋणदाताओं के बीच** यह तय करने के लिए किया जाता है कि यदि कर्जदार पैसा वापस नहीं कर पाता है, तो वे आपसी सहमति से किस तरह से वसूली करेंगे और कोलेटरल का किस प्रकार आपस में बंटवारा करेंगे।
  - यह कर्जदाताओं के अधिकारों और स्थितियों का वर्णन करता है। इसमें कोलेटरल, भुगतान और भुगतान की प्राथमिकता के साथ-साथ अलग-अलग कर्जदाताओं के क्रम का उल्लेख होता है।
  - **भारतीय रिजर्व बैंक (स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क) निर्देश, 2019** के अनुसार, **कुल बकाया ऋण के 75% हिस्से वाले और ऋणदाताओं की संख्या के हिसाब से 60% ऋणदाताओं** द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय **सभी ऋणदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।**

## 1.10. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IP) को समाधान पेशेवरों (रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स) के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

**दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 क्या है?**

- **परिचय:** यह भारत का **दिवाला समाधान कानून** है। इस संहिता में **दिवाला (Insolvency) और शोधन अक्षमता (Bankruptcy)** के पहले से **मौजूद फ्रेमवर्क को एक कानून में समेकित** किया गया है।
  - **दिवाला या इन्सॉल्वेंसी** उस वित्तीय स्थिति को कहते हैं, जब कोई **व्यक्ति या फर्म निर्धारित समय पर बकाया ऋण का भुगतान करने में अक्षम** हो जाता है, या उसकी ऋण देनदारियां उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती हैं।
  - **शोधन अक्षमता यानी बैंकरप्सी** कानूनी प्रक्रिया है, जो इन्सॉल्वेंसी के बाद शुरू होती है। **शोधन अक्षमता प्रक्रिया** के तहत अदालत या अधिकरण (ट्रिब्यूनल) घोषित करता है कि कोई व्यक्ति या फर्म कानूनी रूप से अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है।
- **उद्देश्य:**
  - आर्थिक संकट का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए **समयबद्ध समाधान प्रक्रिया को बढ़ावा** देना;
  - ऋणदाताओं के लिए अधिकतम ऋण की वसूली करना; तथा
  - वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों के लिए **व्यवसाय से निकलने हेतु एक तंत्र** प्रदान करना।

**IBC संहिता के स्तंभ:**

- **इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IP): सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन** करने हेतु एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स नियुक्त किया जाता है। वे दिवाला समाधान, व्यवसाय को बंद करने या उससे निकलने (परिसमापन/ लिक्विडेशन) एवं शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं।
  - **कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)[23] या CIRP से निकलने की प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया** को मुख्य तौर पर **इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स** की मदद से पूरा किया जाता है।
  - इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को **दिवाला समाधान पेशेवर एजेंसियों (IPAs)[24] के माध्यम से विनियमित** किया जाता है।

[23] Corporate Insolvency Resolution Process

[24] Insolvency Professional Agencies

- **इनफॉर्मेशन युटीलिटीज़ (IUs):** वे दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनियों की वित्तीय जानकारी **एकत्रित, प्रमाणित और प्रसारित** करती हैं।
- **न्याय-निर्णयन प्राधिकरण (AA)[25]:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) और ऋण वसूली अधिकरण।
  - **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT)[26]:** यह कॉर्पोरेट कर्जदारों (CDs) और उनके व्यक्तिगत गारंटरों सहित कॉर्पोरेट व्यक्तियों के CIRP तथा परिसमापन के लिए अधिकरण है।
    - IBC के अनुसार **CIRP को 180 दिनों के भीतर** पूरा करना अनिवार्य है। कुछ मामलों में इसे बढ़ाकर **330 दिन** किया जा सकता है।
  - **ऋण वसूली अधिकरण (DRT)[27]:** यह व्यक्तिगत या साझेदारी से संबंधित दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान के लिए अधिकरण है।
    - **DRT के लिए 180 दिनों के भीतर** ऋण वसूली समाधान पूरा करना अनिवार्य है।
- **अपीलीय अधिकरण:**
  - **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT):** यह NCLT और IBBI द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है। NCLAT के निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।
  - **ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (DRAT):** यह ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है। DRAT के निर्णयों के खिलाफ **45 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील** की जा सकती है।

**प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (PPIRP) के बारे में**

- इसे **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016** में वर्ष 2021 में किए गए संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यह **कॉर्पोरेट MSMEs के वित्तीय तनाव के समाधान का प्रावधान** करता है।
- इसे कर्जदार द्वारा स्वेच्छा से शुरू किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग **न्यूनतम 10 लाख रुपये के डिफॉल्ट के मामले** में ही किया जा सकता है।
- PPIRP एक **हाइब्रिड प्रक्रिया** है, जहां **पूर्व प्रक्रिया चरण** (Pre-initiation phase) काफी हद तक **अनौपचारिक** होता है और **पश्च-प्रक्रिया चरण** (Post-initiation stage) **औपचारिक** होता है।
- PPIRP को **120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा** किया जाना आवश्यक है।

[25] Adjudicating Authority

[26] National Company Law Tribunal

[27]

## 1.11. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (Asset Reconstruction Companies)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**सरफेसी अधिनियम, 2002** के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिजर्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) दिशा-निर्देश, 2024** जारी किया है।

**परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के बारे में**

- **परिभाषा:** ARCs ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) या दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीद लेती हैं**, ताकि उनकी बैलेंस शीट को साफ-सुथरा रखा जा सके।
  - ARCs को दबावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की **खरीद के अधिकतम 8 वर्षों के भीतर वसूली करना आवश्यक है** और इन परिसंपत्तियों के बदले जारी सिक्योरिटी रिसीट्स (SRs) को भुनाना आवश्यक होता है।
- **उत्पत्ति: सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार** ARCs को RBI द्वारा पंजीकृत और विनियमित किया जाएगा। भारत में 2022 तक 29 ARCs कार्य कर रही थीं।
  - **नरसिम्हम समिति-II (1998)** ने विश्व के अन्य देशों में संचालित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों की तर्ज पर परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के गठन का सुझाव दिया था।
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) का महत्त्व**:
  - **बैंकों पर से दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) परिसंपत्ति से निपटने का बोझ कम करना और** ARCs बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को अपनी बैलेंस शीट से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को हटाकर ऋण देने के अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं।
  - **परिसंपत्तियों की वसूली और**
  - **व्यवसाय को नया जीवन** ARCs उधार लेने वालों के व्यवसाय के पुनः संचालन में मदद करती हैं।

**ARC पर RBI के मास्टर डायरेक्शन 2024 के प्रमुख प्रावधान**

- **नेट ऑन फंड (NOF):** प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने के लिए, किसी ARC के पास निरंतर आधार पर **न्यूनतम 300 करोड़ रुपये** का NOF होना आवश्यक है।
- **पंजीकरण:** प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने से पहले, ARC को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और RBI से पंजीकरण प्रमाण-पत्र (CoR) प्राप्त करना होगा।
- **नेतृत्व अर्हता:** ARC के MD/ CEO या पूर्णकालिक निदेशक के लिए 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। उन्हें एक बार में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति लगातार अधिकतम 15 वर्ष तक ही इन पदों को धारण कर सकता है।
- **ARCs को इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) को रिपोर्ट करना होता है:** ARCs द्वारा पेशेवर सेवाओं में गंभीर अनियमितता वाले CAs, अधिवक्ताओं और मूल्यांकनकर्ताओं का विवरण **भारतीय बैंक संघ (IBA)** के डेटाबेस में शामिल करने के लिए सूची सौंपी जाती है।

- **आंतरिक ऑडिट:** ARCs एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेंगी, जो परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं और परिसंपत्ति पुनर्गठन उपायों की समय-समय पर **जांच और समीक्षा** करेंगी।
- **अन्य प्रावधान:**
  - ARCs को **जमा-राशि स्वीकार करने के जरिए धन जुटाने से प्रतिबंधित** किया गया है।
  - उन्हें अपनी कुल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का न्यूनतम 15% हिस्सा **पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रूप में बनाए रखना** होता है।

**ARCs विनियमों में RBI द्वारा किए गए अन्य हालिया बदलाव**

- **ARCs के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत किया गया:** RBI ने आदेश दिया है कि बोर्ड की बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष और कम-से-कम आधे निदेशक **स्वतंत्र निदेशक** होने चाहिए।
- **CIC का सदस्य:** प्रत्येक ARC को **कम-से-कम एक ऐसी क्रेडिट सूचना कंपनी (CIC) का सदस्य** बनाना होगा, जिसने RBI से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।
  - क्रेडिट सूचना कंपनी व्यक्तियों और कंपनियों के ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि से संबंधित **पब्लिक डेटा, क्रेडिट लेन-देन तथा पेमेंट हिस्ट्री एकत्र** करती हैं। क्रेडिट सूचना कंपनी के उदाहरण हैं- ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, आदि।
    - RBI ने सिस्टम में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए **ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनी को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग प्रत्येक 15 दिनों पर या इससे कम समय** पर करने का निर्देश दिया है। पहले ऐसी रिपोर्टिंग **प्रतिमाह** की जा सकती थी।
  - **क्रेडिट सूचना कंपनी** को RBI से लाइसेंस मिलता है। उन्हें **CIC विनियमन अधिनियम, 2005** और **RBI दिशा-निर्देशों** के तहत विनियमित किया जाता है।

## 1.12. हाउसहोल्ड सेविंग्स रेट (Household Savings Rate)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**RBI के डिप्टी गवर्नर** के अनुसार, **हाउसहोल्ड सेविंग्स** आने वाले दशकों में अर्थव्यवस्था के लिए **शीर्ष निवल ऋणदाता** बनी रहेगी।

**हाउसहोल्ड सेविंग्स के बारे में**

- **हाउसहोल्ड सेविंग्स** को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  - **वित्तीय बचत:** इसमें करेंसी, जमा-राशि, जीवन बीमा निधि आदि शामिल हैं।
    - **वित्तीय बचत में गिरावट के कारण** बैंकिंग क्षेत्रक को अर्थव्यवस्था में **तरलता को बनाए रखने और ऋण जोखिम प्रबंधन के मामलें में चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है।
  - **भौतिक बचत:** इसमें भौतिक परिसंपत्तियों के साथ-साथ सोने और चांदी में की गई बचत शामिल हैं।

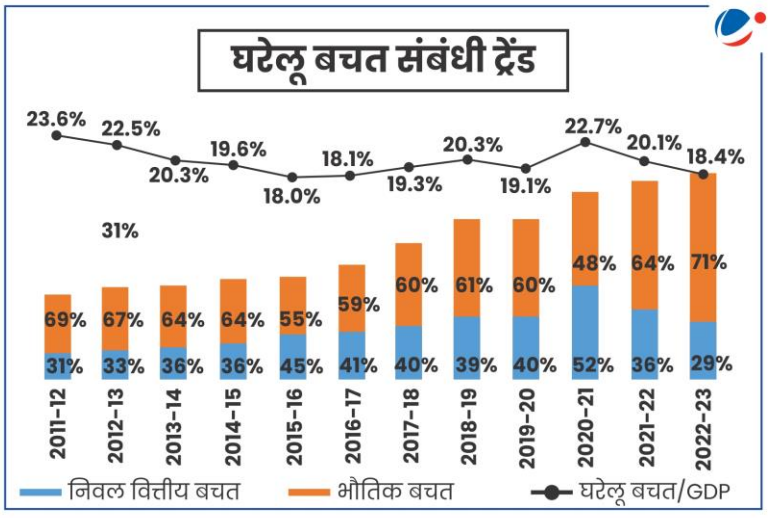


**हाउसहोल्ड सेविंग्स रेट के बारे में**

- हाउसहोल्ड सेविंग्स रेट को **हाउसहोल्ड सेविंग्स और सकल घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात** के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- हाउसहोल्ड वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधारी में चला जाता है।
- भारत में, **हाउसहोल्ड सेक्टर** आमतौर पर **निवेश की तुलना में बचत अधिक** करता है, तथा **बचत की गई राशि का उपयोग अन्य क्षेत्रकों को उधार** देने के लिए किया जाता है।

## घरेलू बचत दर को प्रभावित करने वाले कारक

**आय स्तर**
उच्च डिस्पोजेबल इनकम (प्रयोज्य आय) अधिक बचत को बढ़ावा देती है।

**ब्याज दरें**
उच्च ब्याज दरें जमा राशि पर उच्च रिटर्न देकर बचत को प्रोत्साहित करती हैं।

**मुद्रास्फीति**
उच्च मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है, और इस तरह बचत को हतोत्साहित करती है।

**आर्थिक स्थिरता**
स्थायी नौकरियां सतत बचत को बढ़ावा देती हैं।

**सामाजिक सुरक्षा कवरेज**
बेहतर कल्याणकारी योजनाएं बचत की आवश्यकता को कम करती हैं।

# पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

## सिविल सेवा परीक्षा 2024

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

**प्रवेश प्रारंभ**

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

**प्री–DAF सेशन:** यह DAF में भरे जाने वाले एक–एक पॉइंट की सूक्ष्म समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।

**मॉक इंटरव्यू सेशन:** व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।

**टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन:** प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।

**DAF एनालिसिस सेशन:** अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।

**व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन:** हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षण की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।

**प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक:** अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ–साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक।

**एलोक्यूशन सेशन:** इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।

**करेंट अफेयर्स की कक्षाएं:** करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।

**मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग:** स्व–मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।

Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इन्टरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें
7042413505, 9354559299
interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR dksM स्कैन करें

AHMEDABAD | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI | SIKAR

# 2. वित्त और कराधान (Finance and Taxation)

## 2.1. वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax: GST)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने **मार्च 2026** में क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation cess) समाप्त होने के बाद **लग्जरी, सिन और डेमेरिट गुड्स** पर कराधान हेतु निर्णय लेने के लिए **मंत्रियों का एक समूह (GoM)** गठित किया है।

**GST क्षतिपूर्ति उपकर के बारे में**

- GST क्षतिपूर्ति उपकर को GST (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत लागू किया गया है। इसका उद्देश्य **वस्तु और सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई** करना है।
- ज्ञातव्य है कि **लक्ज़री, सिन और डीमेरिट गुड्स पर 28%** कर के अलावा अलग-अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया जाता है।

**लग्जरी, सिन और डीमेरिट गुड्स के बारे में**

- **लग्जरी गुड्स:** ऐसी वस्तुएं जो **आवश्यक नहीं होती हैं,** लेकिन किसी संस्कृति/ समाज में उन्हें **अत्यधिक वांछनीय** माना जाता है, जैसे- **स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV)।**
- **सिन गुड्स:** ऐसी वस्तुएं जो समाज के लिए **हानिकारक/ अवांछनीय** मानी जाती हैं तथा समाज द्वारा ऐसी वस्तुओं के सेवन या इनमें संलिप्तता को अनैतिक माना जाता है, **जैसे- गैम्बलिंग, शराब,** आदि।
- **डीमेरिट गुड्स:** ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ताओं को पसंद तो आती हैं, लेकिन वास्तव में वे हानिकारक होती हैं और इसलिए उनके उपभोग को **हतोत्साहित** किया जाता है, **जैसे- तम्बाकू, सिगरेट,** आदि।

**वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में**

- GST पूरे देश के लिए **एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून** है। यह वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है।
  - GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्रकार का मूल्य वर्धित कर (वैट) है।
- इसे **1 जुलाई, 2017** को **101वें संवैधानिक संशोधन** के जरिए लागू किया गया था।

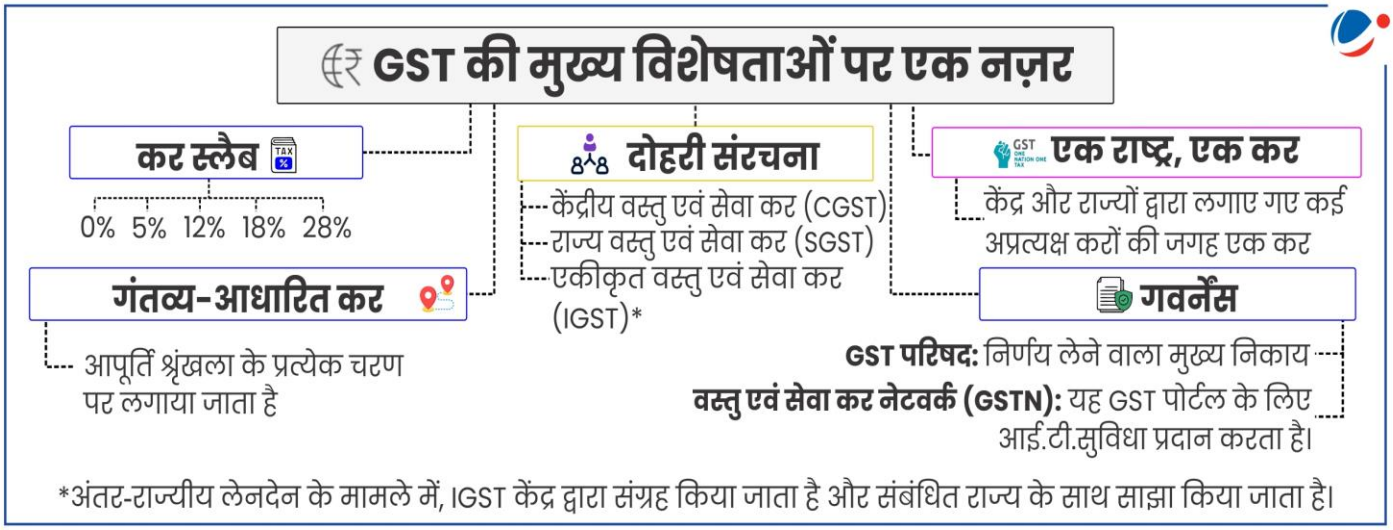


**GST परिषद (GSTC) के बारे में**

- **संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन GST परिषद** की स्थापना की गई है। इस प्रकार, यह एक **संवैधानिक निकाय** है। अनुच्छेद 279A को **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है।
- इसका गठन **राष्ट्रपति** द्वारा किया जाता है। केंद्रीय **वित्त मंत्री** इस **परिषद का अध्यक्ष** होता है।
- **उद्देश्य:** GST की दरें निर्धारित करना, GST से संबंधित नीतिगत निर्णय लेना तथा केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करना।
- **परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया:** किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए **वेटेज वोटिंग के तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता** होती है। राज्यों के पास सामूहिक रूप से **2/3 वोटिंग वेटेज** है, जबकि केंद्र के पास **1/3 वोटिंग वेटेज** है।

**GST अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के बारे में**

- यह **केंद्रीय GST (CGST) अधिनियम, 2017** के तहत स्थापित **द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण** है। यह CGST अधिनियम, 2017 और राज्य GST अधिनियम के तहत स्थापित **अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील** सुनता है।
- इसकी एक **प्रधान पीठ (नई दिल्ली) और राज्यों में अलग-अलग पीठें** हैं।
- GSTAT का प्रेजिडेंट (अध्यक्ष) **प्रधान पीठ** की **अध्यक्षता** करता है। प्रधान पीठ में **दो तकनीकी सदस्य** (केंद्र और राज्यों से एक-एक) शामिल होते हैं।
    - **GSTAT के अध्यक्ष** की नियुक्ति **भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से केंद्र सरकार** द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल **नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक** (जो भी पहले हो) होता है। वह **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र** होता है।

**उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के बारे में**

- उत्पाद शुल्क एक प्रकार का **अप्रत्यक्ष कर** है। यह **भारत में विनिर्मित तथा भारत में खपत के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं** पर लगाया जाता है। वहीं, दूसरे देशों से **आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क (Customs duty)** लगाया जाता है।
    - **केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC)** उत्पाद शुल्क संग्रह करने के लिए जिम्मेदार है।
- केंद्रीय स्तर पर **उत्पाद शुल्क पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी** के रूप में लगाया जाता था, लेकिन कई तरह के उत्पाद शुल्कों को GST में समाहित कर दिया गया। **आज उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोलियम और शराब पर ही लागू** होता है।
- शराब, मादक पेय और नारकोटिक्स पदार्थों पर उत्पाद शुल्क **अब राज्य सरकारों द्वारा वसूला** जाता है। इस कारण इसे **"राज्य उत्पाद शुल्क"** कहा जाता है।

### 2.1.1. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure: IDS)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या से निपटने के लिए **केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ एक डॉक्यूमेंट साझा** किया है।

**इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) के बारे में**

- यह वह स्थिति है, जब **किसी तैयार उत्पाद (फिनिश्ड गुड्स)** की तुलना में उस उत्पाद के **कच्चे माल (इनपुट्स) के आयात पर अधिक प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता** है।
    - दूसरे शब्दों में, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब देखा जाता है जब **कच्चे माल की खरीद पर लगने वाली GST दर,** तैयार उत्पाद की बिक्री पर देय GST दर से **अधिक** होती है।
- **इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का प्रभाव:**
    - इससे **घरेलू उद्योग को नुकसान** होता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि देश के विनिर्माताओं को तैयार उत्पाद की तुलना में कच्चे माल के लिए अधिक प्रशुल्क चुकाना पड़ता है।
    - कच्चे माल के महंगे आयात से उससे **तैयार उत्पाद भी महंगे** हो जाते हैं। महंगे उत्पाद **अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं** कर पाते।
    - **इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर** से प्रभावित करदाता के **GST इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की स्थिति** बनी रहती है।
    - इससे **करदाताओं के लिए कार्यशील पूंजी की कमी** हो जाती है, क्योंकि कच्चे माल पर अधिक कर होने के कारण उनका धन **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)** के रूप में सरकार के पास जमा रहता है।
        - इसके अलावा, **इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर** GST व्यवस्था के तहत रिफंड के समय भी समस्या उत्पन्न करता है।

## 2.2. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और इंडेक्सेशन लाभ {Long-Term Capital Gains (LTCG) & Indexation Benefit}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

लोक सभा ने **अचल संपत्तियों (इमूवेबल प्रॉपर्टी)** पर **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर** प्रावधानों में संशोधन करने वाले वित्त विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान की।

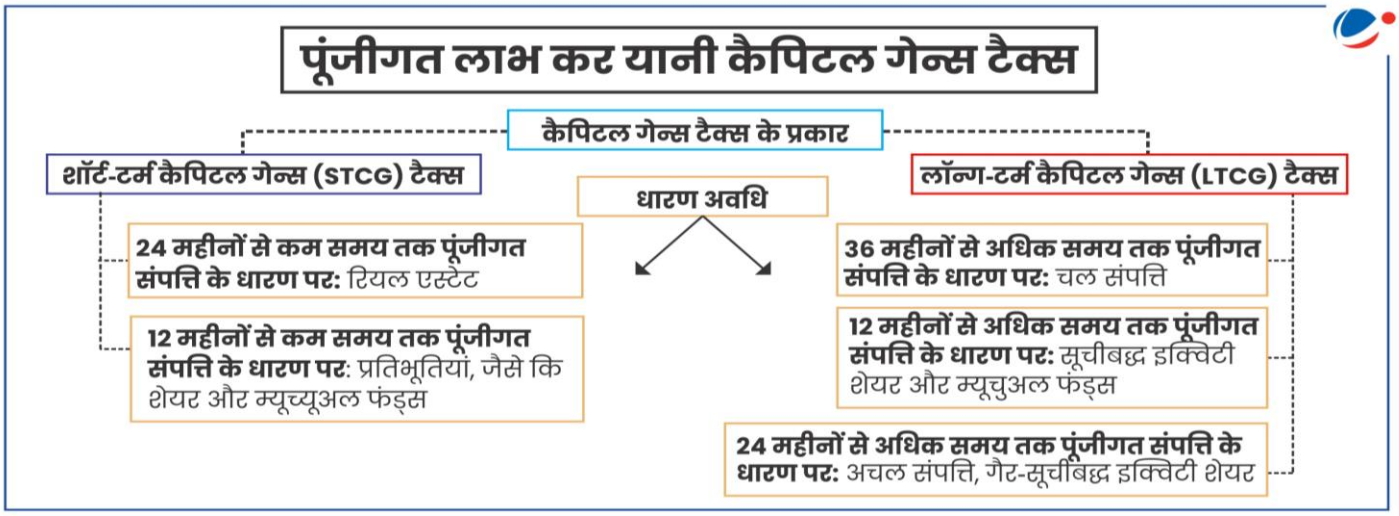


**संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान**

- **इंडेक्सेशन लाभों की समाप्ति:** बजट 2024-25 में **इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने का प्रस्ताव** किया गया था। इस संशोधन में **इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने का प्रस्ताव** रखा गया है। हालांकि, 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों को **ग्रैंडफादर्ड परिसंपत्ति** का दर्जा दिया गया है।
  - **ग्रैंडफादर क्लॉज** को "लीगेसी क्लॉज" भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों, संस्थाओं, या कंपनियों को नए नियम, विनियम, या कानून लागू होने के बाद भी उन गतिविधियों या कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जिन्हें वे पहले से कर रहे थे।
- **करदाताओं के लिए विकल्प:** ये संशोधन **करदाताओं को निम्नलिखित विकल्प** प्रदान करते हैं:
  - करदाता निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का चयन कर **कम टैक्स का भुगतान कर** सकते हैं:
    - **पुरानी योजना/ व्यवस्था:** 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ **20% LTCG टैक्स का भुगतान करना।**
    - **नई योजना/ व्यवस्था: इंडेक्सेशन के बिना 12.5% LTCG टैक्स का भुगतान** करना (पहले के 20% टैक्स की तुलना में कम कर)।
  - हालांकि, 23 जुलाई, 2024 की **कट-ऑफ तिथि के बाद अर्जित संपत्ति की खरीद के लिए, केवल नई व्यवस्था** लागू होगी।
  - **इंडेक्सेशन** केवल अर्जित लाभ पर लागू होते हैं, तथा वे किसी भी हानि पर लागू नहीं होते हैं।
- **छूट में वृद्धि: सूचीबद्ध इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड** और **बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स** पर LTCG टैक्स के लिए **छूट सीमा को** 1 लाख रुपये से **बढ़ाकर 1.25 लाख** रुपये कर दिया गया है।
  - इसी प्रकार, लॉन्ग-टर्म के लिए इन परिसंपत्तियों पर लागू **कर की दर** 10% से बढ़ाकर **12.5%** कर दी गई है।

**इंडेक्सेशन क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है?**

- **इंडेक्सेशन:** इसका आशय पूंजीगत लाभ की गणना करते समय **मुद्रास्फीति के अनुरूप किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने** से है।
- **लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII)**[28] का उपयोग किसी संपत्ति की **मुद्रास्फीति समायोजित कीमत** की गणना करने में किया जाता है, जो मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप किसी संपत्ति की कीमत में वृद्धि के अनुमान को दर्शाता है।
  - इसे **प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित** किया जाता है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के तहत परिभाषित किया गया है।

**मुद्रास्फीति समायोजित मूल्य (Inflation adjusted price) =** { बिक्री के वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) / खरीद के वर्ष का CII} x परिसंपत्ति का वास्तविक खरीद मूल्य

**इंडेक्सेशन के लाभ:**

- यह करदाताओं के लिए कर देयता को कम करते हुए उन्हें **मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाता है।**
- यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं पर बाजार कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न लाभ की बजाए **केवल वास्तविक लाभ पर ही कर लगाया जाए।** इस प्रकार, संपत्ति की कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है, न कि मुद्रास्फीति जनित वृद्धि पर।

[28] Cost Inflation Index

## 2.3. विरासत कर (Inheritance Tax)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**वर्ल्ड इनिक्वेलिटी लैब** द्वारा प्रकाशित शोध पत्र **"टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया"** में भारत में **आर्थिक असमानता को दूर करने** के लिए अमीरों पर **संपत्ति कर** और **विरासत कर** लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।

**विरासत कर (Inheritance Tax) क्या है?**

- **किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर** उसके उत्तराधिकारियों को **विरासत में मिली जायदाद/ संपत्ति** पर **विरासत कर** लगाया जाता है। यह **एस्टेट टैक्स** से अलग है। **एस्टेट टैक्स मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर** लगाया जाता है।
  - इसे कई देशों में अपनाया गया है, जैसे- जापान में विरासत कर की दर 55% तथा दक्षिण कोरिया में 50% और संयुक्त राज्य अमेरिका है।
- **विरासत कर के लाभ:** राजस्व में वृद्धि होगी, संपत्ति में असमानता को कम करेगा, मेरीटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा।
- **विरासत कर के प्रभाव:** कर चोरी बढ़ सकती है, बचत और निवेश हतोत्साहित होगा, दोहरे कराधान से जुड़ी चिंताएं।

**भारत में विरासत कर का इतिहास**

- वर्तमान में **भारत में कोई विरासत कर लागू नहीं** है।
- 1953 में **एस्टेट ड्यूटी** लगाई गई थी। इस कर की दर 85% तक पहुंच गई थी, जिसके कारण यह कर अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। वर्ष 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया।
- **एस्टेट ड्यूटी** के समान भारत में **उपहार कर (Gift tax)** और **संपत्ति कर (Wealth tax)** भी लगाए गए थे।
  - उपहार कर को 1998 में और संपत्ति कर को 2015 में समाप्त कर दिया गया। हालांकि, **उपहार कर** को 2004 में फिर से लगाया गया था।
    - उपहार कर के तहत, यदि कोई व्यक्ति **एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का कोई उपहार प्राप्त करता है**, तो इसे **"अन्य स्रोतों से प्राप्त आय"** के रूप में समझा जाता है। इस पर **आयकर स्लैब के अनुसार कर** लगाया जाता है।
    - हालांकि, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे- दान, विरासत में मिले उपहार और करीबी रिश्तेदार से प्राप्त उपहार, शादी के उपलक्ष्य में प्राप्त उपहार आदि।

**भारत में आय और संपत्ति असमानता**

- वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब (WIL) ने "**भारत में आय और संपत्ति असमानता, 1922-2023: अरबपति राज का उदय**[29]" शीर्षक से अध्ययन प्रकाशित किया है।
  - **सबसे धनी 1%** लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का **40%** हिस्सा है, जबकि **सबसे कम आय वाले 50%** लोगों के पास कुल संपत्ति का केवल **6.4% हिस्सा** है।
  - स्वतंत्रता के बाद **1980 के दशक की शुरुआत तक असमानता में गिरावट** दर्ज की गई थी। इसके बाद की अवधि में असमानता बढ़ती गई और **2000 के दशक की शुरुआत से इसमें काफी वृद्धि दर्ज** की गई।
- **कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनिक्वेलिटी (CRI) सूचकांक, 2024** को **ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल** द्वारा जारी किया गया है। CRI ने असमानता से निपटने के लिए **164 देशों और क्षेत्रों की प्रतिबद्धता** का आकलन किया है।
  - **भारत की रैंक: 127**
    - **नेपाल (115) और श्रीलंका (118)** जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

[29] Income and Wealth Inequality in India, 1922-2023: The Rise of the Billionaire Raj

## 2.4. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (Advance Pricing Agreements: APAs)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 125 **अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें एकतरफा और द्विपक्षीय APAs, दोनों शामिल हैं।

**अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) के बारे में**

- यह **करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता** है। APA मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके **ट्रांसफर प्राइसिंग** निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - **ट्रांसफर प्राइसिंग:** यह **साझा स्वामित्व या नियंत्रण** वाली कंपनियों के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत है।
- **महत्त्व:** APA अधिकतम पांच आगामी वर्षों के लिए **अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग (ALP)** निर्धारित करने में मदद करता है।
  - **मूल्य निर्धारण का आर्म्स-लेंथ प्रिंसिपल:** इस सिद्धांत के अनुसार, दो संबंधित पक्षकारों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए निर्धारित कीमत, दो अलग-अलग पक्षकारों के बीच उसी चीज के लिए तय कीमत के समान होनी चाहिए।
- इसके अलावा, **करदाता के पास पिछले चार वर्षों के लिए भी APA लागू करने का विकल्प** होता है। इस प्रकार यह, नौ वर्षों के लिए कर निश्चितता प्रदान करता है।

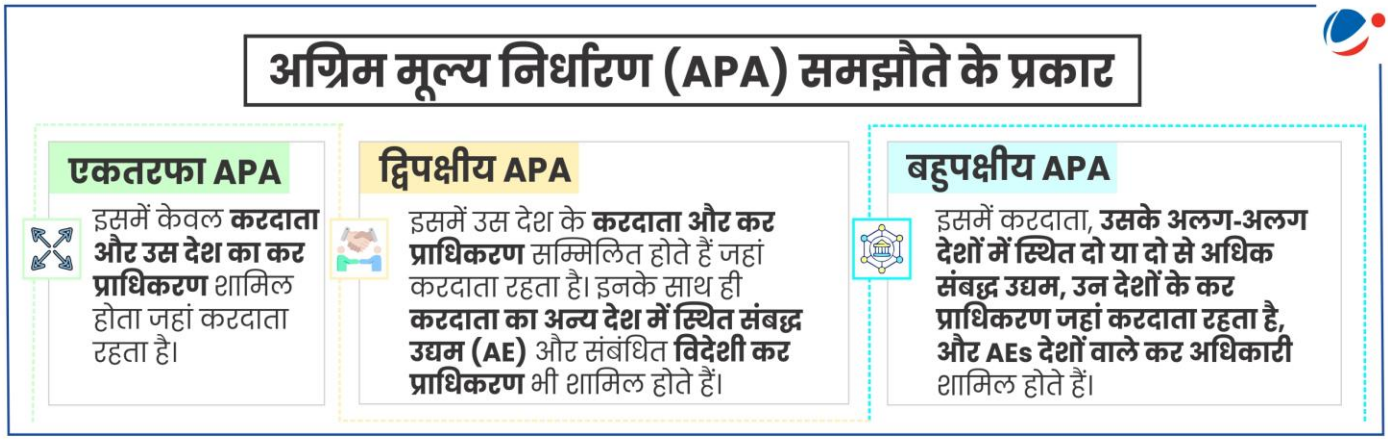


**भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था:**

- **केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 92CC और 92CD** को शामिल करके 2012 में **APA योजना** अधिसूचित की थी।
- इसके तहत, CBDT और किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- **योजना की प्रकृति: APA** प्रक्रिया स्वैच्छिक है और ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) तंत्र की पूरक हैं।
- **APA की अवधि:** अधिकतम पांच वर्ष।
- **रोलबैक प्रोविजन:** APA व्यवस्था में सहमति के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस को APA के शुरू होने से पहले की अवधि में लागू करने की अनुमति है।

**केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes: CBDT) के बारे में**

- **उत्पत्ति:** यह **केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963** के तहत गठित एक **वैधानिक निकाय** है।
- **मंत्रालय:** यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के **राजस्व विभाग** के तहत कार्य करता है।
- **कार्य:** यह **आयकर विभाग के जरिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार** है।

### 2.4.1. दोहरा कराधान बचाव समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत और मॉरीशस ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि अभी तक इस प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं हुई है। इसके तहत दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन किया जाएगा।

**संशोधन द्वारा किए गए मुख्य बदलाव**

- संशोधन में DTAA के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए **प्रिंसिपल पर्पज टेस्ट (PPT)** का प्रावधान किया गया है। इससे कर चोरी और कर बचाव के लिए संधि के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
  - PPT यह प्रावधान करता है कि **संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेंगे यदि यह साबित होता है कि किसी लेन-देन या समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल कर लाभ प्राप्त करना** था।
  - **DTAA** में संशोधन के प्रोटोकॉल का उद्देश्य इसे **बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) मिनिमम स्टैंडर्ड्स** के अनुरूप बनाना है।

**DTAA के बारे में**

- **परिभाषा:** DTAA दो देशों/ न्यायिक क्षेत्रों के बीच एक समझौता है। यह दो अलग-अलग देशों/ न्यायिक क्षेत्रों में एक ही घोषित परिसंपत्ति पर दोहरे कराधान से बचाता है।
  - **भारत और मॉरीशस के बीच DTAA पर पहली बार 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे**। इसे 2016 में संशोधित किया गया था।
- **DTAA का महत्त्व:**
  - **विदेशी निवेशकों पर कर का बोझ कम करके सीमा-पार निवेश** को बढ़ावा देता है।
  - आय 'स्रोत' और करदाता के 'निवास' देशों के बीच कर के अधिकार का **न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित** करता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय आय पर कर लगाकर कानूनी निश्चितता** प्रदान करता है।

**बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) के बारे में**

- यह कर चुकाने से बचने की रणनीतियों के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म है। इन रणनीतियों के अंतर्गत कर देने से बचने के लिए **नियमों में कमी या असंगतता का फायदा** उठाकर **मुनाफे को उच्च कर दर वाले देशों से कम कर दर वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।**
  - **ऐसा जानबूझकर निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:**
    - मुनाफे को **उच्च कराधान वाले देशों/ स्थानों से ऐसे निम्न-कराधान वाले या कर न लगाने वाले देशों/ स्थानों में स्थानांतरित** कर दिया जाता है, जहां उस कंपनी की बहुत कम या कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होती है, या
    - ब्याज या रॉयल्टी जैसे कटौती योग्य भुगतानों के माध्यम से प्रॉफिट को कम करके दिखाया जाता है।

**पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया (MAP)[30]**

- MAP **दोहरे कराधान विवादों के समाधान हेतु करदाताओं के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प** है। यह न्यायिक या आर्थिक, दोनों तरीके से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करता है।
- **MAP कर-संधियों (उदाहरण के लिए- DTAA) में निर्धारित एक तंत्र** है जो यह सुनिश्चित करता है कि कराधान कर संधि के अनुसार है।
  - कर संधि एक **द्विपक्षीय समझौता** है। यह संधि दो देशों द्वारा अपने **प्रत्येक नागरिक की निष्क्रिय और सक्रिय आय पर दोहरे कराधान से जुड़ी समस्याओं का हल** करने के लिए की जाती है।
- **MAP और APA के बीच अंतर:**
  - MAP ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का समाधान करता है जबकि APAs ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है।
  - करदाता **लंबित विवादों** के लिए MAP दाखिल करते हैं, जबकि करदाता भविष्य के वर्षों के समान लेन-देन के मामले में प्रभावी विवाद समाधान/ परिहार रणनीति के रूप में APA का विकल्प चुनते हैं।

## 2.5. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि (UN Global Tax Treaty)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति को **"अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन" के लिए विचारार्थ विषय का मसौदा तैयार** करने का कार्य सौंपा गया है। हाल ही में, इस समिति ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन हेतु मार्गदर्शन के एक सेट को मंजूरी दी है।

[30] Mutual Agreement Procedure

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य वैध, निष्पक्ष, स्थिर, समावेशी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के लिए **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि** स्थापित करना है।
- **भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों** ने संधि के विचारार्थ विषय के **पक्ष** में मतदान किया। इसके विपरीत **ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसे औद्योगिक देशों ने इसके **खिलाफ** मतदान किया।

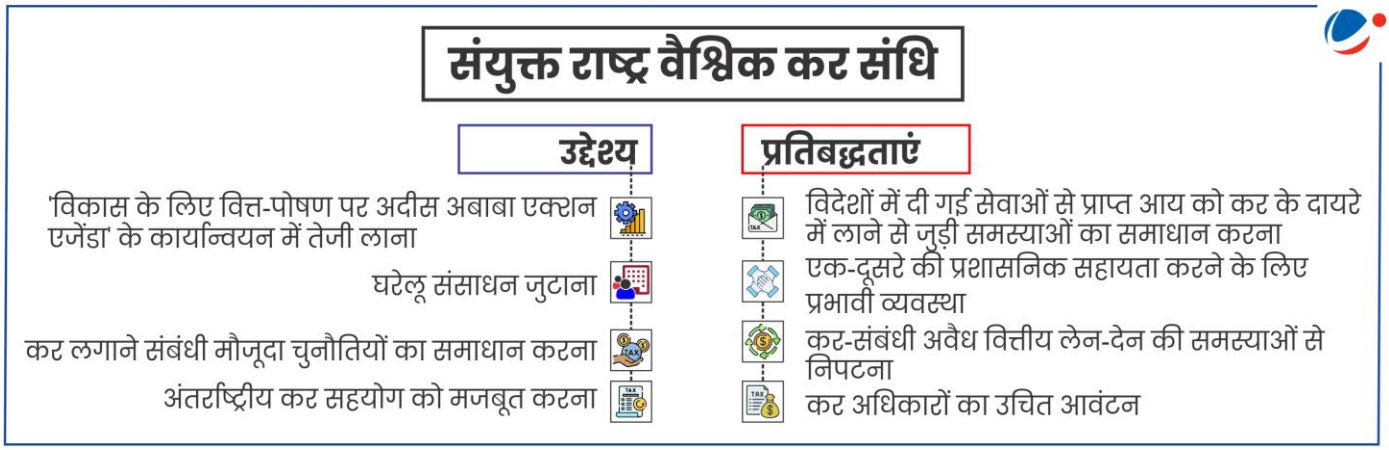


**वैश्विक कर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य वैश्विक पहलें**

- **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का वैश्विक न्यूनतम कर[31] ग्लोबल एंटी-बेस इरोजन मॉडल नियमों** पर आधारित है।
  - यह नियम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उस प्रत्येक देश में न्यूनतम कर की दर का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है, जहां उनका व्यवसाय है। इस तरह, यह नियम किसी देश में अर्जित लाभ को किसी अन्य देश में स्थानांतरित करने की व्यवस्था को हतोत्साहित करता है।
  - इस नियम के तहत कॉरपोरेट लाभ पर **15% की न्यूनतम प्रभावी दर** से कर लगाया गया है।
- **BEPS पर OECD/ G-20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क:** यह एक वैश्विक पहल है, जो **कर चोरी से निपटने और निष्पक्ष कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत सहित 147 से अधिक देशों और अधिकार क्षेत्रों को एक साथ** लाती है।
  - इसे **2016 में स्थापित** किया गया था। बाद में इसने **टू-पिलर एप्रोच** अपनाया:
    - **पिलर 1:** यह स्तंभ **सबसे बड़ी और सर्वाधिक लाभ कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे और कर अधिकारों** का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है।
    - **पिलर 2:** इस पिलर में **वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) नियम** निर्धारित किए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यम सभी देशों में अपने मुनाफे पर **15% की न्यूनतम प्रभावी दर से कर का भुगतान** करें, भले ही उनकी मूल कंपनी किसी भी देश में हो।
- **"BEPS को रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन"** का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को अपडेट करना और बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर से बचने के अवसरों को कम करना है।
  - भारत ने इस **अभिसमय पर 2017 में हस्ताक्षर** किए थे।

## 2.6. अन्य प्रमुख घटनाक्रम (Other Key Developments)

### 2.6.1. शुल्क वापसी (Duty Drawback)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) **"लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली" (PFMS) का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में ड्यूटी ड्रॉबैक राशि** ट्रांसफर करेगा।

[31] Global Minimum Tax

**ड्यूटी ड्रॉबैक या शुल्क वापसी के बारे में**

- **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रावधान** किया गया है। यह प्रावधान निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होने वाली किसी भी आयातित सामग्री या **उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर लगने वाले सीमा शुल्क में छूट** प्रदान करता है।
- यह प्रावधान निर्यातकों को **निर्यात प्रक्रिया के दौरान (विशेषकर आपूर्ति या मूल्य श्रृंखला में) आने वाली कुछ लागतों की भरपाई** करने में मदद करता है।

**केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के बारे में**

- यह **केंद्रीय वित्त मंत्रालय** के **राजस्व विभाग** के तहत कार्य करता है।
- इसका मुख्य कार्य सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी (CGST) और IGST के संग्रहण व वसूली, तथा तस्करी की रोकथाम जैसे मामलों पर **नीति निर्माण और इनका प्रशासन** करना है।

## 2.6.2. विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax)

केंद्र ने **घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को कम** कर दिया है।

**विंडफॉल टैक्स के बारे में**

- विंडफॉल टैक्स सरकारों द्वारा कुछ ऐसे **उद्योगों** पर लगाया जाने वाला कर है, जो **अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण औसत से काफी अधिक लाभ कमाते हैं।**
- इसका उद्देश्य **अतिरिक्त लाभ को एक क्षेत्र में पुनर्वितरित करके व्यापक सामाजिक कल्याण** के लिए धन जुटाना है।
- सरकारें यह तर्क देकर विंडफॉल टैक्स को **उचित ठहराती हैं कि ये लाभ केवल कर देने वाले निकाय के प्रयासों के कारण ही नहीं, बल्कि बाहरी कारकों के कारण भी प्राप्त** हुए हैं।

# 3. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Payment Systems & Financial Market)

## 3.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure: DPI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**'DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट'** जारी की गई है। यह रिपोर्ट **'आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स'** ने जारी की है।

**रिपोर्ट के बारे में**

- रिपोर्ट में **DPI को परिभाषित** किया गया है। इसमें **वैश्विक स्तर पर DPI की दिशा में आगे बढ़ने के लिए** तीन हिस्सों वाले फ्रेमवर्क का भी उल्लेख किया गया है।

| DPI क्या है? | DPI क्या 'नहीं' है? |
|---|---|
| यह **साझा डिजिटल सिस्टम्स** का एक सेट है, जो-<br>• **सुरक्षित और इंटर-ऑपरेबल** होना चाहिए,<br>• **खुले मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर विकसित होना** चाहिए, ताकि यह सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और/ या निजी सेवाओं तक न्यायसंगत पहुंच और उनका वितरण सुनिश्चित कर सके।<br>• **लागू कानूनी फ्रेमवर्क और सक्षम नियमों द्वारा शासित** होना चाहिए, ताकि विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सके तथा मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान कर सके। | • **ऐसे उपाय जो DPI के पूरक हैं:** उदाहरण के लिए- **कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर** जो भौतिक अवसंरचना के माध्यम से व्यक्तियों की मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करता है।<br>• **ऐसी डिजिटल प्रक्रियाएं जो निजी नवाचार को बढ़ावा नहीं देती:** उदाहरण के लिए- सरकारी पोर्टल बनाने के लिए मौजूदा भौतिक प्रक्रियाओं या वर्कफ्लो को डिजिटल रूप देना। |

**भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में**

- **इंडिया स्टैक:** यह भारत का अपना मूलभूत DPI है। इसमें 3 परस्पर जुड़ी लेयर्स शामिल हैं:
  - **आइडेंटिटी लेयर-** (जैसे, आधार नंबर),
  - **पेमेंट लेयर-** (जैसे, UPI) और
  - **डेटा गवर्नेंस लेयर-** (जैसे, डिजिलॉकर)।

**वैश्विक स्तर पर DPI को बढ़ावा देने के लिए प्रयास**

- **वन फ्यूचर अलायंस:** यह **G20 इंडिया प्रेसीडेंसी** द्वारा प्रस्तावित एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य **क्षमता निर्माण करना तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में DPI** को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और पर्याप्त वित्त-पोषण प्रदान करना है।
- **ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी (GDPIR):** इसकी घोषणा 2023 में G20 वर्चुअल लीडर्स शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसे DPI पर एक केंद्रित संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।
  - ग्लोबल साउथ के देशों में DPI कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए **सोशल इम्पैक्ट फंड (SIF)** की भी घोषणा की गई।
- **यूरोपीय संघ 'व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)':** भारत और यूरोपीय संघ अन्य देशों में DPI के विकास और उपयोग में तेजी लाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए है।

## 3.2. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payments Interface: UPI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)** ने **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI)** जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए **त्रिनिदाद एंड टोबैगो** के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- UPI भुगतान को स्वीकार करने वाले अन्य देशों में **श्रीलंका, मॉरीशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान** और **नेपाल** शामिल हैं।

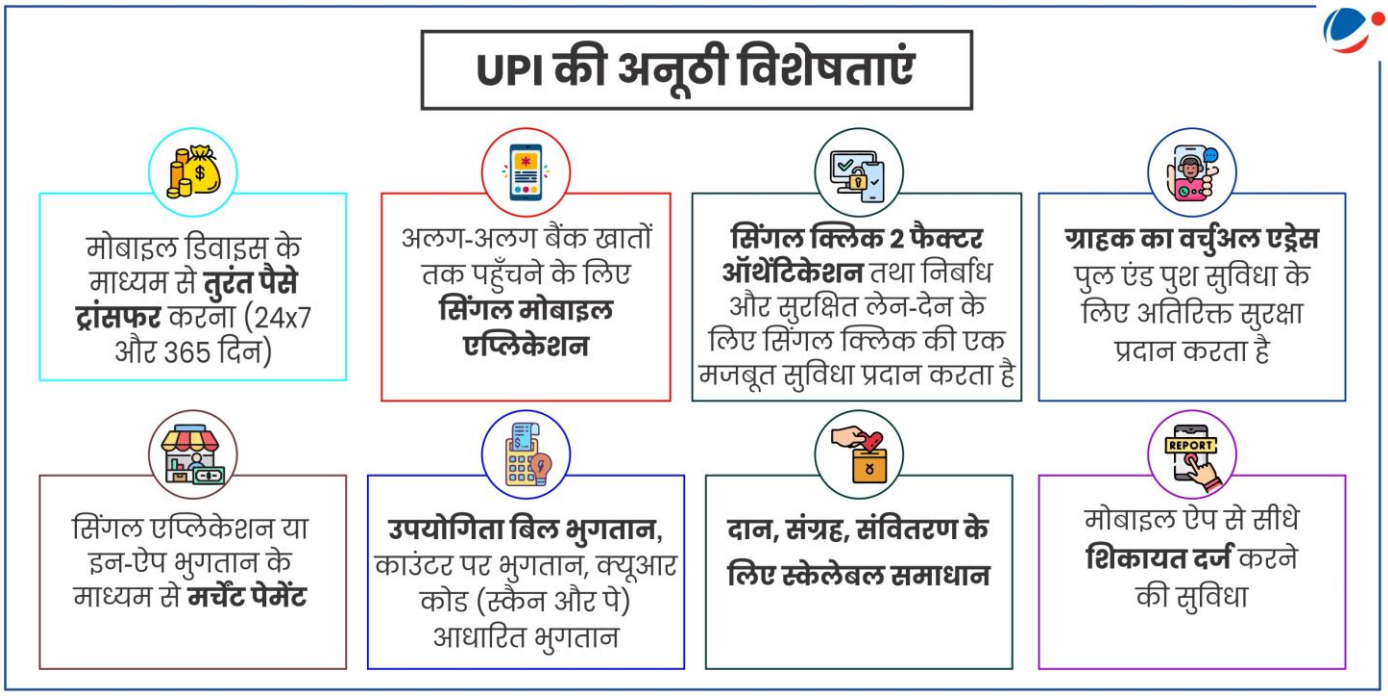


**यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बारे में**

- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** की शुरुआत **2016** में हुई थी। **UPI तत्काल रियल टाइम आधारित भुगतान प्रणाली** है। इसे **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** ने विकसित किया है।
  - NPCI **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA)** की एक पहल है। इसे **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
  - NPCI, भारत में **खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों** के संचालन के लिए एक अंब्रेला संगठन है।
- UPI **सहभागी बैंक के खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ता** है। इस तरह यह एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से **कई बैंकिंग सुविधाएं, बिना रुकावट के फंड ट्रांसफर और मर्चेंट भुगतान** जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।
- यह **"पीयर टू पीयर" पेमेंट रिक्वेस्ट** को भी पूरा करता है। आवश्यकता और सुविधा के अनुसार ऐसे भुगतान के समय का निर्धारण किया जा सकता है तथा भुगतान किया जा सकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **UPI पेमेंट** की **लेन-देन** की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर **5 लाख रुपये** कर दिया गया है।

**UPI के वेरिएंट**

- **UPI123Pay**
  - **फीचर-फोन यूजर्स** को UPI का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इसे **मार्च 2022** में शुरू किया गया था।
  - यह **12 भाषाओं में उपलब्ध** है।

- प्रौद्योगिकी विकल्पों में **IVR नंबर, ऐप कार्यक्षमता, मिस्ड-कॉल और प्रोक्सिमिटी साउंड-बेस्ड पेमेंट** शामिल हैं।
- RBI ने प्रति लेन-देन सीमा को **5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये** कर दिया है।

- **UPI लाइट**
  - इसके जरिए यूजर्स **UPI पिन दर्ज किए बिना कम राशि के लेन-देन** कर सकते हैं।
  - RBI ने **प्रति लेन-देन सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये और समग्र वॉलेट सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये** कर दिया है।

**UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए किए गए उपाय**

- **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL):** इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने **2020** में स्थापित किया था।
- **UPI ग्लोबल एक्सेप्टेन्स (इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट):** यह उपयोगकर्ताओं को अपने भारतीय बैंक खातों से सीधे **चुनिंदा इंटरनेशनल मर्चेंट स्थानों पर QR कोड से भुगतान करने में सक्षम** बनाता है।
- **विदेशों से देश में विप्रेषण की प्राप्ति (Foreign Inward Remittance):** UPI अपने उपयोगकर्ताओं को साझेदार बैंकों के UPI-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे विप्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **अनिवासी भारतीयों (NRIs) को जोड़ना:** NPCI ने **NRE/ NRO खाता धारक अनिवासी भारतीयों (NRIs) को भी UPI से भुगतान की अनुमति** देकर UPI सेवाओं का विस्तार किया है।
  - यहां NRE से तात्पर्य **नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट** और NRO से तात्पर्य **नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट** है।
- **UPI वन वर्ल्ड:** यह **G20 देशों से आने वाले विदेशी नागरिकों/ NRIs** के लिए को UPI से जुड़ी प्रीपेड भुगतान सुविधा है।

## 3.2.1 प्रोजेक्ट नेक्सस (Project Nexus)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) "प्रोजेक्ट नेक्सस" में शामिल हुआ।

**प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में**

- प्रोजेक्ट नेक्सस एक **बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल** है। यह **घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (IPS) को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा-पार रिटेल पेमेंट की सुविधा** प्रदान करती है।
  - **त्वरित भुगतान प्रणालियां (IPS)**[32] वास्तव में **इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां** हैं। ये **दो बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर** की सुविधा प्रदान करती हैं। ये एक मिनट या उससे कम समय में **फंड प्राप्त करने वाले और फंड भेजने वाले को भुगतान की पुष्टि** के बारे में सूचित करती हैं। उदाहरण- भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)।
- यह प्रोजेक्ट **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब** की पहल है।
  - **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना 1930** में हुई थी। इसका मुख्यालय **बेसल (स्विट्जरलैंड)** में है। इसका **स्वामित्व RBI सहित 63 केंद्रीय बैंकों के पास** है।
- यह प्रोजेक्ट **चार आसियान देशों** (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) तथा **भारत की त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़ेगी।** इसके **2026 तक शुरू होने** का अनुमान है।
- इसका उद्देश्य **वहनीय, तेज़, अधिक पारदर्शी और आसान सीमा-पार भुगतान सुनिश्चित करने के G20 लक्ष्यों को प्राप्त** करना है।

[32] Instant Payments Systems

## 3.3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities And Exchange Board of India: SEBI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सेबी ने **"फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स (संशोधन) विनियम, 2024"** जारी किए हैं। इसके माध्यम से मौजूदा **"सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स/FVCI) विनियम, 2000"** में **संशोधन** किया गया है।

**फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर (FVCI) के बारे में**

- ये **भारत के बाहर पंजीकृत निवेशक** होते हैं। भारत में ये **FVCI विनियमों** के तहत अपना पंजीकरण कराते हैं।
- **FVCI निम्नलिखित में निवेश कर सकते हैं:**
  - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI/सेबी) में पंजीकृत **वेंचर कैपिटल फंड्स में;** तथा
  - **वेंचर कैपिटल उपक्रमों में,** जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में गैर-सूचीबद्ध कंपनियां हैं।
    - **वेंचर कैपिटल फंड (VCF)** का उपयोग **नई कंपनियों में इक्विटी निवेश** के लिए किया जाता है। इस तरह के निवेश में **बहुत अधिक जोखिम के साथ-साथ उच्च रिटर्न प्राप्त होने की भी संभावना** होती है।
    - VCF का संचालन **सेबी (वेंचर कैपिटल फंड) विनियम, 1996** के तहत होता है।

**नये विनियमों की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र**

- **FVCI** के आवेदक को **डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DDP) से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।**
  - DPP का अर्थ है, **पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सेबी द्वारा अधिकृत बैंक।**
- इसके लिए **पात्रता मानदंड को व्यापक** बनाया गया है। इसमें **निवेश कंपनियों और पेंशन फंड जैसी मौजूदा संस्थाओं से लेकर निवासी भारतीय, NRIs, OCIs** आदि शामिल हैं।
  - ऐसे निवेशकों को FVCI के फंड पर नियंत्रण रखे बिना उसमें योगदान करना होता है।

# सेबी (SEBI) की हालिया पहलें

| पहलें | विवरण |
|---|---|
| **सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स/ SCORES 2.0)** | ▶ प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए **समय-सीमा कम** कर दी गई है। अब शिकायत प्राप्त होने की तारीख से **21 कैलेंडर दिनों के भीतर इसका समाधान** करना होगा। शिकायत निवारण में देरी की संभावना को खत्म करने के लिए **संबंधित विनियमित संस्था को शिकायतों की ऑटो-रूटिंग** की शुरुआत की गई है। |
| **इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम (PIT) विनियम {Prohibition of Insider Trading (PIT) Regulations}** | ▶ **सेबी** ने सूचीबद्ध कंपनियों के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव्स को **इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनियम के तहत ट्रेडिंग प्लान के लिए नियमों में ढील** दी है। **इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनियमों** के तहत, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कंपनी के इनसाइडर के पास ट्रेड करने के बहुत सीमित विकल्प उपलब्ध होते हैं।<br>o इनसाइडर का अर्थ किसी **कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन या अधिकारियों से** है, जिनके पास ऐसी **अप्रकाशित जानकारी** होती है, जिससे उस **कंपनी के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव** हो सकता है। इनसाइडर को **'ट्रेडिंग प्लान' के जरिये शेयर की कीमत, राशि और लेन-देन की तारीख का विवरण अग्रिम** रूप में देना होता है। |
| **क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप (CDS) {Credit Default Swap (CDS)}** | ▶ **सेबी** ने कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के अंतर्गत **तरलता संबंधी सुधार के लिए म्यूचुअल फंड्स को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) खरीदने और बेचने की अनुमति** दे दी है।<br>▶ CDS एक **फाइनेंसियल डेरिवेटिव** होता है। इसके तहत निवेशक **अपने क्रेडिट जोखिम को किसी अन्य निवेशक के साथ स्वैप या ऑफसेट** कर सकते हैं।<br>o CDS, **बीमा अनुबंधों** की तरह होते हैं, जो **बॉण्ड उधारकर्ता** द्वारा बकाया भुगतान में चूक (डिफॉल्ट) होने की स्थिति में निवेशक को संरक्षण प्रदान करते हैं। इसे बीमा अनुबंधों के समान ही बॉण्ड बाजार के लिए **प्रीमियम का भुगतान करके** बनाए रखा जाता है। |
| **पंप और डंप स्कीम (Pump & Dump Scheme)** | ▶ सेबी ने कथित तौर पर **'पंप और डंप' स्कीम संचालित करने के लिए कुछ व्यक्तियों पर जुर्माना** लगाया है। यह एक हेरफेर गतिविधि होती है। इसमें **झूठी और भ्रामक जानकारी/ सिफारिशों के जरिए स्टॉक (शेयर) की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ा** दिया जाता है।<br>o यह केवल **स्टॉक को बढ़ी हुई कीमत पर बेचने** के लिए किया जाता है। सेबी के **दिशा-निर्देशों के तहत, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है।** |
| **एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड Exchange-Traded Funds (ETFs)** | ▶ **सेबी ने पैसिव फंड और ETFs के लिए निवेश सीमा बढ़ा दी है। पैसिव फंड** वे फंड हैं जो किसी इंडेक्स में उसी अनुपात में निवेश करते हैं जिस अनुपात में उसमें विभिन्न कंपनियां शामिल हैं।<br>o **ETFs विपणन योग्य प्रतिभूतियां** हैं जो **इंडेक्स, कमोडिटी, बॉण्ड या इंडेक्स फंड जैसी संपत्तियों** के एक समूह को ट्रैक करती हैं। |
| **समाशोधन निगम (Clearing Corporations)** | ▶ सेबी ने समाशोधन निगमों के **स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए उषा थोराट की अध्यक्षता में एक समिति** का गठन किया है।<br>▶ **समाशोधन निगम** एक संस्था है, जो **स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार होने वाली प्रतिभूतियों या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड के समाशोधन और निपटान की गतिविधि का प्रबंधन** करती है।<br>▶ स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के साथ समाशोधन निगम **बाजार अवसंरचना संस्थाओं** का गठन करते हैं। |
| **फिनफ्लुएंसर्स (FinFluencer)** | ▶ **सेबी ने विनियमित संस्थाओं को अंजीकृत फिनफ्लुएंसर्स के साथ जुड़ने से प्रतिबंधित** कर दिया है। इसने निवेश और होल्डिंग कंपनियों (IHC) के लिए एक डीलिस्टिंग फ्रेमवर्क पेश किया है।<br>▶ **फिनफ्लुएंसर** वह **व्यक्ति** होता है **जो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग,** म्यूचुअल फंड और बीमा जैसे विषयों पर वित्तीय सलाह साझा करता है। |

### 3.3.1. सेटलमेंट चक्र (Settlement Cycle)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने स्टॉक मार्केट में **T+0 रोलिंग सेटलमेंट चक्र** का बीटा संस्करण पेश किया है। यह मौजूदा T+1 सेटलमेंट चक्र के अतिरिक्त और एक विकल्प के तौर पर है।

**सेटलमेंट चक्र के बारे में**

- सेटलमेंट चक्र वह अवधि होती है जिसके भीतर खरीदार और विक्रेता के बीच ट्रेड पूरा होने के बाद प्रतिभूतियों/ शेयरों और फंड्स को एक-दूसरे को डिलीवर कर दिया जाता है या सौंप दिया जाता है तथा लेन-देन संबंधी कार्य को निपटा दिया जाता है।
- परंपरागत रूप से, भारतीय एक्सचेंज **T+2 सेटलमेंट चक्र** का पालन करते हैं। 2023 में **T+2** को **T+1** (1 दिन में सेटलमेंट) में बदल दिया गया।
- T+0 सेटलमेंट चक्र एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें ट्रेड का सेटलमेंट **बाजार बंद** होने के बाद **उसी दिन** होता है।

## 3.4. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange: NSE)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सेबी (SEBI) ने NSE की अधिकृत शेयर पूंजी को **दस गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये** करने को मंजूरी दी।

**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बारे में**

- **मुख्यालय:** मुंबई
- **स्थापना वर्ष: 1992** में पंजीकृत; **1993** में SEBI ने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्रदान की; और **1994** में कार्य करना शुरू किया।
  - स्टॉक एक्सचेंज एक केंद्रीकृत बाजार होता है, जहां निवेशक **शेयर, बॉण्ड और डेरिवेटिव जैसी प्रतिभूतियां** खरीदते व बेचते हैं।
- मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से NSE **भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।**
- **निफ्टी 50** NSE का प्रमुख **स्टॉक मार्केट इंडेक्स** है। यह **NSE इंडेक्स लिमिटेड** के स्वामित्व और प्रबंधन में है।
  - **निफ्टी 50** इंडेक्स अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रकों की **50 बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व** करता है।
- **प्रौद्योगिकी अपनाने में अग्रणी:** NSE **इलेक्ट्रॉनिक/ स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग** शुरू करने वाला देश का पहला एक्सचेंज है।
- NSE इंडेक्स ने **भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इंडेक्स- निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स** लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य **इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने वाली कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखना** है।

### 3.4.1. को-लोकेशन या प्रोक्सिमिटी होस्टिंग (Co-Location Or Proximity Hosting)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सेबी (SEBI) ने कथित **को-लोकेशन** मामले में **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के खिलाफ शिकायत का निपटारा** कर दिया है।

**को-लोकेशन या प्रोक्सिमिटी होस्टिंग के बारे में**

- यह सुविधा **ब्रोकर्स को स्टॉक एक्सचेंजों के परिसर में अपने सर्वर स्थापित करने की अनुमति** देती है। इसके लिए **आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर** स्थापित किया जाता है। इसके बदले **शुल्क का भुगतान** करना होता है।
- स्टॉक एक्सचेंज सर्वर से ब्रोकर के सर्वर बहुत नजदीक होते हैं। इसके कारण, **तेजी से स्टॉक प्राइस** पता चलता है और शीघ्र **ट्रेड संपन्न** होते हैं। इससे ब्रोकर और उनके क्लाइंट, दोनों को लाभ मिलता है।
- सेबी ने **2015 में को-लोकेशन के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए थे। इसके अलावा, 2018 में **एल्गोरिदम ट्रेडिंग और को-लोकेशन फ्रेमवर्क** को मजबूत करने के उपायों की घोषणा की गई थी।

## 3.5. वित्तीयकरण (Financialisation)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार, भारत को **अति 'वित्तीयकरण'** (Excessive Financialisation) के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।

**वित्तीयकरण क्या है?**

- **परिभाषा:** वित्तीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत **वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान और वित्तीय अभिजात वर्ग का आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक परिणामों पर अधिक प्रभाव स्थापित** हो जाता है।
  - इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पारंपरिक रूप से, **'भौतिक परिसंपत्तियों'** (जैसे कि **रियल एस्टेट, स्वर्ण, आदि)** की बजाय **'वित्तीय परिसंपत्तियों'** (जैसे कि **म्यूचुअल फंड) में निवेश** किया जाने लगा है।

**अति वित्तीयकरण एक चिंता का विषय क्यों है?**

- **असमानता में वृद्धि:** वित्तीय आय का एक बड़ा हिस्सा (जैसे कि स्टॉक और अन्य निवेशों से होने वाला लाभ) सबसे अधिक इक्विटी स्वामित्व वाले धनी व्यक्तियों को मिलता है। ये धनी व्यक्ति आबादी का शीर्ष 1% हैं।
- **अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव:** ऐसा इस कारण, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की बजाय **वित्तीय निवेश से अधिक लाभ** होने लगता है।
  - इस प्रकार, अर्थव्यवस्था पर **शेयर बाजार का अधिक प्रभाव स्थापित हो** जाता है और रोजगार सृजन या जीवन स्तर में वृद्धि की अनदेखी होने लगती है।
- **आम लोगों द्वारा ऋण लेने में वृद्धि:** वास्तविक आय में ठहराव के चलते आम लोगों की **ऋण पर निर्भरता बढ़** सकती है (जैसा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में देखा गया है)।
- **नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव:** वित्तीयकरण से **प्रीडेटरी लेंडिंग, अधिक जोखिम लेने और श्रमिक संरक्षण की उपेक्षा करने वाली नीतियों को बढ़ावा** मिल सकता है।

## 3.6. भारतीय डेरिवेटिव मार्केट (Indian Derivative Markets)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सेबी (SEBI) ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में **सट्टा (स्पेक्युलेटिव) गतिविधियों को रोकने** और **जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए** कई नए उपायों की घोषणा की है।

**डेरिवेटिव मार्केट के बारे में**

- डेरिवेटिव्स ऐसे वित्तीय अनुबंध (Financial contracts) हैं, जो दो या अधिक पक्षों के बीच किए जाते हैं। इनके मूल्य की गणना **अलग-अलग डेरिवेटिव्स में शामिल की गई संपत्तियों यानी अंडरलाइंग एसेट्स के मूल्य में बदलाव के आधार पर** की जाती है। अंडरलाइंग एसेट्स में **प्रतिभूतियां (कंपनी के शेयर), वस्तुएं, बुलियन (सोना-चांदी), करेंसी** आदि शामिल होती हैं।
- **डेरिवेटिव्स को दो बाजारों में ट्रेड किया जा सकता है:**
  - **एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट:** जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE); तथा
  - **ओवर द काउंटर (OTC) मार्केट:** जहां प्रतिभूतियों का व्यापार एक ब्रोकर-डीलर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसमें प्रतिभूतियों को किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की जरुरत नहीं पड़ती है।

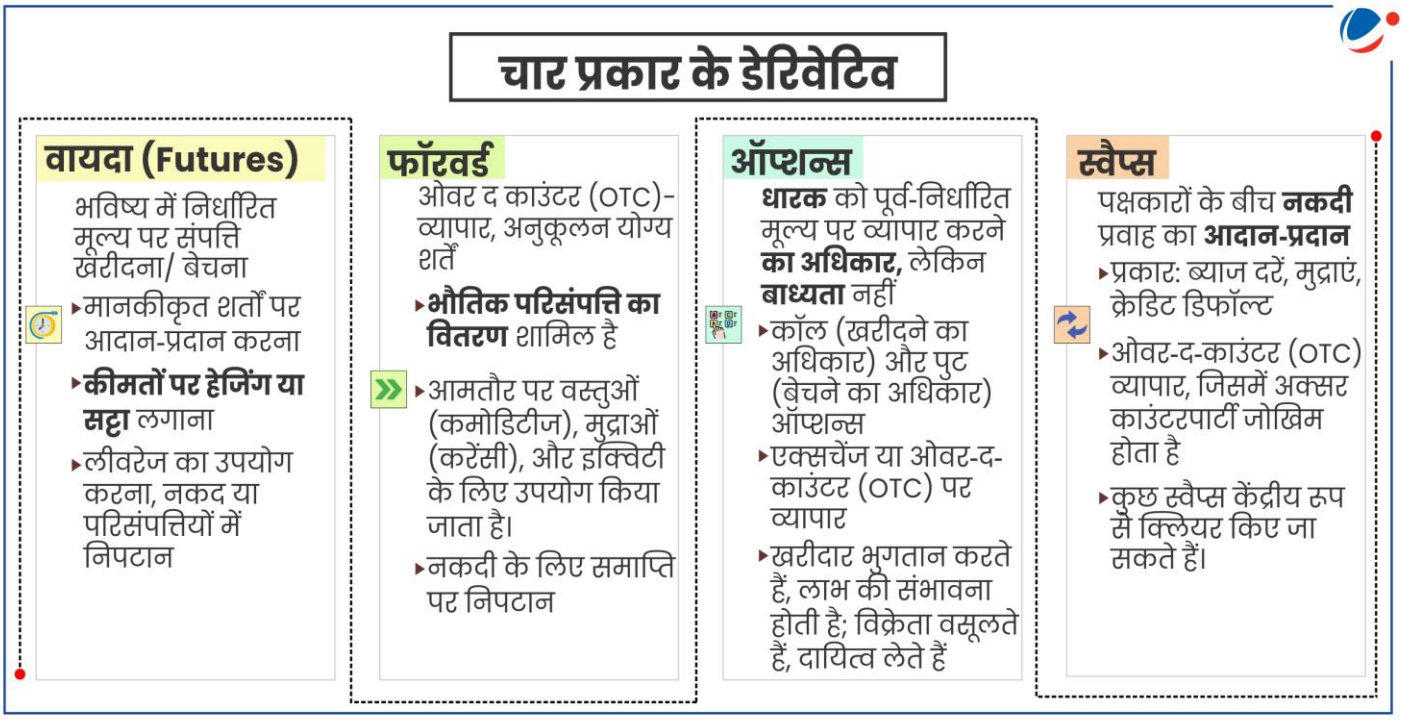


**डेरिवेटिव्स का उपयोग किन उद्देश्यों से किया जाता है?**

- **हेजिंग (जोखिम प्रबंधन) के लिए:** यह डेरिवेटिव्स कारोबार में शामिल होने वाले कारोबारियों को एसेट्स (कंपनी के शेयर मूल्य) के मूल्य में उतार-चढ़ाव, ब्याज दर में बदलाव आदि से वित्तीय नुकसान को कम करने (यानी हेज करने) में मदद करता है।
- **सट्टा गतिविधियों (स्पेकुलेशन) के लिए:** निवेशक **अंडरलाइंग एसेट्स** के मूल्य में होने वाले बदलाव पर सट्टा लगाते हैं और संभावित लाभ की उम्मीद में जोखिम उठाते हैं।
- **लीवरेज का उपयोग:** इसमें निवेशक शुरुआत में कम निवेश करके अनुबंध अवधि तक अधिक एसेट्स धारण कर सकते हैं। एसेट्स धारण करने को 'पोजीशन' कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मार्केट में 100 रुपये की कीमत वाली 10 शेयर खरीदने के लिए आपको 1,000 रुपये का निवेश करना पड़ेगा। लेकिन डेरिवेटिव लीवरेज के तहत आप कुछ समय के लिए केवल 100 रुपये के निवेश से 10 शेयर का पोजीशन रख सकते हैं। इसमें उच्च रिटर्न मिलने और अधिक नुकसान होने, दोनों की संभावना रहती है।
  - **लीवरेज (Leverage):** इसका अर्थ है उधार लिए गए फंड्स का उपयोग करके अपने निवेश पर रिटर्न बढ़ाना।
  - **पोजीशन (Position):** यह किसी निवेशक या संस्था द्वारा खरीदी गई (या बेची गई) प्रतिभूतियों की मात्रा को दर्शाता है।

**भारत में डेरिवेटिव्स का विनियमन**

- भारत में डेरिवेटिव्स में खरीद-बिक्री का विनियमन **सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट (SCRA), 1956** तथा **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992** के तहत किया जाता है।
  - **SCRA, 1956** का उद्देश्य व्यवसाय के विनियमन के द्वारा प्रतिभूतियों में अवांछनीय लेन-देन गतिविधियों को रोकना है।

- हाल ही में **SCRR, 1956 में संशोधन** किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य **भारतीय सार्वजनिक कंपनियों** को **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) के अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों में सीधे लिस्टिंग की अनुमति** देना है।

- **डेरिवेटिव एक्सचेंज/ सेगमेंट** सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन (SRO) के रूप में कार्य करता है और SEBI **ओवरसाइट रेगुलेटर** के रूप में निगरानी करता है।

## 3.7. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (Credit Rating Agencies)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**केयरएज (CareEdge)** भारत की ऐसी **पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी** है, जिसने **सॉवरेन रेटिंग** सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है।

**क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CRAs) क्या हैं?**

- क्रेडिट रेटिंग, **किसी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी सापेक्ष क्षमता यानी, ऋण जोखिम या ऋणी की सापेक्ष उधार पात्रता पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी** द्वारा जाहिर की गई राय होती है।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, क्रेडिट ब्यूरो से अलग** हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां **ऋणियों द्वारा भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने की उनकी क्षमता पर अपनी राय** देती हैं, जबकि **क्रेडिट ब्यूरो** ऋणियों द्वारा ऋण चुकाने के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

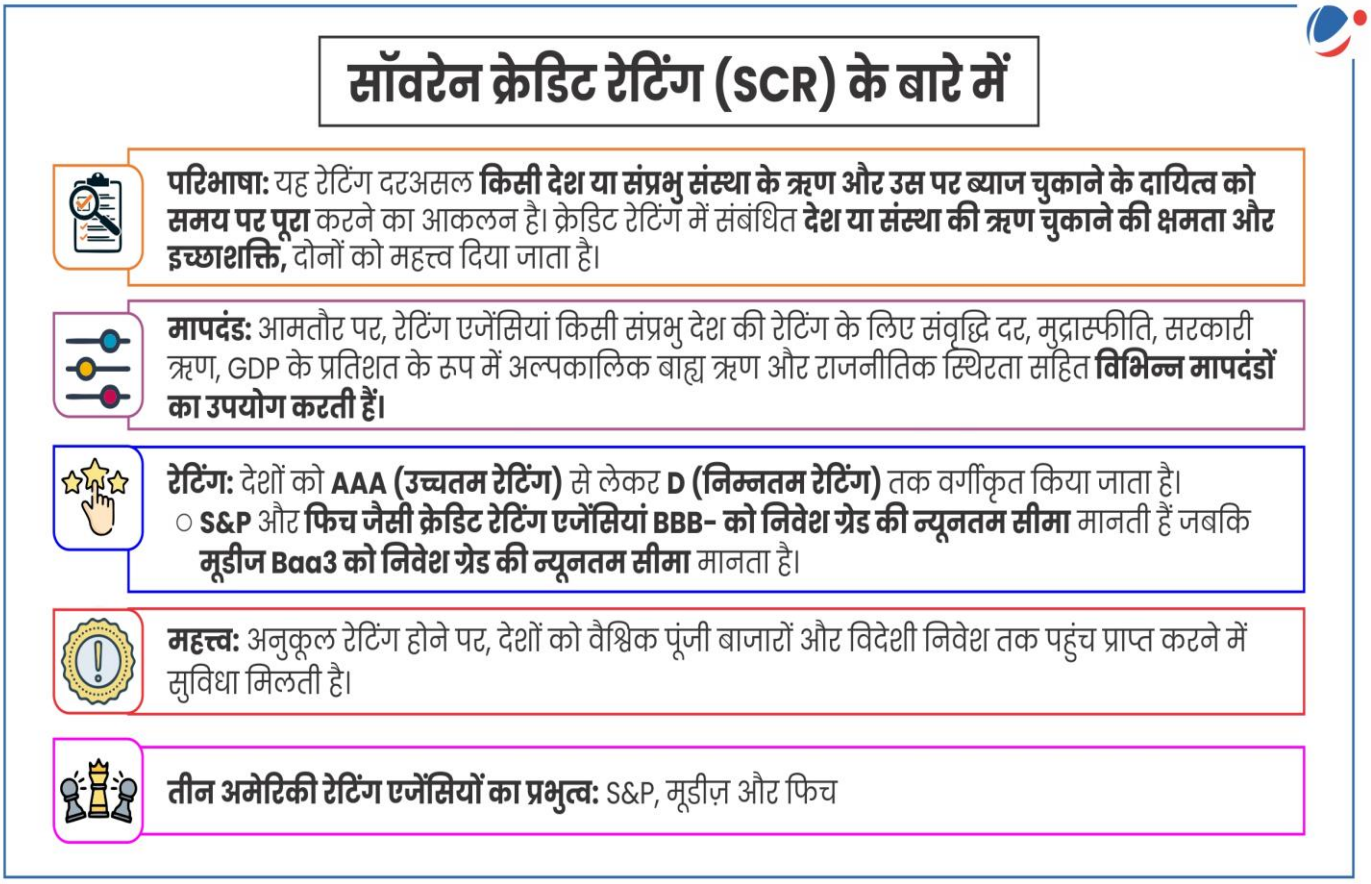


**भारत में क्रेडिट रेटिंग के बारे में**

- भारत में, CRAs को मुख्य रूप से **सेबी द्वारा विनियमित** किया जाता है।
- **सेबी में सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पंजीकृत हैं। ये हैं:** क्रिसिल, CARE, ICRA, एक्यूट, ब्रिकवर्क रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स, और इन्फोमेरिक्स (INFOMERICS)।

- हालांकि, कुछ अन्य विनियामक एजेंसियां, जैसे कि RBI, IRDA और PFRDA भी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित **'क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां के कुछ पहलुओं'** को विनियमित करती हैं।
  - RBI बैंक-ऋण/ संबंधित सुविधाओं की रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को **'बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था'** के रूप में मान्यता देता है।
    - **ब्रिकवर्क रेटिंग्स को छोड़कर**, अन्य सभी छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां RBI द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं।
- **सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999** में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अपने रेटिंग मानदंड, रेटिंग की पद्धति और डिफ़ॉल्ट मान्यता नीति के साथ-साथ हितों के टकराव से बचने के लिए दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक करना आवश्यक होगा।

## 3.8. अन्य प्रमुख घटनाक्रम (Other Key Developments)

### 3.8.1. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs/इनविट्स) {Infrastructure Investment Trusts (INVITS)}

सेबी (SEBI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs/ इनविट्स) विनियम, 2024 में संशोधन किया है।

**मुख्य बिंदु**

- नए मानदंड **स्पॉन्सर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट वाले इनविट्स द्वारा सबोर्डिनेट यूनिट्स जारी करने की अनुमति** देते हैं। यह अनुमति केवल **अवसंरचना परियोजना के अधिग्रहण** के लिए दी गई है।
- इस कदम का उद्देश्य **किसी परिसंपत्ति के लिए स्पॉन्सर (विक्रेता के रूप में) और इनविट (खरीदार के रूप में) द्वारा तय किए गए वैल्यूएशन में अंतर** को समाप्त करना है।

**इनविट्स (InvITs) के बारे में**

- यह **म्यूचुअल फंड के समान ही निवेश का एक माध्यम** है। यह **निवेशकों को टोल रोड, बिजली लाइनों और पाइपलाइन्स जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश** का विकल्प प्रदान करती है।
- **स्पॉन्सर (इंफ्रा कंपनियां) सेबी के माध्यम से इनविट्स स्थापित** करते हैं। उन्हें **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI/ सरफेसी एक्ट), 2002** के तहत **"उधार लेने वाले" यानी बॉरोअर** का दर्जा दिया जाता है।
  - किसी **इनविट के पक्षकारों में उसके ट्रस्टी, स्पॉन्सर, निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक** शामिल होते हैं।
- इनविट्स अपने **निवेश पर टोल, किराया, ब्याज या लाभांश के माध्यम से आय अर्जित** करते हैं। यह आय **निवेशकों यानी यूनिट्स खरीदने वालों में वितरित** की जाती है। निवेशकों की इस आय पर **कर भी लगाया** जाता है।

**इनविट्स का महत्त्व**

- **कम राशि में भी निवेश की सुविधा:** निवेशक इनविट्स के जरिए छोटी राशि भी निवेश कर सकते है।
- **तरलता:** इनकी यूनिट्स **स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध** होती है। इसलिए, खरीद-बिक्री के लिए यूनिट्स हमेशा उपलब्ध रहती है। इस तरह कभी भी **यूनिट्स को बेचा** जा सकता है।

### 3.8.2. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (Investor Education And Protection Fund Authority: IEPFA)

IEPFA ने दावेदारों के सवालों का बेहतर समाधान करने के लिए **पांच अंकों का टोल-फ्री नंबर-14453** जारी किया है।

**IEPFA के बारे में**

- यह **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है। इसे **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत स्थापित किया गया है।
- यह संगठन **निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) के प्रबंधन** के लिए जिम्मेदार है।
  - IEPF **शेयरों, दावा न किए गए लाभांशों और मैच्योर्ड डिपॉजिट्स/ डिबेंचर्स की वापसी की सुविधा** प्रदान करता है। इस प्रकार निवेशकों के हितों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

### 3.8.3. फ्रंट रनिंग (Front Running)

हाल ही में एक **म्यूचुअल फंड प्रबंधक पर फ्रंट-रनिंग** में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

**फ्रंट रनिंग के बारे में**

- सेबी (SEBI) के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी के किसी बड़े आर्डर के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही उस ऑर्डर का पता करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से **शेयर्स खरीदना या बेचना अथवा ऑप्शंस या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन लेना** फ्रंट रनिंग कहलाता है।
- भारत में **फ्रंट रनिंग एक गैर-कानूनी गतिविधि** है।
- यह **वित्तीय बाजारों में विश्वास को कमजोर** करती है। इसके अलावा, यह अन्य निवेशकों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि जानकारी सार्वजनिक होने तक उसका फायदा उठा लिया गया होता है।
- 2022 में, **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में संशोधन** किया गया था। इसके जरिए फ्रंट रनिंग पर रोक लगाने वाले प्रावधान किए गए थे।

## 3.8.4. इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स (India Volatility Index: VIX)

हाल ही में, इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स **21 के क्रिटिकल स्तर से भी ऊपर** चला गया, जो भारत के शेयर बाजार में बढ़ती वोलैटिलिटी का संकेत देता है।

**इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स के बारे में**

- यह एक माप है जो बताती है कि **अंडरलाइंग इंडेक्स** में निकट भविष्य (30 कैलेंडर दिन) में **कितना उतार-चढ़ाव रहने की उम्मीद** है।
  - इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स का मान जितना अधिक होगा, वोलैटिलिटी की उम्मीद भी उतनी ही अधिक होगी और इसका मान जितना कम होगा, वोलैटिलिटी की उम्मीद भी उतनी ही कम होगी।
- यह **निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन की कीमतों पर आधारित** है।
- यह **शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज (CBOE)** की गणना पद्धति का उपयोग करता है।
  - CBOE 1993 में अमेरिकी बाजारों के लिए **वोलैटिलिटी इंडेक्स शुरू करने वाला सबसे पहला एक्सचेंज** था।


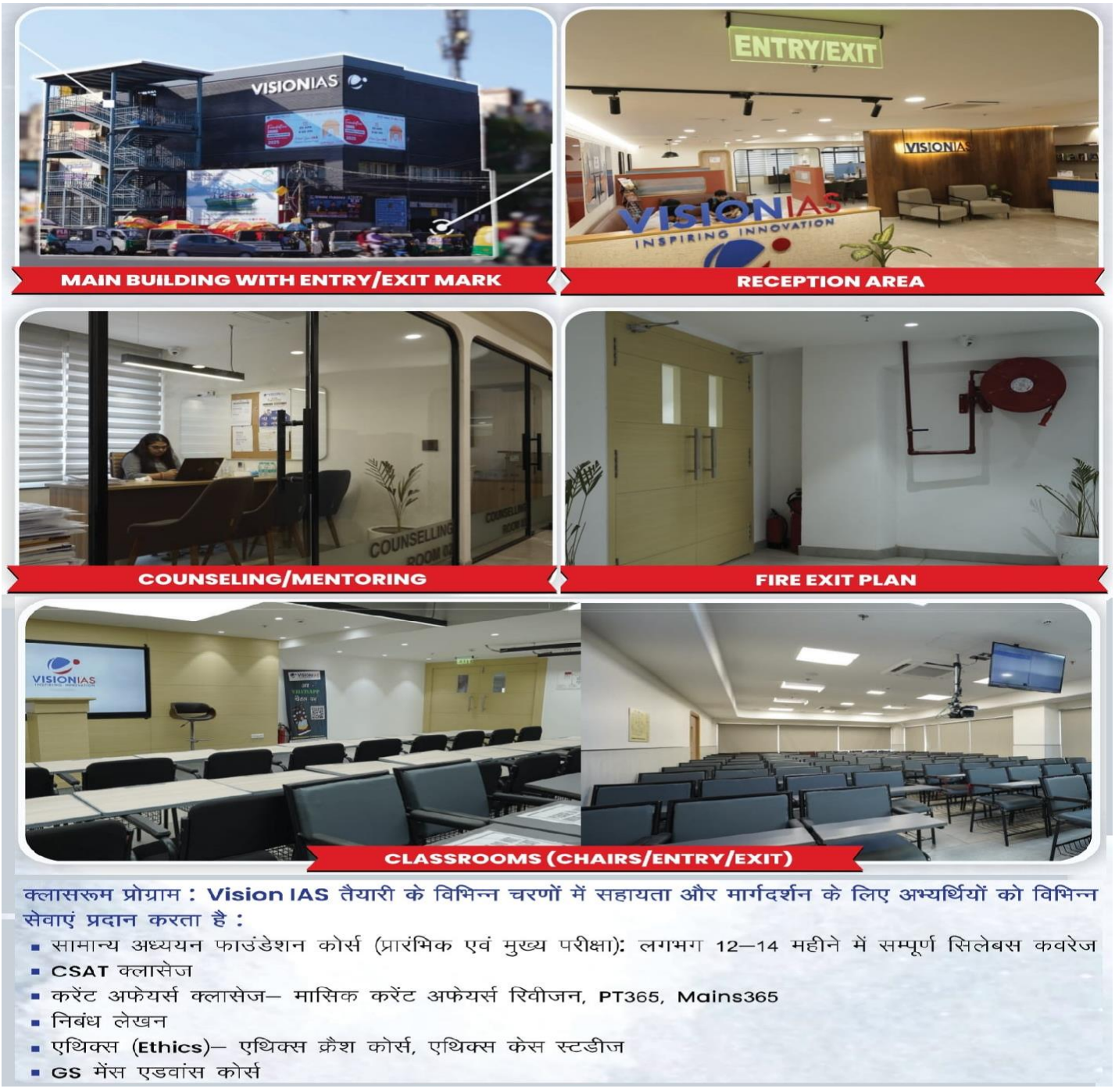

## 3.8.5. फिन्टरनेट (Finternet)

इंफोसिस के सह-संस्थापक 'नंदन नीलेकणी' ने भविष्य की वित्तीय प्रणाली के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में "फिन्टरनेट" की अवधारणा का प्रस्ताव रखा।

**फिन्टरनेट क्या है?**

- **परिभाषा:** यह **भविष्य की वित्तीय प्रणाली** के लिए एक परिकल्पना है। यह बिल्कुल इंटरनेट की तरह है, जिसमें **अनेक वित्तीय इकोसिस्टम एक-दूसरे से जुड़े** हुए हैं। यह व्यक्तियों और व्यवसायों को उनकी वित्तीय गतिविधियों के केंद्र में रखकर उन्हें सशक्त बनाएगा।
- **महत्त्व:** यह किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति को तथा कितनी भी राशि को किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी डिवाइस का उपयोग करके बिना बाधा के ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है।
    - यह वित्तीय सेवाओं के बीच बाधाओं को भी कम करता है; क्लीयरिंग व्यवस्था और संदेश भेजने की श्रृंखला को सरल बनाता है तथा अलग-अलग प्रणालियों के बीच संघर्ष या बाधा को समाप्त करता है।

**ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) :** इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas**– **Abhyaas Prelims & Mains**

**मेंटरिंग कार्यक्रम** – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

**करेंट अफेयर्स (Current Affairs)**– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

**स्टडी मैटेरियल**– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

**Student Wellness Cell** – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

## 3.8.6. परपेचुअल बॉण्ड्स (Perpetual Bonds)

हाल ही में, नियमों में बदलाव के बाद **भारत का पहला अतिरिक्त टियर-I (AT-1) परपेचुअल बॉण्ड** जारी किया गया। नियमों में बदलाव परपेचुअल बॉण्ड को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए गए थे।

**परपेचुअल बॉण्ड्स के बारे में**

- ये **धन जुटाने के साधन** हैं। सामान्य बॉण्ड्स के विपरीत इनकी कोई **परिपक्वता अवधि नहीं** होती है।
- यह अपने धारकों को **नियमित रूप से ब्याज या कूपन का भुगतान** करता रहता है। ऐसे बॉण्ड की कोई **निश्चित समाप्ति तिथि नहीं** होती है।
- इसमें बॉण्डधारक **द्वितीयक बाजार में बॉण्ड बेचकर या जब जारीकर्ता बॉण्ड को भुनाने का निर्णय लेता है, तब अपना मूलधन वापस प्राप्त** कर सकते हैं।
- इन बॉण्डस के जारीकर्ताओं को तब तक ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक वे बॉण्ड धारकों को **देय ब्याज (कूपन) का भुगतान** करते रहते हैं।

### 3.8.7. पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-नोट्स) {Participatory Notes (P-Notes)}

GIFT-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) से संचालित **"पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs)"** को P-नोट्स जारी करने की अनुमति दी गई है।

**P-नोट्स के बारे में**

- इन्हें सेबी (SEBI) के पास पंजीकृत **FPIs द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी** किया जाता है। ऐसे निवेशक **भारत में स्वयं को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश** कर सकते हैं।
  - पी-नोट्स **ऑफशोर डेरिवेटिव साधन** हैं। इनमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में **भारतीय शेयर** होते हैं।
- **लाभ:**
  - इन्हें **सेबी में पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं** पड़ती है और वे **गुमनाम रहकर भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश** कर सकते हैं।
  - यह भारतीय शेयरों में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों हेतु एक विकल्प है।

### 3.8.8. इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (India International Bullion Exchange: IIBX)

भारतीय स्टेट बैंक IIBX का पहला **ट्रेडिंग-सह-क्लियरिंग सदस्य** बन गया है।

**IIBX के बारे में**

- इसे 2022 में **GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC), गांधीनगर (गुजरात)** में स्थापित किया गया था।
  - **उच्च शुद्धता वाले सोना और चांदी** को बुलियन कहा जाता है। उन्हें अक्सर **बार, सिल्लियां (इंगोट्स) या सिक्कों** के रूप में रखा जाता है।
- यह एक्सचेंज **IFSC प्राधिकरण (IFSCA)** की देख-रेख में कार्य करता है।
- इसके प्रमोटर्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जैसे **भारत के अग्रणी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्टर संस्थान** शामिल हैं।

### 3.8.9. कैरी ट्रेड (Carry Trade)

अमेरिका की कुछ अग्रणी टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में **कैरी ट्रेड** का मुद्दा चर्चा में रहा है।

**कैरी ट्रेड के बारे में:**

- कैरी ट्रेड **एक निवेश रणनीति** है जो **अक्सर विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी** होती है।
- कैरी ट्रेड में, निवेशक कम ब्याज दर वाली मुद्रा उधार लेकर उच्च ब्याज दर वाली मुद्रा में निवेश करते हैं।
- अस्थिर मुद्रा या ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के कारण कैरी ट्रेडिंग एक जोखिम भरा निवेश विकल्प है।

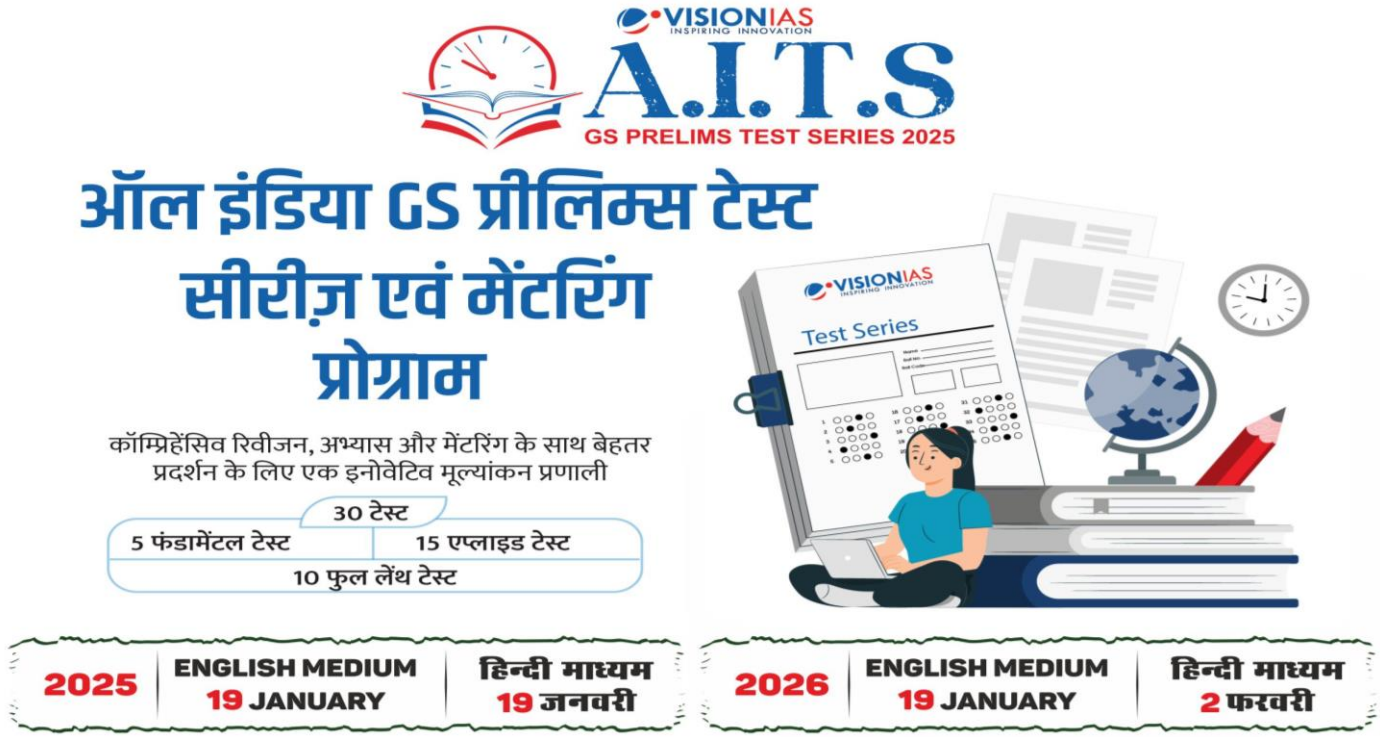

# 4. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

## 4.1. भारत का व्यापार घाटा (India's Trade Deficit)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, **वित्त वर्ष 2023-24** में भारत ने **अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा** दर्ज किया।

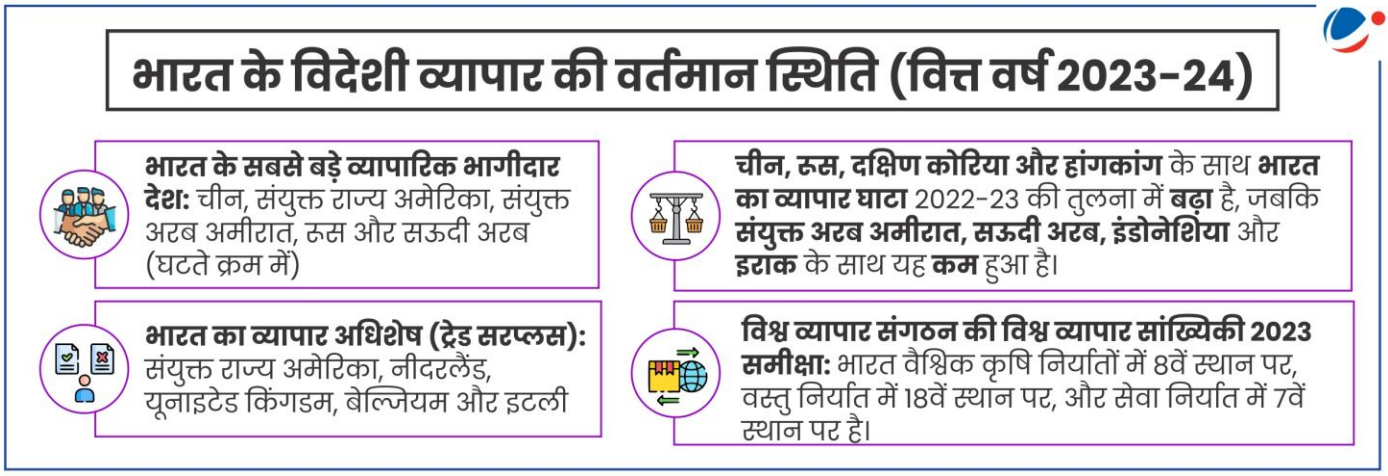


**व्यापार घाटा क्या है?**

- व्यापार घाटा तब होता है जब किसी **देश के आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता** है।
  - इसे **नकारात्मक व्यापार संतुलन** भी कहा जाता है।

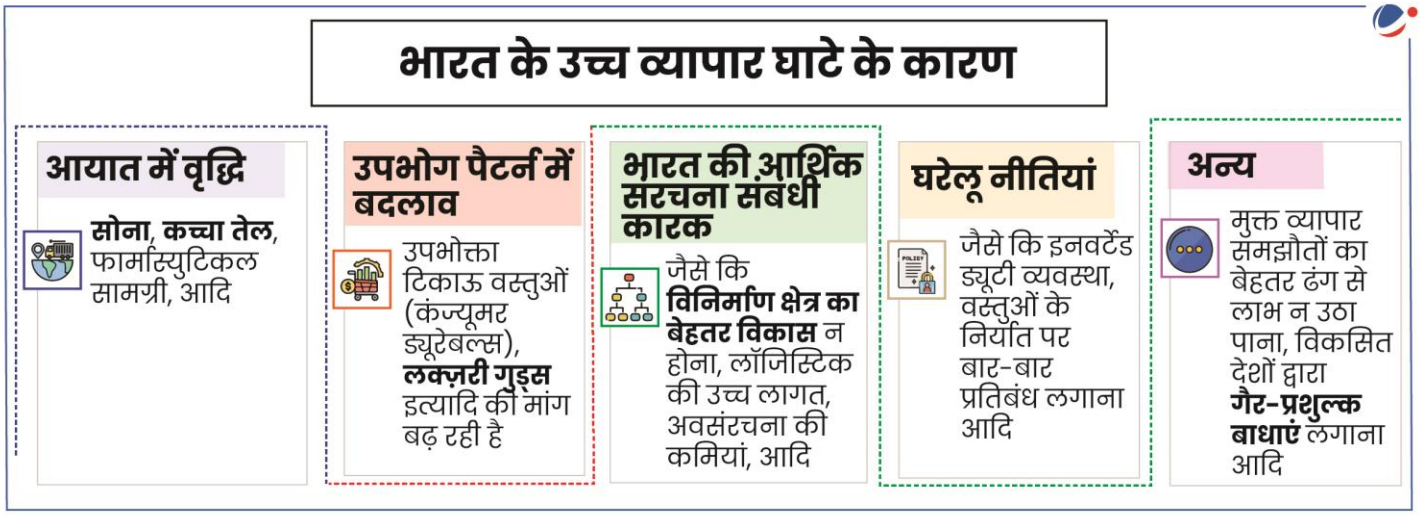


**उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव**

- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - अतिरिक्त आयात के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के कारण **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी** आती है। इससे **घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास (Depreciation) की चिंता बनी रहती** है।

- **चालू खाता घाटे में वृद्धि** होती है। यह देश की क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिसकी वजह से उच्च ब्याज दर पर उधार मिल पाता है।

- **सकारात्मक प्रभाव:**
  - उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक विकल्प मिलने का संकेत भी होता है। इसके अलावा यदि घाटा की वजह पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है, तो इससे **घरेलू निवेश** में वृद्धि होती है।

**निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल**

- **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट (RODTEP)[33] योजना:** यह **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई है। इसे निर्यातित उत्पादों पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर वसूले गए करों, ड्यूटीज, एवं लेवी को वापस करने के लिए शुरू किया गया है।
  - RoDTEP योजना ने **भारत से पण्य निर्यात योजना (MIS)[34]** का स्थान लिया है।
- **ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म:** इसे **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** ने शुरू किया है। यह **भारतीय निर्यातकों, विशेषकर MSMEs को व्यापार से संबंधित जानकारी रियल टाइम में** प्रदान करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने वाली एक सिंगल विंडो पहल है।
  - इसे **MSME मंत्रालय, एक्जिम बैंक, वित्तीय सेवा विभाग और विदेश मंत्रालय** के सहयोग से विकसित किया गया है।
- **भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT)[35]:** यह **विदेशी व्यापार** पर केंद्रित **भारत का अग्रणी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान** है। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए एक अग्रणी शैक्षणिक केंद्र के रूप में जाना जाता है।
  - इसे 1963 में **वाणिज्य मंत्रालय** के तहत एक **स्वायत्त संस्थान** के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 2002 में **"डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी"** का दर्जा दिया गया।

## 4.2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, **वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 44.42 बिलियन डॉलर का FDI हुआ था।** यह **वित्त वर्ष 2022-23 में हुए 46.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से 3.49% कम है।**

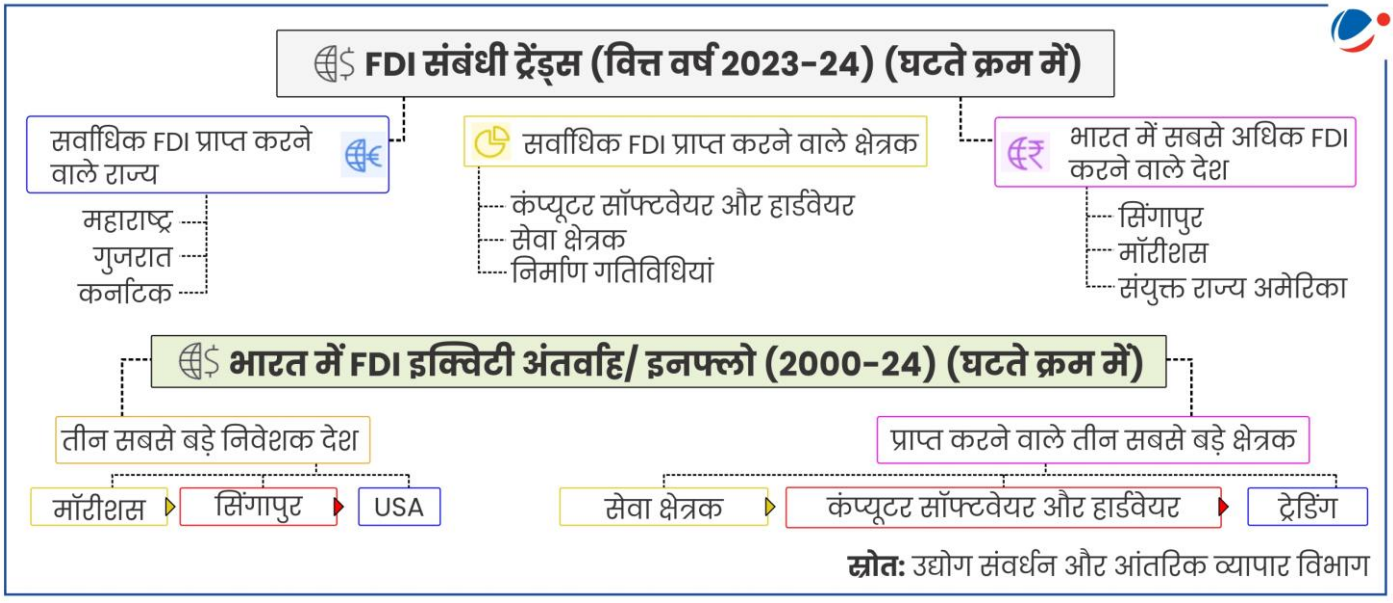


[33] Remission of Duties and Taxes on Exported Products

[34] Merchandise Exports from India scheme

[35] Indian Institute of Foreign Trade

**FDI के बारे में**

- **DPIIT भारत में FDI नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग** है।
- भारत में FDI को अनुमति **निम्नलिखित दो तरीकों से दी जाती है:**
  - **स्वचालित मार्ग-** इसमें **सरकारी अनुमोदन** की आवश्यकता **नहीं** पड़ती है।
  - **सरकारी मार्ग-** इसमें सरकारी **अनुमोदन आवश्यक** होता है।
- **विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड्स, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स** आदि FDI में शामिल हैं।
  - FDI मुख्य रूप से गैर-ऋण सृजन करने वाला पूंजी प्रवाह है।
- लॉटरी व्यवसाय, जुआ व बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स आदि में **FDI पर प्रतिबंध** है।

## विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के बीच तुलना

| मापदंड | FDI | FPI |
|---|---|---|
| **परिभाषा** | यह एक **देश की किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा** दूसरे देश में स्थित **व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश** है। | FPI का अर्थ है किसी अन्य देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करना, जैसे एक्सचेंज पर सूचीबद्ध स्टॉक या बॉण्ड। |
| **निवेश कहां** | फ़ैक्टरियों, कार्यालयों और अवसंरचना जैसी **भौतिक संपत्तियों** में निवेश। | शेयर/ स्टॉक, बॉण्ड और म्यूचुअल फंड जैसी **वित्तीय परिसंपत्तियों** में निवेश। |
| **नियंत्रण** | यह निवेशक को **प्रबंधन** और **संचालन** पर महत्वपूर्ण **नियंत्रण या प्रभाव** प्रदान करता है। | **कोई नियंत्रण प्रदान नहीं** करता; और निवेशक निष्क्रिय शेयरधारक के रूप में कार्य करते हैं। |
| **जोखिम** | दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों के संपर्क में आने के कारण **उच्च जोखिम** की संभावना। | **जोखिम कम** होता है, क्योंकि निवेश को आसानी से भुनाया या वापस निकाला जा सकता है। |
| **स्थायित्व** | **अधिक स्थिर**, क्योंकि निवेश से निकासी की संभावना कम होती है। | **अत्यधिक अस्थिर**, क्योंकि बाजार में मंदी होने पर तुरंत फंड निकाला जा सकता है। |

**नोट:** यदि किसी भारतीय कंपनी में **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)** निवेश कंपनी की **10% हिस्सेदारी से अधिक** हो जाता है, तो RBI ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को **FDI के रूप में वर्गीकृत** करता है।

## 4.3. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalisation Of Indian Rupee)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

RBI ने **भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने** के लिए **स्पेशल नॉन रेसीडेंट रूपी (SNRR)** और **स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA)** के माध्यम से **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा पोर्टफोलियो निवेश** को सक्षम बनाने पर जोर दिया है।

## SNRR और SRVA क्या हैं?

### स्पेशल नॉन-रेजिडेंट रुपी (SNRR) खाता

- भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसका भारत में व्यावसायिक हित है, **रुपये में वास्तविक (प्रामाणिक) लेन-देन करने के उद्देश्य से SNRR खाता** खोल सकता है।
- आमतौर पर SNRR खातों को **व्यापार, विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)** आदि में निर्धारित लेन-देन के लिए अनुमति दी जाती है।

### स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA)

- वोस्ट्रो खाते **घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते** हैं, जो **घरेलू मुद्रा (भारत के मामले में रुपये में) में खोले जाते हैं।**
- **SRVA मौजूदा वोस्ट्रो प्रणाली में एक अतिरिक्त व्यवस्था** है। यह **मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं का उपयोग** करती है और एक पूरक प्रणाली के रूप में कार्य करती है।
- SRVA खोलने के लिए **RBI की पूर्व मंजूरी आवश्यक** है।

**मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में**

- **परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा** एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे जारी करने वाले देश के अलावा **विदेशों में भी लेन-देन** हेतु और **विदेशी मुद्रा भंडार** के रूप में **आरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता** है। केवल जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी ऐसी मुद्रा का उपयोग लेन-देन के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए- अमेरिकी डॉलर, यूरो आदि।
- **मानदंड:**
  - इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में लेन-देन में व्यापक रूप से उपयोग हो,
  - इसे **आसानी से परिवर्तनीय** होना चाहिए, और
  - देश में एक **स्थिर वित्तीय बाजार** भी होना चाहिए।

## रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

### अस्थिरता में कमी

बाहरी आघातों या संकटों के प्रति रुपये की **अस्थिरता कम** हो जाएगी।

### डॉलर की मांग में कमी

भारत में **डॉलर की मांग** कम होगी और **भारतीय रुपये को मजबूती** मिलेगी।

### व्यवसाय करने की लागत को कम करेगा

**व्यवसाय करने की लागत को कम** करेगा और **प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार** भी करेगा।

### विदेशी मुद्रा भंडार की कम आवश्यकता

भुगतान संतुलन को स्थिर रखने के लिए **अपेक्षाकृत कम विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता** होगी।

**मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित चुनौतियां**

- **स्थिरता संबंधी चिंताएं:** वित्तीय बाजारों के एकीकरण से मुद्रा की अस्थिरता और विदेशी संकटों से प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है; विनिमय दरों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है; मौद्रिक नीति दुविधा या **ट्रिफिन डाइलेमा** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है; आदि।
- **नीतिगत चुनौतियां: मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से ट्रिफिन डाइलेमा** सहित मौद्रिक नीति दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें जिस देश की मुद्रा का **अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ होता है, उस देश को विदेशों में अपनी मुद्रा की मांग और अपनी घरेलू मौद्रिक नीतिगत आवश्यकताओं** के बीच संतुलन बनाने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है।
  - जब कोई देश अपनी घरेलू मौद्रिक नीतियों को संतुलित रखते हुए विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है तो उस स्थिति को **ट्रिफिन डाइलेमा** कहा जाता है।

**रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम**

- **पूंजी खाता परिवर्तनीयता[36]:** भारतीय रुपया **चालू खाते** में पूरी तरह से परिवर्तनीय है लेकिन **पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय** है।
- **विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRAs)[37]:** RBI ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में SVRAs खोलने की अनुमति देकर इन देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया है।
- **कंटीन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट (CLS) का हिस्सा बनना:** CLS विदेशी मुद्रा लेन-देन के निपटान के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। यह **पेमेंट वर्सेस पेमेंट (PvP)** के आधार पर कार्य करती है।
  - वर्तमान में CLS प्रणाली में 18 मुद्राओं में लेन-देन का निपटान किया जाता है।
- **अन्य:** UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण, द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते, **श्रीलंका में भारतीय रुपया एक नामित विदेशी मुद्रा[38] के रूप में**, वैश्विक बॉण्ड बाज़ारों में **रुपए-मूल्य वाले बॉण्ड** जारी करना, जैसे- मसाला बॉण्ड।

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**स्वर्ण-समर्थित मुद्रा (Gold Backed Currenc)**

- हाल ही में, **जिम्बाब्वे ने ZiG/ जिग** नामक स्वर्ण-समर्थित मुद्रा जारी की है।
- **स्वर्ण समर्थित मुद्रा के बारे में:**
  - **स्वर्ण समर्थित मुद्रा का निश्चित मूल्य** सीधे स्वर्ण से जुड़ा होता है और स्वर्ण में परिवर्तनीय होता है।
    - इसके तहत **मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध स्वर्ण भंडार द्वारा सीमित** होती है।
  - इसका अपना **अंतर्निहित मूल्य** होता है। यह लंबे समय तक स्थिरता की क्षमता से युक्त होता है।
- **फिएट करेंसी के बारे में:**
  - **फिएट करेंसी में अंतर्निहित मूल्य का अभाव** होता है। इसे सरकार द्वारा **वैध मुद्रा अर्थात लीगल टेंडर** के रूप में जारी किया जाता है।
  - इसका **मूल्य आपूर्ति और मांग से निर्धारित** होता है। यह किसी भी **भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं** होता है।
  - यह केंद्रीय बैंकों को **आवश्यक मुद्रा छापने के लिए अधिक नियंत्रण** प्रदान करती है।

## 4.4. ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर **"संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन"** के रूप में जाना जाता है। यह सम्मेलन **1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर प्रांत के ब्रेटन वुड्स** में आयोजित किया गया था।

**ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में**

- **उद्देश्य:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की **अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली** के लिए नए नियमों पर सहमति बनाना।
  - इस सम्मेलन में **44 देशों के प्रतिनिधियों ने** भाग लिया था।
- **सम्मेलन के मुख्य परिणाम:**
  - **ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का गठन:** इस सम्मेलन से **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** तथा **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)** का उदय हुआ था।
    - **IBRD को अब विश्व बैंक (WB)** के रूप में जाना जाता है।
  - **निश्चित विनिमय दर व्यवस्था का शुभारंभ:** प्रत्येक सदस्य देश को **सोने या अमेरिकी डॉलर** के आधार पर **अपनी मुद्रा का एक निश्चित मूल्य** निर्धारित करना था।

[36]Capital Account Convertibility

[37] Special Vostro Rupee Accounts

[38]Designated Foreign Currency

- हालांकि, 1971 और 1973 के डॉलर विनिमय संकट के बाद, **स्थिर विनिमय दर की जगह विदेशी मुद्रा बाजार आधारित विनिमय दरों को बढ़ावा** दिया गया।
- 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित** कर दिया था।

○ **मुक्त व्यापार को बढ़ावा:** ब्रेटन वुड्स संस्थाओं को मुक्त व्यापार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है।

## 4.4.1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund: IMF)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

IMF बोर्ड ने मिस्र के लिए **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF)** के अंतर्गत एक्सटेंडेड अरेंजमेंट की समीक्षा पूरी कर ली है।

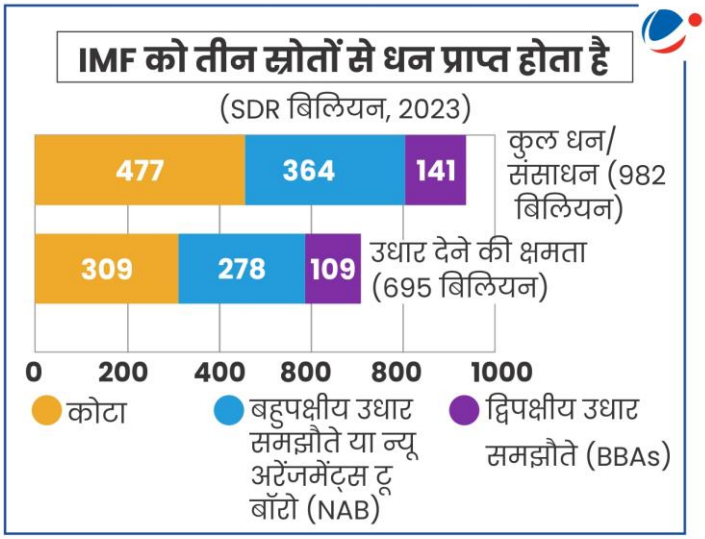


**एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के बारे में**

- EFF सहायता तब दी जाती है, जब कोई देश **अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों या धीमी वृद्धि के कारण मध्यम-अवधि में भुगतान संतुलन (BoP) की गंभीर समस्याओं का सामना** कर रहा होता है, जिनके समाधान में कुछ समय लग सकता है।
  - EFF एक विस्तारित अवधि में देश की **संरचनात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक नीतियों पर ध्यान देने वाले व्यापक कार्यक्रमों का समर्थन** करता है।
- **बाहरी वित्त-पोषण** की वास्तविक या संभावित **आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्य देश इसके तहत सहायता पाने के लिए पात्र** हैं।

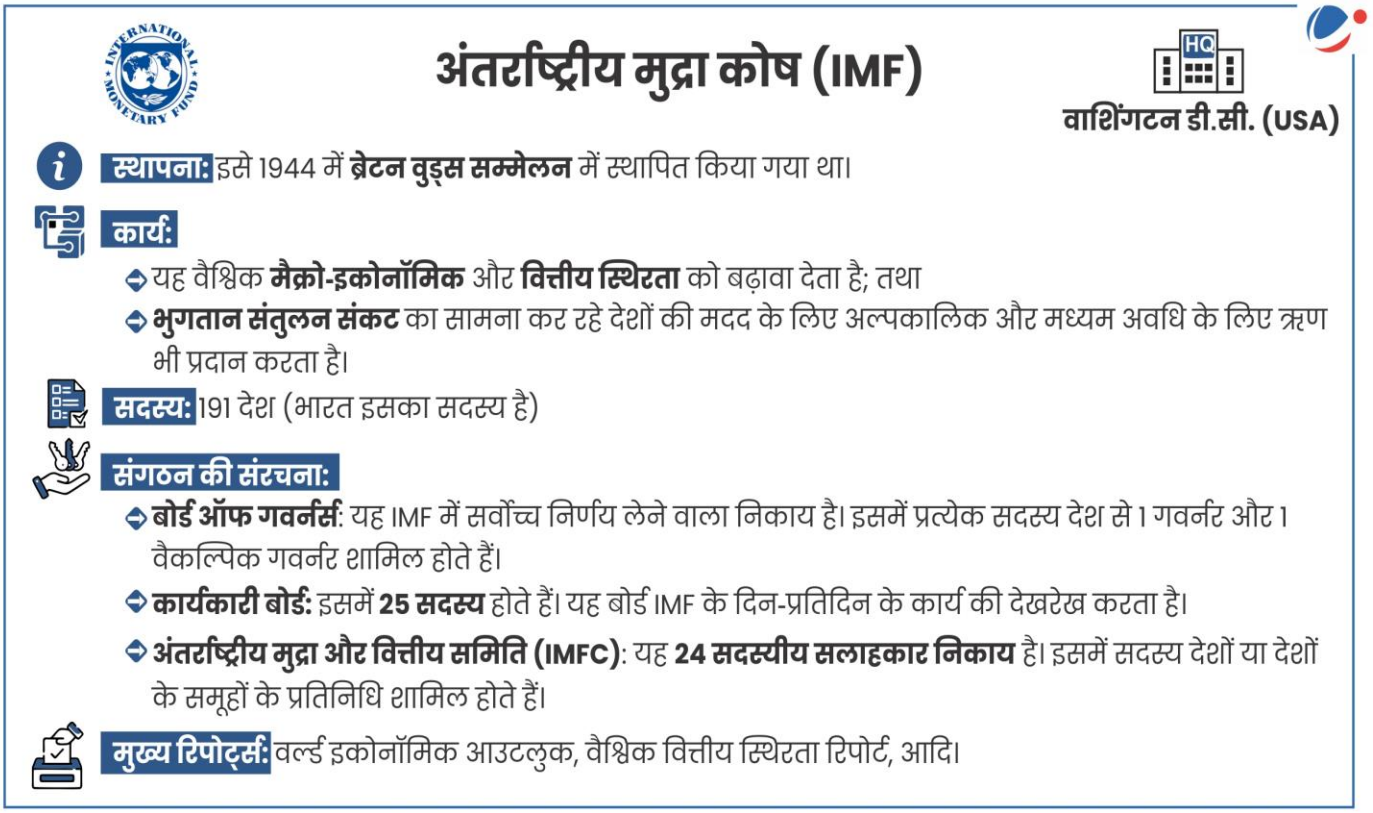

**IMF ऋण के बारे में**

- IMF आर्थिक संकट का सामना करने वाले देशों को **वित्तीय सहायता** प्रदान करता है, ताकि वे **आर्थिक स्थिरता** और **संवृद्धि** को बहाल करने वाली नीतियों को लागू कर सकें।
  - विकास बैंकों के विपरीत, IMF **विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण नहीं देता** है।
- **IMF के वित्तीय साधनों के प्रकार:**
  - **जनरल रिसोर्स एकाउंट (GRA):** इसके तहत IMF द्वारा सदस्य देशों को **गैर-रियायती शर्तों (बाजार आधारित ब्याज दर पर)** ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - **पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट (PRGT):** इसके तहत **रियायती वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है (वर्तमान में **शून्य ब्याज दरों** पर)। यह निम्न आय वाले देशों (LICs) की विविधता और जरूरतों के अनुरूप होती है।
  - **रेसिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट (RST):** यह कम आय वाले देशों और संकट का सामना करने वाले मध्य-आय देशों को विदेशी संकटों की चुनौतियों से निपटने के लिए कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक फंडिंग प्रदान करता है।
- **"गोल्ड ट्रेंच" (रिजर्व ट्रेंच) IMF द्वारा अपने सदस्यों को दी गई ऋण प्रणाली** को कहा जाता है।

## 4.4.2. विश्व बैंक (World Bank)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

व्यवसाय के लिए **"विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म (WBG-GP)"** का संचालन शुरू हो गया है।

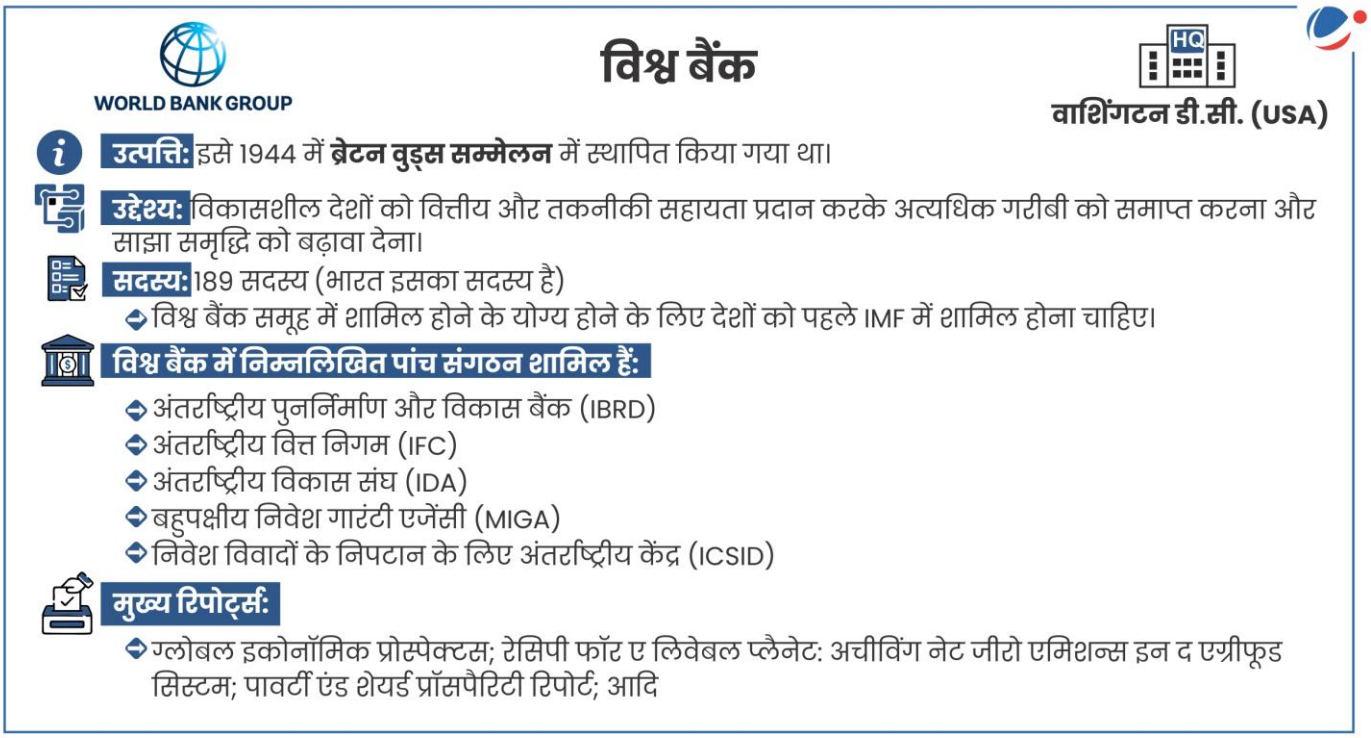


**विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म (WBG-GP) क्या है?**

- **परिचय:** विश्व बैंक समूह गारंटी वर्ष 2024 में शुरू की गई थी। यह विश्व बैंक समूह के सभी गारंटी प्रदाता संस्थानों के **सभी गारंटी उत्पादों और विशेषज्ञों को "बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)"** से जोड़ती है।
- **लक्ष्य: 2030 तक 20 बिलियन डॉलर की WBG वार्षिक गारंटी** जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **विश्व बैंक गारंटी:** यह **निजी ऋणदाताओं को बुनियादी ढांचे के वित्त-पोषण** के लिए प्रदान की जाती है। बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्टर ऐसा क्षेत्र है, जहां **ऋण की अधिक जरूरत** होती है; **राजनीतिक और संप्रभु जोखिम** अधिक होते हैं; तथा किसी परियोजना को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने हेतु **लंबे समय के लिए ऋण जरुरी** होता है।

- **यह प्लेटफॉर्म निम्नलिखित तीन प्रकार के कवरेज प्रदान करता है:**
  - सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक को ऋण के लिए **क्रेडिट गारंटी;**
  - **व्यापार वित्त गारंटी;**
  - **निजी क्षेत्रक की परियोजनाओं या सार्वजनिक-निजी भागीदारी** के लिए **गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ राजनीतिक जोखिम बीमा।**

## विश्व बैंक समूह

**अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD):** यह मध्यम-आय और ऋण-योग्य निम्न-आय वाले देशों को उधार देता है।

**इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA):** यह सबसे गरीब देशों को रियायती या ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान देता है।

**अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC):** यह सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है।

**बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA):** विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यह राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि की सुविधा प्रदान करता है।

**निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID):** यह सरकारों और विदेशी निवेशकों के बीच निवेश संबंधी विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और सुलह सेवाएं प्रदान करता है।

**नोट:** **IBRD एवं IDA मिलकर विश्व बैंक** का निर्माण करते हैं और **विश्व बैंक समूह** में ये सभी पाँच संस्थान शामिल हैं। भारत ICSID को छोड़कर शेष सभी चारों संस्थानों का सदस्य है।

## 4.5. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

2024 में WTO-मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई।

**मराकेश समझौते के बारे में**

- **उरुग्वे दौर** की वार्ता की समाप्ति के बाद **1994 में 123 देशों ने मराकेश (मोरक्को) में "मराकेश समझौते"** पर हस्ताक्षर किए थे।
- **परिणाम:**
  - इस समझौते से ही **1995** में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में **WTO की स्थापना** हुई थी। WTO ने **"प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT)"** की जगह ली है।
  - यह **WTO के सभी सदस्यों के बीच व्यापारिक संबंधों के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क** के रूप में कार्य करता है।
  - इसने **व्यापार के दायरे का विस्तार** किया है तथा इसमें **"वस्तुओं"** के साथ-साथ **सेवाओं, बौद्धिक संपदा और अन्य क्षेत्रक संबंधी व्यापार को भी शामिल** किया गया है।
  - इसने **आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली** की स्थापना की है। इससे सदस्यों के बीच **वार्ता, विवाद निपटान और आर्थिक सहयोग** को बढ़ावा मिला है।

### विश्व व्यापार संगठन (WTO) से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम

| प्रमुख घटनाक्रम | विवरण |
|---|---|
| **कृषि निर्यात पर विश्व व्यापार सांख्यिकी, 2023 (World Trade Statistics 2023 on Agriculture Export)** | ▶ WTO ने **"कृषि निर्यात पर विश्व व्यापार सांख्यिकी, 2023"** रिपोर्ट जारी की।<br>▶ **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**<br>o **पांच सबसे बड़े निर्यातक हैं:** यूरोपीय संघ› संयुक्त राज्य अमेरिका› ब्राजील› चीन› कनाडा<br>o 2023 में **वैश्विक निर्यात में सामूहिक रूप से दस सबसे बड़े निर्यातकों की हिस्सेदारी 71.9%** थी।<br>o **भारत 8वां सबसे बड़ा निर्यातक था।**<br>▫ 2023 में **भारत का कृषि निर्यात 51 बिलियन** डॉलर का था। कुल **वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.24% थी।** |
| **एड-फॉर-ट्रेड पहल** | ▶ WTO ने **"एड फॉर ट्रेड इन एक्शन: सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें **एड-फॉर-ट्रेड पहल का विश्लेषण** किया गया है।<br>▶ **एड-फॉर-ट्रेड पहल के बारे में**<br>o **उत्पत्ति:** WTO के नेतृत्व में इसका विकास **2005 के WTO हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** से हुआ है।<br>o **उद्देश्य:** विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को **विश्व व्यापार में एकीकृत करने में मदद** करना। इन अर्थव्यवस्थाओं में **आपूर्ति-पक्ष क्षमता की कमियों और व्यापार-संबंधी अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त विकास सहायता** जुटाई गई है।<br>o **लक्ष्य:** यह पहल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और अल्प-विकसित देशों द्वारा पहचानी गई **व्यापार-संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास** करती है। |
| **एंटी-डंपिंग ड्यूटी** | ▶ भारत ने घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए **चीन से आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी** लगाने हेतु जांच शुरू की है।<br>▶ डंपिंग **WTO के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार** माना जाता है। यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत** करता है यानी उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।<br>o डंपिंग तब होती है, जब कोई देश **किसी वस्तु को अपने घरेलू बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किसी अन्य देश को निर्यात** करता है।<br>▶ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए **WTO एंटी-डंपिंग समझौते के तहत एंटी-डंपिंग उपाय करने की अनुमति** दी गई है। |
| **'विश्व टैरिफ प्रोफाइल' रिपोर्ट, 2024** | ▶ WHO की **'विश्व टैरिफ प्रोफाइल' रिपोर्ट, 2024** के अनुसार 2023 में **भारत गैर-प्रशुल्क उपायों का उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश** था।<br>▶ **गैर-प्रशुल्क उपायों (NTM) के बारे में:**<br>o ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश द्वारा सामान्य सीमा शुल्क लगाने के अलावा अन्य नीतिगत उपाय या कार्रवाई हैं। ये उपाय व्यापारिक वस्तुओं की मात्रा या कीमत या दोनों में बदलाव लाकर वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं।<br>o **गैर-प्रशुल्क उपायों के उदाहरण:** आयात या निर्यात के लिए वस्तुओं का कोटा तय कर देना या अधिकतम या न्यूनतम कीमत निर्धारित कर देना; सैनिटरी या फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं उत्पन्न करना, आदि।<br>o हालांकि कई **गैर-प्रशुल्क उपायों** का उद्देश्य मुख्य रूप से लोक स्वास्थ्य या पर्यावरण की रक्षा करना होता है, लेकिन कई उपाय सूचना, नियमों के अनुपालन और प्रक्रियाओं के पालन की लागतों को बढ़ाकर व्यापार को भी बाधित करते हैं। |

## 4.5.1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (Agriculture and Food Security)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का **13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** संयुक्त अरब अमीरात के **अबू धाबी** में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में **पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH)** से जुड़े मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया।

**पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग नीति के बारे में**

- **उद्देश्य:** पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)[39] पर अनाज खरीदती है। भारत सरकार भी, पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत MSP पर किसानों से अनाज खरीदती है, उनका भंडारण करती है तथा गरीबों को सब्सिडी आधारित मूल्य पर **उचित मूल्य की दुकानों** के जरिए वितरित करती है।
- **डी मिनिमिस (De Minimis) सीमाएं:** विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, किसी देश का कुल सब्सिडी बिल, उस देश के फसल उत्पादन के मूल्य से **विकासशील देशों के मामले में 10%** और **विकसित देशों के मामले में 5%** से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - वर्तमान में, **इसकी गणना 1986-88 के संदर्भ मूल्य (Reference price) के आधार पर की जाती है।**

**पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग पर देशों के बीच मतभेद**

- **विकासशील देश:** भारत और कई अन्य विकासशील देश सब्सिडी की **डी मिनिमिस** सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, वे सरकारी खरीद के लिए किसानों को दी जाने वाली **मूल्य समर्थन सब्सिडी** की गणना के लिए **फॉर्मूले में बदलाव की मांग** कर रहे हैं।
- **विकसित देश:** अधिकांश विकसित देशों का मानना है कि पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की व्यवस्था बाजार को विकृत करती है। ये देश कृषि वस्तुओं के निर्यात पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के खिलाफ हैं।

**कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA) के बारे में**

- **उरुग्वे दौर** में इस पर समझौता हुआ था और **1994 में मराकेश (मोरक्को) में इसकी अभिपुष्टि** की गई थी।
- इसमें **कृषि और व्यापार नीति के निम्नलिखित तीन व्यापक क्षेत्रों से जुड़े प्रावधान** शामिल हैं:
  - **बाजार पहुंच:** इसमें **टैरिफिकेशन, प्रशुल्क में कमी और बाजार पहुंच के अवसर** शामिल हैं।
    - **टैरिफिकेशन** का अर्थ है कि **कोटा व अलग-अलग शुल्क जैसी सभी गैर-प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करके एक समान प्रशुल्क लागू** किया जाना चाहिए।
  - **घरेलू पहुंच (Domestic Access):** इसका संबंध उन सब्सिडी और अन्य सहायता कार्यक्रमों से है, जो सीधे उत्पादन को प्रभावित करते हैं तथा व्यापार को विकृत करते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत प्रदान की जाने वाली **सब्सिडी के प्रकार के आधार पर अलग-अलग प्रकार के बॉक्स हैं** (बॉक्स देखिए)।
  - **निर्यात सब्सिडी:** यह ऐसे तरीकों से संबंधित है, जो **निर्यात को कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्धी** बनाते हैं।
    - **WTO के नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2015) में लिए गए निर्णय** के अनुसार **विकसित और विकासशील सदस्य देशों ने कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त** कर दी है।

[39] Minimum Support Price

**पीस क्लॉज और भारत का रुख**

- **पीस क्लॉज: बाली (इंडोनेशिया)** में आयोजित **नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC9)** में WTO ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के अंतरिम समाधान के रूप में "पीस क्लॉज" का प्रावधान किया था।
- **भारत की मांग:** भारत पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की समस्या का **स्थायी समाधान** चाहता है।
  - स्थायी समाधान के रूप में, भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए **फॉर्मूले में बदलाव** करने जैसे उपाय सुझाए हैं।

## 4.5.2. WTO-मात्स्यिकी सब्सिडी समझौता (जेनेवा पैकेज) {WTO Agreement On Fisheries Subsidies (Geneva Package)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

WTO का **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** मात्स्यिकी सब्सिडी पर अंकुश लगाने वाले किसी स्थायी समाधान पर पहुंचे बिना ही संपन्न हो गया।

**फिशरीज़/ मात्स्यिकी सब्सिडी पर WTO समझौता (जेनेवा पैकेज)**

- **जिनेवा पैकेज:** इस समझौते को 2022 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में **'जिनेवा पैकेज'** नाम से अपनाया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उन हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाना है जिन्हें दुनिया भर में मत्स्य स्टॉक में हुई व्यापक कमी का प्रमुख कारक माना जा रहा है।
- **विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)[40]:** S&DT के तहत, विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों **(LDCs)[41]** को इस समझौते के लागू होने की तारीख से नई व्यवस्था को अपनाने के लिए 2 साल का समय दिया गया है।
- **अभी तक स्वीकृति नहीं:** इस समझौते के लागू होने के लिए WTO के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। मार्च, 2024 तक इसे अभी भी **39 देशों से स्वीकृति नहीं** मिली थी।
  - **भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है।**

**भारत की मांगें**

- **PPP और CBDR-RC:** भारत का कहना है कि जिन देशों ने अतीत में भारी मात्स्यिकी सब्सिडी दी है और जो मत्स्य स्टॉक में कमी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें **'प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत (PPP)[42]'** तथा **'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC)[43]'** के आधार पर सब्सिडी को कम करने का अधिक दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।
- **अपने जलक्षेत्र से अधिक दूर के जलक्षेत्र में मत्स्यन में शामिल देशों पर रोक:** भारत ने सदस्य देशों से आग्रह किया है कि उन्हें अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)[44] से बाहर अधिक दूर के जल क्षेत्र में मत्स्यन या मात्स्यिकी गतिविधियों में शामिल देशों द्वारा मात्स्यिकी पर दी जा रही सब्सिडी पर कम-से-कम 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
- **विकासशील देशों और लघु अर्थव्यवस्थाओं को छूट:** इन देशों को अपने मात्स्यिकी क्षेत्रक को सब्सिडी प्रदान करने की छूट दी जानी चाहिए।

## 4.5.3. ट्रिप्स समझौता (TRIPS Agreement)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने **"ट्रिप्स (TRIPS)" समझौते की 30वीं वर्षगांठ** मनाई।

**ट्रिप्स समझौता**

- **पूरा नाम-** बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) पर समझौता।

[40] Special and Differential Treatment

[41] Least Developed Countries

[42] Polluter pay principle

[43] Common but differentiated responsibilities and respective capabilities

[44] Exclusive Economic Zone

- ट्रिप्स समझौता **"प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT)" के उरुग्वे दौर** की वार्ताओं के साथ विकसित हुआ था। गौरतलब है कि **1995 में, GATT की जगह WTO की स्थापना** की गई थी।
  - ट्रिप्स को **मराकेश समझौते** के मुख्य अनुबंधों में शामिल किया गया था। **मराकेश समझौते से ही WTO की स्थापना** हुई थी।
  - ट्रिप्स समझौता **1 जनवरी, 1995** को लागू हुआ था।
- **ट्रिप्स की मुख्य विशेषताएं:**
  - **ट्रिप्स के बारे में**: यह **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता** है।
- **IPR** वास्तव में क्रिएटर (सर्जक) को एक निश्चित अवधि के लिए उसके आविष्कार; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; डिजाइन जैसी **मूल कृतियों के उपयोग पर अनन्य (एक्सक्लूसिव) अधिकार** प्रदान करता है।
  - **मानक:** यह प्रत्येक सदस्य देश द्वारा **IPR धारकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के न्यूनतम मानक** निर्धारित करता है।
    - इसमें **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के पेरिस और बर्न अभिसमयों** के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
  - **कवरेज:** ट्रिप्स के तहत **कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक (GI), औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, एकीकृत सर्किट के लेआउट-डिजाइन** जैसे IPRs शामिल किए गए हैं।
  - **विवाद निपटान:** ट्रिप्स के दायित्वों के पालन से संबंधित कोई भी विवाद **WTO की विवाद निपटान प्रक्रियाओं के तहत सुलझाए** जाते हैं।
    - विवादों के समाधान हेतु **"काउंसिल फॉर ट्रिप्स"** के लिए भी प्रावधान किया गया है। इस मंच पर WTO के सदस्य देश समझौते से संबंधित अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
  - **अनिवार्य लाइसेंसिंग:** ट्रिप्स के तहत कुछ परिस्थितियों में पेटेंट धारक की सहमति के बिना **पेटेंट प्राप्त उत्पाद का उत्पादन करने या पेटेंट प्राप्त उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया अपनाने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति** दी गई है।
    - इससे **विकासशील और अल्प-विकसित देशों को किफायती उत्पाद** की आपूर्ति में मदद मिली है।

**ट्रिप्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य**

- भारत **1995** में ट्रिप्स समझौते में शामिल हुआ था।
  - ट्रिप्स समझौते को लागू करने हेतु **पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन** किए गए थे। इसका एक उदाहरण **पेटेंट (संशोधन अधिनियम) 2005** है।
- **ट्रिप्स समझौते पर दोहा घोषणा-पत्र:** इस घोषणा-पत्र ने पुष्टि की कि ट्रिप्स समझौता WTO के सदस्यों को **लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय** करने से नहीं रोकता है। साथ ही, यह समझौता सदस्य देशों को इस उद्देश्य के लिए उन्मुक्ति संबंधी प्रावधानों को लागू करने से भी नहीं रोकता है।

# 5. संवृद्धि और विकास (Growth and Development)

## 5.1. सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation: GFCF)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में **निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) की धीमी संवृद्धि** भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

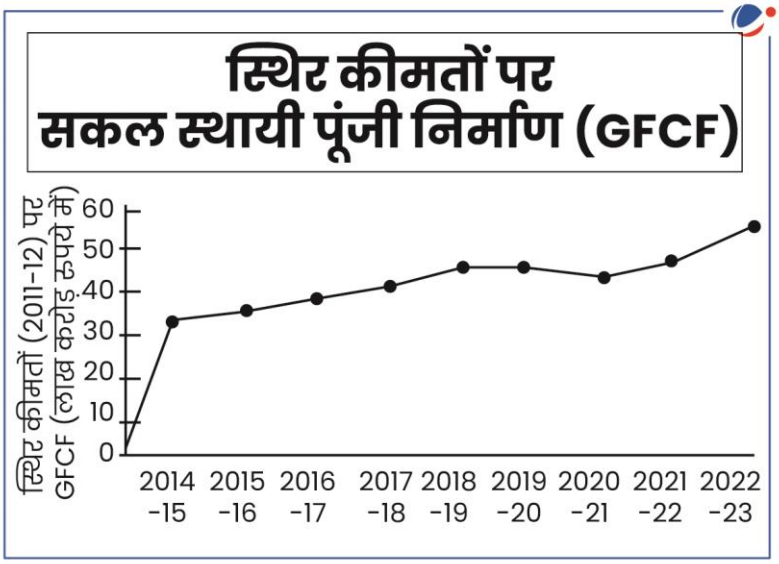


**GFCF (यानी निवेश) का विकास**

- **भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक,** देश में निवेश GDP के **10% के आसपास** रहा है।
- यह निवेश 1980 के दशक में GDP के **लगभग 10%** के आस-पास था, जो **बढ़कर 2007-08 में लगभग 27%** हो गया।
- हालांकि, **2011-12 के बाद से, निजी निवेश में गिरावट शुरू हो गई** और यह **2020-21** में GDP के **19.6% के निचले स्तर पर पहुंच गया।** अब यह फिर से बढ़ना शुरू हो गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- उच्च बचत दर वाली अर्थव्यवस्था में भी, कई बार पूंजी निर्माण से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है। इसका कारण यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता है, जिससे **पूंजी-उत्पाद अनुपात बढ़ जाता है।**

**सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) क्या है?**

- किसी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों में सकल जोड़ या वृद्धि को **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF)** कहा जाता है।
  - **पूंजी निर्माण (Capital Formation: CF):** संयंत्रों, उपकरण, मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश की प्रक्रिया को **पूंजी निर्माण** कहा जाता है।
- वर्तमान में सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करने के लिए **आधार वर्ष '1999-2000' है।**

| GFCF में शामिल हैं | GFCF में शामिल 'नहीं' हैं |
|---|---|
| • **भूमि सुधार** (जैसे- समतलीकरण, बाड़ लगाना, जल निकासी, आदि)।<br>• **संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों** की खरीद।<br>• **अवसंरचना विकास** (जैसे- सड़कें, पुल, रेलवे आदि)।<br>• **बार-बार उपयोग किए जाने वाले पशुधन में वृद्धि,** जैसे- डेयरी मवेशी, भेड़ आदि।<br>• **बड़े पैमाने पर मरम्मत और रखरखाव के कार्य** जो परिसंपत्तियों के अधिक समय के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी बनाते हैं।<br>• **अमूर्त परिसंपत्तियां,** जैसे- सॉफ़्टवेयर या मूल कलात्मक कार्य। | • **मध्यवर्ती उपभोग** के लिए निर्धारित लेन-देन।<br>  ○ उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा इनपुट के रूप में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को **मध्यवर्ती उपभोग** कहा जाता है।<br>• **घरेलू अंतिम उपभोग व्यय** के लिए **मशीनरी और उपकरण।**<br>• **प्राकृतिक आपदाओं** (जैसे- बाढ़, जंगल की आग, आदि) के **कारण होने वाले नुकसान।** |

**निजी GFCF और सार्वजनिक GFCF**

- **निजी निवेश: GFCF को निवेश** भी कहा जाता है। इसमें **निजी और सार्वजनिक, दोनों तरह के निवेश** शामिल होते हैं। **निजी क्षेत्रक द्वारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण को निजी निवेश** कहा जाता है।

- **सार्वजनिक निवेश (Public investment):** सार्वजनिक निवेश से आशय आमतौर पर सरकार द्वारा **सकल स्थायी पूंजी निर्माण** से है। इसमें केंद्र सरकार या स्थानीय सरकारों या सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों या निगमों के निवेश शामिल हैं।
  - इसमें **परिवहन, दूरसंचार, भवन** जैसी अवसंरचनाओं में **भौतिक या मूर्त निवेश** शामिल है। व्यापक अर्थ में इसमें **शिक्षा, कौशल और ज्ञान में मानव पूंजी या अमूर्त निवेश** भी शामिल हो सकता है।
  - सार्वजनिक निवेश बढ़ने से **क्राउडिंग आउट** की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे **निजी निवेश कम हो जाता** है।
    - 'क्राउडिंग आउट' वह स्थिति है, जहां सरकार आम जनता पर कर का भार बढ़ाकर एवं **बाजार से अधिक उधार लेकर सरकारी खर्च में वृद्धि** करती है। इस वजह से निजी क्षेत्रक की आय और उनके द्वारा **ऋण की मांग (ब्याज दरों में वृद्धि के कारण) कम** हो जाती है।

**सकल पूंजी निर्माण (GCF) और निवल पूंजी निर्माण क्या है?**

- **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) में GFCF सहित निम्नलिखित शामिल होते हैं-**
  - **कच्चे माल, अर्द्ध-तैयार और तैयार उत्पाद के स्टॉक (CIS) में परिवर्तन:** उत्पादन या बिक्री में अस्थायी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए कंपनियों द्वारा रखे गए उत्पाद के स्टॉक।
  - **कीमती वस्तुओं की निवल खरीदारी:** जैसे- सोना, रत्न, आभूषण और कीमती पत्थर आदि।
- **निवल पूंजी निर्माण (NCF)[45],** GFCF से इस मायने में अलग है कि NCF का मापन करते समय **मूल्यह्रास, अनुपयोगी परिसंपत्ति** और **स्थायी पूंजी की आकस्मिक क्षति को समायोजित** किया जाता है।

## 5.2. मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 {Human Development Report (HDR) 2023-2024}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने **मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024** जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है: **"ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड[46]"।**

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस रिपोर्ट में **लोकतंत्र में विरोधाभास (डेमोक्रेसी पैराडॉक्स) की प्रवृत्ति में वृद्धि** पर प्रकाश डाला गया है।
  - डेमोक्रेसी पैराडॉक्स का तात्पर्य **लोकतंत्र के लिए अटूट समर्थन के साथ-साथ उन नेताओं के लिए भी बढ़ते समर्थन से है, जो लोकतंत्र को कमजोर** कर सकते हैं।

**HDR 2023-2024 में भारत की स्थिति**

- **HDI स्कोर:** भारत का स्कोर 2021 के 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गया। इस तरह 2022 में HDI के सभी घटकों में सुधार दर्ज किया गया था।
- **HDI रैंक:** भारत की HDI रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2021 में भारत 135वें स्थान पर था, जो सुधरकर 2022 में 134वां हो गया। वहीं 2018 में भारत 130वें स्थान पर था।
  - **पड़ोसी देशों के साथ तुलना:** भारत की रैंकिंग चीन (75), श्रीलंका (78), मालदीव (87), भूटान (125) और बांग्लादेश (129) से भी नीचे है।
    - भारत की रैंकिंग म्यांमार (144), नेपाल (146), पाकिस्तान (164) और अफगानिस्तान (182) से बेहतर है।
- **श्रेणी:** भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया है।

[45] Net Capital Formation

[46] Breaking the Gridlock: Reimagining cooperation in a polarised world

### HDR के बारे में

- **जारी करने वाली संस्था:** UNDP द्वारा इस रिपोर्ट को 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
- **उद्देश्य:** मानव विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख वैश्विक चुनौतियों की जांच-पड़ताल करना और उनके बारे में सिफारिशें करना।
- **मानव विकास सूचकांक (HDI)[47]:** पाकिस्तानी अर्थशास्त्री **महबूब उल-हक** द्वारा विकसित। यह 1990 से लगातार प्रकाशित हो रहा है। यह सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का प्रमुख आधार है।

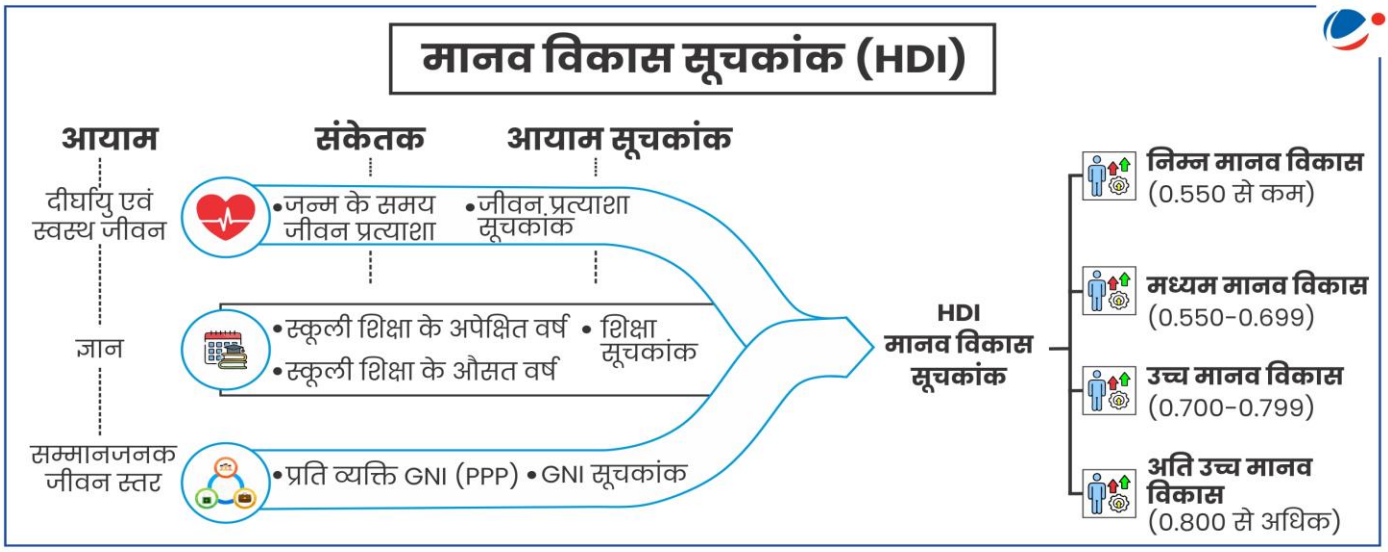


### मानव विकास का मापन करने वाले अन्य प्रमुख सूचकांक

| सूचकांक | मापन | भारत का प्रदर्शन |
|---|---|---|
| **लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index: GII)** | • GII 3 प्रमुख आयामों के आधार पर लैंगिक असमानताओं का मापन करता है। ये आयाम हैं- **जनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण** और **श्रम बाजार।** | • भारत 2022 में **108वें स्थान पर** पहुंच गया, जबकि 2021 में **122वें स्थान** पर था। |
| **लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index: GDI)** | • GDI **लैंगिक आधार पर HDI में असमानताओं** को मापता है। | • भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच HDI संबंधी उपलब्धियों में समानता का स्तर कम है। **HDI उपलब्धियों के मामले पुरुष, महिलाओं से 10 प्रतिशत बेहतर स्थिति में हैं।** |
| **असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Inequality-adjusted Human Development Index: IHDI)** | • IHDI में असमानता से संबंधित दो मापन शामिल हैं- **IHDI और असमानता के कारण HDI में समग्र हानि।** | • IDHI में **भारत की रैंकिंग 140वीं है। रैंकिंग में 6 स्थानों की गिरावट** दर्ज की गई है। |
| **ग्रहीय दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Planetary pressures-adjusted Human Development Index: PHDI)** | • यह एंथ्रोपोसीन युग (मानवजनित गतिविधियों) में पृथ्वी पर दबाव को **HDI के साथ समायोजित करता है।** ऐसा दो पीढ़ियों के बीच असमानता से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है। | • **भारत 127वें स्थान पर है। भारत के PHDI और** HDI स्कोर में **3 प्रतिशत का अंतर है।** |

[47] Human Development Index

## 5.3. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक {Global Multidimensional Poverty Index (MPI)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** और **ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI)** ने संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) रिपोर्ट, 2024 जारी की है।

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- 112 देशों में, 1.1 बिलियन लोग यानी **विश्व की लगभग 18% आबादी गंभीर बहुआयामी गरीबी** में जीवन यापन कर रही है।
- भारत में **234 मिलियन (23.4 करोड़) लोग चरम गरीबी (Extreme poverty)** में जीवन जी रहे हैं, जो **विश्व में सर्वाधिक है।**

**पॉलीक्राइसिस**

- विश्व बैंक की **'पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी, एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024: पाथवेज आउट ऑफ द पॉलीक्राइसिस' रिपोर्ट के अनुसार** पॉलीक्राइसिस अथवा 'बहुसंकट' की वजह से पिछले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक गरीबी में कमी की गति और वैश्विक समृद्धि अंतर लगभग स्थिर हो गई है।
  - **पॉलीक्राइसिस** एक ऐसी स्थिति है, जहां **धीमी आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक संकटों में बढ़ोतरी, जलवायु जोखिम और अधिक अनिश्चितता जैसे कई संकट एक ही समय में एक साथ** पैदा हो जाते हैं। इसके चलते, राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को लागू करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुश्किल हो जाता है।
  - **समृद्धि अंतर (Prosperity Gap):** विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया समृद्धि अंतर यह दर्शाता है कि विश्व की आबादी को एक दिन में 25 डॉलर की न्यूनतम आय (समृद्धि का बुनियादी स्तर) तक पहुंचाने के लिए कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।

**बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के बारे में**

- यह **गरीबी को मापने की एक विधि** है। इसमें **शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन-स्तर** जैसे क्षेत्रों में गरीब लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले **कई प्रकार के अभावों के स्तर** को मापा जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- यदि कोई व्यक्ति **1/3 या उससे अधिक (भारित) संकेतकों से जुड़े अभावों का सामना करता है,** तो उसे **'MPI गरीब'** माना जाता है।
- **शुरुआत:** प्रथम MPI **वर्ष 2010** में जारी हुआ था।
- MPI, **सतत विकास लक्ष्य संख्या-1 (SDG-1)** से संबंधित है। SDG-1 के तहत सभी क्षेत्रों से **गरीबी के सभी रूपों के उन्मूलन का लक्ष्य** रखा गया है।

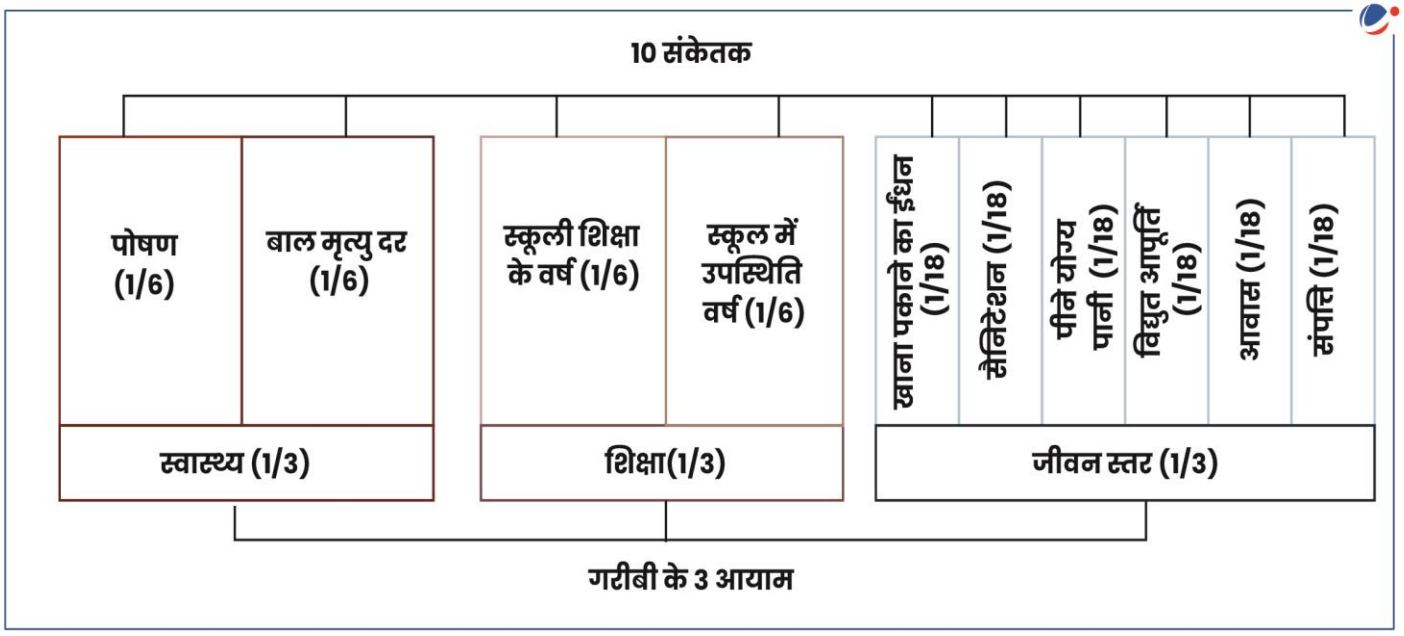

**भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI) के बारे में**

- **NMPI के बारे में:** इसे **नीति आयोग** ने **2021 में शुरू** किया था। नीति आयोग NMPI को मापने के लिए **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)** के डेटा का उपयोग करता है।
- **संकेतक:** इसमें वैश्विक MPI मॉडल के 10 मूल संकेतकों के अलावा भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप **दो अतिरिक्त संकेतक** जोड़े गए हैं। ये हैं: **मातृ स्वास्थ्य** और **बैंक खाता**।
- **NMPI वैल्यू:** इसका निर्धारण **हेडकाउंट रेशियो (H)** और **निर्धनता की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी (A)** को गुणा करके निकाला जाता है।
  - **हेडकाउंट रेशियो (H):** यह कुल जनसंख्या की तुलना में बहुआयामी गरीबों की संख्या का अनुपात है।
  - **इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी (A):** यह बहुआयामी गरीब व्यक्तियों द्वारा सामना किए जा रहे अभावों के औसत अनुपात को इंगित करती है।

**अन्य संबंधित सुर्ख़ियां**

- नीति आयोग ने **"2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी"** नामक चर्चा-पत्र जारी किया है। इस चर्चा-पत्र के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं-
  - **पॉवर्टी हेड काउंट रेश्यो (HCR)[48] में भारी गिरावट** दर्ज की गई है। यह 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में **11.28%** हो गया है।
  - **उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे गरीब राज्यों में गरीबी में तेजी से गिरावट** दर्ज की गई है। यह असमानताओं में कमी का संकेत है।
  - भारत **सतत विकास लक्ष्य (SDG)-1.2 को** हासिल करने की दिशा में सही राह पर है।
    - SDG-1.2 के तहत लक्ष्य: 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को कम-से-कम आधे तक कम करना।

## 5.4. मिडिल इनकम ट्रैप (Middle Income Trap)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

विश्व बैंक ने **'विश्व विकास रिपोर्ट 2024: द मिडिल इनकम'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, **भारत सहित कई देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने के जोखिम** का सामना कर रहे हैं।

**मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में**

- **मिडिल इनकम ट्रैप:** यह वह स्थिति है जिसमें **तीव्र आर्थिक संवृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय के स्तर पर स्थिर** हो जाती हैं और **उच्च आय वाले देशों की श्रेणी तक पहुंचने में विफल** रहती हैं।
  - सबसे पहले 2007 में, **विश्व बैंक** ने अपनी रिपोर्ट **'ऐन ईस्ट एशिया रेनेसां-आइडियाज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ'** में **"मिडिल इनकम ट्रैप"** शब्द का उल्लेख किया था।
- **मध्यम आय वाले देश (MIC):** विश्व बैंक उन अर्थव्यवस्थाओं को **मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले देश** के रूप में वर्गीकृत करता है, जिनकी **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI)[49] 1,135 अमेरिकी डॉलर से 13,846 अमेरिकी डॉलर** के बीच है।
  - विश्व बैंक के अनुसार, 2023 में **भारत** का प्रति व्यक्ति GNI 2,540 डॉलर था।
- **ट्रेंड:** पिछले दशक के दौरान **मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले** बहुत कम **देश** उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं।

**आगे की राह**

विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि उच्च आय वाले देश का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले देशों को 3i रणनीति अपनानी चाहिए। इस रणनीति में शामिल हैं- Investment (निवेश), Infusion of global technologies (वैश्विक प्रौद्योगिकियों का समावेश) और Innovation (नवाचार)। हालांकि, **1i से 2i और फिर 3i की ओर आगे बढ़ने के लिए 'रचनात्मक परिवर्तन'** एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रचनात्मक परिवर्तन, नवाचार और तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया है जो पुरानी तकनीकों पर आधारित उद्योगों, फर्मों और रोजगारों के अप्रासंगिक होने का कारण बनती है। यह बदलाव नई संरचनाओं के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करता है। यह दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि और विकास को भी सुनिश्चित करता है।

[48] Poverty Headcount Ratio

[49] Gross National Income

### 5.4.1. प्रेस्टन वक्र (Preston Curve)

भारत की **आर्थिक संवृद्धि के इतिहास का विश्लेषण अक्सर प्रेस्टन कर्व** के नजरिए से किया जाता है।

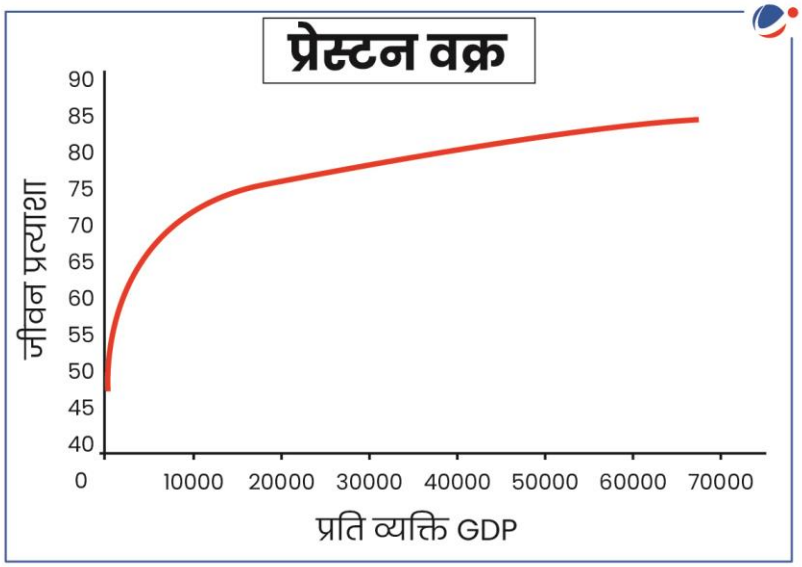


**प्रेस्टन वक्र के बारे में**

- इसे पहली बार **1975** में **अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच. प्रेस्टन ने पेश** किया था।
- **प्रेस्टन वक्र** यह दर्शाता है कि **किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि** से उसकी **जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि** नहीं होती है।
    - **जब कोई गरीब देश विकास की राह पर आगे बढ़ता** है, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। साथ ही, इससे पोषण, स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के कारण शुरुआत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है।
    - हालांकि, एक निश्चित बिंदु के बाद यह सपाट होना शुरू हो जाता है।

## 5.5. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार **डारोन एसीमोग्लु, साइमन जॉनसन** और **जेम्स ए. रॉबिन्सन** को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार **"संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाता है और समृद्धि पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है[50]"** विषय पर उनके शोध कार्य के लिए दिया गया है।

**अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार**

- **परिचय: अर्थशास्त्र में स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार** को आमतौर पर 'अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार' कहा जाता है।
- **स्थापना:** इस पुरस्कार की स्थापना 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिग्स रिक्सबैंक ने की थी।
    - शुरू में यह 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित पांच नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था।
- **पुरस्कार के प्रथम विजेता:** राग्नार फ्रिस्क और जान टिनबर्गेन (1969 में)
    - अमर्त्य सेन को **कल्याण अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत[51]** में उनके योगदान के लिए 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे।
- **पुरस्कार:** पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और नकद राशि मिलती है।

**पुरस्कार विजेताओं के शोध के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- पुरस्कार विजेताओं के शोध में **देश की समृद्धि में सामाजिक संस्थाओं के महत्त्व को दर्शाया** गया है।

[50]How institutions are formed and their impact on prosperity

[51]Welfare economics and social choice theory

- **संस्थाओं के प्रकार:**
  - **दोहनकारी संस्थाएं (Extractive Institutions):** कुछ उपनिवेशों में दोहनकरी संस्थाओं की स्थापना की गई ताकि उपनिवेशक देश के लाभ के लिए **देशज आबादी का शोषण किया जा सके और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन** किया जा सके।
    - ऐसी स्थिति में, निवेशकों में यह डर बना रहता है कि उनका निवेश किया हुआ पैसा फंस सकता है। इसलिए, वहां **दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रोत्साहन नहीं** मिला।
  - **समावेशी संस्थाएं:** औपनिवेशिक सरकारों ने कुछ उपनिवेशों में बसने वाले यूरोपीय लोगों के दीर्घकालिक लाभ के लिए समावेशी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की स्थापना की। ये ऐसे उपनिवेश थे जहां की आबादी कम घनी थी और जहां अधिक यूरोपीयों के बसने की संभावना थी।
    - ऐसी संस्थाओं ने उपनिवेश में **लंबे समय तक काम करने**, बचत करने और निवेश करने के लिए लोगों को अधिक प्रोत्साहित किया।



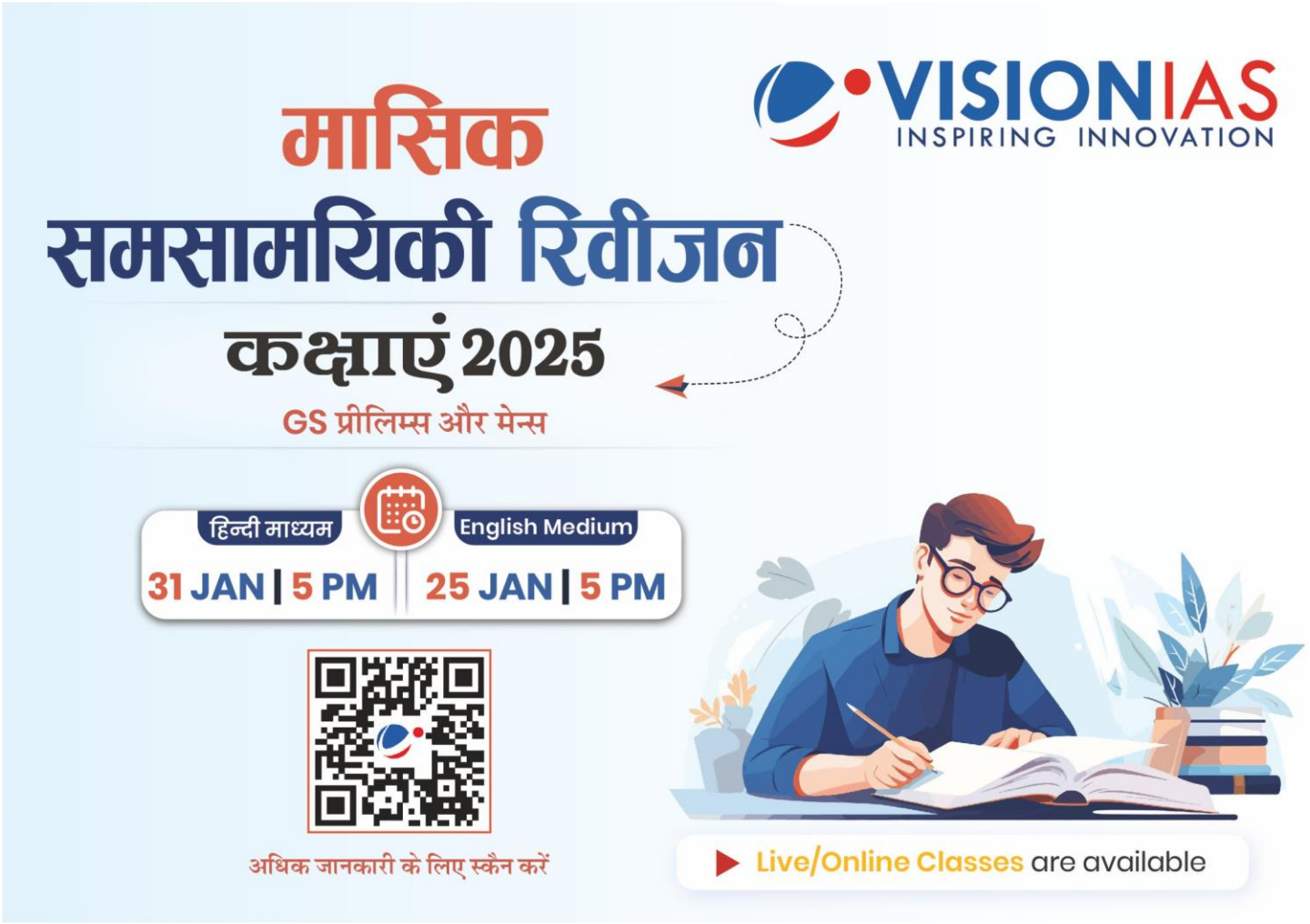

# 6. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक (Agriculture & Allied Sector)

## 6.1. कृषि क्षेत्रक (Agriculture Sector)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए **सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी** दी। इन योजनाओं हेतु कुल 14,235.3 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

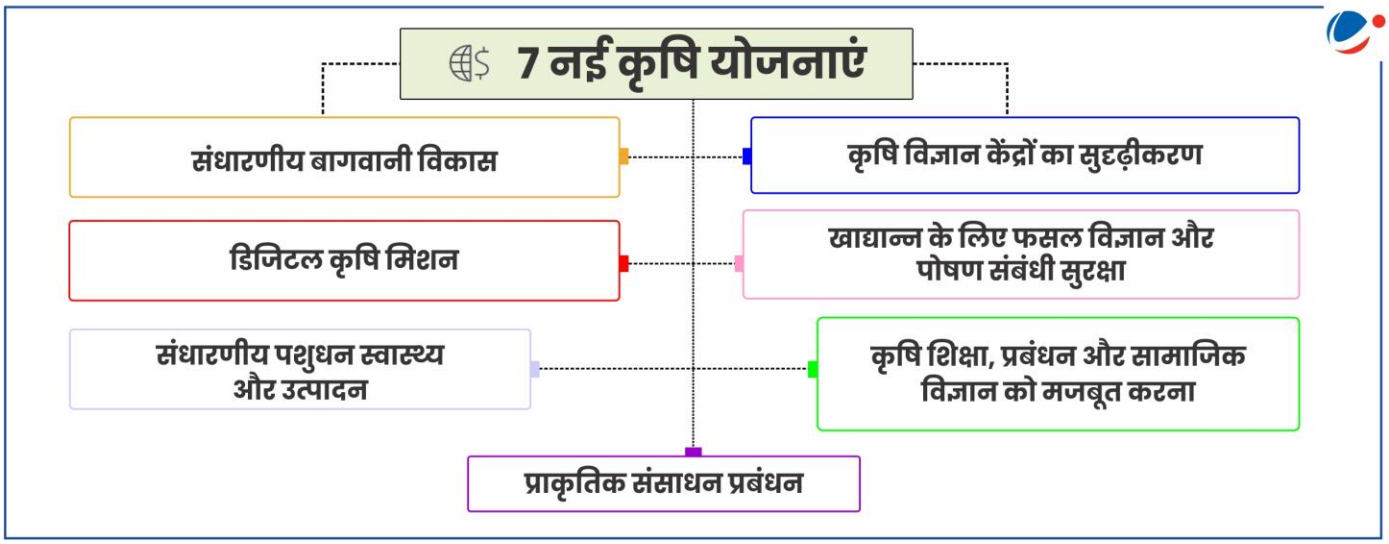


**(नोट:** कृपया इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए योजनाओं पर उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्रियों का अध्ययन कीजिए।)

**कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक के बारे में**

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की **'कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट (2011-12 से 2022-23)' के अनुसार:**
  - **2022-23** में चालू मूल्यों पर **सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक का योगदान 18.2%** था।
  - **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों के उत्पादन मूल्य में अलग-अलग उप-क्षेत्रकों के उत्पादन मूल्य की हिस्सेदारी का रुझान (2011-12 से 2022-23):**
    - फसल की हिस्सेदारी **62.4% से घटकर 54.3%** हो गई है,
    - **वानिकी** की हिस्सेदारी में **वृद्धि** दर्ज की गई है, तथा
    - **पशुधन और मात्स्यिकी** की हिस्सेदारी में लगातार **वृद्धि** दर्ज की गई है।

**किसानों की आजीविका बढ़ाने में समस्याएं/ बाधाएं**

- **तकनीकी समस्याएं:** उदाहरण के लिए- भारत में **केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत** हैं। यह चीन (60%) और ब्राजील (75%) जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है।
- **अनुसंधान और विकास से जुड़ी समस्याएं:** भारत अपने **कृषि GDP**[52] का **केवल 0.4% अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च** करता है। यह अनुपात चीन, ब्राजील और इजरायल जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।
- **सिंचाई अवसंरचना पर्याप्त नहीं होना:** बोये गए निवल क्षेत्र में लगभग **51% कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा** पर निर्भर है।
- **कॉबवेब परिघटना: खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी होने, प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन नहीं होने** जैसे कारकों की वजह से 'कॉबवेब परिघटना' की स्थिति उत्पन्न होती है।

[52] Gross Domestic Product/ सकल घरेलू उत्पाद

- **कॉबवेब परिघटना (Cobweb phenomenon)** में कुछ वस्तुओं की कीमतों में चक्रीय प्रकृति का उतार-चढ़ाव देखा जाता है। दरअसल, विगत वर्ष में उत्पाद की उच्च कीमत मिलने के कारण आगे भी उच्च मूल्य की उम्मीद में किसान अधिक उत्पादन कर लेते हैं, जिसके कारण बाजार में अधिक फसल की आपूर्ति हो जाती है। जाहिर है, अधिक उत्पादन की वजह से कीमतों में गिरावट आती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

## 6.1.1. भारत में बागवानी क्षेत्रक (Horticulture Sector in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)**[53] के तहत **'संधारणीय बागवानी विकास" और 'स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP)'** योजना को मंजूरी दी।

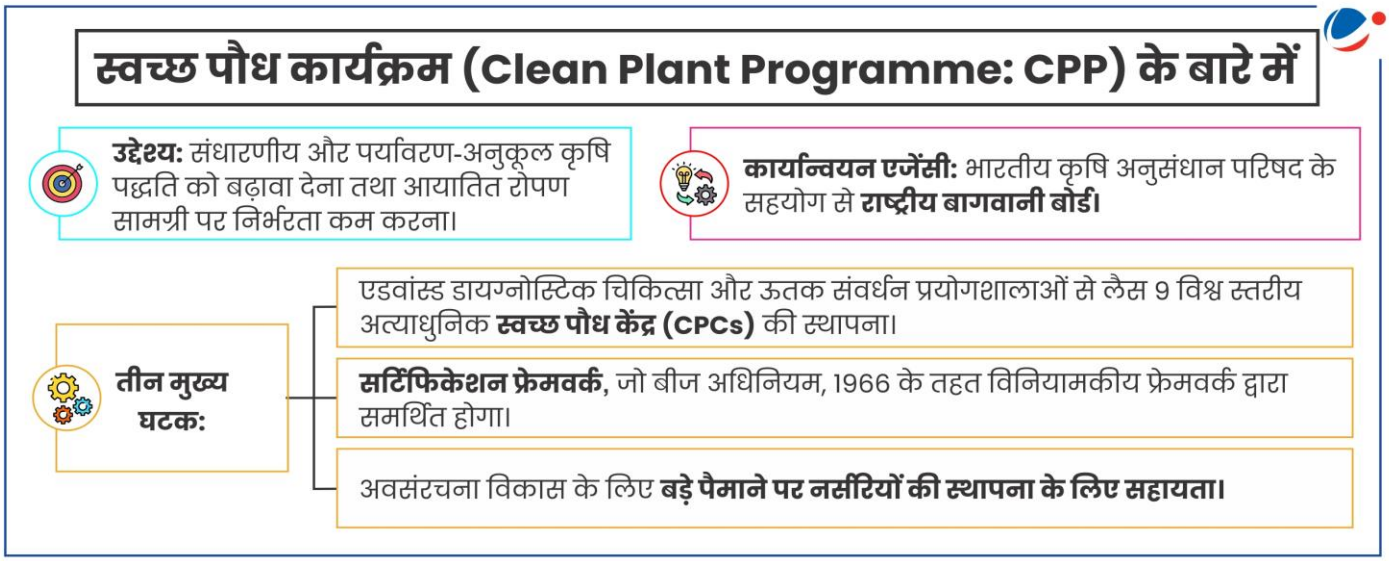


**भारत के बागवानी क्षेत्रक**

- बागवानी क्षेत्रक एक विशाल और विविध क्षेत्रक है, जिसमें **फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों** की **खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग** का काम होता है।
- देश में **कुल कृषि क्षेत्र के 13.1% भाग पर बागवानी** की जाती है।
  - भारत के कुल बागवानी उत्पादन में **फलों और सब्जियों का योगदान लगभग 90%** है और **2022-23 में इसका उत्पादन 355.48 मिलियन टन** रहा।
- **कृषि GVA में बागवानी क्षेत्रक का योगदान 33% है।**
- **विश्व में स्थिति:** फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में चीन के बाद **भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।**
  - फलों के मामले में, भारत **केले, आम और पपीते के उत्पादन में पहले स्थान पर** है।
- **निर्यात:** भारत **सब्जियों के निर्यात** के मामले में विश्व में **14वें** और **फलों के निर्यात** मामले में विश्व में **23वें स्थान** पर है।

**बागवानी क्षेत्रक के लिए शुरू की गई अन्य पहलें**

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) (2014):** यह बागवानी क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इस योजना में फल, सब्जियां, जड़ व प्रकंद फसलें (Root & tuber crops), मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पादप, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर किया गया है।

[53] Integrated Development of Horticulture

- **MIDH की उप-योजनाएं:**
  - **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (2005-06),**
  - **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन,**
  - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB),
  - नारियल विकास बोर्ड (CDB), और
  - केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड।
- **जियोइंफॉर्मेटिक्स का उपयोग करते हुए बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम (CHAMAN)[54] अर्थात् चमन कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के तहत शामिल क्षेत्र और उत्पादन के आकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना और उनका उपयोग करना है।
- **क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP)-सुरक्षा या CDP-SURAKSHA:** यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनके बैंक खातों में तुरंत **सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा** प्रदान करता है। इस कार्य के लिए प्लेटफॉर्म **NPCI के ई-रूपी (e-RUPI) वाउचर का उपयोग** करता है।
  - सुरक्षा/ SURAKSHA से आशय है- **'एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली (System for Unified Resource Allocation, Knowledge, and Secure Horticulture Assistance')'**
  - CDP **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की केंद्रीय क्षेत्रक योजना** का एक घटक है।

## 6.1.2. कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendras)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)[55]** ने **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)** की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया।

**कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के बारे में**

- KVKs का लक्ष्य **कृषि और उससे संबद्ध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल** का मूल्यांकन करना है।
  - KVKs भारत में **जिला स्तर पर एकमात्र ऐसे संस्थान हैं** जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
  - KVKs **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS)[56]** के अभिन्न अंग हैं। KVKs कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान एवं संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
- **डॉ. मोहन सिंह मेहता समिति** को 1973 में ICAR द्वारा नियुक्त किया गया था। इस समिति ने देश में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की स्थापना का विचार पेश किया था।
- **1974 में पहला KVK तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU), कोयंबटूर** के अंतर्गत **पुडुचेरी** में स्थापित किया गया था।
- **KVKs** का 100% वित्त-पोषण केंद्र द्वारा किया जाता है।

## 6.1.3. डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission: DAM)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **डिजिटल कृषि मिशन** को मंजूरी दी। यह **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** की संरचना पर आधारित एक अंब्रेला योजना है। इसका उद्देश्य **किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग** करना है।

[54] Coordinated Programme on Horticulture Assessment and Management

[55] Indian Council of Agricultural Research

[56] National Agricultural Research System

**डिजिटल कृषि के बारे में**

- डिजिटल कृषि एक नवीनतम कृषि पद्धति है, जिसमें **परिशुद्ध कृषि (Precision agriculture)** और **स्मार्ट फार्मिंग** के तरीकों को अपनाया जाता है। यह खेत की आंतरिक और बाहरी नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा एकत्रित करती है और **वेब-आधारित प्लेटफॉर्म पर उनका विश्लेषण** करती है।
- **कृषि क्षेत्रक में डिजिटल तकनीकों के उदाहरण:** भारत में टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन का उपयोग, Yuktix ग्रीनसेंस ( रिमोट मॉनिटरिंग समाधान)।

**डिजिटल कृषि मिशन की मुख्य विशेषताएं**

- **यह 2 आधारभूत पिलर्स पर आधारित है:**
  - **एग्री स्टैक (किसान की पहचान):** यह किसान-केंद्रित DPI है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए सेवाओं और योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाना है। **इसके 3 प्रमुख घटक हैं:**
    - **किसानों की रजिस्ट्री:** इसके तहत 'किसान ID' जारी की जाएगी। यह आधार नंबर के समान किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगा।
    - **जियो-रेफ़रेंस्ड गाँव के नक्शे:** यह किसान ID को किसानों से संबंधित डेटा से जोड़ेगा। इस तरह के डेटा में भूमि रिकॉर्ड आदि शामिल होंगे।
    - **फसल बुआई रजिस्ट्री:** डिजिटल फसल सर्वेक्षण।
  - **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS)[57]:** कृषि DSS एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो रिमोट सेंसिंग डेटा (उदाहरण के लिए- उपग्रह आधारित चित्र) को फसल, मृदा, मौसम और जल संसाधनों के डेटाबेस के साथ एकीकृत करता है।
    - इसे अंतरिक्ष विभाग के **RISAT-1A तथा भू-पर्यवेक्षण डेटा और अभिलेखीय प्रणाली (VEDAS) के विज़ुअलाइज़ेशन** का उपयोग करके विकसित किया गया है।
- **मृदा प्रोफाइल मैपिंग: डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES)[58]** यह वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए **क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स** के आधार पर **उपज का अनुमान** प्रदान करेगा।
- **मुख्य लक्ष्य:**
  - तीन वर्षों में **11 करोड़ किसानों की डिजिटल पहचान** जनरेट करना।
  - **डिजिटल फसल सर्वेक्षण 2 वर्षों में पूरे देश में** शुरू किया जाएगा।

## 6.1.4. भारत में पशुधन क्षेत्रक (Livestock Sector in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन योजना[59]** को मंजूरी दी। इसके लिए कुल **1,702 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित** किया गया है।

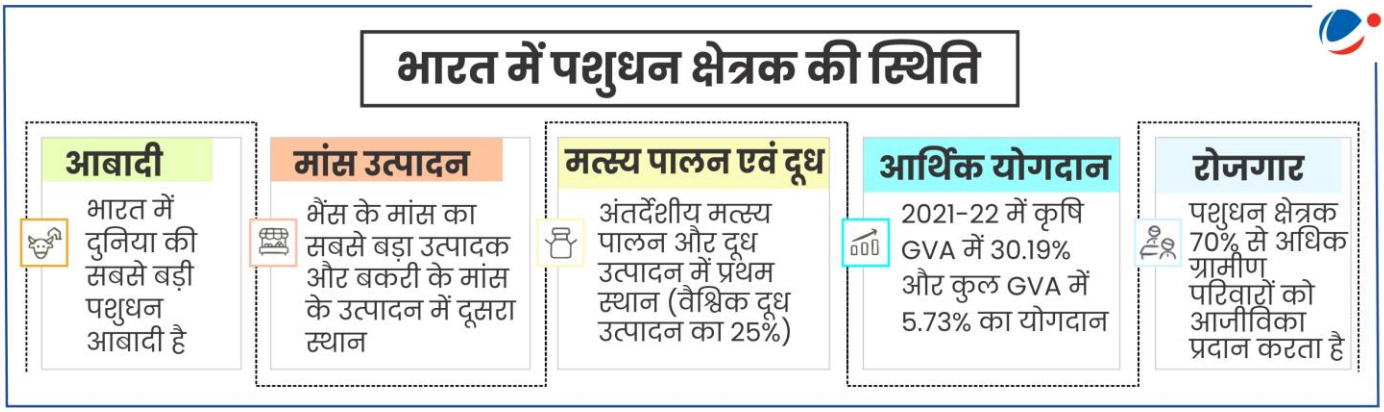


[57] Decision Support System

[58] Digital General Crop Estimation Survey

[59] Sustainable livestock health and production scheme

**भारत में पशुधन क्षेत्रक से जुड़ी समस्याएं**

- **पशु रोगों के कारण उच्च आर्थिक नुकसान:** जैसे- रक्तस्रावी सैप्टिसीमिया, खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस रोग, आदि।
- **एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चुनौती:** पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है।
- **कम उत्पादकता:** साल 2019-20 के दौरान भारत में मवेशियों की औसत वार्षिक उत्पादकता 1,777 किलोग्राम प्रति पशु रही, जबकि वैश्विक औसत 2,699 किलोग्राम प्रति पशु था।

**भारत के पशुधन क्षेत्रक के लिए प्रमुख पहलें**

- **यूनिफाइड जीनोमिक चिप:**
  - **विकासकर्ता:** पशुपालन और डेयरी विभाग।
  - **दो संस्करण:** मवेशियों के लिए **'गौ चिप'** और भैंस के लिए **'महिष चिप'।**
- **स्वदेशी सेक्स-सॉर्टेड तकनीक** से किसानों के लिए केवल मादा बछिया (Calf) पैदा करने के लिए कम लागत पर **सेक्स-सॉर्टेड स्पर्म की उपलब्धता** बढ़ेगी।
- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP):** इसका उद्देश्य **खुरपका और मुंहपका रोग (Foot and Mouth Disease) तथा ब्रुसेलोसिस** को नियंत्रित एवं उनका उन्मूलन करना है।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** इसका उद्देश्य सेलेक्टिव ब्रीडिंग और आनुवंशिक सुधार के माध्यम से देशी नस्ल के मवेशियों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**महामारी निधि परियोजना (Pandemic Fund Project)**

- केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा पर महामारी निधि परियोजना शुरू की।
- यह निधि **"महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण"** पर केंद्रित है।
- **'महामारी निधि परियोजना' के बारे में**
  - यह **G-20 महामारी निधि** (G-20 Pandemic Fund) द्वारा वित्त-पोषित 25 मिलियन डॉलर की निधि है। इसे **इंडोनेशिया की G-20 अध्यक्षता (2022)** के तहत स्थापित किया गया था।
  - **उद्देश्य:** इस निधि से **निम्न और मध्यम आय वाले देशों को** वित्त-पोषण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे **पशु स्वास्थ्य खतरों और महामारी से निपटने की क्षमता** विकसित कर सके।
  - **कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं:** एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक तथा खाद्य और कृषि संगठन (FAO)।
  - **'महामारी निधि परियोजना' के अंतर्गत प्रमुख पहलें:**
    - पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और वैक्सीन निर्माण केंद्रों को अपग्रेड व उनका विस्तार किया जाएगा।
    - बीमारी के प्रकोप का पता लगाने और समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी एवं निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
    - डेटा प्रबंधन और एनालिटिक व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इससे बीमारियों के खतरों का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सकेगा।
    - पशुधन क्षेत्रक के लिए आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सभी संस्थाओं की क्षमता में निहित कमियों को दूर किया जाएगा।

## 6.2. श्वेत क्रांति 2.0 (White Revolution 2.0)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्रक में बदलाव लाने के उद्देश्य से **'श्वेत क्रांति 2.0'** के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। यह मानक संचालन प्रक्रिया **'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)' की हीरक जयंती (Diamond jubilee) पर आयोजित समारोह** के दौरान जारी की गई।

### राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बारे में

- NDDB की **स्थापना 1965 में डॉ. वर्गीज कुरियन** ने की थी। श्री कुरियन को **'श्वेत क्रांति का जनक'** कहा जाता है।
- NDDB को **राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था** घोषित किया गया है।
- NDDB के अधीन **ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम** विकसित और लागू किया गया था। इस कार्यक्रम की अवधि **1970 से 1996** तक थी। इसी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देश में **श्वेत क्रांति** आई थी।

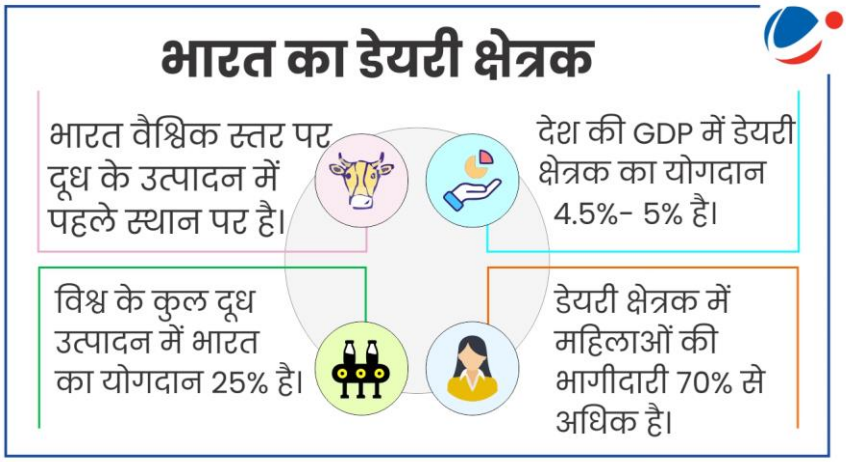


### श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में

- **मुख्य उद्देश्य:** अगले पांच वर्षों में दूध की खरीद को वर्तमान स्तर से **50%** तक बढ़ाना, संगठित बाजार की पहुंच से दूर क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करना और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाना।
  - इससे **2029 तक डेयरी सहकारी समितियों में दूध की खरीद बढ़कर 1,000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन** तक हो जाने का अनुमान है।
- **डेयरी संबंधी अवसंरचनाओं को मजबूत बनाना:** श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों को केंद्रीय क्षेत्रक की योजना **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)[60] 2.0** के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।
  - **NPDD** के तहत **डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए गांव के स्तर पर दूध खरीद प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण दूध खरीद हेतु मिल्क चिलिंग प्लांट** स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **वित्तीय समावेशन:** **'सहकारी समितियों के बीच सहयोग'** पहल का राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार करने की घोषणा भी की गई है। इसे गुजरात में पायलट परियोजना के रूप में सफलतापूर्वक संचालित किया गया है।
  - इस कार्यक्रम के तहत किसानों को **रूपे-किसान क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से ब्याज मुक्त नकद ऋण प्रदान कराया जाएगा और **डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो-ए.टी.एम. वितरित** किए जाएंगे। इससे किसानों के घर तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

**श्वेत क्रांति के बारे में**

- देश में 'श्वेत क्रांति' 1970 में **ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम** के साथ शुरू हुई थी। यह एक डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसे भारत को **दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर** बनाने के लिए शुरू किया गया था।
- ऑपरेशन फ्लड को **भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड** (NDDB)[61] द्वारा संचालित किया गया और यह **विश्व का सबसे बड़ा 'दुग्ध विकास कार्यक्रम' है**।
- इस आंदोलन का नेतृत्व **डॉ. वर्गीज कुरियन** ने किया था। उन्हें **"भारत में श्वेत क्रांति के जनक'** के रूप में जाना जाता है।
  - भारत में **डॉ. वर्गीज कुरियन** की जयंती को प्रतिवर्ष **26 नवंबर** को **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- **ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित तीन चरणों में लागू किया गया था।**

### डेयरी क्षेत्रक को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** इसे **गाय की देशज नस्लों** के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य **दूध और दूध से निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना** एवं डेयरी से संबंधित **आधारभूत अवसंरचनाओं को मजबूत करके दूध की संगठित खरीद** की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)[62]:** इसका उद्देश्य रोगनिरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है।

[60] National Programme for Dairy Development

[61] National Dairy Development Board

[62] Livestock Health & Disease Control Programme

- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि:** इसका उद्देश्य उद्यमियों, निजी कंपनियों आदि द्वारा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** इसके तहत पशुपालकों और डेयरी किसानों को बैंकों से आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

## 6.3. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कृषि अवसंरचना कोष (AIF)' के तहत वित्त-पोषण की सुविधा वाली **केंद्रीय क्षेत्रक योजना में प्रगतिशील विस्तार** को मंजूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य इस योजना को और अधिक **आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी** बनाना है।

**कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के बारे में**

- इसके तहत **फसल कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण** हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए **मध्यम से दीर्घावधि हेतु ऋण** दिया जाता है। इस ऋण पर **ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता** भी दी जाती है।
- इस योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान **1 लाख करोड़ रुपये तक का ऋण** प्रदान कर सकते हैं। ऋण पर **प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट** दी जाती है और CGTMSE के तहत **2 करोड़ रुपये तक के ऋण को क्रेडिट गारंटी कवरेज** दिया जाता है।

**कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के हालिया विस्तार के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां:** AIF योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को **'सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजना'** के तहत शामिल अवसंरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई है।
- **एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं:** कृषि अवसंरचना कोष के तहत पात्र गतिविधियों की सूची में **एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल** किया गया है।
- **प्रधान मंत्री कुसुम घटक-A: किसानों, कृषक समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और पंचायतों** के मामलों में पीएम-कुसुम योजना के घटक-A को कृषि अवसंरचना कोष में शामिल करने की अनुमति दी गई है।
- अब **एनएबी संरक्षण (NAB Sanrakshan)** द्वारा भी किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के कृषि अवसंरचना कोष ऋण को गारंटी कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ज्ञातव्य है कि इस ऋण को **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** की गारंटी प्राप्त है।
  - **एनएबी संरक्षण**, **नाबार्ड (NABARD) की पूर्ण स्वामित्व** वाली सहायक कंपनी है।

## 6.4. एग्रीटेक (Agri-Tech)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने "एग्रीटेक: शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, टुडे एंड टुमॉरो" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- यह रिपोर्ट WEF की **AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन (AI4AI)** पहल का परिणाम है। **AI4AI** पहल का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से **एग्रीटेक (कृषि-प्रौद्योगिकी) सेवाओं को बढ़ावा** देना है।
- यह पहल **कृषि पारितंत्र को दिशा देने में एग्रीटेक की भूमिका को चार व्यापक श्रेणियों** में वर्गीकृत करती है: बुद्धिमत्तापूर्वक फसल की योजना बनाना, स्मार्ट फार्मिंग, फार्मगेट-टू-फोर्क, सहायक के रूप में डेटा।

**एग्रीटेक अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें**

- **अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकन (FASAL) परियोजना** का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसे 2005 में शुरू किया गया था।

- **उपज संबंधी अनुमान में सुधार के लिए 'किसान' (KISAN)[63] पहल** शुरू की गई है।
- **कृषि डेटा एक्सचेंज (ADeX):** यह कृषक सेवाओं के लिए **भारत का पहला डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है।**
  - इसमें **तीन प्राथमिक डेटासेट्स शामिल हैं:** किसान की पहचान; जियोटैग्ड फार्म लोकेशन; और बोई गई फसलों पर डेटा।
- **कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC):** यह MoA&FW का **प्रौद्योगिकी आधारित एक समाधान** है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके **कृषि में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद** करेगा।

## 6.5. न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **गेहूं और पांच अन्य रबी फसलों** के **न्यूनतम समर्थन मूल्य** में वृद्धि की है।

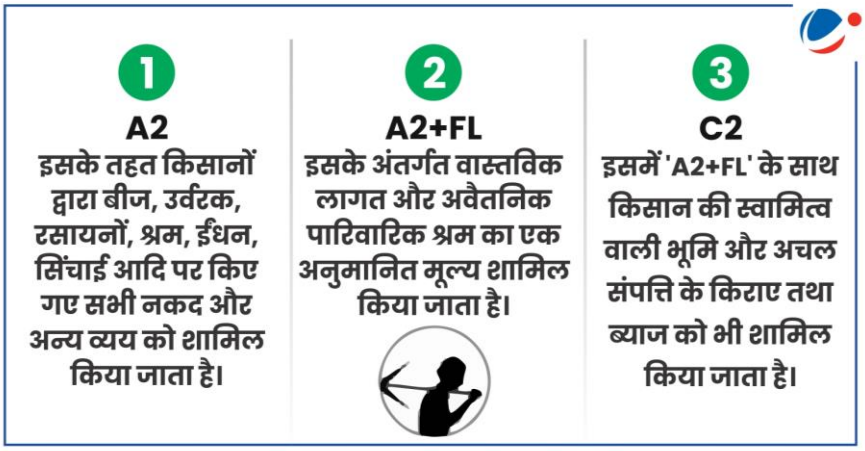


**न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में**

- यह वह **न्यूनतम गारंटी मूल्य** है जिस पर सरकार किसानों से सूचीबद्ध फसलें खरीदती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य **22 फसलों के लिए** घोषित की जाती है। इन फसलों में शामिल हैं;
  - **14 खरीफ फसलें:** धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर सीड और कपास।
  - **6 रबी फसलें:** गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड/सरसों और कुसुम।
  - **2 वाणिज्यिक फसलें:** जूट और खोपरा।

[63] C[K]rop Insurance using Space technology And geoiNformatics

- उपर्युक्त के अलावा, **तोरिया और छिलका रहित (de-husked) नारियल** के लिए MSP क्रमशः **रेपसीड और सरसों तथा खोपरा की MSP** के आधार पर तय की जाती है।

- **कृषि लागत और मूल्य आयोग** सूचीबद्ध फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इस पर अंतिम निर्णय** लेती है।
  - **न्यूनतम समर्थन मूल्य** बुवाई के मौसम की शुरुआत में घोषित किया जाता है।
  - **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)** न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।
- **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए नोडल केंद्रीय एजेंसी है।

## 6.6. भारत की कृषि निर्यात नीति (India's Agriculture Export Policy)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत के कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2023-24 में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह भारत की कृषि निर्यात नीति, 2018 के तहत 2022 तक 60 बिलियन डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति से कम है।

**निर्यात नीति के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **2023-24 में कृषि निर्यात और आयात में गिरावट दर्ज** की गई।
  - कुल निर्यात में **चावल का हिस्सा 21%** है। इसके बाद **समुद्री उत्पाद (15%), मसाले (9%)** आदि हैं।
  - आयात में **वनस्पति तेल का हिस्सा 45%** है। इसके बाद **दालें (11%), फल-सब्जियां (8%)** आदि हैं।
- **WTO की व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा (2023)** के अनुसार, 2022 में भारत के कृषिगत निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी क्रमशः **2.4 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत** थी।
  - **विश्व में कृषि निर्यातक देशों की सूची में भारत 9वें स्थान** पर था।

**कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम**

- **निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES)[64]:** सीमावर्ती क्षेत्रों में हाटों की स्थापना, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का आधुनिकीकरण, कोल्ड चेन सुविधाओं का विस्तार और व्यापार संवर्धन केंद्रों की स्थापना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करना।

[64] Trade Infrastructure for Export Scheme

- **बाजार पहुंच पहल (MAI)[65] योजना:** यह वाणिज्य मंत्रालय की एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इसे **फोकस प्रोडक्ट-फोकस कंट्री** दृष्टिकोण के तहत तैयार किया गया है, ताकि बाजार अध्ययन और सर्वेक्षण के माध्यम से विशिष्ट बाजारों और उत्पादों का विकास किया जा सके।
- **परिवहन और विपणन सहायता योजना:** यह एक "केंद्रीय क्षेत्रक योजना" है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और विपणन के लिए सहायता प्रदान करना है, ताकि परिवहन की उच्च लागत के कारण निर्यात नुकसान को कम किया जा सके।

**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के बारे में**

- **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)[66]:** इसकी स्थापना APEDA अधिनियम, 1985 के अनुसार की गई है।
- यह विदेशों में भारतीय उत्पादों के **निर्यात को बढ़ावा** देता है। साथ ही, **विदेशों में भारतीय उत्पादों को GI पंजीकरण प्राप्त करने तथा ट्रेडमार्क प्रमाणन के लिए आवेदन करने में मदद** करता है।
- यह **राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड[67]** के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
  - राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादों के निर्यात** के लिए **प्रमाणन देने वाली संस्थाओं को प्रत्यायन (मान्यता) प्रदान** करता है।

## 6.7. सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

प्रधान मंत्री ने **'सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना'** हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसे 11 राज्यों में 11 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSs)[68] के लिए शुरू किया गया है।

**सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में**

- **संबंधित मंत्रालय:** सहकारिता मंत्रालय (MoC)
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **पैक्स (PACSs) के स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाएं** स्थापित करना है। साथ ही, इसके उद्देश्यों में अन्य **कृषि अवसंरचनाओं,** जैसे- गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रसंस्करण यूनिट्स आदि की स्थापना करना भी शामिल है।
- **पैक्स को होने वाले लाभ: पैक्स** गोदामों/ भंडारण सुविधाओं के निर्माण और अन्य कृषि अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए **सब्सिडी तथा ब्याज छूट का लाभ** उठा सकते हैं।
- **विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स या एकीकरण** (इन्फोग्राफिक देखें)।

**अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य पहल**

- **भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम[69], 2007:** इसके तहत **वेयरहाउस विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

[65] Market Access Initiatives

[66] Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority

[67] National Accreditation Board

[68] Primary Agricultural Credit Societies

[69] Warehousing (Development and Regulation) Act

- **e-NWRs:** इसे **WDRA द्वारा 2017** में शुरू किया गया था।
  - वेयरहाउस रसीद एक **लिखित या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज** होता है।
- **निजी उद्यमी गारंटी (PEG)[70] योजना:** इसका उद्देश्य निजी भागीदारी के जरिए खाद्य भंडारण क्षमता को बढ़ाना है।
- **खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन पर राष्ट्रीय नीति, 2000**
- **ग्रामीण भंडारण योजना और पी.एम. किसान संपदा योजना।**
- **अन्न दर्पण प्रणाली का उद्देश्य** FCI की मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली **'डिपो ऑनलाइन सिस्टम' को आधुनिक बनाना** है।

**भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में**

- **परिचय:** FCI केंद्रीय **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत **सार्वजनिक क्षेत्रक का एक उपक्रम** है।
- **स्थापना:** FCI **खाद्य निगम अधिनियम, 1964** के तहत स्थापित **एक वैधानिक संस्था** है। इसकी स्थापना **अनाज की कमी, विशेषकर गेहूं की कमी को दूर** करने के लिए की गई थी।
- राज्य 1 अगस्त, 2024 से ई-नीलामी में भाग लिए बिना खुला बाजार बिक्री योजना (OMSS) (घरेलू) के तहत **भारतीय खाद्य निगम (FCI) से चावल की खरीद** कर सकते हैं।
- **OMSS-घरेलू (OMSS – Domestic):**
  - इसका अर्थ **ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में अधिशेष खाद्यान्न (गेहूं और चावल)** की बिक्री से है। यह बिक्री **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** द्वारा **निर्धारित कीमतों** पर की जाती है।
  - इसका उद्देश्य **मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाजार में कीमतों को नियंत्रित** करना है।

## 6.8. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) {National Mission on Edible Oils–Oilseeds (NMEO-Oilseeds)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **2024-25 से 2030-31** तक की अवधि के लिए **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन)** को मंजूरी दी।

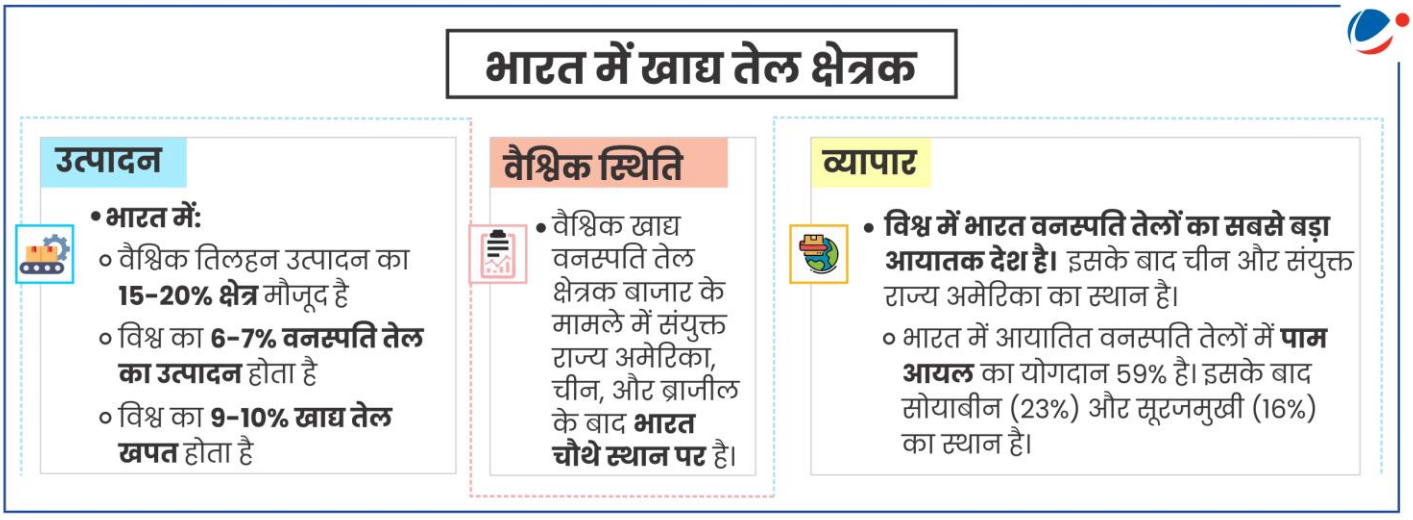


**राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के बारे में**

- **2030-31 के लिए लक्ष्य:**
  - **प्राथमिक तिलहन उत्पादन** को 2022-23 के 39 मिलियन टन से बढ़ाकर **69.7 मिलियन टन करना।**

[70] Private Entrepreneur Guarantee

- घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढाकर **25.45 मिलियन टन** करना और NMEO-OP (आयल पाम) को शामिल करते हुए **अनुमानित घरेलू मांग का लगभग 72% पूरा करना।**
- चावल और आलू की खेती वाली भूमि तथा परती भूमि का उपयोग करके इंटरक्रॉपिंग और **फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर तिलहन की खेती के तहत अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर भूमि को लाना।**

- **फोकस क्षेत्र:**
  - रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी **प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना;**
  - कपास के बीज, चावल की भूसी (राइस ब्रान) और वनस्पतियों से प्राप्त तेलों जैसे **द्वितीयक स्रोतों से तेल प्राप्ति की दक्षता को बढ़ाना।**
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - **'सीड ऑथेंटिसिटी, ट्रेसेब्लिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी' (साथी/ SATHI) पोर्टल:** यह समय पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन 5-वर्षीय रोलिंग सीड प्लान है।
    - यह राज्यों को सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)[71] और सरकारी या निजी बीज निगमों सहित बीज उत्पादक एजेंसियों के साथ अग्रिम सहयोग स्थापित करने में मदद करेगा।
  - **600 मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का विकास:** इन क्लस्टरों में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, **अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) का प्रशिक्षण तथा मौसम और कीट हमले के संबंध में सलाहकारी सेवाएं** प्राप्त होंगी।

**भारत में खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में चुनौतियां**

- **प्रति हेक्टेयर कम उपज:** उपज में अंतर का मुख्य कारण अन्य देशों में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) शाकनाशी-सहिष्णु फसल किस्मों का उपयोग किया जाना है। भारत में इसकी अनुमति नहीं है।
- **खेती से जुड़ी चुनौतियां:** तिलहनी फसलों की 76% खेती वर्षा पर निर्भर है। इसकी वजह से फसलों पर जैविक और अजैविक संकटों का खतरा बना रहता है।
- **तिलहनी फसलों का कुछ ही राज्यों में केंद्रित होना:** कुछ प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन कुछ राज्यों में ही केंद्रित है। अधिक संतुलित और अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए- गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सामूहिक रूप से देश के कुल मूंगफली उत्पादन में 83.4% का योगदान करते हैं।

**खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए अन्य कदम**

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - तिलहन और ऑयल पाम (NFSM-OS & OP):** इसे 2018-19 में शुरू किया गया था। यह बीज घटकों (ब्रीडिंग, उत्पादन, वितरण), उत्पादन इनपुट (मशीनरी, रसायन, उर्वरक) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (परीक्षण, प्रशिक्षण) पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - आयल पाम (NMEO OP):** इसे 2021-22 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2025-26 तक आयल पाम कृषि क्षेत्र को 3.70 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10.00 लाख हेक्टेयर तक करना तथा पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खाद्य तेल की खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)** यह सुनिश्चित करता है कि तिलहन की खेती करने वाले किसानों को मूल्य समर्थन योजना और भावांतर (फसल के भाव में अंतर) भुगतान योजना के माध्यम से MSP प्रदान की जाए।
- **पीली क्रांति:** यह 1986-1987 में भारत में **खाद्य तेलों, विशेषकर सरसों और तिल** के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक कृषि विकास कार्यक्रम था।

## 6.9. मिलेट्स (Millet)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

RBI की एक रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि भारत **एशिया में मिलेट्स उत्पादन में लगभग 80% और वैश्विक मिलेट्स उत्पादन में 20% का योगदान** करता है, लेकिन इसका **उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन** पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है।

[71] Farmer Producer Organizations

**मिलेट्स उत्पादन स्थिर रहने के लिए जिम्मेदार कारण**

- **श्रम की कमी** और **उर्वरक के कम** उपयोग के कारण **उपज में अंतर** (Yield gap) मौजूद है।
  - यील्ड गैप से आशय है **उत्पादन की क्षमता और वास्तविक उत्पादन में अंतर।**
- **उपभोक्ताओं की खानपान संबंधी पसंद में बदलाव** आया है। साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के तहत **चावल, गेहूं जैसे खाद्यान्नों की खरीद** से भी मिलेट्स का उपभोग प्रभावित हुआ है।
- मिलेट्स की **शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत कम है** यानी ये फसलें जल्दी खराब होने लगती हैं।

**मिलेट्स के लाभ**

- **स्वास्थ्य:**
  - ये **आयरन, जिंक और कैल्शियम** जैसे खनिजों के बेहतर स्रोत हैं।
  - इनका **ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न** है (निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह को रोकने के लिए अच्छा माना जाता है)।
  - ये **ग्लूटेन-मुक्त** होते हैं (इस गुण के कारण ये **सीलिएक रोग के मरीजों के लिए फायदेमंद** हैं)।
    - ये फसलें **एनीमिया, हृदय रोग से लड़ने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद** करती हैं।
- **आर्थिक सुरक्षा:** ये फसलें किसानों के लिए **आय का स्थायी** स्रोत हैं। उत्पादन के लिए **अधिक खर्च की आवश्यकता** नहीं है।
- **पर्यावरण:**
  - ये फसलें **कार्बन फुटप्रिंट को कम** करने में मदद करती हैं।
  - इन फसलों को **अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं** पड़ती है, ये **सूखा सहिष्णु** और संधारणीय फसलें हैं।
  - इन फसलों के विकास के लिए **कम उर्वरक और कम कीटनाशकों की आवश्यकता** पड़ती है।

**मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें**

- वर्ष 2018 को **राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित** किया गया था।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** के तहत **भारत में मिलेट्स के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य** भी रखा गया है।
- **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजनाओं** के तहत सप्ताह में कम-से-कम एक बार मिलेट्स परोसना अनिवार्य किया गया है।
- **मिलेट्स-आधारित उत्पादों हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLISMBP)"** लागू की है।
- **मिलेट्स के गहन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा पहल (INSIMP)[72]:** इसका उद्देश्य क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए एकीकृत तरीके से मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना और मिलेट्स फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों को अपनाना है।

[72] Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion

## 6.10. SPICED योजना (SPICED Scheme)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने **'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में संधारणीयता (SPICED)[73]'** योजना को मंजूरी प्रदान की।

**मुख्य विशेषताएं**

- **उद्देश्य:** इलायची की खेती के क्षेत्र का विस्तार करना तथा **छोटी व बड़ी इलायची** की उत्पादकता बढ़ाना, निर्यात संवर्धन करना, क्षमता निर्माण करना और हितधारकों का कौशल विकास करना आदि।
- **इस योजना के प्रमुख घटक निम्नलिखित है:**
  - इलायची की खेती की उत्पादकता में सुधार करना;
  - फसल कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन करना;
  - बाजार विस्तार के प्रयास करना;
  - व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना;
  - नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना;
  - अनुसंधान और क्षमता निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना; तथा
  - हितधारकों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- योजना का कार्यान्वयन **15वें वित्त आयोग की शेष अवधि (2023-24 से 2025-26 तक)** के लिए किया जाएगा।

**इलायची के बारे में**

- इलायची की व्यावसायिक खेती इसके **ड्राई फ्रूट्स (कैप्सूल्स)** के लिए की जाती है।
- **छोटी इलायची के बारे में:**
  - **स्थानिक:** यह दक्षिण भारत के **पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों की स्थानिक** प्रजाति है।
  - **छोटी इलायची के प्रमुख उत्पादक:** केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु।
  - **छोटी इलायची के लिए अनुकूल दशाएं:**
    - घने छायादार क्षेत्र;
    - अम्लीय वनीय दोमट मृदा;
    - ऊंचाई: 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर;
    - पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए आदि।
- **बड़ी इलायची के बारे में:**
  - **वितरण:** पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और भूटान के उप-हिमालयी क्षेत्र।
  - **बड़ी इलायची के लिए अनुकूल दशाएं:** इसकी खेती के लिए लगभग **200 दिनों में 3000-3500 मि.मी. औसत वर्षा** उपयुक्त होती है।
    - तापमान **6-30 डिग्री सेल्सियस** के बीच होना चाहिए।

**भारत का मसाला उद्योग**

- भारत विश्व में **मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक** देश है।
  - **मिर्च, जीरा, हल्दी, अदरक और धनिया** की कुल मसाला उत्पादन में **लगभग 76% हिस्सेदारी** है।

[73] Sustainability in spice sector through Progressive, Innovative and Collaborative interventions for Export Development

- 2022-23 के दौरान, 3.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मसालों का निर्यात किया गया था। मुख्य रूप से **चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश** को मसालों का निर्यात किया गया था।
- सबसे बड़े मसाला उत्पादक राज्य **मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक** आदि हैं।

## 6.11. दलहन (Pulses)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में दाल का आयात **2023 की तुलना में 84% बढ़कर छह साल के सर्वोच्च स्तर पर** पहुंच गया। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में **4.65 मिलियन मीट्रिक टन दालों का आयात** किया था।

**दालों का महत्त्व**

- **पोषण मूल्य:** दालें वजन की दृष्टि से **20-25% प्रोटीन** (100 ग्राम में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन) से युक्त होती हैं। साथ ही, दालें **घुलनशील आहारीय फाइबर से भरपूर** होती हैं।
- **दलहन की खेती के लिए कम जल की आवश्यकता:** भारत में **80% से अधिक दलहन वर्षा सिंचित क्षेत्र** में उगाया जाता है।
- **संधारणीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण:** दलहन की फसलें **नाइट्रोजन-स्थिरीकरण गुण** के लिए जानी जाती हैं। यह गुण **मृदा की उर्वरता में सुधार** करता है। ये फसलें सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करके **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम** करती हैं।

**दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें**

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM):** इसके तहत **दलहन कृषि क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि** के माध्यम से दालों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
- **प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM- AASHA):** यह एक **मूल्य समर्थन** योजना है। इसके तहत **पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तिलहन और दलहन की खरीद** की जाती है।
- **फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP):** यह **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** की एक उप-योजना है। इसका उद्देश्य हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ उठाने वाले राज्यों (हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में **अधिक जल की खपत वाली धान की फसल की जगह दलहन की फसल उगाने के लिए किसानों को प्रेरित** करना है।

## 6.12. जूट (Jute)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

राष्ट्रीय जूट बोर्ड के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में **प्राकृतिक आपदाओं के कारण** जूट उत्पादन में 20% की गिरावट की संभावना है।

**जूट के बारे में**

- जूट एक प्रकार का **प्राकृतिक रेशा** है। यह मुख्य रूप से **भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग** में उगाया जाता है। भारत में यह **पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और त्रिपुरा** राज्यों में उगाया जाता है।
- **रीटिंग:** जूट के तने से रेशे को अलग करने के लिए **सूक्ष्मजीवों** का उपयोग किया जाता है। रेशे निकालने की इस प्रक्रिया को **रीटिंग** कहा जाता है।

**जूट उद्योग के बारे में**

- **स्थिति:** भारत विश्व में **जूट से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करने वाला अग्रणी देश** है। जूट से निर्मित वस्तुओं के अनुमानित **वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 70%** है।
- यह **पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों** में से एक है। भारत का लगभग **73% जूट उद्योग विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में** है।
  - उत्पादन का **लगभग 90% हिस्सा स्थानीय स्तर पर उपभोग** किया जाता है।

**जूट उद्योग हेतु शुरू की गई पहलें**

- राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 के अनुसार **राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB)** का गठन किया गया है।
  - यह **जूट की खेती और जूट उत्पादों के विनिर्माण एवं विपणन** के विकास के लिए अधिकृत है।
- **राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम:** यह जूट उद्योग के विकास के लिए एक व्यापक योजना है।
- जूट उत्पादों के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** भी शुरू की गई है।

- 1971 में **भारतीय जूट निगम (JCI)** की स्थापना की गई है। यह एक मूल्य समर्थन एजेंसी है। जूट मार्क लोगो, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रैटिंग एक्सर्साइज़ (जूट I-CARE) योजना लागू है। इसका उद्देश्य जूट की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और सूक्ष्मजीव का उपयोग करके त्वरित **रीटिंग** को बढ़ावा देना है।
- **जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987:** इसे जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग के लिए अधिनियमित किया गया है।

## 6.13. नाबार्ड 'अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22 {NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey (NAFIS) 2021-22}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

नाबार्ड ने दूसरा 'अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22' जारी किया।

**NAFIS के बारे में**

- NAFIS को **2016-17** में राष्ट्रीय स्तर के एक सर्वेक्षण के रूप में शुरू किया गया था। यह **ग्रामीण आबादी की आजीविका की स्थिति और वित्तीय समावेशन (ऋण, बीमा, पेंशन आदि सहित) के स्तर** के संदर्भ में व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।
  - NAFIS के माध्यम से एकत्र किए गए क्षेत्र स्तरीय डेटा के आधार पर, **NAFINDEX वित्तीय समावेशन की माप**।
- साथ ही, यह 2016-17 से लेकर अब तक **ग्रामीण विकास के आर्थिक और वित्तीय संकेतकों** के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है।

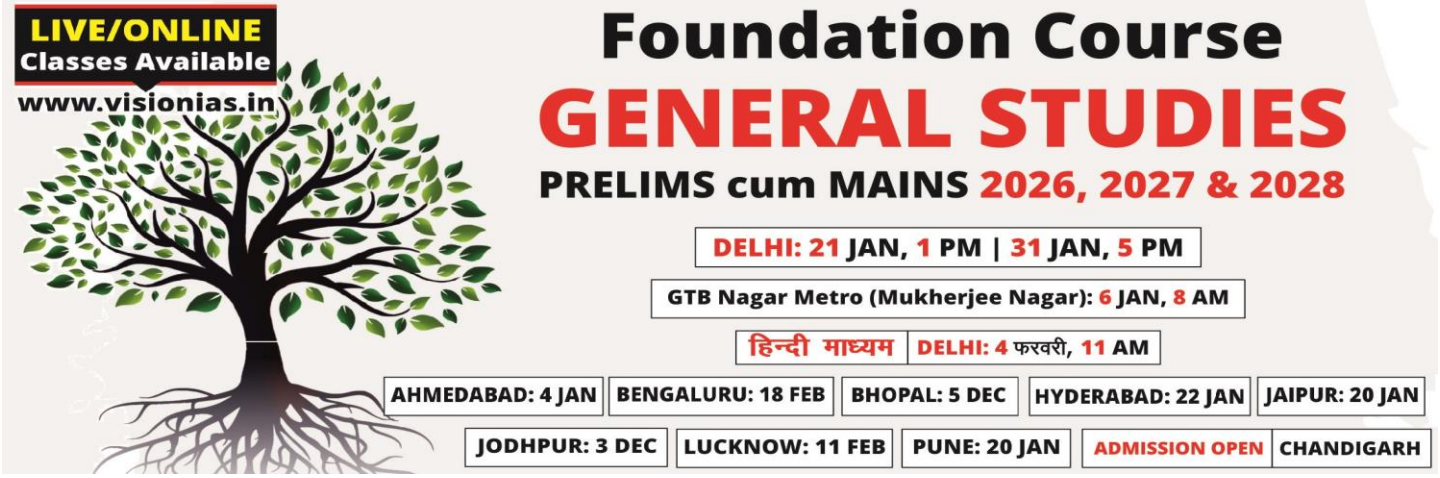

## 6.14. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) (Primary Agricultural Credit Societies: PACS)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

देश भर में **पैक्स (PACS)** के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं।

**पैक्स के बारे में**

- **परिभाषा:** पैक्स **सहकारी ऋण संरचना** में **जमीनी स्तर की शाखाएं** हैं। ये मुख्यतः **अल्पावधि वाले ऋणों का वितरण** करते हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **विनियमन:**
  - देश भर के पैक्स **सहकारी समिति अधिनियम** के तहत पंजीकृत हैं। संबंधित राज्य के **सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार (RCS)**[74] इनके काम-काज की देख-रेख करता है।
    - **SCBs/ DCCBs**[75] भी संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होते हैं। उन्हें **RBI विनियमित** करता है।
    - DCCBs का एक महत्वपूर्ण कार्य **PACS को फंड्स उपलब्ध** कराना है।
  - हालांकि, पैक्स को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम**[76]**, 1949** के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्हें **RBI विनियमित नहीं** करता है।
- **पुनर्वित्त:** इन्हें **DCCBs और SCBs** के माध्यम से नाबार्ड (NABARD) द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है।
- **कार्य:**
  - ये मुख्य रूप ग्रामीणों को अल्पावधि वाले ऋण प्रदान करते हैं और उनसे ऋण की पुनर्वसूली करते हैं।
  - ये सदस्य किसानों को **बीज, उर्वरक** और **कीटनाशक** भी उपलब्ध कराते हैं।
- **महत्त्व:** देश में सभी संस्थाओं (बैंकों आदि) द्वारा दिए गए KCC[77] ऋणों में **पैक्स का हिस्सा 41%** है। इसके अलावा, 2022 के डेटा के अनुसार, पैक्स के माध्यम से दिए गए KCC ऋणों में से 95% ऋण **लघु और सीमांत किसानों** को दिए गए हैं।

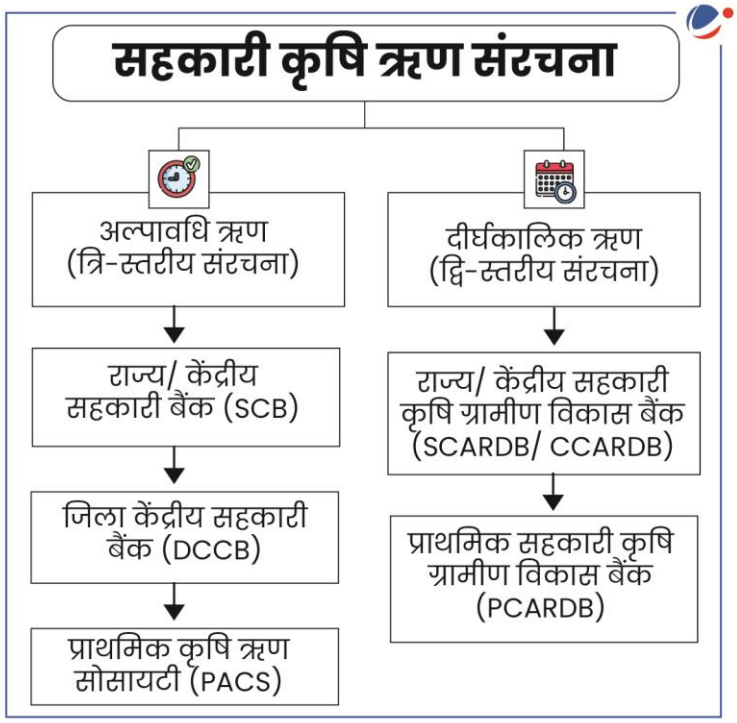


**पैक्स को मजबूत करने वाली अन्य पहलें**

- **PACS का आधुनिकीकरण:**
  - देश भर में **18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन** किया गया है।
    - **"पैक्स के कम्प्यूटरीकरण"** के लिए एक **केंद्र प्रायोजित परियोजना** शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत, **सरकार का लक्ष्य चालू अवस्था वाले 63,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत** करना है।
  - सहकारिता मंत्रालय ने **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD)**[78] का उद्घाटन किया है।

[74] Registrar of Cooperative Societies

[75] राज्य सहकारी बैंक (State Cooperative Banks) / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (District Central Cooperative Banks

[76] Banking Regulation Act

[77] किसान क्रेडिट कार्ड

[78] National Cooperative Database

- NCD का मुख्य कार्य **सहकारी क्षेत्रक के बारे में सभी तरह की जानकारी,** जैसे- राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारी समितियों की संख्या आदि के बारे में सूचना प्रदान करना है।

- **अन्य पहलें:**
  - **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)[79] का गठन:** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)[80] के सहयोग से पैक्स द्वारा **1,100 अतिरिक्त FPOs का गठन किया जाएगा।**
  - **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC):** इसे 1963 में स्थापित किया गया था। **NCDC** प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सहकारी समितियों के वित्त-पोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
  - **पैक्स के व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता लाना:**
    - **पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उप-नियम:** इसके तहत पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करके अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम बनाया जा रहा है। इन गतिविधियां में डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना आदि शामिल हैं।
    - **'प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र' के रूप में पैक्स, 'प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' के रूप में पैक्स,** पैक्स को **कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)** के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

## 6.15. मात्स्यिकी क्षेत्रक (Fisheries Sector)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

प्रधान मंत्री ने मात्स्यिकी क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए 218 परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

**इन 218 परियोजनाओं में से कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:**

- **राष्ट्रीय स्तर पर 'नौका संचार और सहायता (VCS)[81] प्रणाली' की शुरुआत:** यह इसरो (ISRO) द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक है। इसका **मछुआरों के साथ दो-तरफा संचार स्थापित करने, आपात स्थिति में बचाव और सुरक्षा** के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- **एकीकृत एक्वापार्क्स** का विकास तथा **रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS)** और **बायोफ्लॉक** जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु पहलें शुरू की गई हैं।
  - **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना** के तहत **एक्वापार्क** स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य एक ही स्थान पर **अलग-अलग मात्स्यिकी गतिविधियों की सुविधा** उपलब्ध कराना है।
  - रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में **मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्टर्स** का उपयोग किया जाता है। इसके तहत फिश कल्चर टैंकों के पानी में **मौजूद पार्टिकल्स और मेटाबोलाइट्स को हटाने के बाद पानी को रीसायकल** किया जाता है और उसका **फिर से उपयोग** किया जाता है।
  - **बायोफ्लॉक** पर्यावरण-अनुकूल **एक्वाकल्चर तकनीक** है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में (यानी इन-सीटू) **सूक्ष्मजीवों के उत्पादन** पर जोर दिया जाता है।

[79] Farmer Producer Organizations

[80] National Cooperative Development Corporation

[81] Vessel Communication and Support

**योजनाएं/ पहलें**

- **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** इस अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में कमियों को दूर करना; प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना तथा उत्पादन के बाद प्रबंधन हेतु अवसंरचना और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
- **मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF):** इसका उद्देश्य समुद्री एवं अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्रों में मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करना तथा मत्स्य उत्पादन बढ़ाना है।
- **रंगीन मछली ऐप:** यह ऐप **आठ भारतीय भाषाओं** में, सजावटी मछली की लोकप्रिय प्रजातियों से संबंधित **जानकारी** प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास कार्यक्रम पोर्टल:** इसे **प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना** के तहत शुरू किया गया है। यह **सह-योजना, PMMSY** की उप-योजना है।
- मात्स्यिकी स्टार्ट-अप्स, सहकारिता आदि को बढ़ावा देने के लिए **हैदराबाद, मुंबई और कोच्चि में 3 इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना** की गई है।
- **अन्य पहलें:**
  - मछुआरों को **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा** प्रदान की गई है;
  - **असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में पांच एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना** की जा रही है;
  - **अरुणाचल प्रदेश और असम में दो विश्व स्तरीय फिश मार्केट** की स्थापना की जा रही है; आदि।

## 6.15.1. सीवीड या समुद्री सिवार की खेती (Seaweed Farming)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

नीति आयोग ने "समुद्री सिवार मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

**सीवीड/ समुद्री सिवार की खेती**

- समुद्री सिवार (Seaweeds) कई प्रकार के **समुद्री पादप और बड़े शैवाल** होते हैं। ये **समुद्रों, नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों** में पनपते हैं।
- समुद्री सिवार की खेती **जलीय कृषि का हिस्सा** है। **मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्रक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.5%** का योगदान देते हैं।
- **समुद्री सिवार की खेती का महत्त्व**
  - **आर्थिक महत्त्व:** ये खाद्य पदार्थों, औषधियों आदि में जैव सक्रिय यौगिकों और उपयोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
  - **पर्यावरणीय महत्त्व:** समुद्री सिवार कार्बन पृथक्करण और जलवायु लचीलेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**समुद्री सिवार की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय**

- **पी.एम. मत्स्य संपदा योजना:** इसके तहत **2025 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन टन** समुद्री सिवार उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- भारत में **समुद्री सिवार मूल्य श्रृंखला के विकास पर मसौदा नीति** की समीक्षा करने के लिए **डॉ. वी.के. सारस्वत (नीति आयोग) की अध्यक्षता** में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
- **राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान- द्वीपों के लिए अटल महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र**[82] द्वारा **अंडमान क्षेत्र में अपतटीय कृषि** शुरू की गई है।
- **GIS-आधारित पोर्टल का विकास:** इसे मैप किए गए **समुद्री सिवार कृषि स्थलों के अवलोकन** के लिए विकसित किया गया है।

[82]National Institute of Ocean Technology- Atal Centre for Ocean Science and Technology for Islands: NIOT-ACOSTI

# 6.16. अन्य प्रमुख घटनाक्रम (Other Key Developments)

## 6.16.1. केंद्रीय रेशम बोर्ड (Central Silk Board)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लैटिनम जयंती मनाई गई।

**भारत में रेशम उत्पादन के बारे में**

- भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। भारत का 2023 में वैश्विक उत्पादन में 42%** हिस्सा था।
- **कर्नाटक** ने कुल रेशम उत्पादन में लगभग **32%** का योगदान दिया है, उसके बाद **आंध्र प्रदेश** का स्थान है।
- **उत्पादित रेशम:** शहतूत, एरी, तसर और मूगा।

## 6.16.2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर (NISA) {Indian Council of Agricultural Research (ICAR)-National Institute of Secondary Agriculture (NISA)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

ICAR-NISA की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए।

**ICAR-NISA के बारे में**

- ICAR-NISA की स्थापना **1924 में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान**[83] के रूप में **रांची, झारखंड** में की गई थी।
- 2022 में इसका **नाम बदलकर ICAR-NISA** कर दिया गया था। यह **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के अंतर्गत आता है।

**सेकेंडरी एग्रीकल्चर के बारे में**

- सेकेंडरी एग्रीकल्चर में **प्राथमिक कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के साथ-साथ मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि पर्यटन** जैसी अन्य कृषि-संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

[83]Indian Institute of Natural Resins and Gums

- यह उन **सभी पद्धतियों/ प्रक्रियाओं** को व्यक्त करती है, जो **कृषि उपज, अवशेषों और उपोत्पादों को फार्मास्यूटिकल, औद्योगिक, औषधीय और निर्दिष्ट खाद्य उपयोगों** के लिए उच्च मूल्य वाली मदों में परिवर्तित करती हैं।

- **उदाहरण के लिए:** अनाज से विटामिन और चावल की भूसी से तेल निकालना; गन्ने से गुड़ का उत्पादन; जैम, अचार आदि बनाने के लिए कुटीर उद्योग इत्यादि।

**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के बारे में**

- **परिचय:** यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए **सर्वोच्च निकाय** है।
- **स्थापना:** इस संस्था की स्थापना **16 जुलाई, 1929** को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक **पंजीकृत सोसाइटी** के रूप में की गई थी। इस संस्था को पहले **इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च** के नाम से जाना जाता था।
  - **कृषि पर रॉयल आयोग की रिपोर्ट (1928)** ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी।
- **वर्तमान स्थिति:** यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय के **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE)** के अंतर्गत एक **स्वायत्त संगठन** है। इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।

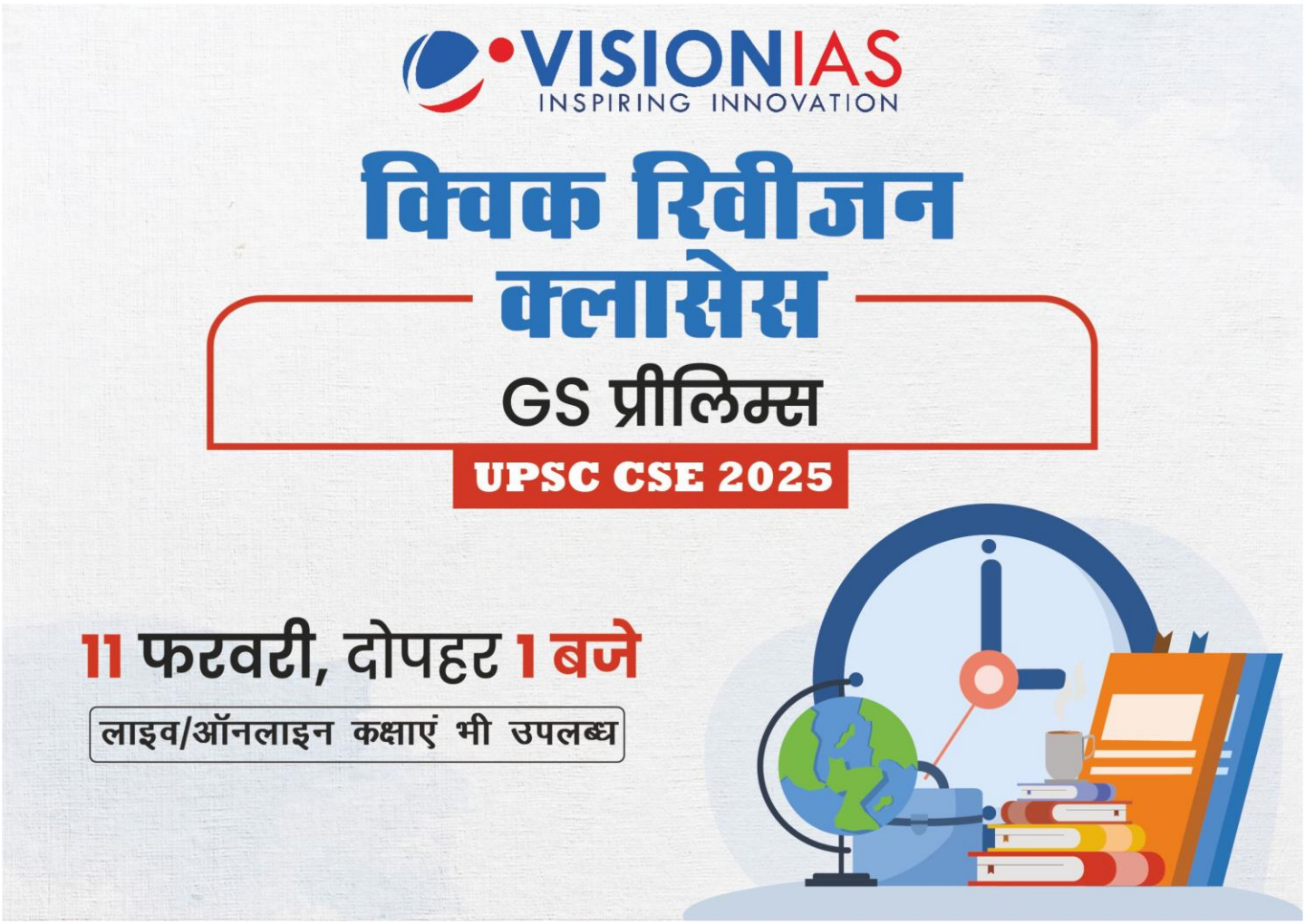

# 7. श्रम और रोजगार (Labour and Employment)

## 7.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)**[84] के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर **3.1%** थी। यह 2023 में 5.1% की वैश्विक बेरोजगारी दर से कम थी।

**PLFS (2023-24) के प्रमुख निष्कर्ष**

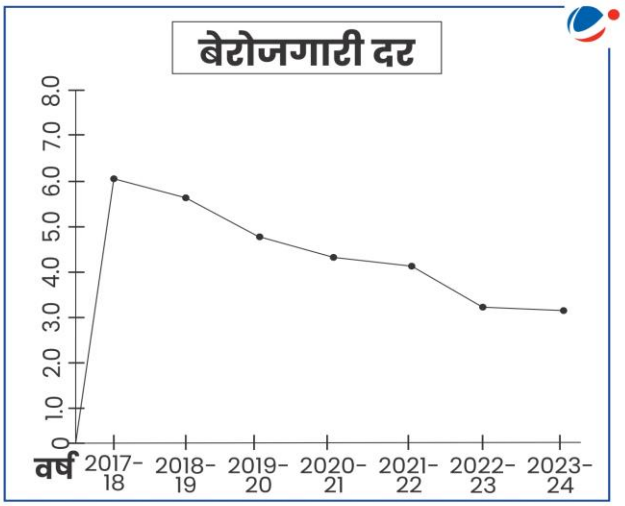


| संकेतक | | 2022-23 | 2023-24 | ट्रेंड्स/रुझान |
|---|---|---|---|---|
| LFPR | **कुल** | **57.9%** | **60.1%** | **वृद्धि** |
| | ग्रामीण | 60.8% | 63.7% | वृद्धि |
| | शहरी | 50.4 % | 52.0% | वृद्धि |
| | पुरुष | 78.5 % | 78.8% | वृद्धि |
| | महिला | 37.0 % | 41.7% | वृद्धि |
| **WPR** | **कुल** | **56.0%** | **58.2%** | वृद्धि |
| **UR** | **कुल** | **3.2%** | **3.2%** | **अपरिवर्तित** |

**आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के बारे में**

- **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)** ने **अप्रैल, 2017** में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) को आरंभ किया गया था।
- **PLFS में प्रयुक्त प्रमुख संकेतक:**
  - **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** कुल जनसंख्या में **रोजगार प्राप्त व्यक्तियों** का प्रतिशत।
  - **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** यह कुल आबादी में **श्रम बल में शामिल व्यक्तियों** का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं।
  - **बेरोजगारी दर (UR):** इसे **श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत** के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - **कार्यकलाप की स्थिति (Activity Status):** यह निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा **की गई कार्य गतिविधियों** के आधार पर निर्धारित की जाती है।
    - **सामान्य स्थिति (Usual Status)-** कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक **पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि** के आधार पर किया जाता है।
    - **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS)-** कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक **पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि** के आधार पर किया जाता है।

**संबंधित सुर्ख़ियां**

- **विश्व बैंक की रिपोर्ट: "साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स फॉर रेसिलिएंस"** रिपोर्ट में, भारत में **महिलाओं** के लिए **औसत से कम रोजगार अनुपात को रेखांकित** किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट: "इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, 2024"** के अनुसार, **हर तीन बेरोजगार व्यक्तियों में एक युवा शामिल है।**

[84] Periodic Labor Force Survey

## 7.2. गिग इकॉनमी (Gig Economy)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने '**कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक' का मसौदा** जारी किया।

**भारत में गिग इकॉनमी के लिए उठाए गए कदम**

- **वेतन संहिता, 2019:** यह गिग वर्कर्स सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन (यूनिवर्सल मिनिमम वेज) और फ्लोर पारिश्रमिक का प्रावधान करता है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** इसमें गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
  - इसमें गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण हेतु **सामाजिक सुरक्षा निधि** स्थापित करने तथा उनके लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी हेतु **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड** की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है।
- **e-श्रम पोर्टल:** इसे **केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय** ने आरंभ किया है। इसका उद्देश्य अलग-अलग मंत्रालयों/ विभागों द्वारा चलाई जा रही विविध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्रकों के श्रमिकों को उपलब्ध कराना है।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** इसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पात्र पंजीकृत श्रमिकों सहित गिग वर्कर्स को एक वर्ष के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।

## 7.3. जीवन-निर्वाह मजदूरी (Living Wage)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्र सरकार ने जीवन-निर्वाह मजदूरी (Living Wage) हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) से तकनीकी सहायता मांगी है।

**वर्तमान व्यवस्था की समस्याएं**

- वर्तमान में, भारत में **"न्यूनतम मजदूरी" सिद्धांत** का अनुपालन किया जाता है। यह मजदूरी **2017** से स्थिर बनी हुई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केवल दिशा-निर्देशों का उपबंध किया गया है। यह कानून यह नहीं बताता है कि **न्यूनतम मजदूरी कितनी** होनी चाहिए।
  - संसद द्वारा पारित **"वेतन संहिता (2019)"** में एक "सार्वभौमिक वेतन स्तर"[85] का प्रावधान किया गया है। इस संहिता के कार्यान्वयन के बाद यह वेतन स्तर सभी राज्यों पर लागू होगा।

[85] Universal wage floor

- कुछ प्रकार के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने संबंधी प्रावधान **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970** दोनों में दिए गए हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- सभी राज्यों में **राष्ट्रीय आधार मजदूरी (Wage floor)** लागू नहीं होने की वजह से राज्यों के बीच मजदूरी में असमानताएं देखी जाती हैं।

**जीवन-निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के बीच अंतर**

| अंतर करने वाले पहलू | जीवन-निर्वाह मजदूरी (Living Wage) | न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) |
|---|---|---|
| परिभाषा | **श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन** जीने हेतु आवश्यक मजदूरी स्तर | यह **प्रति घंटे कार्य के बदले निर्धारित वह वैधानिक न्यूनतम मजदूरी** है, जिसका भुगतान करना नियोक्ता की बाध्यता है |
| उद्देश्य | श्रमिकों के **जीवन की गुणवत्ता** में सुधार करना | श्रमिकों को नियोक्ताओं के **शोषण से बचाना** |

## 7.4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory And Development Authority of India: IRDAI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC-Re)** और **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी** को D-SIIs के रूप में चिन्हित किया है।

**प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important Insurers: D-SIIs) के बारे में**

- **D-SIIs** बीमा बाजार में अधिक महत्त्व वाली बड़े आकार की तथा घरेलू और वैश्विक रूप से बीमा व्यवसाय से काफी गहनता से जुड़ी बीमा कंपनियां होती हैं। इनका **संकट में आना या विफल होना, देश की वित्तीय प्रणाली में गंभीर अव्यवस्था** ला सकता है।
  - D-SIIs के बारे में कहा जाता है कि ये **"इतने बड़े या महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता है[86]"।**
  - D-SIIs को **अतिरिक्त विनियामकीय नियमों का पालन** करना होता है।

**बीमा क्षेत्रक में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में IRDAI की भूमिका**

- **बीमा क्षेत्रक का विकास:**
  - **बीमा पैठ या पहुंच[87] 2001-02** में **2.71%** थी, जो बढ़कर **2021-22** में **4.2%** हो गई है।
  - **बीमा घनत्व[88] 2001-02** में **11.5 अमेरिकी डॉलर** था, जो बढ़कर **2021-22** में **91 डॉलर** हो गया है।
- **2047 तक 'सभी के लिए बीमा':** IRDAI ने 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उचित लाइफ, हेल्थ, संपत्ति, आदि के बीमा कवर की परिकल्पना की गई है।

[86] Too big or too important to fail

[87] Insurance Penetration

[88] Insurance Density

# भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
## ( Insurance Regulatory and Development Authority of India: IRDAI)

हैदराबाद

**उत्पत्ति:** इसका गठन **मल्होत्रा समिति** की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

- इसे शुरुआत में **1999 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित** किया गया था। बाद में **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999** के तहत इसे वर्ष 2000 में एक **वैधानिक निकाय** का दर्जा दिया गया।

**उद्देश्य:** बीमा उद्योग का त्वरित और व्यवस्थित विकास, वास्तविक दावों का शीघ्र निपटान, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, आदि।

**मंत्रालय:** केंद्रीय वित्त मंत्रालय

**संरचना:** IRDAI **10 सदस्यीय निकाय** है। इसमें एक **अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य** और **चार अंशकालिक सदस्य** होते हैं।

**IRDAI की भूमिका:**

- आवेदक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना; पंजीकरण का नवीनीकरण करना, संशोधित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना।
- पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना।
- बीमा कराने वालों और मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्याय-निर्णय करना।
- बीमा एवं पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना तथा उन्हें विनियमित करना।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

2025 | ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY | हिन्दी माध्यम 19 जनवरी
2026 | ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY | हिन्दी माध्यम 2 फरवरी

# 8. व्यवसाय, नवाचार और उद्यमिता (Business, Innovation and Entrepreneurship)

## 8.1. B-रेडी इंडेक्स (B Ready Index)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**विश्व बैंक** ने **'बिजनेस-रेडी (B-रेडी) इंडेक्स'** का पहला संस्करण लॉन्च किया।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- B-रेडी को चरणबद्ध रूप से **तीन साल में पूरी तरह से** जारी किया जाएगा। 2024 से 2026 की अवधि वास्तव में इसका **रोल आउट चरण** है।
  - इसके प्रथम संस्करण में **50 अर्थव्यवस्थाएं** शामिल हैं। इनमें **भारत शामिल नहीं** है। 2026 तक इस सूचकांक में विश्व के 180 देशों का मूल्यांकन शामिल किए जाने की योजना है।
- B-रेडी फ्रेमवर्क, **विश्व बैंक की "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) रैंकिंग** की जगह जारी किया गया है। गौरतलब है कि 2021 में **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** रिपोर्ट को डेटा में अनियमितता पाए जाने और नैतिकता से जुड़ी चिंताओं के कारण जारी करना बंद कर दिया गया।
- भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की **व्यवसाय सुधार कार्य योजना रैंकिंग 2024** में **B-रेडी इंडेक्स के कुछ संकेतक शामिल होंगे।**

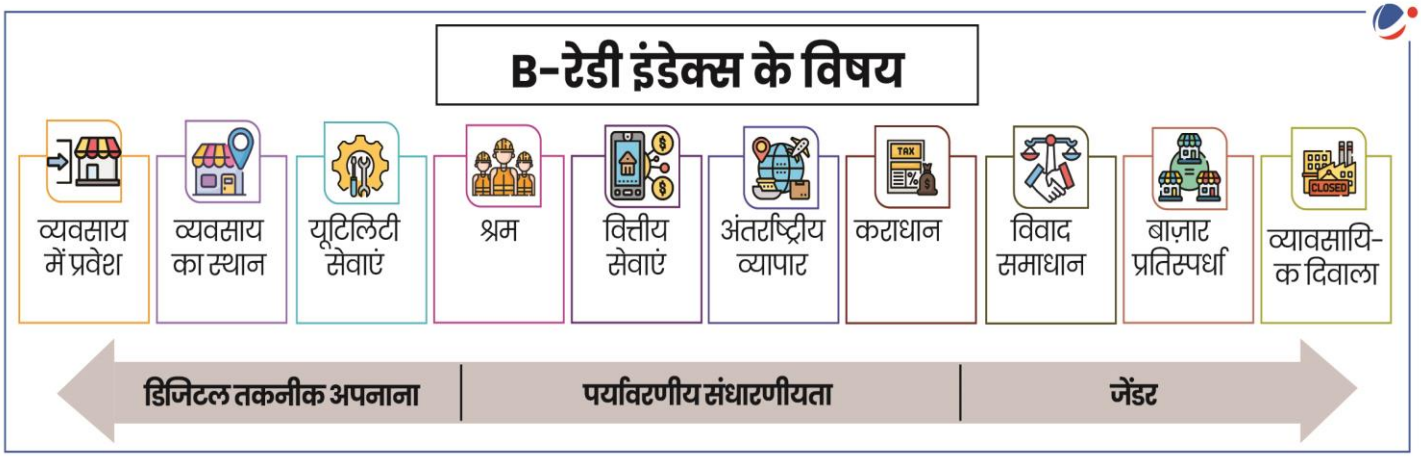


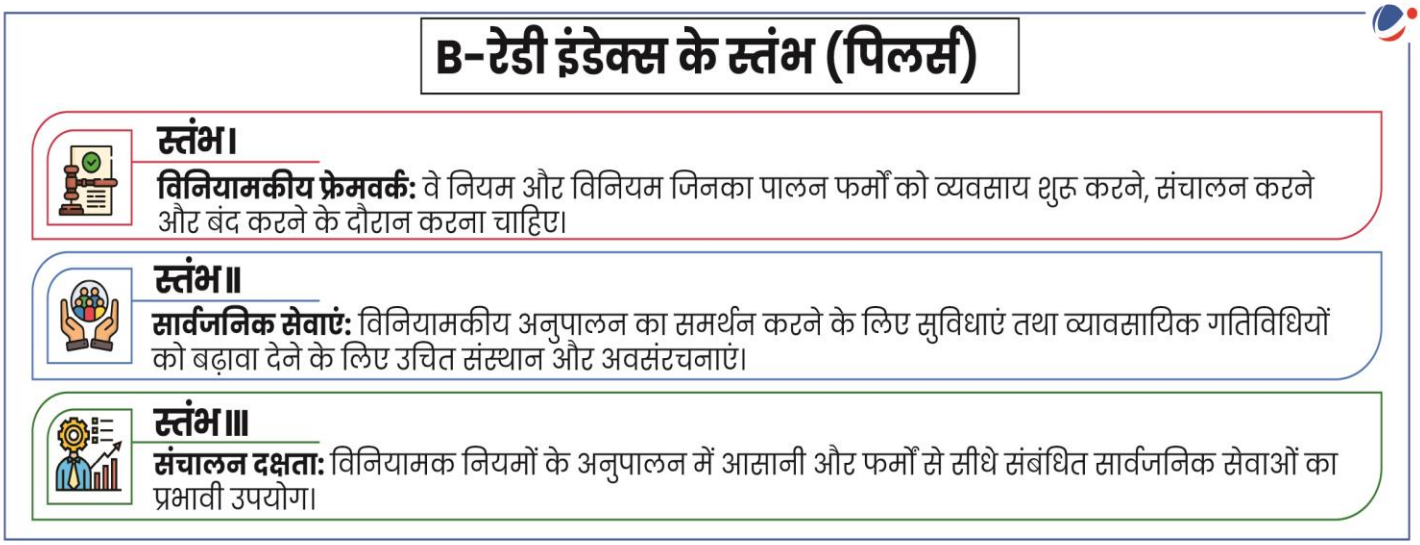

### B-रेडी इंडेक्स क्या है?

- **परिचय:** यह विश्व बैंक समूह की ओर से **डेटा संग्रह और विश्लेषण की एक नई परियोजना** है। इस सूचकांक के जरिए दुनिया भर के देशों में **व्यवसाय और निवेश के माहौल का आकलन** किया जाना है। इसके साथ एक वार्षिक **कॉर्पोरेट रिपोर्ट** भी जारी की जाएगी।
- **इसका लक्ष्य तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ये तीन क्षेत्र हैं:**
  - **सुधार का समर्थन:** यह सुधार से जुड़े बेंचमार्क साझा करके नीतियों में सुधारों को प्रोत्साहित करेगा तथा सरकारों, व्यवसाय जगत और विश्व बैंक के बीच संवाद को बढ़ावा देगा।
  - **नीतिगत मार्गदर्शन:** यह विश्व के सर्वोत्तम पद्धतियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) के डेटा की तुलना करके नीतियों में बदलाव के लिए सुझाव देगा।
  - **विश्लेषण और अनुसंधान:** यह निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों पर शोध का समर्थन करने के लिए विस्तृत डेटा प्रदान करेगा।

## 8.2. भारत का स्टार्ट-अप इकोसिस्टम (India's Startup Ecosystem)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लिए भारत स्टार्ट-अप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) पहल[89] शुरू की।

### भास्कर (BHASKAR) के बारे में

- भास्कर पहल एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी। इसे स्टार्ट-अप्स व निवेशकों सहित उद्यमशीलता इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच **सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और बढ़ाने** के लिए तैयार किया गया है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के तहत हितधारकों के लिए विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री** बनाना है।
- यह पहल **स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम** के अंतर्गत संचालित की जाएगी, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

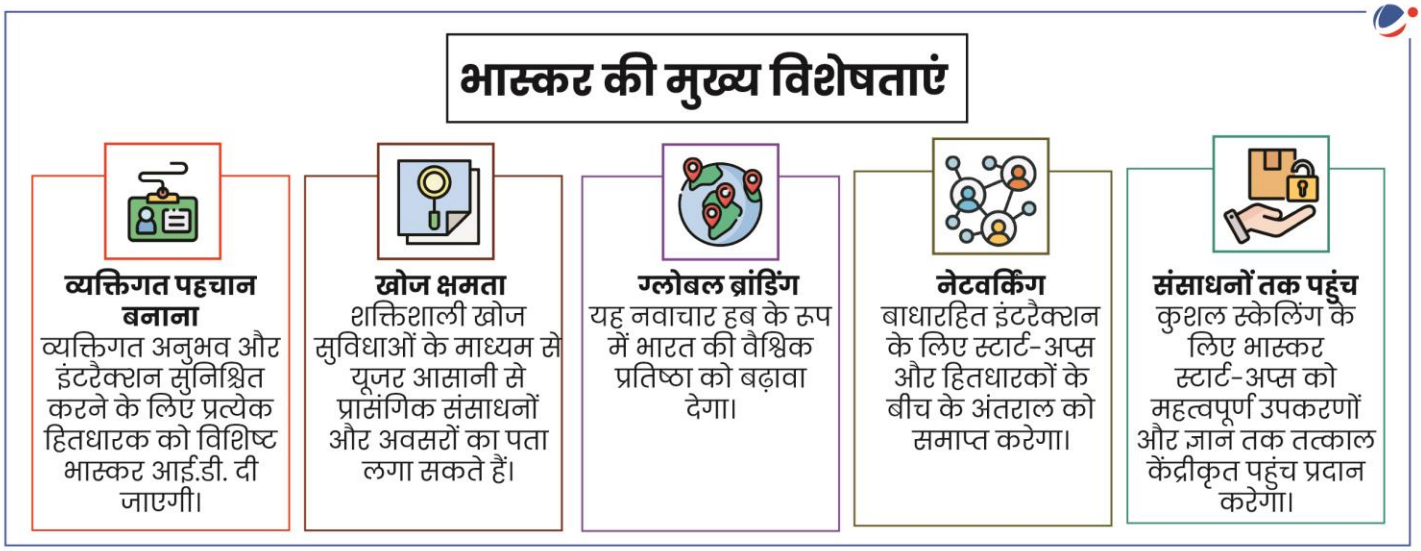


### भारत का स्टार्ट-अप इकोसिस्टम

- हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने "ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024" जारी किया। 2023 में, भारत में **67 यूनिकॉर्न** थे। यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स की संख्या के मामले में भारत **विश्व में USA और चीन के बाद तीसरे स्थान** पर है।
  - **एक बिलियन डॉलर या उससे अधिक मूल्य के निजी-स्वामित्व वाली कंपनियों को यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स** कहा जाता है। ये कंपनियां **पब्लिक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं** होती हैं। इन्हें **वेंचर फंड से वित्त-पोषण** प्राप्त होता है।
    - **गज़ेल्स स्टार्ट-अप:** ये ऐसे स्टार्ट-अप्स हैं, जो **3 साल के भीतर 'यूनिकॉर्न'** बन सकते हैं।

[89] BHASKAR Initiative for India's Startup Ecosystem

- **चीता स्टार्ट-अप:** ये ऐसे स्टार्ट-अप्स हैं, जिनमें **5 वर्षों के भीतर 'यूनिकॉर्न' बनने** की क्षमता होती है।

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) व्यवसायों को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता** देता है। (इन्फोग्राफिक देखें)

**स्टार्ट-अप के लिए फंडिंग के प्रमुख स्रोत**

- **वेंचर कैपिटल/ प्राइवेट इक्विटी/ एंजेल फंड,** नवीन और उभरते स्टार्टअप में निवेश करते हैं।
  - वेंचर कैपिटल फंड (एंजेल फंड सहित) को **वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)**[90] माना जाता है।
  - AIFs स्टार्ट-अप्स और अन्य कंपनियों में निवेश के लिए निजी फंड जुटाते है। उन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:
    - **श्रेणी I:** इसमें वेंचर कैपिटल फंड (एंजेल फंड सहित), सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आदि शामिल हैं।
    - **श्रेणी II:** इसमें वे फंड शामिल हैं जो श्रेणी I और श्रेणी III में नहीं आते हैं और जो उधारी लेने के कार्य में शामिल नहीं हैं। इसमें डेब्ट्स फंड्स आदि शामिल हैं।
    - **श्रेणी III:** इसमें विविध या जटिल व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करना शामिल है और इसमें उधारी को निवेश के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। इस श्रेणी में हेज फंड आदि शामिल हैं।
- **वेंचर कैपिटलिस्ट:** वे संस्थागत निवेशकों से जुटाए गए फंड का प्रबंधन करते हैं और बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं।
  - वे आम तौर पर ऐसे स्टार्ट-अप्स में निवेश करते हैं जिनकी बाजार में पहले से ही अच्छी पैठ है, जिनके पास एक मान्य बिजनेस मॉडल है और वे व्यापक तौर पर व्यवसाय करने के लिए तैयार हैं।
- **एंजेल निवेशक:** वे आम तौर पर अपने व्यक्तिगत फंड की लघु मात्रा को शुरुआती चरण वाले ऐसे स्टार्टअप में निवेश करते हैं जो व्यवसाय आरंभ करने की प्रक्रिया में है।

**स्टार्टअप्स के लिए की गई अन्य पहलें**

- DPIIT द्वारा स्टार्ट-अप इंडिया का **MAARG (मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलिएंस एंड डेवलपमेंट) पोर्टल;**
- **स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) योजना** आदि।
- उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने **स्टार्ट-अप इंडिया** पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य **नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित** करने के लिए मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
- भारत सरकार के **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टार्टअप अनुदान-निधि कार्यक्रम** शुरू किया है।
- **उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर (समृद्ध/ SAMRIDH):** यह **राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति-2019** के तहत स्टार्ट-अप एक्सेलरेशन के लिए **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

[90] Alternative Investment Funds

- इसका उद्देश्य संभावित IT-आधारित स्टार्ट-अप्स का चयन करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए **मौजूदा एवं आगामी एक्सेलरेटर्स को समर्थन प्रदान** करना है।

- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** इसके तहत वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) आदि के माध्यम से **गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्रक के लघु/ सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का ऋण** उपलब्ध कराया जाता है।

### 8.2.1. एंजेल टैक्स (Angel Tax)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

बजट 2024-25 में, सरकार ने **सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा** की है। ऐसा उद्यमशीलता के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए किया गया है।

**एंजेल टैक्स क्या है?**

- **परिभाषा:** एंजेल टैक्स **गैर-सूचीबद्ध कंपनियों** या **स्टार्ट-अप्स** द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त राशि पर लगाया जाने वाला आयकर है। इसके तहत स्टार्ट-अप का **उचित बाजार मूल्य (फेयर मार्केट वैल्यू)** और उसके द्वारा इससे अधिक जुटाई गई राशि को आय माना जाता है और इस अतिरिक्त आय पर एंजेल टैक्स लगाया जाता है।
- **उद्देश्य:** इसे मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 2012 में शुरू किया गया था।
- **कानूनी प्रावधान:** यह **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (II) (viib) के तहत** लगाया जाता था।
- **कवरेज:** पहले यह केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन बजट 2023-24 में इसका विस्तार करते हुए विदेशी निवेश (कुछ अपवादों के साथ) को भी इसके दायरे में लाया गया है।

**प्रभाव**

- एंजेल टैक्स समाप्त होने से स्टार्ट-अप की **रिवर्स फ़्लिपिंग** को बढ़ावा मिलेगा।
  - **रिवर्स फ़्लिपिंग:** इसमें वे भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जो शुरू में विदेश में स्थापित हुई थीं, लेकिन बाद में रणनीतिक रूप से उन कंपनियों ने अपने **कानूनी मुख्यालय को वापस भारत में स्थानांतरित कर लिया**। उदाहरण के लिए; फ़ोन पे, ग्रो आदि।

## 8.3. पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 {Patents (Amendment) Rules, 2024}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने **पेटेंट अधिनियम, 1970** के तहत **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं। **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024** के जरिए **पेटेंट नियम, 2003** में संशोधन किया जाएगा।

**पेटेंट और उनके गवर्नेंस के बारे में**

- **पेटेंट संरक्षण** का मतलब है कि पेटेंट मालिक की सहमति के बिना आविष्कार का व्यावसायिक रूप से उत्पादन, उपयोग, वितरण, आयात या बिक्री दूसरों द्वारा नहीं किया जा सकता है।
- पेटेंट **प्रादेशिक अधिकार** के दायरे में आता है, जो केवल उस देश या क्षेत्र में लागू होता है जहां पेटेंट दायर किया गया है और दिया गया है।

**पेटेंट का विनियमन**

- **वैश्विक स्तर पर: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)**[91] पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) को नियंत्रित करता है। साथ ही, यह **बौद्धिक संपदा पर अभिसमयों और संधियों को भी लागू** करना सुनिश्चित करता है। इन अभिसमयों और संधियों में **पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट सहयोग संधि, बुडापेस्ट संधि** आदि शामिल हैं।

[91] World Intellectual Property Organization

- 1994 में **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के एक समझौते के रूप में **ट्रिप्स** यानी **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS)** पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह विश्व में बौद्धिक संपदा पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।

- **भारत में:** भारत में, पेटेंट अधिनियम, 1970 के जरिए पेटेंट का विनियमन किया जाता है। यह अधिनियम **WTO के ट्रिप्स समझौते का अनुपालन सुनिश्चित** करता है।
  - पेटेंट अधिनियम में **2005 में संशोधन** किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से **फार्मास्यूटिकल्स और कृषि रसायनों से जुड़े क्षेत्रकों को भी प्रोडक्ट पेटेंट यानी उत्पाद पेटेंट संरक्षण के दायरे** में लाया गया है।
  - पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, **पेटेंट की अवधि 20 वर्ष** होगी।
  - वहीं, इस कानून के अनुसार, भारत में कुछ चीजों का पेटेंट **नहीं** कराया जा सकता है, जैसे कि-
    - पौधे या जानवर या उनका कोई भी हिस्सा;
    - बीज, उनकी किस्में और प्रजातियां;
    - पौधों और पशुओं के उत्पादन या प्रवर्धन (Propagation) के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रियाएं, आदि।

**पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य प्रावधान**

- **सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप:** नए **'सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप'** की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा **पेटेंट किए गए आविष्कार में इंवेंटर्स के योगदान को चिन्हित** किया जाएगा।
- **समय-सीमा:** नए नियमों के जरिए पेटेंट परीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की समय-सीमा घटा दी गई है। पहले यह सीमा 48 माह थी, अब यह घटाकर 31 माह कर दी गई है।
- **नवीनीकरण शुल्क: पेटेंट नवीनीकरण शुल्क में 10% की कमी** की गई है। हालांकि, शुल्क में कमी का यह लाभ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम-से-कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करने पर ही दिया जाएगा।
- **पेटेंट के क्रियान्वयन संबंधी विवरण दाखिल करने की आवृत्ति:** इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक तीन वित्त वर्ष में एक बार कर दिया गया है।

**भारत में पेटेंट से जुड़े मुद्दे/ चुनौतियां**

- **पेटेंट की एवरग्रीनिंग:** इसमें कंपनियां दवा पर **पेटेंट अवधि बढ़ाने के लिए फॉर्मूलेशन में मामूली बदलाव** करती हैं, जिससे और अधिक समय तक दवा पर उनका **एकाधिकार बना रहता है।**
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति देना:** इसमें, सरकार किसी अन्य को **पेटेंट धारक की सहमति के बिना** पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देती है या पेटेंट-संरक्षित आविष्कार का खुद इस्तेमाल करने की योजना बनाती है।
  - ट्रिप्स समझौते में एक तरह से छूट के तौर पर **अनिवार्य लाइसेंसिंग (Compulsory licensing)** का प्रावधान है।

**भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम**

- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति-2016 जारी** की गई है। यह **दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता** है। इसमें शामिल है:
  - **स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP)**[92] और **IP मित्र** को सुगम बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई है, ताकि स्टार्ट-अप्स द्वारा पेटेंट आवेदन दाखिल करने को प्रोत्साहित किया जा सके।
  - इसमें कुछ खास श्रेणी के आवेदकों के लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान है, ताकि जल्द-से-जल्द पेटेंट मिल सके। इसमें स्टार्ट-अप्स, लघु उद्योग, महिला इंवेंटर्स शामिल हैं।
  - **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन**[93]**:** यह शैक्षणिक संस्थानों में बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।
  - **पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम** [94] को नए रूप में तैयार किया गया है, ताकि पेटेंट कराने योग्य आविष्कारों को खोजा जा सके और पेटेंट दाखिल करने तथा प्राप्त करने में पूरी वित्तीय, तकनीकी एवं कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।

**ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी (Trade Secrets and Economic Espionage)**

- विधि आयोग ने **व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी** पर अपनी **289वीं रिपोर्ट** प्रकाशित की है।
- **ट्रेड सीक्रेट्स:** ऐसी **गोपनीय व्यावसायिक जानकारी** जिसे बेचा जा सकता है या जिसका लाइसेंस लिया जा सके, ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती है। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नया है।
- **आर्थिक जासूसी:** किसी अन्य देश को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू कंपनियों और सरकारी संस्थाओं से गोपनीय जानकारी को जानबूझकर हासिल करने का कार्य **आर्थिक जासूसी** कहलाता है। यह आर्थिक, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रकृति का हो सकता है।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI: 4 फरवरी, 11 AM | JAIPUR: 20 जनवरी | JODHPUR: 3 दिसंबर | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC
DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

[92] Start-Ups Intellectual Property Protection

[93] NIPAM

[94] Patent Facilitation Programme

## 8.4. वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 और सामाजिक उद्यमिता (Global Innovation Index 2024 and Social Entrepreneurship)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)[95], कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड (INSEAD) बिजनेस स्कूल** ने संयुक्त रूप से **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII), 2024** जारी किए।

**वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **थीम:** सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना[96]।
- **नवाचार यानी इनोवेशन को मापने वाले मानदंडों में शामिल हैं:** संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान, अवसंरचना, ऋण (क्रेडिट), निवेश, लिंकेज; रचनात्मकता, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार; और रचनात्मक आउटपुट।
- **शीर्ष रैंकिंग:** पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी **स्विट्जरलैंड** प्रथम स्थान पर है। उसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर का स्थान है।
- **भारत की स्थिति:**
  - **भारत विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर** है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। भारत का स्कोर 38.3 है।
  - ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, संस्थान और व्यावसायिक आधुनिकता के मामले में भारत **निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं** तथा **मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहले स्थान पर** है।
  - बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के शीर्ष 100 क्लस्टर्स** में शामिल हैं।

### विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization: WIPO)

WIPO

HQ जिनेवा, स्विट्जरलैंड

**उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1967 में **WIPO कन्वेंशन** के तहत हुई थी। वर्ष 1967 में हुए WIPO कन्वेंशन के बाद, **BIPRI (बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो)** को WIPO में बदल दिया गया।

**उद्देश्य:** यह **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी** है। यह बौद्धिक संपदा (IP) सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक फोरम है।

**सदस्य:** भारत सहित 193 सदस्य देश

**WIPO के अधीन प्रमुख संधियां:** बर्न कन्वेंशन, वाशिंगटन संधि, पेरिस कन्वेंशन, ट्रेडमार्क कानून पर सिंगापुर संधि, आदि

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) सूचकांक (International Intellectual Property (IP) Index)**

- **USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स** ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है।
  - इस सूचकांक में शीर्ष देश **USA, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस** हैं।
  - भारत की स्थिति **55 अर्थव्यवस्थाओं में से 42** पर बनी हुई है, जो अपरिवर्तित है।
- यह सूचकांक **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)[97]** से अलग है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), कॉर्नेल विश्वविद्यालय और INSEAD द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से **40वें स्थान पर** है।

[95] World Intellectual Property Organization

[96] Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship

[97] Global Innovation Index

## 8.5. बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर संधि (Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** ने "**बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर संधि**[98]" को अपनाया।

**संधि के बारे में**

- यह **WIPO की पहली संधि** है, जो बौद्धिक संपदा (IP), आनुवंशिक संसाधन (GR) और पारंपरिक ज्ञान (TK) के बीच संबंधों को स्पष्ट करती है।
- **कार्यान्वयन:** इस संधि को भारत सहित 150 से अधिक देशों के बीच **आम सहमति** से अपनाया गया था। यह संधि **15 पक्षकारों द्वारा पुष्टि किए जाने के 3 महीने बाद लागू** होगी।
- **सदस्य:** WIPO का कोई भी **सदस्य देश इस संधि का पक्षकार बन** सकता है।
- आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के स्तर पर, **संधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-**
  - पेटेंट प्रणाली के प्रभाव, पारदर्शिता और गुणवत्ता को बढ़ाना।
  - उन आविष्कारों के लिए गलत तरीके से पेटेंट दिए जाने से रोकना जो नई खोज नहीं हैं।
- संधि में **देशज या मूलवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र (UNDRIP)**[99] और इस घोषणा-पत्र की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार किया गया है।
  - UNDRIP को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह संकल्प **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** है।

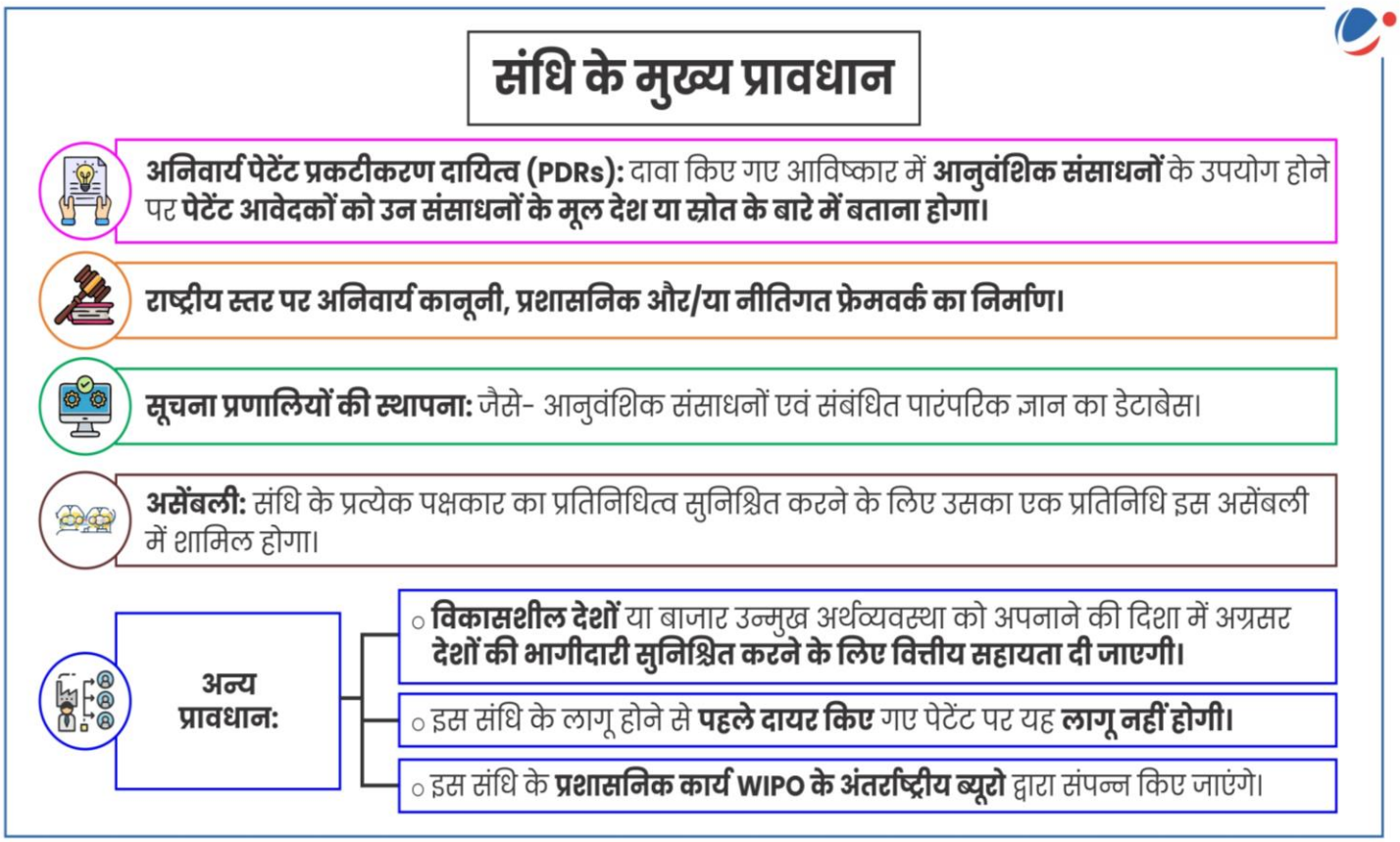


[98] Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge

[99] United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

**भारत के पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु सरकारी उपाय**

- **पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL):** यह भारत के समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का **डिजिटल संग्रह या** डेटा है। इससे **बायोपायरेसी और गलत तरीके से पेटेंट कराने को रोकने में मदद** मिलेगी।
- **भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970:** इसमें **पेटेंट प्रकटीकरण दायित्व (PDR)[100] तंत्र** को अपनाया गया है। इसके तहत दावा किए गए पेटेंट में शामिल आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बारे में बताना होता है।
- **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001**
- **जैव विविधता अधिनियम, 2002:** यह कानून **जैव विविधता कन्वेंशन** के अनुरूप है। इस कानून में जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा का प्रावधान किया गया है।
- **वन अधिकार अधिनियम 2006:** यह कानून वन संसाधनों और पारंपरिक गतिविधियों (प्रैक्टिसेज) पर समुदाय के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है।
- **वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999:** यह किसी क्षेत्र से जुड़े पारंपरिक ज्ञान पर सामूहिक अधिकारों की गारंटी देता है।
- **यूनेस्को द्वारा मान्यता: योग** को यूनेस्को की **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत** सूची में शामिल किया गया है।

[100] Patent Disclosure Requirements

# 9. अवसंरचना (Infrastructure)

## 9.1. पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** की शुरुआत के **तीन वर्ष** पूरे हुए। गौरतलब है कि पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को **वर्ष 2021 में आरंभ** किया गया था।

**पी.एम. गति शक्ति (PMGS) के बारे में**

- **यह योजना अग्रलिखित 7 इंजनों द्वारा संचालित है:-** रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मास-ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना।
- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) के बारे में:**
  - इसे **BISAG-N** (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स) ने **डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल** के रूप में विकसित किया है। ऐसा **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)[101] प्लेटफॉर्म** का उपयोग करके किया गया है।
  - इसे **ओपन-सोर्स तकनीक** के आधार पर बनाया गया है और भारत सरकार के क्लाउड **मेघराज** पर होस्ट किया गया है। यह इसरो सैटेलाइट इमेजरी और सर्वे ऑफ इंडिया बेस-मैप्स को एकीकृत करता है।
  - **यह अलग-अलग मंत्रालयों की मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं पर व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है।** इनमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राई/ लैंड पोर्ट और उड़ान (UDAN) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

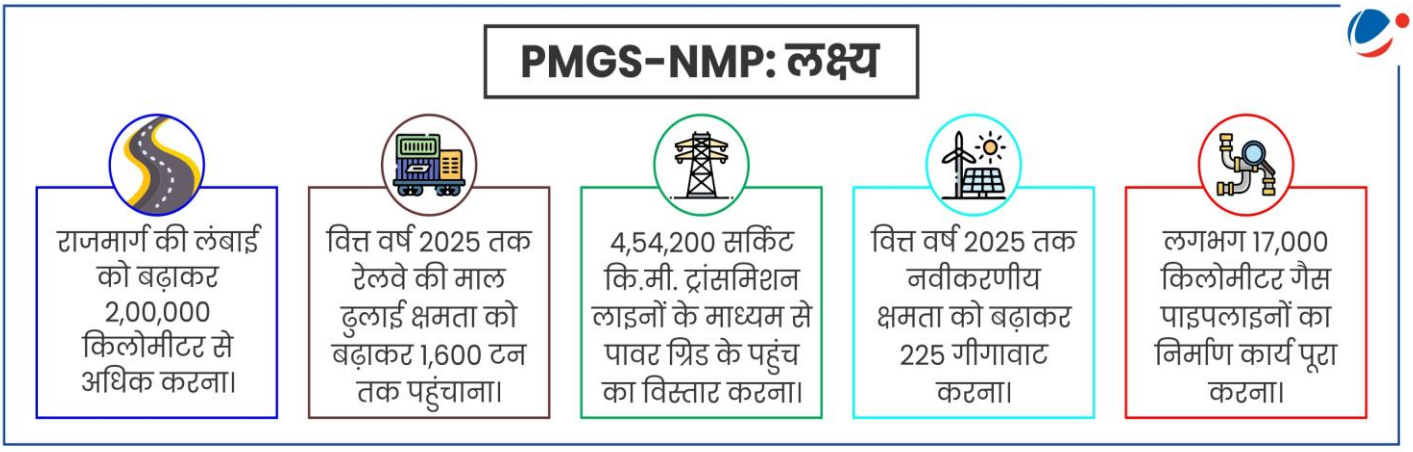


## 9.2. भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) फ्रेमवर्क {Public-Private Partnership (PPP) Framework in India}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

विश्व बैंक समूह द्वारा जारी 'बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट' रिपोर्ट में विश्व की **140 अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के विनियामक क्षेत्र का विश्लेषण** किया गया है।

**भारत में मौजूदा PPP विनियामक फ्रेमवर्क**

- **आर्थिक कार्य विभाग (केंद्रीय वित्त मंत्रालय) के तहत निजी निवेश इकाई:** यह इकाई PPP से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार है।

[101] Geographic Information System

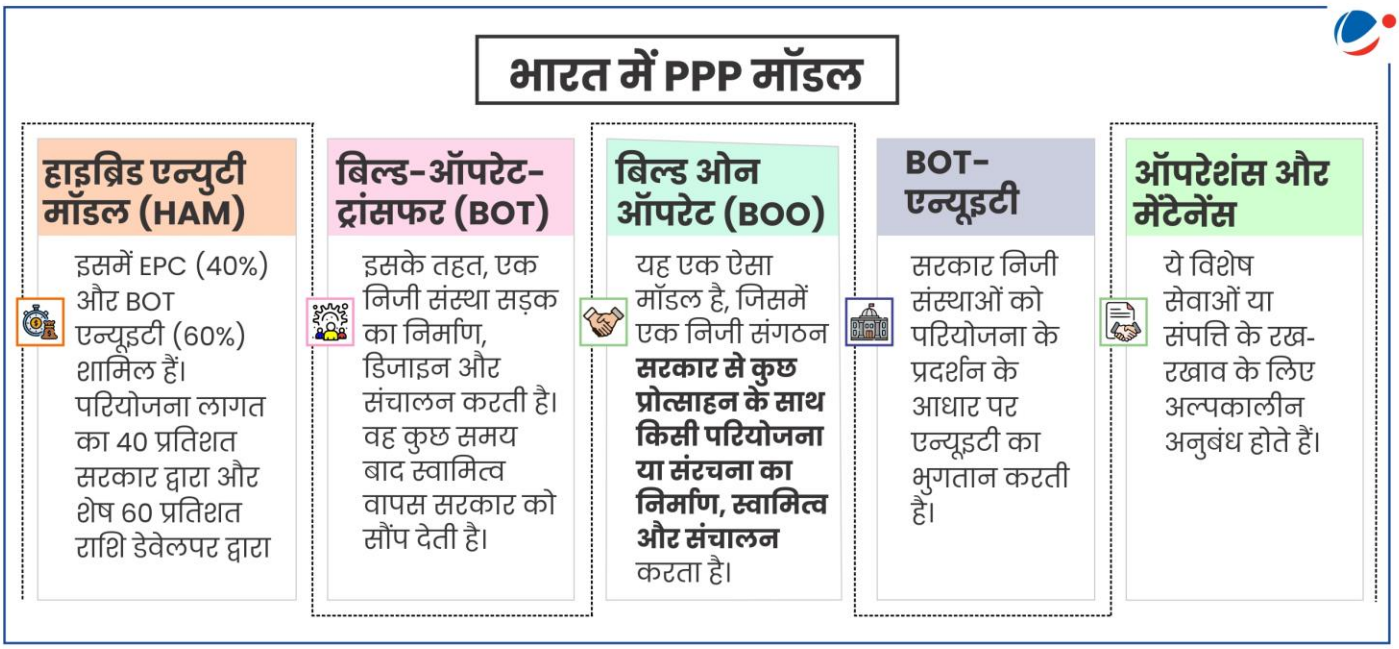


**महत्वपूर्ण पहलें**

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है।
- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):** इसका उद्देश्य मौजूदा सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके निवेश प्राप्त करना है। इसके तहत **चार वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025) में 6.0 लाख करोड़ रुपये का मुद्रीकरण** का लक्ष्य रखा गया है।
- **वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम (VGF):** यह परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ाने (लाभकारी बनाने) के लिए परियोजना लागत का **40% तक पूंजी अनुदान** प्रदान करती है।
- **भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (IIPDF)[102]:** इसका उद्देश्य उत्कृष्ट PPP परियोजनाओं के विकास के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों[103] को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** अधिकतर क्षेत्रकों की PPP परियोजनाओं में **स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (SPVs) की इक्विटी में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI** की अनुमति दी गई है।

## 9.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के जरिए 15,624.9 करोड़ रुपये प्राप्त किया है। यह NHAI द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण है।

**परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) के बारे में**

- **परिभाषा:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उसकी संस्थाओं के लिए राजस्व के नए स्रोत प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। किसी सार्वजनिक निकाय के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को **सार्वजनिक परिसंपत्ति** कहा जाता है, जैसे- सड़क, हवाई अड्डे, पाइपलाइन आदि।
- **उत्पत्ति:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण का सुझाव पहली बार **2012** में अर्थशास्त्री **विजय केलकर** की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने दिया था।

[102] India Infrastructure Project Development Fund

[103] Project sponsoring authorities

- परिसंपत्ति मुद्रीकरण की घोषणा **केंद्रीय बजट 2021-22** में **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन** के जरिए की गई थी।

- **प्रक्रिया: परिसंपत्ति मुद्रीकरण** में निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्रक की इकाई को प्रदान की गई **सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्ति का लाइसेंस/ पट्टा** शामिल होता है।
  - भुगतान के बदले परिसंपत्ति उपयोग के अधिकारों का हस्तांतरण एक रियायती समझौते द्वारा शासित होता है। इसमें **जोखिम को** संतुलित आधार पर **सार्वजनिक प्राधिकरण** और **निजी पक्षकारों के बीच** साझा किया जाता है।

**परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए की गई पहलें**

- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):** सरकार ने अपनी **ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रकों की पहचान** की है।
  - **ये शीर्ष 5 क्षेत्रक कुल मुद्रीकरण पाइपलाइन के लगभग 83% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्षेत्रक हैं;** सड़कें (27%), रेलवे (25%), विद्युत (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) तथा दूरसंचार (6%)।
- **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)[104]:** यह एक SPV है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

## 9.4. औद्योगिक पार्क (Industrial Parks)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय बजट 2024-25 में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। इन 12 औद्योगिक पार्कों को **"राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम"** के तहत मंजूरी दी जाएगी।

**औद्योगिक पार्कों के बारे में**

औद्योगिक पार्क ऐसे आर्थिक क्षेत्र होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से **औद्योगिक गतिविधियों के समूह को समायोजित** करने के लिए विकसित किया जाता है, उदाहरण के लिए- **आंध्र प्रदेश का श्री सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र।**

**राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के बारे में**

- **उद्देश्य:** इसके तहत **औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास** किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य **भविष्य के औद्योगिक शहरों को विकसित करना** है। ये शहर **विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा** करने में सक्षम होंगे।
- **परियोजनाएं:** इसके तहत **11 औद्योगिक गलियारे विकसित** किए जा रहे हैं। इनमें **32 परियोजनाएं** शामिल हैं, जिन्हें **4 चरणों में विकसित** किया जाना है।
  - **प्रथम औद्योगिक गलियारा-** दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के विकास को 2007 में मंजूरी दी गई थी।
- **कार्यान्वयन फ्रेमवर्क:** इस कार्यक्रम को **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) तथा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (NICDC)** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - **केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष निगरानी प्राधिकरण कार्यान्वयन की समीक्षा** करता है।

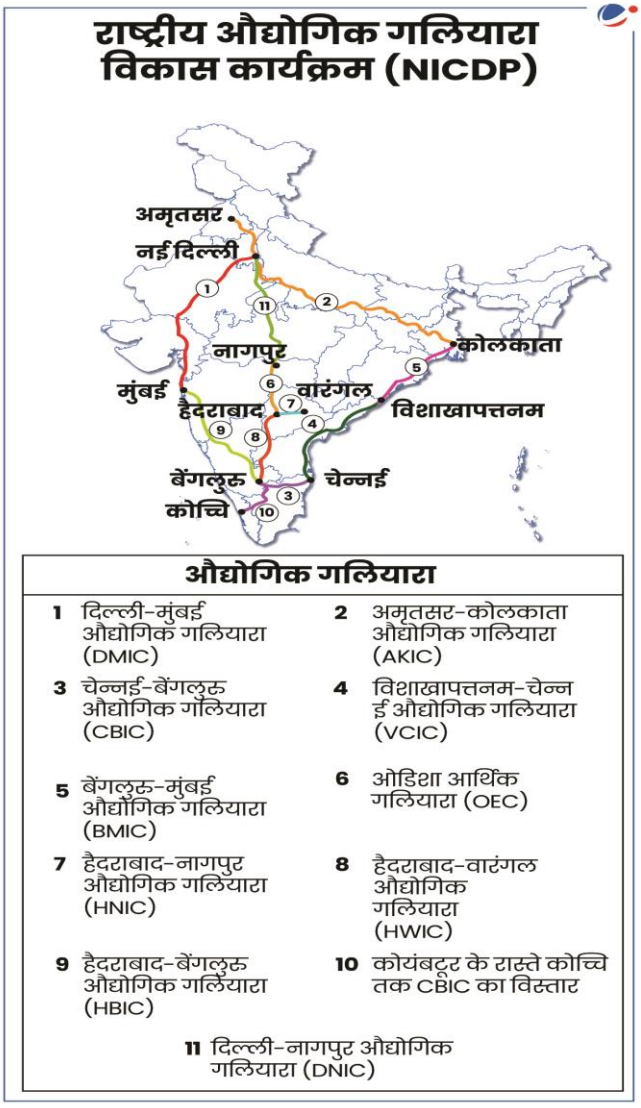


[104] National Land Monetization Corporation

**संबंधित सुर्ख़ियां**

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत **12 नए औद्योगिक नोड्स/ शहरों को मंजूरी** दी है।
- **12 नए औद्योगिक नोड्स/ शहरों के बारे में**
  - ये 12 नए औद्योगिक नोड्स/ क्षेत्र, रणनीतिक रूप से 10 राज्यों में अवस्थित हैं और छह प्रमुख गलियारों से जुड़े हुए हैं।
  - ये औद्योगिक क्षेत्र **उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी तथा राजस्थान के जोधपुर-पाली** में स्थित होंगे।
  - नए औद्योगिक शहरों का विकास वैश्विक मानकों के अनुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में किया जाएगा। इन्हें **'प्लग-एंड-प्ले'** और **'वॉक-टू-वर्क'** की अवधारणाओं पर **"अहेड ऑफ डिमांड"** के आधार पर विकसित किया जाएगा।

## 9.5. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector of India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार, **लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में भारत 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल** होगा।

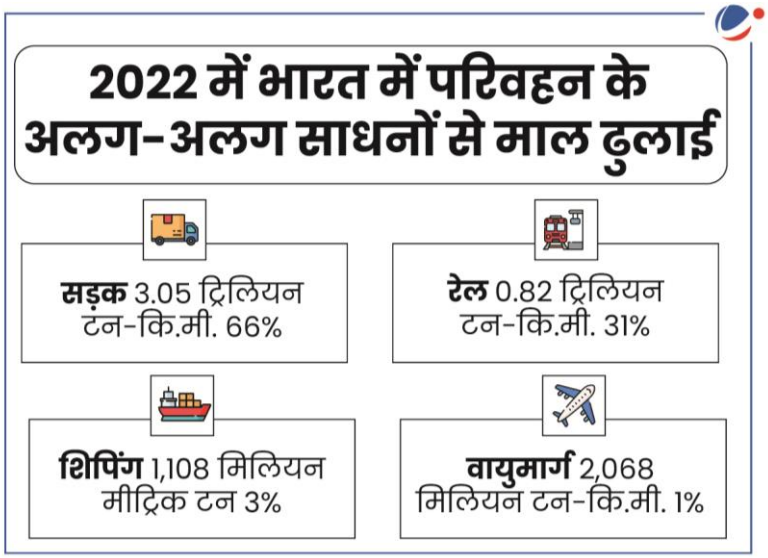


**लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) के बारे में**

- यह **विश्व बैंक समूह** द्वारा तैयार एक **इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल** है। इसे **प्रत्येक दो साल में जारी** किया जाता है।
- **उद्देश्य:** यह व्यापार से जुड़े लॉजिस्टिक्स में देशों के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के आधार पर उन्हें (देश) **रैंक** प्रदान करता है।
- **LPI के छह पैरामीटर्स:**
  - सीमा शुल्क का प्रदर्शन;
  - अवसंरचना की गुणवत्ता;
  - शिपमेंट की व्यवस्था में सुगमता;
  - लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता;
  - ट्रैकिंग और ट्रेसिंग; तथा
  - समयबद्धता
- **रैंकिंग:** इसे **विश्व बैंक** ने जारी किया है। 139 देशों में **भारत 38वें स्थान** पर है (2023)। **2018 में भारत 44वें** स्थान पर था। इस तरह भारत की **रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार** हुआ है।

**भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्रक में सुधार के लिए उठाए गए कदम**

- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (NLP) 2022**: यह **सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के विकास** से संबंधित है। इसमें प्रक्रिया में सुधार, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार, **डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल** आदि शामिल हैं।
  - **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति** के तहत **"व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (CLAP)**[105] शुरू की गई है। इसमें आठ कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली, सेवा सुधार फ्रेमवर्क आदि शामिल हैं।
- **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (MMLPs):** केंद्र सरकार ने **35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की स्थापना** की योजना बनाई है। इसके लिए **6.2 बिलियन डॉलर की राशि निवेश** की जाएगी।

[105] Comprehensive Logistics Action Plan

- **भारतमाला परियोजना:** इस कार्यक्रम के तहत लगभग **65,000 किलोमीटर** राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण दो चरणों में किया जाना है।
- **समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFCs)[106]:** राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में कुल माल ढुलाई में रेल से ढुलाई की हिस्सेदारी को **27% (2019) से बढ़ाकर 45% (2030)** करने का लक्ष्य रखा गया है।
  - DFCCIL **भारतीय रेलवे** का एक **स्पेशल पर्पज व्हीकल** है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) की **योजना बनाना और विकास करना, वित्तीय संसाधनों को जुटाना तथा निर्माण, रखरखाव और संचालन करना।**
  - इसे **2006 में भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत पंजीकृत किया गया था।
- **लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन कार्यक्रम (LEEP):** इसे माल ढुलाई परिवहन दक्षता में सुधार के लिए शुरू किया गया है।
- **पीएम गतिशक्ति:** यह लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार पर लक्षित है।
- **अन्य: लॉजिस्टिक्स को अवसंरचना का दर्जा दिया गया, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP), विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (LEADS) सूचकांक आदि।**

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS)**

- **रूस ने भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS)** के मसौदे को मंजूरी दी है।
- **RELOS के बारे में:**
  - यह समझौता भारत और रूस की सेनाओं को **एक-दूसरे के सैन्य अड्डों और बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक्स एवं सहायता सुविधाएं** प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
    - यह युद्ध और शांति-कालीन मिशनों के दौरान घरेलू **बंदरगाहों एवं सैन्य अड्डों से दूर सेवा देते समय युद्धपोतों व विमानों को ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, जहाजों की बर्थिंग तथा सैनिकों के लिए राशन** प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- **अन्य देश जिनके साथ भारत ने ऐसे ही समझौते किए हैं:** संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया।

## 9.6. भारत का पत्तन क्षेत्रक (India's Port Sector)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी।

**वधावन बंदरगाह या पत्तन के बारे में**

- वधावन बंदरगाह का निर्माण **महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू शहर** के पास किया जा रहा है। इसे भारत के **13वें महापत्तन (Major port)** के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- यह **देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट** होगा। साथ ही, यह **भारत के सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाहों में शामिल** होगा।

[106] Dedicated Freight Corridors

- यह पत्तन **लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल** के तहत संचालित होगा।
  - लैंडलॉर्ड मॉडल में, जहां पोर्ट अथॉरिटी **विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड (भूस्वामी) के रूप में** कार्य करती है, वहीं **निजी कंपनियां** बंदरगाह का **संचालन** करती हैं।

**भारत का पत्तन क्षेत्रक**

- भारत का **मात्रा (Volume) की दृष्टि से लगभग 95% व्यापार** और **मूल्य (Value) की दृष्टि से लगभग 70% व्यापार** समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।
- **विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स** के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत **22वें स्थान** पर है और यहां **"टर्न अराउंड टाइम"** 0.9 दिन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की तुलना में बेहतर है।
- वर्तमान में, भारत में **12 महापत्तन** (13वां वधावन और 14वां गैलाथिया) और 200 से अधिक **लघु पत्तन** हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** के पास है।
  - भारत का सबसे पुराना महापत्तन **कोलकाता बंदरगाह** है। इसका नाम अब **श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन** रखा गया है। यह **भारत का एकमात्र नदी-महापत्तन (Riverine port)** है।
  - **मुंबई पोर्ट** भारत का **सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन और हार्बर** है।
  - **कामराजर पत्तन और एन्नोर पोर्ट, तमिलनाडु** में स्थित है। यह भारत का एकमात्र **निगमित महा पत्तन**[107] है। यह पत्तन एक **कंपनी के रूप में पंजीकृत** है।

| बड़े बंदरगाह/ महापत्तन | लघु बंदरगाह/ पत्तन |
|---|---|
| • महापत्तनों का प्रशासन सीधे **केंद्र सरकार द्वारा** किया जाता है।<br>• भारत के महापत्तनों का विनियमन, संचालन और योजना निर्माण **महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021** के तहत किया जाता है।<br>• महापत्तनों का संचालन संबंधित **महापत्तन प्राधिकरणों** द्वारा **लैंडलॉर्ड मॉडल** के आधार पर किया जाता है।<br>• **महापत्तनों में निजी क्षेत्रक की भागीदारी की स्थिति:**<br>  ○ इन्हें रियायत समझौते के माध्यम से **विशेष परियोजनाओं के लिए अनुमति** दी जाती है।<br>  ○ रियायत अवधि समाप्त होने के बाद परिसंपत्ति महापत्तन प्राधिकरण को सौंप दी जाती है। | • लघु पत्तन संबंधित **राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार** में आते हैं।<br>• लघु पत्तन **भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908** के तहत शासित होते हैं।<br>• ये पत्तन **राज्य विभागों या राज्य समुद्री बोर्ड** द्वारा विनियमित किए जाते हैं।<br>• राज्य समुद्री बोर्ड/ राज्य सरकार **निजी ऑपरेटर** के साथ **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत लघु पत्तनों के विकास और संचालन के लिए एक रियायत समझौता (कन्सेशन एग्रीमेंट)** करती है। |

**भारत में बंदरगाह क्षेत्रक के लिए शुरू की गई पहलें**

- **सागरमाला कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम को **मार्च, 2015** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना, कंटेनर आवागमन में सुधार करना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
- **समुद्री अमृत काल विजन 2047:** इसे **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना तथा अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग और संधारणीय समुद्री क्षेत्रक को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन):** यह सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफ़ॉर्म है। यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के हितधारकों को जोड़कर दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाता है तथा लागत और देरी को कम करता है।

[107] corporatized major port

- **सागर मंथन:** यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा उसके संगठनों के लिए **रियल टाइम परफॉरमेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड** प्रदान करता है।
- **सागर-सेतु:** यह एक मोबाइल ऐप है। यह रियल टाइम आधार पर **बंदरगाह संचालन, निगरानी तथा जहाज, कार्गो, कंटेनर, वित्त और विनियामक प्राधिकरण से जुड़े डेटा** प्राप्ति को आसान बनाकर ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ाता है।

### 9.6.1. पत्तन क्षेत्रक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम (Other Key Developments Related to Port Sector)

| घटनाक्रम | विवरण |
|---|---|
| भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) | • हाल ही में, **केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण** द्वारा निर्मित **नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार** का उद्घाटन किया।<br>• **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) के बारे में:**<br>○ LPAI गृह मंत्रालय के **सीमा प्रबंधन विभाग** के अंतर्गत एक **वैधानिक निकाय** है।<br>○ **उद्देश्य:** यह **भूमि पत्तन के संचालन और प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार है।**<br>▪ भूमि पत्तन **अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित ऐसे क्षेत्र होते हैं, जिन्हें भूमि सीमा शुल्क स्टेशन या आव्रजन जांच चौकियों** के रूप में अधिसूचित किया जाता है। यहां **यात्रियों और माल की निकासी एवं परिवहन** की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।<br>○ LPAI भारत की भू-सीमाओं पर **एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) की स्थापना, संचालन और प्रबंधन** के लिए भी जिम्मेदार है।<br>○ ICPs एक ऐसा एकल परिसर है, जिसमें सभी विनियामक एजेंसियां स्थित होती हैं। ये एजेंसियां व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के **साथ-साथ सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी समाधान** करती हैं। |
| मरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण | • **मरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण को एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स (ESI) प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता** के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद विश्व स्तर पर मान्यता मिली है।<br>• **मरमुगाओ पत्तन के बारे में:**<br>○ यह **गोवा** में स्थित भारत का एक **महापत्तन (Major port) है।** यह ESI के माध्यम से **ग्रीन शिप इंसेंटिव्स (हरित श्रेय योजना) शुरू करने वाला भारत का पहला पत्तन है।**<br>▪ **हरित श्रेय योजना (2023) के बारे में:** इसके तहत **अनुकूल ESI स्कोर वाले जहाजों को प्रोत्साहित** किया जाता है; साथ ही, **डीकार्बोनाइजेशन और ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा** भी दिया जाता है।<br>• **एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स (ESI) प्लेटफॉर्म**<br>○ **ESI को 2011 से अंतर्राष्ट्रीय पत्तन एवं बंदरगाह संघ (IAPH)** द्वारा प्रकाशित किया जाता है।<br>○ यह उन जहाजों की पहचान करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के वर्तमान उत्सर्जन मानकों द्वारा तय सीमा की तुलना में वायु उत्सर्जन को कम करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। |
| शुष्क बंदरगाह (Dry Ports) | • हाल ही में, **पटना के निकट बिहटा में बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह** का उद्घाटन किया गया।<br>• **शुष्क बंदरगाहों के बारे में**<br>○ इन्हें **अंतर्देशीय बंदरगाह (Inland port)** के रूप में भी जाना जाता है। ये वास्तव में **अंतर्देशीय टर्मिनल** होते हैं। इनका उद्देश्य **रेल या सड़क मार्ग से समुद्री बंदरगाह को कनेक्टिविटी प्रदान** करना है।<br>○ इनमें **अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS), एयर फ्रेट स्टेशन (AFS)** आदि शामिल हैं।<br>○ **मुख्य लाभ:**<br>▪ ये बंदरगाह **भू-आबद्ध (Landlocked) राज्यों/ क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक दक्ष और किफायती सुविधा** प्रदान करते हैं।<br>▪ **तटीय बंदरगाहों पर बोझ कम** करते हैं।<br>▪ ये **यातायात की भीड़ को कम** करते हैं और **दक्षता में सुधार** लाते हैं। |
| कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक (CPPI) | • इसे **विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस** ने CPPI, 2023 जारी किया है।<br>• **सूचकांक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**<br>○ कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में **शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 9 भारतीय बंदरगाह** भी शामिल हैं।<br>○ CPPI 2023 में **सर्वोच्च रैंकिंग वाला कंटेनर बंदरगाह चीन का यांगशान पोर्ट** है। |

## 9.7. भारतीय रेलवे की सुरक्षा (Indian Railways Safety)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, पिछले कुछ महीनों में ट्रेन के पटरी से उतरने/ टकराने की कई घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है।

**भारत में रेल दुर्घटनाएं**

- पिछले पांच वर्षों में **75% रेल दुर्घटनाएं, रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण** हुई हैं।
- गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या 2000-01 की 473 से घटकर 2022-23 में 48 रह गई है।
    - गंभीर ट्रेन दुर्घटनाएं वे हैं, जिनके गंभीर परिणाम सामने आते हैं, जैसे कि **बहुत अधिक संख्या में लोगों की मौत या घायल होना।**

**रेलवे सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम**

- **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK):** इसकी स्थापना वर्ष 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपये की निधि से की गई थी। इसे पाँच वर्ष की अवधि में रेलवे सुरक्षा से जुड़ी महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं को अपग्रेड करने संबंधी कार्यों के लिए स्थापित किया गया था।
- **लिंक हॉफमैन बुश (LHB) कोचों को तेजी से अपनाना: LHB** कोचों को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) के कोचों की तुलना में **कहीं अधिक सुरक्षित** माना जाता है।
- **कवच प्रणाली (KAVACH System):** तकनीकी भाषा में इसे **ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS) या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (ATP) सिस्टम** के नाम से जाना जाता है। यह सिस्टम कैब सिग्नलिंग जैसी विशेषताएं से युक्त है जो उच्च रफ्तार और कोहरे वाले मौसम में भी कार्य कर सकता है।

## 9.8. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक (National Bank for Financing Infrastructure and Development: NaBFID)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्र सरकार ने **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत NaBFID को **सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (PFI)** के रूप में अधिसूचित किया है।

**सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (PFI) के बारे में**

- केवल उन संस्थानों को **PFI के रूप में अधिसूचित** किया जा सकता है, जो किसी **केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित हों या जिनकी कम-से-कम 51% पेड-अप कैपिटल केंद्र या राज्य सरकार के पास हो।**

**राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक (NaBFID) के बारे में**

- इसकी स्थापना 2021 में **'राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021** द्वारा की गई थी। इसे अवसंरचना पर केंद्रित **विकास वित्तीय संस्थान (DFI)** के रूप में स्थापित किया गया है।

- **उद्देश्य:**
  - भारत में **अवसंरचना क्षेत्रक की दीर्घकालिक वित्त-पोषण आवश्यकताओं** को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना।
  - भारत में **बॉण्ड्स और डेरिवेटिव्स के बाजार के विकास को मजबूत** करना।
  - देश की **अर्थव्यवस्था को सतत रूप से बढ़ावा** देना।
- **विनियमन:** इसका विनियमन और पर्यवेक्षण **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** द्वारा **अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI)** के रूप में क्रमशः RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45L और 45N के तहत किया जाता है।
- **शेयरधारिता:** इस संस्था की संपूर्ण शेयरधारिता **वर्तमान में भारत सरकार के पास** है।

# 10. सेवाएं (Services)

## 10.1. ई-कॉमर्स (E-commerce)

**सुर्खियों में क्यों?**

इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार, भारत के ई-कॉमर्स बाजार के 2030 तक बढ़कर 325 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

**ई-कॉमर्स के बारे में**

- **ई-कॉमर्स की वर्तमान स्थिति:** 2022 में, इस **क्षेत्रक का आकार 70 बिलियन डॉलर** का था। भारत के **समग्र खुदरा बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 7%** है।
- **प्रमुख ई-कॉमर्स मॉडल्स:**
  - **इन्वेंटरी आधारित मॉडल:** इसमें, **वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंटरी एक ई-कॉमर्स संस्था के स्वामित्व** में होती है। इन्हें **उपभोक्ताओं को सीधे बेचा** जाता है।
    - इसमें **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति नहीं** है।
  - **बाजार आधारित मॉडल:** इसमें एक ई-कॉमर्स संस्था **खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एक प्लेटफॉर्म** प्रदान करती है। जैसे- अमेज़न।
- इस मॉडल में **स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति** है।

**ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने से संबंधित मुख्य पहलें**

- **ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति:** इसका उद्देश्य **ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास के लिए एक सुविधाजनक विनियामक परिवेश** बनाना है।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** यह **ओपन सोर्स ई-कॉमर्स नेटवर्क** है, जो **दुकानदारों, प्लेटफॉर्म्स और खुदरा विक्रेताओं** को जोड़ता है।
- **अन्य पहलें:** उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022; इंडिया स्टैक आदि।

**संबंधित सुर्खियां**

**इक्विलाइजेशन लेवी**

- केंद्र सरकार ने **2% की इक्विलाइजेशन लेवी को समाप्त कर** दिया है। **विदेशी (नॉन-रेजिडेंट) ई-कॉमर्स कंपनियों** को इसका भुगतान करना पड़ता था।
- **इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में:**
  - यह **लेवी 2016 में** शुरू की गई थी। शुरुआत में यह **डिजिटल ऐड स्पेस का उपयोग करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों और इस पर किए जाने वाले भुगतानों पर 6% की दर** से लगाई गई थी। यह वास्तव में उन विदेशी कंपनियों पर लगाई गई थी, **जिनका भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन वे भारत में डिजिटल लेन-देन से राजस्व अर्जित** कर रही थीं।
  - 2020 में इस कर का दायरा बढ़ा दिया गया था। अब यह लेवी उन **ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर भी लगाई जाने लगी, जो भारत के निवासियों को ई-कॉमर्स के जरिए आपूर्ति या सेवाएं प्रदान** कर रहे हैं।
    - अब **भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (कार्यालय) वाले विदेशी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी इस कर के दायरे** में लाया गया। **लेवी की दर 2%** रखी गई।
  - **उद्देश्य:** निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; समानता सुनिश्चित करना और व्यवसायों पर कर लगाने के सरकार के अधिकार का उपयोग करना।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
2025 | ENGLISH MEDIUM 25 JANUARY | हिन्दी माध्यम 25 जनवरी
2026 | ENGLISH MEDIUM 25 JANUARY | हिन्दी माध्यम 9 फरवरी

## 10.1.1. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) {Open Network for Digital Commerce (ONDC)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग** के तहत ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में ONDC को **"नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग"** श्रेणी के अंतर्गत **स्वर्ण पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।

**ONDC के बारे में**

- ONDC को **कंपनी अधिनियम की धारा 8** के तहत **गैर-लाभकारी** उद्देश्यों वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। यह **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** की एक पहल है।
- **उद्देश्य:** सभी प्रकार और आकार के विक्रेताओं को शामिल करते हुए सभी आबादी समूहों का समावेशन सुनिश्चित करते हुए **ई-कॉमर्स की पहुंच बढ़ाना** अर्थात् **डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण** करना।
- **संस्थापक सदस्य:** इसके संस्थापक सदस्य **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) और प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं।**
- यह **नेटवर्क-केंद्रित मॉडल** है, जो खरीदारों, प्लेटफॉर्म्स और रिटेल विक्रेताओं को जोड़ता है। यह **ओपन स्पेसिफिकेशन और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग** करता है। यह किसी प्लेटफॉर्म विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है।
  - **नेटवर्क-केंद्रित मॉडल** परस्पर जुड़े हुए उपयोगकर्ताओं या एक साथ कार्य करने वाली प्रणालियों पर केंद्रित होता है। ये आमतौर पर विकेंद्रित होते हैं।
  - **प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल** के तहत एकल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता आपस में संपर्क करते हैं, उदाहरण के लिए- अमेजन, उबर, फ़ेसबुक आदि।

**संबंधित सुर्ख़ियां**
**सारथी ऐप**

- **भाषिणी (Bhashini)** के सहयोग से **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने ई-कॉमर्स को समावेशी बनाने के लिए सारथी रेफरेंस ऐप** लॉन्च किया है।
  - **राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन** के तहत भाषिणी (2022) का उद्देश्य **संविधान में अनुसूचित 22 भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी आधारित अनुवाद सेवाएं प्रदान** करना है।
- **सारथी ऐप के बारे में:**
  - इसका उद्देश्य बहुभाषी सुविधाओं वाले **बायर्स ऐप बनाने में कारोबारियों की सहायता** करना है।
  - यह शुरुआत में **हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला और तमिल भाषा** में उपलब्ध होगा। बाद में इसमें **सभी 22 अनुसूचित भाषाओं को शामिल** करने की योजना है।

## 10.1.2. एंटी-ट्रस्ट कानून (Antitrust Laws)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एंटी-ट्रस्ट गतिविधियों पर जांच की। इस जांच में पाया गया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने **एक्सक्लूसिव लॉन्च की पेशकश करके; चुनिंदा विक्रेताओं को वरीयता देकर तथा कुछ लिस्टिंग्स को प्राथमिकता प्रदान करके** स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानूनों (एंटी-ट्रस्ट कानूनों) का उल्लंघन किया है।

**भारत में ई-कॉमर्स से संबंधित एंटी-ट्रस्ट फ्रेमवर्क**

- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित):** इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा-रोधी पद्धतियों को रोकना, प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग को रोकना तथा संयोजनों (विलय, समामेलन और अधिग्रहण) को विनियमित करना है।
- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020:** ये नियम ई-कॉमर्स संस्थाओं पर समान अवसर बनाए रखने, किसी भी उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा न देने, उपभोक्ता के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए भ्रामक पद्धतियों का उपयोग न करने आदि की ज़िम्मेदारी डालते हैं।

**भारत में ई-कॉमर्स कंपनियों के संचालन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध**

- **एक्सक्लूसिव (अनन्य) बिक्री पर प्रतिबंध:** कोई भी विक्रेता अपने उत्पादों को किसी भी मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म पर अनन्य रूप से (Exclusively) नहीं बेच सकता है। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सभी विक्रेताओं को "निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से" सेवाएं** प्रदान की जानी चाहिए।

- सेवाओं में **आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, विज्ञापन, भुगतान और वित्त-पोषण** शामिल हैं।

- **विक्रेताओं द्वारा खरीद पर प्रतिबंध:** यदि कोई भी विक्रेता किसी **ई-कॉमर्स समूह कंपनी से अपनी इन्वेंट्री का 25% या उससे अधिक खरीदता** है, तो उसे उस **ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा नियंत्रित** माना जाएगा। इस प्रकार उसे उस कंपनी के पोर्टल पर बिक्री करने से रोक दिया जाएगा।

**भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में**

- **स्थापना:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत 2003** में की गई थी। हालांकि, **प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और वर्चस्व के दुरुपयोग से निपटने** से संबंधित प्रावधान **20 मई, 2009** को अधिसूचित किए गए थे। इसलिए CCI ने पूर्ण रूप से 2009 में कार्य करना शुरू किया था।
- **संरचना/ सदस्य:** CCI में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त **एक अध्यक्ष और 6 सदस्य** होते हैं।
- **सौंपे गए कार्य:** CCI को सौंपे गए मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
  - प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना;
  - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना;
  - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना; तथा
  - भारत के बाजारों में व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

# 11. खनन, ऊर्जा और उद्योग (Mining, Energy & Industry)

## 11.1. भारत में कोयला क्षेत्र (Coal Sector in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने **कोल इंडिया लिमिटेड के तहत प्रमुख कोयला खदान परियोजनाओं के लिए ग्लोबल माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स (MDOs)** को शामिल करके कोयला खनन में क्रांति लाने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल शुरू की है।

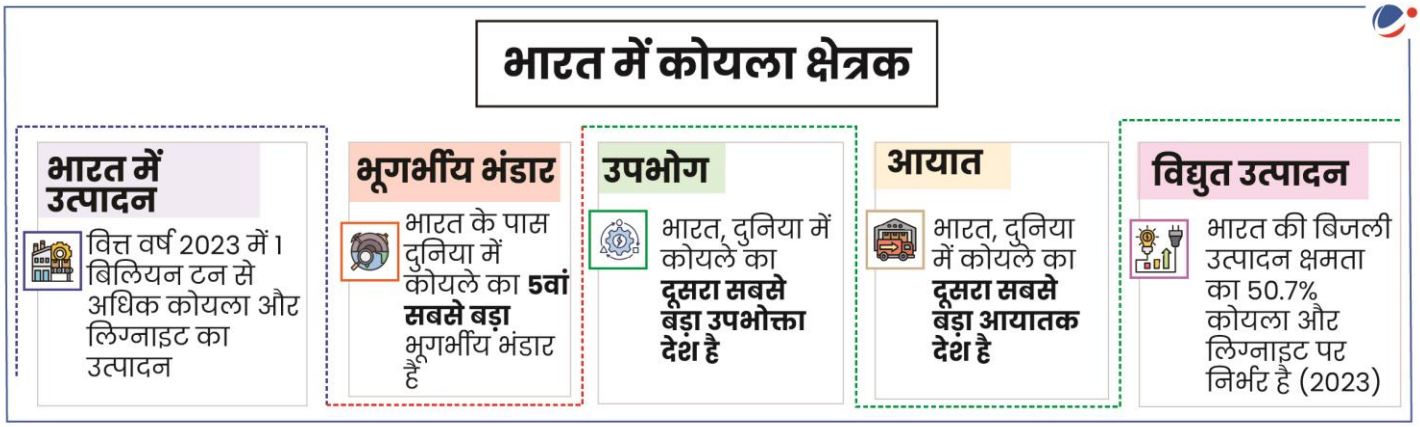


**कोयला क्षेत्रक में स्थायी समस्याएं/ चुनौतियां**

- **आयात पर अधिक निर्भरता:** इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में **उच्च ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (GCV) वाले कोयले की उपलब्धता कम** है। उच्च ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू वाले कोयले में राख (ऐश) और सल्फर की मात्रा कम होती है।
  - **लोहा और इस्पात** जैसे क्षेत्रक कोकिंग कोयले के प्रमुख आयातक हैं।
    - देश में उत्पादित **कोकिंग कोयले** में 28 से 42% तक राख होती है। वहीं, **आयातित कोकिंग कोयले** में राख का प्रतिशत 10% से कम होता है।
- **कोल इंडिया लिमिटेड का प्रभुत्व: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति में 80% से अधिक का योगदान देता है।

**कोयला क्षेत्र में आयात को कम करने में सहायक सुधार/ पहलें**

- **कोयला खान (विशेष उपबंध) (CMSP) अधिनियम, 2015:** इस अधिनियम ने निजी संस्थाओं को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कोयला खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी की अनुमति दी।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021:** इसने खनन लाइसेंस के आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। कोयला के लिए विशेष रूप से **समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा (PL-cum- ML)**[108] की अनुमति दी गई।
  - समग्र **PL-cum-ML** दो चरणों वाली रियायत है जो अन्वेषण कार्यों के बाद खनन कार्यों को निर्बाध तरीके से करने के लिए दी जाती है।
  - इसके अलावा, इसने कैप्टिव खनन कंपनियों को कोयले के अंतिम उपयोग पर प्रतिबंधों में ढील दी।
- **कोयला खनन में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है।**
- **राजस्व साझाकरण मॉडल (RSM):** यह **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** परियोजनाओं के विकास का एक तरीका है। इसके तहत **निजी कंपनियां अपने राजस्व का एक हिस्सा सरकार के साथ साझा** करती हैं। इसके विपरीत, **उत्पादन साझाकरण अनुबंध (PSCs)** में निजी कंपनियां **अपने लाभ का एक हिस्सा सरकार के साथ साझा** करती हैं।
  - भारत सरकार ने **2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (HELP)** जारी की थी। **राजस्व साझाकरण मॉडल,** उत्पादन साझाकरण अनुबंध को प्रतिस्थापित करता है।

[108] Composite Prospecting Licence-cum-Mining Lease

**कोयले के बारे में**

- कोयला आसानी से जलने वाली, काले या भूरे रंग की **तलछटी चट्टान** (Sedimentary Rock) है, जो मुख्य रूप से **कार्बन** से बना होता है।
  - कोयले का आरंभिक रूप 'पीट' है। **पीट** एक नरम, कार्बनिक पदार्थ है जिसमें आंशिक रूप से अपघटित वनस्पतियां और खनिज पदार्थ होते हैं।

**भारत में पाई जाने वाली कोयले की किस्में:**

- **एंथ्रेसाइट:** यह कोयले का उच्चतम ग्रेड है जिसमें उच्च प्रतिशत में स्थिर (फिक्स्ड) कार्बन होता है।
  - यह कठोर, भंगुर, काला और चमकदार होता है। यह जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में कम मात्रा में पाया जाता है।
- **बिटुमिनस:** यह मध्यम ग्रेड का कोयला है जिसमें उच्च हीटिंग क्षमता होती है। यह भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कोयला है।
- **सब-बिटुमिनस:** यह काले रंग का होता है और चमकदार नहीं होता। इसमें लिग्नाइट से अधिक उच्च हीटिंग गुण होता है।
- **लिग्नाइट:** यह सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है जिसमें सबसे कम कार्बन सामग्री होती है। यह राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में पाया जाता है।
- भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष तीन राज्य **ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़** हैं। कुल कोयला संसाधनों में इनका योगदान लगभग 69% है।

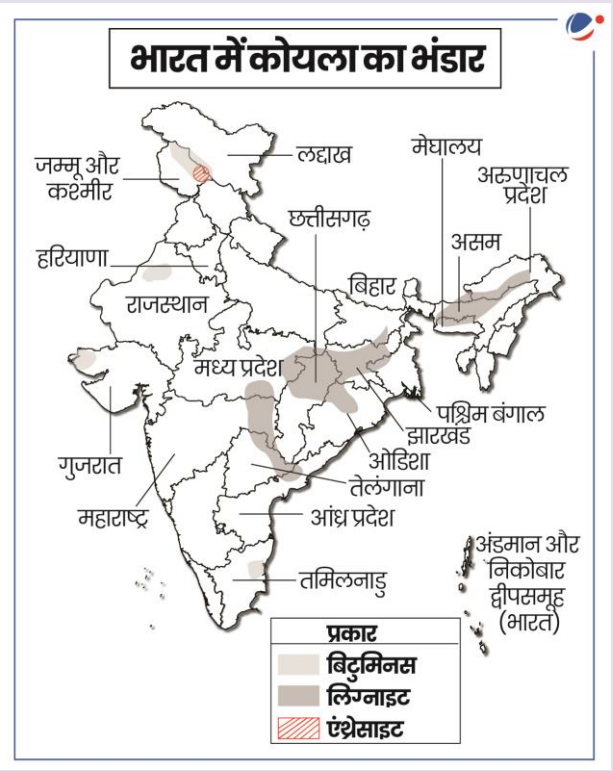


## 11.2. भारत में अपतटीय खनिज (Offshore Minerals in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 2002 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024 तैयार किए हैं।

**भारत में अपतटीय खनिजों के बारे में**

- **अपतटीय खनन:** यह 200 मीटर से अधिक की गहराई पर, **गहरे समुद्र तल से खनिज भंडार प्राप्त करने की प्रक्रिया** है।
- **विस्तार:** दो मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के **भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में बड़ी मात्रा में प्राप्ति योग्य अपतटीय खनिज संसाधन मौजूद** हैं।
- **खनिज भंडार:** भारत के अपतटीय खनिज भंडार में **सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज,** और विकास के लिए आवश्यक **रेयर अर्थ एलिमेंट्स** शामिल हैं।
- **भंडार:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपतटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित खनिज संसाधनों की पहचान की है:
  - गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के EEZ में **लाइम मड।**
  - ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आंतरिक-शेल्फ (मग्नतट) और मध्य-शेल्फ में **भारी खनिज प्लेसर।**
  - पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपीय सीमांत (कॉन्टिनेंटल मार्जिन) में **फॉस्फोराइट।**
  - अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर में **पॉलिमेटेलिक फेरो मैंगनीज (Fe-Mn) नोड्यूल और क्रस्ट।**

**अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024**

- **किन खनिजों पर लागू होगा:** ये नियम **सभी खनिजों पर लागू** होते हैं, **सिवाय खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन** तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की पहली **अनुसूची के भाग B में सूचीबद्ध खनिजों को छोड़कर।**
- **परिभाषाएं:** इसके लिए नियम में खनिज प्राप्ति के कई चरणों हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (UNFC) और **खनिज भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक समिति (CRIRSCO)**[109] टेम्पलेट के संशोधित संस्करण का उपयोग किया गया है। **ये चरण निम्नलिखित हैं:**

[109] Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards

- **अन्वेषण चरण (Exploration Stages): किसी भी खनिज भंडार की खोज में चार चरण शामिल होते हैं:**
  - **टोही सर्वेक्षण (Reconnaissance survey) (G4)**
  - **प्रारंभिक अन्वेषण (G3)**
  - **सामान्य अन्वेषण (G2)**
  - **विस्तृत अन्वेषण (G1)**
- **संभाव्यता अध्ययन (Feasibility Studies) चरण:** संभाव्यता अध्ययन के चरणों में- **भूवैज्ञानिक अध्ययन (F3), पूर्व-संभाव्यता अध्ययन (F2) और संभाव्यता अध्ययन (F1)** शामिल हैं।

- **अन्वेषण मानक (Exploration Standards):** नए नियम अपतटीय खनिज संसाधनों के सटीक आकलन और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए सख्त अन्वेषण मानकों को अनिवार्य करते हैं।
- **भूवैज्ञानिक अध्ययन:** अन्वेषण कार्यों के पूरा होने पर, संभावित खनिज भंडार की पुष्टि के लिए लाइसेंस-धारक द्वारा भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- **विशिष्ट अन्वेषण मानदंड:** ये नियम अलग-अलग प्रकार के खनिज भंडारों और खनिजों के लिए विशिष्ट अन्वेषण मानदंड[110] निर्धारित करते हैं। इसके तहत डीप-सी मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), हाइड्रोथर्मल खनिज नोड्यूल आदि शामिल हैं।

**गहरे समुद्र से खनन किए जा सकने वाले खनिज संसाधनों के प्रकार**

- **पॉलिमेटेलिक नोड्यूल:** ये समुद्र नितल पर पाए जाने वाले **खनिजों के छोटे व आलू के आकार के ढेर** होते हैं। इनमें **मैंगनीज और लोहे जैसी धातुओं की उच्च सांद्रता** होती है।
- **समुद्र नितल के विशाल सल्फाइड:** ये **हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास बने धातु सल्फाइड के भंडार** हैं। इनमें **तांबा, सोना, चांदी और जस्ता जैसे मूल्यवान खनिज** होते हैं।
- **कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमैंगनीज क्रस्ट:** ये क्रस्ट जैसे निक्षेप होते हैं, जो समुद्री टीला (seamounts) और अन्य जलमग्न पर्वतों पर बनते हैं।

[110] Specific Exploration Norms

## 11.3. भारत में इस्पात क्षेत्रक (Steel Sector in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **2034 तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन** का लक्ष्य निर्धारित किया है।

**भारत के इस्पात क्षेत्रक के बारे में**

- इस्पात **लोहे और कार्बन की एक मिश्रधातु** है। इसमें कार्बन की मात्रा 2% से कम, मैंगनीज की मात्रा 1% और आंशिक मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। कार्बन की मात्रा अधिक होने पर इसे **कास्ट आयरन** कहा जाता है।
- इस्पात उत्पादन **कोयले पर अत्यधिक निर्भर** है। कोयले का उपयोग लौह अयस्क में **लौह ऑक्साइड कम करके लोहा प्राप्त** करने तथा **इस्पात में आवश्यक कार्बन तत्व शामिल** करने के लिए किया जाता है।

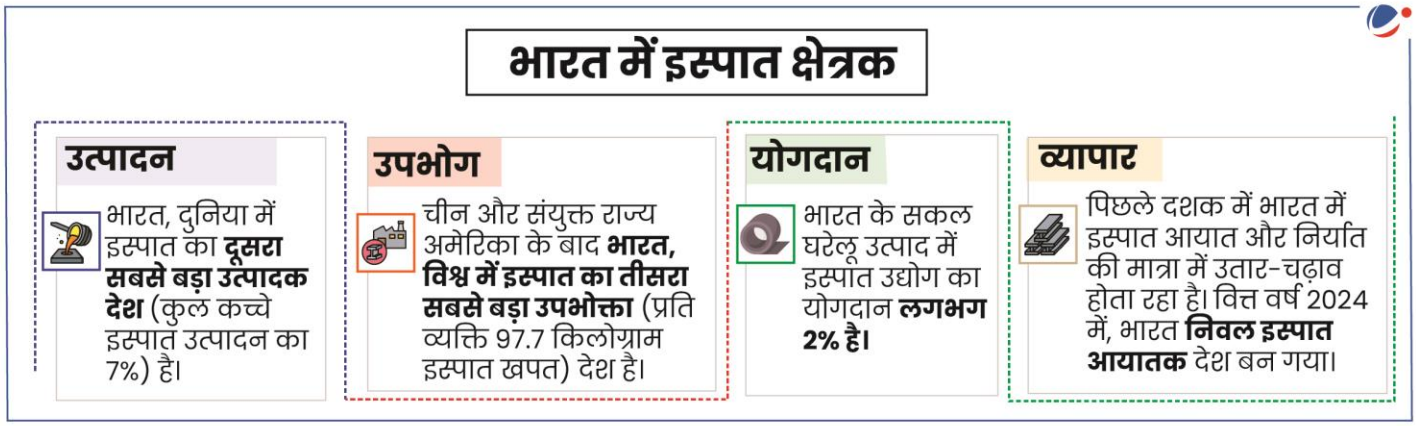


**भारत में इस्पात क्षेत्रक के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?**

- **कच्चे माल की कमी:** भारत अपनी कोकिंग कोल की ज़रूरतों को **ऑस्ट्रेलिया से महंगे आयात** के माध्यम से पूरा करता है।
- **प्रति व्यक्ति खपत कम:** 2023 में विश्व में प्रति व्यक्ति तैयार स्टील की खपत 219.3 किलोग्राम थी और चीन में यह 628.3 किलोग्राम थी। वहीं, **2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत महज 97.7 किलोग्राम** थी।
- **इस्पात उत्पादन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत:** विश्व में इस्पात उद्योग सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जित करने वाला विनिर्माण क्षेत्रक है। इसलिए, इस उद्योग का **कार्बन फुटप्रिंट का स्तर काफी अधिक** होता है।
  - भारत के लौह और इस्पात का निर्यात मुख्य तौर पर यूरोपीय संघ (EU) को किया जाता है। EU द्वारा इस्पात के आयात पर **19.8% से 52.7% तक के कार्बन टैक्स लगाने के प्रस्ताव के कारण** भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है।
- **अन्य:** लॉजिस्टिक की उच्च लागत, पूंजी की कमी, इस्पात की मांग, चक्रीय प्रकृति की होती है आदि।

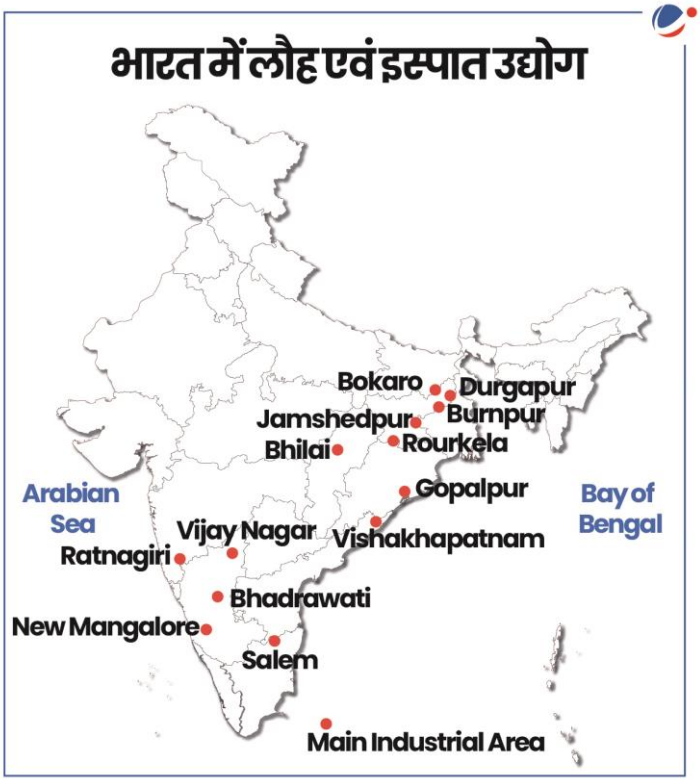


**इस्पात क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलें**

- **राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017:** इसका लक्ष्य **2030-31 तक भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 300 मिलियन टन (MT)** करना और **प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को बढ़ाकर 160 किलोग्राम** करना है।
- **'मेक इन इंडिया' पहल के साथ पी.एम. गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** इस्पात की खपत को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

- **स्पेशलिटी स्टील हेतु उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इस योजना का उद्देश्य भारत में स्पेशलिटी इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देना और पूंजी निवेश आकर्षित करके आयात को कम करना है।
- **मिशन पूर्वोदय:** यह मिशन कोलकाता में एकीकृत इस्पात हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत (ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश) के त्वरित विकास के लिए शुरू किया गया है।
- **संशोधित इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (SIMS)[111] 2.0:** इसका उद्देश्य इस्पात के आयात की अधिक प्रभावी तरीके से निगरानी करना और घरेलू इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

**इस्पात क्षेत्रक को कार्बन मुक्त बनाना**

- इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री ने **"भारत में इस्पात क्षेत्रक को हरित बनाना: रोडमैप और कार्य योजना"** रिपोर्ट जारी की है।
- **हरित इस्पात:** वैसे, भारत सरकार ने "ग्रीन इस्पात" को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना इस्पात के उत्पादन को ग्रीन स्टील यानी हरित इस्पात कहा जाता है।
  - भारत का **इस्पात उद्योग देश में 12% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार** है।

**इस्पात क्षेत्रक को कार्बन मुक्त करने के लिए शुरू की गई पहलें**

- **परफॉर्म, अचीव और ट्रेड (PAT) योजना:** यह योजना राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन[112] का हिस्सा है। यह योजना इस्पात उद्योग को ऊर्जा की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **इस्पात स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति 2019:** यह लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग के लिए **धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुगम बनाने और बढ़ावा देने** के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM):** इसके तहत इस्पात मंत्रालय को इस्पात निर्माण में **ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग** को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना के बजट का 30% हिस्सा आवंटित किया गया है।
- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS):** इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रकों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या रोकने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्पात क्षेत्रक सहित **कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट व्यापार तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करना है।**

## 11.4. बायो-इकोनॉमी (Bio-Economy)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**ग्लोबल बायो-इंडिया 2024 के चौथे संस्करण** में केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अगली औद्योगिक क्रांति जैव-अर्थव्यवस्था (बायो-इकोनॉमी) से प्रेरित होगी।

**अन्य महत्वपूर्ण तथ्य**

- ग्लोबल बायो-इंडिया **जैव प्रौद्योगिकी विभाग** और इसकी सार्वजनिक क्षेत्रक की इकाई, **जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता अनुसंधान परिषद (BIRAC)** द्वारा शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है।

**बायो-इकोनॉमी के बारे में:**

- बायो-इकोनॉमी जैविक संसाधनों (जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव), जैविक प्रक्रियाओं (जैसे कि किण्वन, जैव संश्लेषण) और विधियों पर आधारित अर्थव्यवस्था का एक रूप है। इसका उद्देश्य सभी आर्थिक क्षेत्रकों में संधारणीय तरीके से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करना है।
- **इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रक हैं:** बायोइंडस्ट्रियल, बायोफार्मा, बायोएग्रीकल्चर आदि।
- **बायो-इकोनॉमी की स्थिति:**
  - इसका आकार 2014 के **10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन** डॉलर से अधिक हो गया है।
  - **बायो-मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान** पर है।
- **बायो-इकोनॉमी का महत्त्व: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है,** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है और स्थिरता को बढ़ावा देता है, **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है** आदि।

[111] Steel Import Monitoring System

[112] National Mission for Enhanced Energy Efficiency

**बायो-इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें और नीतियां**

- भारत में **जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के इकोसिस्टम** को आगे बढ़ाने में **BIRAC (जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता अनुसंधान परिषद) सबसे महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
  - **BIRAC** ने विभिन्न उद्योगों पर केंद्रित **बायो टेक्नॉलजी इग्निशन ग्रांट स्कीम**, **बायोनेस्ट (BioNEST)** जैसी योजनाएं शुरू की हैं।
- **नीतिगत उपाय:** इसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018; राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन; जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन[113]; आदि शामिल हैं।
- **जैविक अनुसंधान विनियामक अनुमोदन पोर्टल (BioRRAP)** शुरू किया गया है। यह पोर्टल जैविक अनुसंधान हेतु विनियामकीय मंजूरी प्रदान करने वाले एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

## 11.5. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई है कि देश में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए "1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड" स्थापित किया जाएगा।

**अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संगठन**

- **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)[114]:** यह अंतरिक्ष विभाग (DoS) के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है।
  - इसके कार्यों में शामिल हैं- भारत में गैर-सरकारी निजी संस्थाओं (NGPEs)[115] की अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करना, बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना, निगरानी करना और पर्यवेक्षण करना आदि।
- **भारतीय अंतरिक्ष संघ** (ISpA)[116]: इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। ISpA एक शीर्ष और गैर-लाभकारी उद्योग संगठन है जो भारत में निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष उद्योग के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है।
- **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):** यह अंतरिक्ष विभाग के तहत अनुसूची 'A' श्रेणी की कंपनी है। इसे 2019 में ISRO की वाणिज्यिक गतिविधियों को संभालने के लिए स्थापित किया गया था।

**वेंचर कैपिटल फंड के बारे में**

- यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्ट-अप तथा लघु से लेकर मध्यम आकार तक के उद्यमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फंड प्रदान करेगा। यह फंड 2023 में **IN-SPACe** द्वारा शुरू की गई **सीड फंड योजना** जैसी पहलों का पूरक होगा।

[113] National Mission on Bioeconomy

[114] Indian National Space Promotion and Authorization Centre

[115] Non-Governmental Private Entities

[116] Indian Space Association

- **वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की आवश्यकता क्यों है?**
  - 2030 तक वैश्विक वाणिज्यिक **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को बढाकर** 10% तक करना (वर्तमान में यह 2% है)।
  - **कम ब्याज दर पर पूंजी** की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अंतरिक्ष क्षेत्र **अधिक पूंजी की आवश्यकता वाला क्षेत्रक** है।

**अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहलें**

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** यह अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गैर-सरकारी संस्थाओं की शुरू से अंत तक भागीदारी को बढ़ावा देती है।
- **स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN/ स्पिन),** अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्ट-अप तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग।
- **अटल इनोवेशन मिशन (AIM): ATL स्पेस चैलेंज** छात्रों को स्पेस सेक्टर में विशिष्ट तथा वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए दक्ष और अभिनव समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- संशोधित FDI नीति के तहत **अंतरिक्ष क्षेत्रक में 100% FDI** की अनुमति दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999** अंतरिक्ष क्षेत्रक के लिए नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों को अधिसूचित किए हैं।

| अंतरिक्ष क्षेत्रक/ गतिविधियां | FDI की ऊपरी सीमा | निवेश मार्ग |
|---|---|---|
| • उपग्रह-विनिर्माण और संचालन<br>• उपग्रह डेटा उत्पाद<br>• ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट | 100% | • **74% तक FDI: स्वचालित** मार्ग से<br>• **74% से अधिक FDI:** सरकारी मंजूरी से |
| • प्रक्षेपण यान और इससे संबंधित सिस्टम्स या सब-सिस्टम्स<br>• अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और वापस प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण | 100% | • **49% तक FDI: स्वचालित** मार्ग से<br>• **49% से अधिक FDI:** सरकारी मंजूरी से |
| • उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिए घटकों एवं सिस्टम्स/ सब-सिस्टम्स का विनिर्माण | 100% | • **100% तक FDI: स्वचालित** मार्ग से |

## 11.6. स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Voluntary Vehicle Modernization Program)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने **स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम** या **वाहन स्क्रैपिंग नीति** शुरू की है।

**स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में**

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **'पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं' (RVSFs)**[117] और **'स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATSs)**[118]**'** के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में **अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम का विकास करना** है।
- इसके तहत वाणिज्यिक और यात्री वाहनों के विनिर्माता ग्राहकों द्वारा **स्क्रैपेज सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने पर क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष की अवधि के लिए डिस्काउंट/ छूट** योजना शुरू करेंगे।
- इससे पहले, **केंद्र सरकार ने 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति** की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 15-20 साल से अधिक पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाना है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सके और नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके।

[117] Registered Vehicle Scrapping Facilities

[118] Automated Testing Stations

**स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **सर्कुलर इकोनॉमी:** इसका उद्देश्य रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर और कच्चे माल की खपत को कम करके ऑटोमोटिव क्षेत्र में **सर्कुलर इकोनॉमी** को बढ़ावा देना है।
- फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा और वाहन मालिकों को सबूत के तौर पर **सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (स्क्रैपेज सर्टिफिकेट)** प्रदान किया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल नए वाहन खरीदने पर छूट प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
- **स्क्रैपिंग के लिए आर्थिक प्रोत्साहन:**
  - वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए विनिर्माताओं ने कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है:
    - **कमर्शियल/ वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता** एक्स-शोरूम कीमत पर **3% तक की छूट** देते हैं।
    - **पैसेंजर/ यात्री वाहन व्हीकल विनिर्माता** एक्स-शोरूम कीमत पर **1.5% की छूट** देते हैं।
  - ये छूट पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं द्वारा प्रदान किए गए स्क्रैप मूल्य और सरकारी प्रोत्साहनों, जैसे- **मोटर वाहन को खरीदने में कर रियायत** व **पंजीकरण शुल्क पर छूट** आदि के अतिरिक्त हैं।

## 11.7. राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) {National Electricity Plan (Transmission)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने "राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन)" की शुरूआत की।**

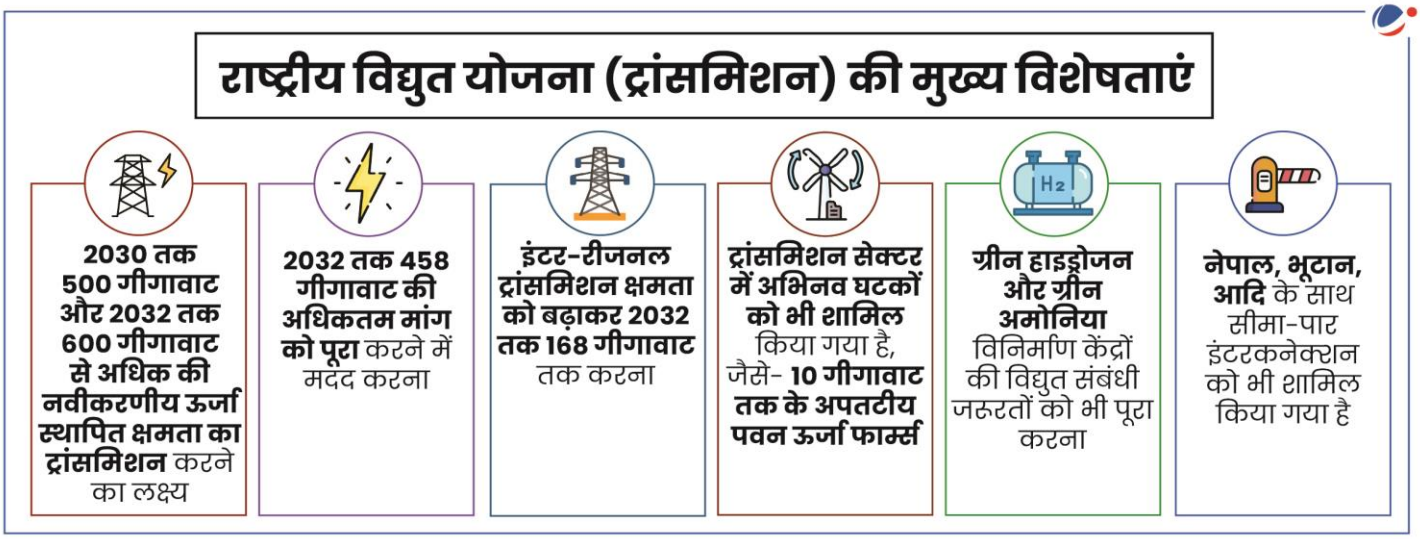


**अन्य संबंधित तथ्य**

- राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण** ने विकसित किया है।
- ट्रांसमिशन प्रणाली विद्युत उत्पादन के स्रोत और लोड /अंतिम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने वाली विद्युत वितरण प्रणाली को आपस में जोड़ती है।

**केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority: CEA)**

- इसकी स्थापना निरस्त किए जा चुके **विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948** के तहत की गई थी। इस अधिनियम की जगह **विद्युत अधिनियम, 2003** को लाया गया है।
- **सदस्य:** CEA में अध्यक्ष सहित **अधिकतम 14 सदस्य** होते हैं। इनमें से अधिकतम 8 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
- **कार्य:** राष्ट्रीय विद्युत नीति के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना; विद्युत संयंत्रों, विद्युत लाइनों और ग्रिड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए तकनीकी मानक तय करना आदि।

## 11.8. वस्त्र क्षेत्रक (Textiles Sector)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत के व्यापार डेटा के अनुसार, भारत का वस्त्र क्षेत्रक 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा।

**वस्त्र क्षेत्रक के विकास के लिए उठाए गए कदम**

- **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS):** यह वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- **वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना (SAMARTH/ समर्थ):** यह वस्त्र क्षेत्रक में **कुशल कार्यबल की आवश्यकता** से संबंधित है।
  - हाल ही में, सरकार ने **समर्थ योजना को दो वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26) की अवधि** के लिए बढ़ा दिया है। इस अवसर पर सरकार ने 3 लाख लोगों को वस्त्र-संबंधी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय लिया है।
- प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क्स योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, वस्त्र क्षेत्रक के लिए उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना आदि।

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**VisioNxt**

- केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने **भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल,** "VisioNxt" को लॉन्च किया है।
  - साथ ही, इस दौरान **भारत-विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक 'परिधि 24x25'** का भी विमोचन किया गया है।
- **VisioNxt के बारे में**
  - यह **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का द्विभाषी वेब पोर्टल है।**
  - यह भारत की बहुलता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के फैशन रुझानों की पहचान, मानचित्रण एवं विश्लेषण करेगा। इसके लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इमोशनल इंटेलिजेंस (EI)** का उपयोग किया गया है।

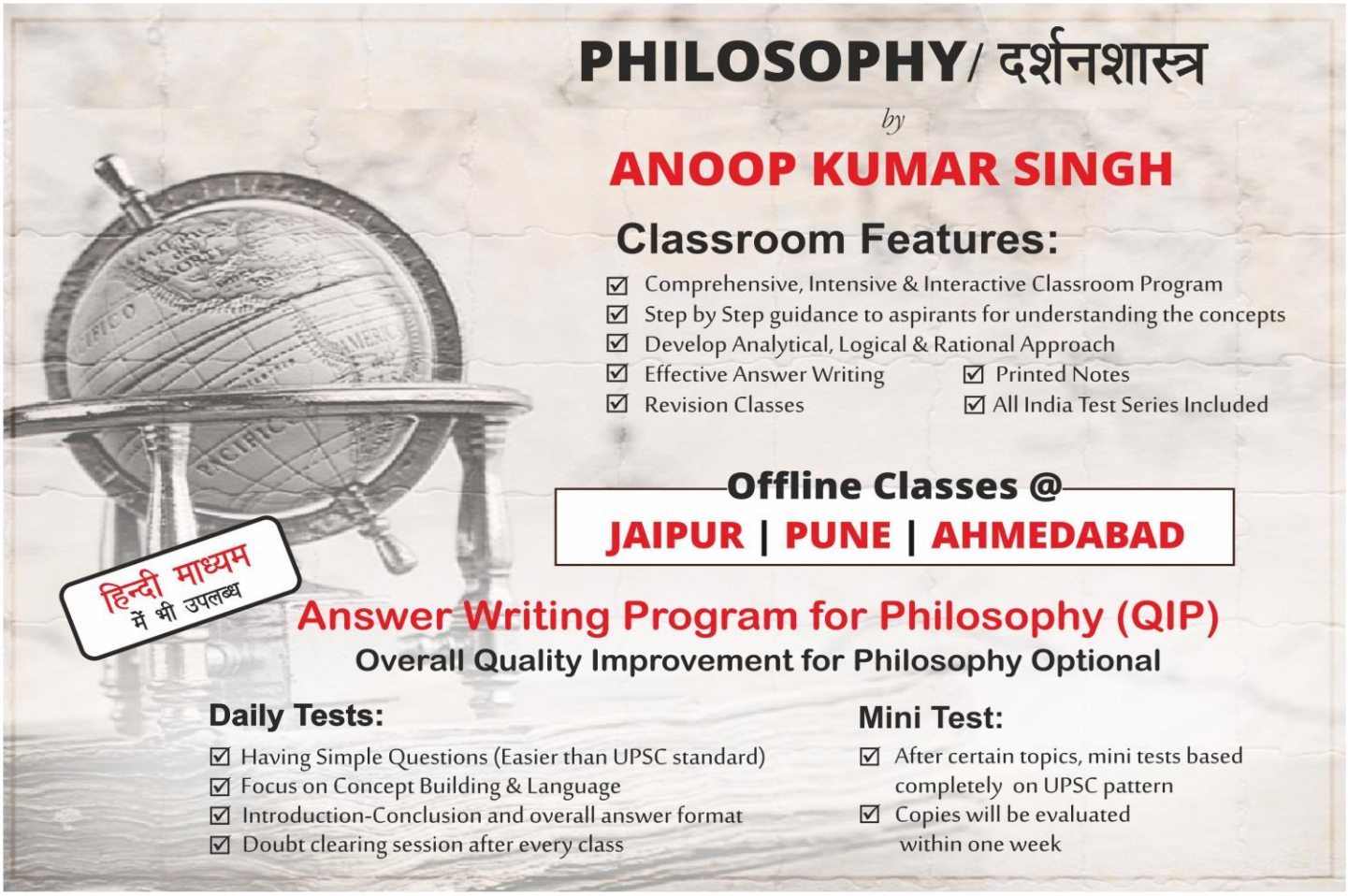

### 11.8.1. तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन पर अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति ने ग्रेट (GREAT) योजना पहल के तहत सात स्टार्ट-अप्स प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

**तकनीकी वस्त्र के बारे में**

- **परिभाषा:** तकनीकी वस्त्र को दरअसल ऐसी वस्त्र सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग **उनके सौंदर्य या सजावटी विशेषताओं की बजाय उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक यानी फंक्शनल गुणों** के आधार पर किया जाता है।
- **उपयोग:** इनमें कृषि, सड़क, रेलवे ट्रैक, खेलकूद परिधान एवं स्वास्थ्य क्षेत्रक से लेकर बुलेटप्रूफ जैकेट, अग्निरोधक जैकेट, अधिक ऊंचाई पर पहनने योग्य कॉम्बैट गियर और अंतरिक्ष क्षेत्र में उपयोग शामिल हैं।
- भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार **दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा बाजार** है।

**तकनीकी वस्त्र क्षेत्रक के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें**

- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM):** इसका लक्ष्य है भारत को तकनीकी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक रूप से एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना।
- **योजनाएं:**
  - वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना,
  - प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (PM- MITRA) योजना,
  - एकीकृत वस्त्र पार्क योजना[119]।
- **तकनीकी वस्त्रों का अनिवार्य उपयोग:** तकनीकी वस्त्र उत्पादों को कई केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में अनिवार्य उपयोग के लिए चिन्हित किया गया है।
- **अन्य:** जियो-टेक टेक्सटाइल्स, एग्रो टेक्सटाइल्स, मेडिटेक टेक्सटाइल आदि के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विनियम जारी किए हैं; तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए विशेष रूप से नए HSN कोड का विकास किया गया है।

## 11.9. अन्य प्रमुख घटनाक्रम (Other Key Developments)

### 11.9.1. आठ कोर उद्योगों का सूचकांक (Index Of Eight Core Industries: ICI)

संयुक्त ICI में फरवरी 2023 के सूचकांक की तुलना में **फरवरी 2024 में 6.7% की वृद्धि (अनंतिम)** दर्ज की गई है।

**आठ कोर उद्योगों के सूचकांक (ICI) के बारे में**

- **आठ कोर उद्योगों का सूचकांक** इन उद्योगों के संयुक्त उत्पादन और इनमें से प्रत्येक के प्रदर्शन को मापता है।
- **ये आठ कोर उद्योग हैं:** उर्वरक, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला, बिजली, इस्पात और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद।
  - **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** में शामिल मदों के भारांश में इन आठ कोर उद्योगों का हिस्सा **40.27%** है।
  - कोर उद्योगों के सूचकांक में **पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का भारांश सबसे अधिक (28.04%)** है। इसके बाद **विद्युत (19.85%)** का स्थान है।
  - **कोर उद्योगों का सूचकांक (ICI)** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के **आर्थिक सलाहकार कार्यालय** द्वारा जारी किया जाता है।

[119] Scheme for Integrated Textile Park- SITP

### 11.9.2. नवरत्न का दर्जा (Navratna Status)

लोक उद्यम विभाग ने **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA)** और **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को नवरत्न का दर्जा** दिया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- IREDA **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण** में कार्य करता है। इसकी स्थापना **1987** में एक **गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान** के रूप में की गई थी।
- SECI, **केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** के अंतर्गत 'केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक का उपक्रम (CPSE)' है।

**नवरत्न का दर्जा अलग-अलग मापदंडों के आधार पर दिया जाता है, जैसे-**

- CPSEs जो **मिनीरत्न-I और अनुसूची 'A'** में हैं;
- **छह प्रदर्शन संकेतकों** में कुल स्कोर **60 या उससे अधिक** का हो। इन प्रदर्शन संकेतकों में निवल लाभ, नेटवर्थ, सेवाओं की लागत, प्रति शेयर आय (EPS) आदि शामिल हैं।

**मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्रता**

- **मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा:**
  - पिछले **3 वर्षों में लगातार लाभ** कमाया हो;
  - **कर-पूर्व लाभ 3 वर्षों में से कम-से-कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये** या उससे अधिक हो;
  - **पॉजिटिव नेटवर्थ** की स्थिति होनी चाहिए।
- **मिनीरत्न श्रेणी-II का दर्जा:**
  - **पिछले 3 साल** से लगातार **मुनाफा कमाया हो;**
  - **पॉजिटिव नेटवर्थ** की स्थिति होनी चाहिए।

### 11.9.3. GIFT-IFSC के विकास पर विशेषज्ञ समिति (Expert Committee On Developing GIFT-IFSC)

GIFT-IFSC को "ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब" के रूप में विकसित करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (IFSCA) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना** के बाद विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस अधिसूचना में **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) अधिनियम, 2019** के तहत **बही-खाता** (Book-keeping), **लेखांकन, कराधान तथा वित्तीय अपराध पर नजर रखने वाली प्रक्रिया के पालन को 'वित्तीय सेवाओं'** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centres: IFSC)**

- **GIFT-IFSC यानी "गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी)-IFSC"** की स्थापना **2015** में गुजरात में **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में** की गई थी।
  - एक IFSC **घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों को सेवा** प्रदान करता है। ऐसे केंद्र दूसरे देशों से जुड़े **वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की आवाजाही** का प्रबंधन करते हैं।
  - GIFT ने **2015 में कार्य करना शुरू** किया था। इसका उद्देश्य **भारतीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की प्राप्ति (इनबाउंड) और विदेशी कंपनियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने (आउटबाउंड) हेतु भारत के गेटवे** के रूप में कार्य करना है।
- IFSC प्राधिकरण **IFSC अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय** है।
- यह भारत में **IFSCs में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं तथा वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन** के लिए एकीकृत विनियामक है।

### 11.9.4. विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council: WGC)

विश्व स्वर्ण परिषद (WGC) ने 2024 में भारत की स्वर्ण खपत का अनुमान बढ़ाकर **850 टन** कर दिया है।

**विश्व स्वर्ण परिषद (WGC) के बारे में**

- इसका गठन **1987** में कुछ खनन कंपनियों ने किया था।
- यह स्वर्ण से संबंधित एक अथॉरिटी है। यह **विशिष्ट स्वर्ण बाजारों की खोज करता है और अनुसंधान** करता है।

**एक कमोडिटी के रूप में स्वर्ण**

- **प्रमुख निर्यातक (2022):** स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात आदि।
- **प्रमुख आयातक (2022):** स्विट्जरलैंड, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और भारत।
- **शीर्ष उत्पादक: चीन पहले स्थान** पर है। इसके बाद **आस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा और अमेरिका** का स्थान आता है।
- भारत में स्वर्ण के **सबसे बड़े संसाधन बिहार (44%)** में स्थित हैं। इसके बाद **राजस्थान (25%) व कर्नाटक (21%)** का स्थान आता है।
- भारत स्वर्ण का **चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
VisionIAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए
स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज)

- प्रश्नों का विशाल संग्रहः UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक प्रश्न।
- करेंट अफेयर्सः करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस कीजिए।
- पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधाः विषयों और टॉपिक्स का चयन करके टेस्ट को कस्टमाइज़ कीजिए।
- समयबद्ध मूल्यांकनः समयबद्ध टेस्ट के साथ टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिए।
- प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषणः समग्र तैयारी के साथ–साथ विषय और टॉपिक के स्तर पर प्रगति को ट्रैक कीजिए।
- टार्गेटेड रेकमेंडेशनः सुधार योग्य पक्षों के लिए पर्सनलाइज्ड रेकमेंडेशन प्राप्त कीजिए।

एडमिशन प्रारंभ

और अधिक जानकारी के लिए स्कैन कीजिए

# 12. विविध (Miscellaneous)

## 12.1. निधि कंपनियां (Nidhi Companies)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने धोखाधड़ी का काम करने वाली **निधि कंपनियों पर शिकंजा कसा है।**

**निधि (Nidhi) कंपनी के बारे में**

- केंद्र सरकार **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत निधि कंपनी का दर्जा प्रदान करती है।
- निधि कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा **2014** में जारी किए गए **निधि नियमों** का पालन करना होता है।
  - उपर्युक्त नियमों को बाद में **2022 में संशोधित** किया गया था।
- **निधि कंपनियों का उद्देश्य** अपने सदस्यों में मितव्ययी होने और बचत करने की आदत विकसित करना है।
  - यह **अपने सदस्यों से ही जमा-राशि स्वीकार** करती है और उन्हें ही आपसी लाभ के लिए उधार देती है।
- **मुख्य मानदंड:**
  - न्यूनतम 200 सदस्य होने चाहिए;
  - दस लाख रुपये या उससे अधिक की निवल स्वामित्व वाली निधि होनी चाहिए आदि।

## 12.2. ISI मार्क (ISI Mark)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्र सरकार ने **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से स्टेनलेस स्टील और रसोई के एल्यूमीनियम बर्तनों के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन (ISI) मार्क** अनिवार्य कर दिया है।

**ISI मार्क क्या है?**

- ISI मार्क **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** द्वारा विकसित किया गया है। यह मार्क **उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन** देता है।
- केंद्र सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) जारी करके BIS की **स्कीम-I (ISI मार्क योजना) के तहत कुछ उत्पादों के लिए ISI मार्क को अनिवार्य** बना दिया है।
- भारत में बेचे जाने वाले कुछ उत्पादों के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया गया है। इन उत्पादों में **विद्युत उपकरण (जैसे स्विच, मोटर, हीटर, किचन उपकरण आदि), सीमेंट, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, चिकित्सा उपकरण, इस्पात व लौह उत्पाद, खिलौने** आदि शामिल हैं।

**भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में**

- **BIS,** भारत की **राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था** है। इसकी स्थापना **BIS अधिनियम, 2016** के तहत की गई है।
- इसका उद्देश्य वस्तुओं के **मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन** कार्यों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है।
- **BIS के कुछ अन्य मानक:**
  - **हॉलमार्क:** बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की शुद्धता या उत्कृष्टता की आधिकारिक गारंटी।
  - **इकोमार्क:** पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग।

## 12.3. ग्रीन शूट्स (Green Shoots)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

RBI ने कहा है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) क्षेत्रक में **ग्रीन शूट्स** की भूमिका निभा रही है।

**ग्रीन शूट्स**

- ये ऐसे संकेत हैं, जो दर्शाते हैं कि कोई **अर्थव्यवस्था या क्षेत्रक** आर्थिक मंदी के बाद आगे बढ़ रही है/ रहा है।

**FMCG क्षेत्रक के बारे में**

- FMCG क्षेत्रक को **उच्च टर्नओवर वाले उपभोक्ता पैकेज्ड सामानों** के रूप में जाना जाता है, अर्थात ऐसे सामान जिनका **कम समय में उत्पादन, वितरण, मार्केटिंग और उपभोग** किया जाता है।
- **उदाहरण के लिए:** डिटर्जेंट, टॉयलेटरीज़, दांत साफ करने के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन आदि।

## 12.4. एनहैंस्ड इंटिग्रेटेड फ्रेमवर्क (Enhanced Integrated Framework: EIF)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**फिनलैंड** एनहैंस्ड इंटिग्रेटेड फ्रेमवर्क के तहत वित्त-पोषित परियोजनाओं के जरिए **अल्प-विकसित देशों (LDC) को सहायता** दे रहा है।

**एनहांस्ड इंटिग्रेटेड फ्रेमवर्क (EIF) के बारे में**

- यह एकमात्र ऐसी **बहुपक्षीय साझेदारी** है, जो अल्प-विकसित देशों को **व्यापार के माध्यम से गरीबी में कमी, विकास और सतत विकास के लिए सहायता** दे रही है।
- इसमें **51 देश भागीदार हैं।**
- इसे **विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन (WTO)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सहायता प्रदान करते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (UNOPS) एनहैंस्ड इंटिग्रेटेड फ्रेमवर्क का ट्रस्ट फंड मैनेजर है।**

## 12.5. दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024 {Telecommunications (Administration Of Digital Bharat Nidhi) Rules, 2024}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

ये नियम **दूरसंचार विभाग (DoT) ने डिजिटल भारत निधि (DBN) को कार्यान्वित** करने के लिए अधिसूचित किए हैं। इन्हें **दूरसंचार अधिनियम, 2023** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है।

**डिजिटल भारत निधि (DBN) के बारे में**

- डिजिटल भारत निधि की स्थापना दूरसंचार अधिनियम, 2023 के माध्यम से की गई है। इसे **अल्पसेवित दूरदराज/ ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती कीमतों पर दूरसंचार योजनाओं के वित्त-पोषण** के लिए स्थापित किया गया है।
- इसने तत्कालीन **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885** के तहत बनाए गए **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) की जगह** ली है।
    - USOF निधियों का एक पूल है। इसमें **यूनिवर्सल एक्सेस लेवी** लगाने से अर्जित राशि को जमा किया जाता है। यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के तहत दूरसंचार विभाग से दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों के **समायोजित सकल राजस्व के 5% की दर से लाइसेंस शुल्क** वसूला जाता है।

## 12.6. एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) {NCoE For Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

2022-23 के बजट में **एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR)** क्षेत्र के लिए एक **टास्क फोर्स** गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी प्रस्ताव के अनुसरण में AVGC-XR के लिए **राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE)** का गठन किया गया है।

**NCoE की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र**

- इसे **कंपनी अधिनियम, 2013** की **धारा 8** के तहत स्थापित किया जाएगा।
- इसका अस्थायी नाम **इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स (IIIC)** रखा गया है।
- यह **AVGC-XR** क्षेत्र से जुड़े **स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक इनक्यूबेशन सेंटर** के रूप में कार्य करेगा।
- इससे **भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा** मिलेगा।

**क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी**

- मूल रूप देखें तो यह **ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधि** है जिस पर 'क्रिएटिव इंडस्ट्रीज' आधारित हैं।
  - क्रिएटिव इंडस्ट्रीज या रचनात्मक उद्योग में प्राथमिक इनपुट के रूप में **रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा का उपयोग करते हुए उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का सृजन, उत्पादन एवं वितरण किया जाता है।**
- **भारत में इस उद्योग का आकार लगभग 30 बिलियन डॉलर** है तथा यह भारत की लगभग 8% कार्यशील जनसंख्या को रोजगार भी प्रदान करता है।

**Copyright © by Vision IAS**

*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.*

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

## प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

**दिल्ली**

**4 फरवरी | 11 AM**

**अवधि – 12 महीने**

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

## GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

### नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

### सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

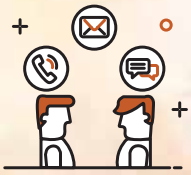

### नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

### ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

### कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

### बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

# Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

**Aditya Srivastava**

**79** in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

**Animesh Pradhan**

**Ruhani**

**Srishti Dabas**

**Anmol Rathore**

**Nausheen**

**Aishwaryam Prajapati**

## हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

## UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

Toppers' Talk

UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन

UPSC Prelims 2025 10 years PYQ

Master Classes Series करेंट अफेयर्स

**HEAD OFFICE**
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

**MUKHERJEE NAGAR CENTER**
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

**GTB NAGAR CENTER**
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

**FOR DETAILED ENQUIRY**
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलुरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची